रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL (N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31—अगस्त 6, 2004 (श्रावण 9, 1926)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31—AUGUST 6, 2004 (SRAVANA 9, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2004

सं. एन-15/13/8/1/85-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :--

"जिला इन्दौर की तहसील सावेर के राजस्व ग्राम-मांगलिया एवं मांगलिया सड़क, राऊ खेडी, ढावली एवं गारी पिपलिया

तथा

जिला एवं तहसील इन्दौर के राजस्व ग्राम-तलावली चांदा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 12 जुलाई 2004

सं. एन-15/13/9/8/2004-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में

निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :--

"पुणे नगर निगम के प्रवर्धित क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम-बाणेर, बावले, कोथरूड, कात्रज, हिंगणे (खुर्द) धमकवडी, कोंधवा (खुर्द) हडपसर, महम्मदवाडी, वडगांव शेरी, धानोरी, कलस, पाषाण एवं बालेवाडी

तथा

जिला-पुणे, तालुक-हवेली के राजस्व ग्राम-शिवणे उंड्री, वडगांव (खुर्द) लोहगांव, आंबेगांव (खुर्द) आंबेगांव (बुद्रक) धायरी, पिसोली, नरहे तथा नांदेड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

सं. एन-15/13/9/2/97-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 1 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"जिला पुणे की पिंपरी-चिंचवाड म्यूनिसिपल निगम की परिवर्धित सीमा की तालुक-हवेली के राजस्व ग्राम-तलवाडे, दिघी, चिखली एवं बोपखेल तालुक-मुलशी के राजस्व ग्राम-वाकड, पुनवले, हिंजवडी एवं पिंपले निलख तथा तालुक खेड के राजस्व ग्राम-आलंदी (देवाची), धानोरी एवं मरकल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 13 जुलाई 2004

सं. एन-15/13/9/38/92-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 1 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

जिला-कोल्हापुर, तालुक करवीर सीमा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम-उंचगांव एवं गडमुडशिंगी।

आर.सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 14 जुलाई 2004

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-II/554--जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियाक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, कि अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों से संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है (जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है)।

अनुसूची--1

तमिलनाडु

क्र.सं.	पूर्व अधिसूचना की सं. व दिनांक	स्थापना का नाम कोड सहित	छूट की अवधि
1	2	3	4
1.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 12.1.94	मै. सेशसची पेपर एण्ड बोर्ड लि. (टीएन/4028-4028ए)	24.12.2001 से 23.12.2004
2.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.5.99	मै. दि अमरावथी को. ऑपरेटिव सुगर मिल्स लि. (टीएन/3066)	25.11.2000 से 24.11.2003 25.11.03 से 24.11.06
3.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.4.99	मै. सी आर आई पम्पस प्रा. लि. (टीएन/17520)	1.1.2000 से 31.12.2002 1.1.2003 से 31.12.2005
4.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.09.2001	मै. सूरी एण्ड कम्पनी तथा 5 शाखाएं (टीएन/3670)	24.06.2003 से 23.06.2006
5.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.05.2002	मै. पी.एल. वर्लडवेज लि. तथा 8 शाखाएं (टीएन/19822)	24.06.2003 से 23.06.2006
6.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.05.2002	मै. एम आर एफ लि. तथा भारतवर्ष में 60 शाखाएं (टीएन/347ए)	24.06.2003 से 23.06.2006
7.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 29.08.2001	मै. कावेरी टेक्सआइल्स (कनवर्शन यूनिट) (टीएन/29794)	24.06.2003 से 23.06.2006
8.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 26.08.98	मै. कोयम्बतूर प्रोसेसिंग (टीएन/10224)	1.3.2000 से 28.02.2003 1.3.2003 से 28.02.2006
9.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 29.8.2001	मै. श्री मंगायार करासी मिल्स (टीएन/16645)	24.06.2003 से 23.06.2006
10.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. कैमिकल्स कनसलटैंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा.लि. (टीएन/20000)	24.06.2003 से 23.06.2006
11.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. विजेश्वरी टैक्सटाइल्स लि. (टीएन/1097)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
12.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 21.9.2001	मै. दि चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सहकारी बैंक लि. (टीएन/10945)	24.06.2003 से 23.06.2006
13.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. दि ई एल पी इन इन्डस्ट्रीज (टीएन/6647)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
14.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 23.2.2001	मै. रनसार इन्डस्ट्रीस लि. (टीएन/21845)	24.06.2003 से 23.06.2006
15.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.12.2001	मै. पंकजा मिल्स (टीएन/66)	24.06.2000 से 230.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
16.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 17.06.99	मै. श्री रंगा टेक्सटाइल्स लि. (टीएन/17028)	24.07.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
17.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.4.99	मै. दि आई डी ए स्कूडेर स्कूल (टीएन/15854)	1.2.2001 से 31.1.2004
18.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. सुपर सेल्स एजैन्सीस लि. (टीएन/17468)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006

1	2	3	4
19.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.11.2002	मै. कृष्णावेनी टेक्सटाइल्स मिल्स लि. (टीएन/1069)	1.12.2000 से 31.05.2002
20.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 13.12.2000	मै. रायटर एल एम डब्ल्यू मशीनरी लि. (टीएन/33972)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
21.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 28.2.94	मै. मश्टेर्क प्रा. लि. (टीएन/25019)	1.4.96 से 31.3.99 1.4.99 से 31.3.2002 1.4.02 से 31.3.2005
22.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 13.12.2000	मै. एक्यासब इंजीनियरिंग (यूनिट-II) (टीएन/19230-ए)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
23.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 22.11.2000	मै. विजयलक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लि. (टीएन/10434)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
24.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. लक्ष्मी रिंग ट्रेवलर्स (कोयम्बतूर) लि. (टीएन/21246)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
25.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 17.11.99	मै. वेंकटा लक्ष्मी टेक्सटाइल्स प्रा. लि. (टीएन/21347)	1.12.99 से 23.6.2000 24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.03 से 23.06.2006
26.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. डीकेन इन्डस्ट्रीज (टीएन/21767)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
27.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.8.2000	मै. बोनोमी वेलजियम वेंटाईल इंडिया प्रा. लि. (टीएन/21613)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
28.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. दुराइराज मिल्स लि. (टीएन/25002)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
29.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 1.6.98	मै. शार्प टूल्स (टीएन/11725)	1.03.2000 से 28.02.2003 1.03.2003 सें 28.02.2005
30.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. फलोरिड शूज लि. (टीएन/16318)	24.06.2003 से 23.06.2006
31.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. रंगा विलास गिनिंग स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. (टीएन/64)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
32.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.8.2000	मै. इमराल्ड ट्रेवल क्रिएटर्स (टीएन/33960)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
33.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 17.2.2001	मै. एन टी सी (टी एण्ड पी) (टीएन/7510)	01.03.2000 से 28.02.2003 01.03.2003 से 28.02.2006
34.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. यूनिवर्सल रेडियेटर्स लि. (टीएन/3131)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
35.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 17.11.99	मै. दि श्री वैकटेशा मिल्स लि. (टीएन/51)	8.01.2001 से 31.08.2002
36.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 31.1.2000	मै. जी. प्रिन्ट प्रा. लि. (टीएन/16638)	1.06.2000 से 31.05.2003 1.06.2003 से 31.05.2006
37.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 12.3.99	मै. यू.एम.एस सर्विसेज लि. (टीएन/16387)	1.05.2000 से 30.04.2003 1.05.2003 से 30.04.2006
38.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.3.99	मै. सुन्द्रम ब्रेकस लिनिंग लि. (टीएन/10771)	1.03.2000 से 29.02.2004

1	2	3	4
39.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 07.5.2002	मै. विक्टोरिया टैक्निकल इन्सटीट्यूट (टीएन/2555)	24.06.2003 से 23.06.2006
40.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. टी टी कृष्णना मशीनरी एण्ड कम्पनी तथा 7 शाखाएं (टीएन/2508)	24.06.2003 से 23.06.2006
41.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 2.8.2002	मै. चोलामण्डलम एण्ड फायनेंस कं. लि. तथा 41 शाखाएं (टीएन/23200)	24.06.2003 से 23.06.2006
42.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 18.2.2003	मै. मंगलतीर्थ एस्टेट स्टेश लि. (टीएन/26325)	24.06.2003 से 23.06.2006
43.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 31.1.2000	मै. ओम पाराशक्ति मिल्स (टीएन/1163)	1.12.2001 से 31.05.2002 (स्थापना दि.31.05.2002 से बंद है)
44.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.3.99	मै. विष्णु शंकर मिल्स लि. (टीएन/20349)	1.10.99 से 30.9.2002 1.10.2002 से 30.9.2005
45.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 26.10.97	मै. पोलिस्पिन लि. (टीएन/10447बी)	1.4.96 से 31.3.99 1.4.99 से 31.3.2002 1.4.2002 से 31.3.2005
46.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 10.8.99	मै. डिक्कन रेडियेटर्स एण्ड प्रोसिंग लि. (टीएन/7841)	1.03.2000 से 23.6.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
47.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 2.11.2000	मै. वैलिंगटन चाय फैक्टरी (टीएन/8876)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
48.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.8.2000	मै. चनसूबा पम्पस प्रा. लि. (टीएन/45095)	1.3.2000 से 28.2.2003 1.3.2003 से 28.2.2006
49.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 17.8.99	मै. सुदर्शनम स्पीनिंग मिल्स (टीएन/2327)	1.10.99 से 30.9.2002 1.10.2002 से 30.9.2005
50.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.5.99	मै. ई आई एफ सी ओ मशीन टूल्स प्रा. लि. (टीएन/2356)	1.3.2000 से 28.2.2003 1.3.2003 से 28.2.2006
51.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 15.5.99	मै. जी.डी होप्ट प्रा. लि. (टीएन/6935)	1.5.2000 से 30.4.2003 1.5.2003 से 30.04.2006
52.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 29.8.2001	मै. मद्रास सिमेंट्स लि. (टीएन/3448)	24.06.2003 से 23.06.2006
53.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 31.8.98	मै. सेन्टविन टैक्सटाइल मिल्स लि. (टीएन/24908)	1.4.2000 से 31.03.2003 1.4.2003 से 31.03.2006
54.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. मलेशिया एयरलाइन्स तथा 5 शाखाएं (टीएन/8785)	24.06.2003 से 23.06.2006
55.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 20.9.91	मै. रामाराजु सर्जिकल कॉटन मिल्स लि. (टीएन/6665)	1.3.93 से 28.2.96 1.3.96 से 28.2.99 1.3.99 से 28.2.2002 1.3.2002 से 28.2.2005
56.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. फ्यूल टैप्स (टीएन/10352)	24.06.2003 से 23.06.2006
57.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 29.8.2001	मै. दि तमिलनाडु सहकारी गृह फैडरेशन लि. (टीएन/16009)	24.06.2003 से 23.06.2006

1	2	3	4
58.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 29.8.2001	मै. निप्पो इन्टरप्राइजेस साउथ (टीएन/16832)	24.06.2003 से 23.06.2006
59.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 28.9.2001	मै. वास इन्डस्ट्रीस प्रा. लि. तथा सेल्स कार्यालय (टीएन/17539)	24.06.2003 से 23.06.2006
60.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.5.2002	मै. होटल अम्बेस्डर, पल्लवा (टीएन/9450)	24.06.2003 से 23.06.2006
61.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. विजया हॉस्पिटल केन्टीन (टीएन/10108)	24.06.2003 से 23.06.2006
62.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 17.2.96	मै. यूनिटी फोर्ज लि. (टीएन/6134)	1.12.97 से 30.11.2000 1.12.2000 से 30.11.2003
63.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.4.99	मै. जी. प्लान्ट प्रा. लि. (टीएन/21235)	1.5.2000 से 30.04.2003 1.5.2003 से 30.4.2006
64.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 22.11.2000	मै. प्रीकोट मिल्स लि. (टीएन/240 सी)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
65.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 22.11.2000	मै. वर्धराजा टैक्सटाइल्स प्रा. लि. (टीएन/519)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
66.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 22.11.2000	मै. कुमारण मिल्स लि. (टीएन/70)	24.06.2003 से 23.06.2006
67.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.3.2000	मै. दि साइन्टीफिक्स फर्टीलाइजर कं. लि. (टीएन/1217)	1.7.2000 से 30.6.2003 1.7.2003 से 30.06.2006
68.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 31.1.2000	मै. थुलसीराम हाइवे ट्रांसपोर्ट (टीएन/4430)	1.01.2001 से 30.04.2002
69.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. गोकुल फूड्स (टीएन/25051)	24.06.2000 से 23.062003 24.06.2003 से 23.062006
70.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. चोला पम्पस प्रा.लि. (टीएन/25393)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.05.2003 से 23.06.2006
71.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.8.2000	मै. एयर सेल लि. (टीएन/45056)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
72.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.2.2001	मै. मोकम्मबीकाई ट्रेडिंग कम्पनी (टीएन/28552)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
73.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 1.4.99	मै. स्माल इन्डस्ट्रीज टेस्टिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (टीएन/28443)	1.8.2000 से 31.7.2003 1.8.2003 से 31.7.2006
74.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.8.2000	मै. करपागम आर्टस प्रा. लि. (टीएन/34087)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
75.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 1.4.99	मै. वीयेर आलोस प्रा. लि. (टीएन/28624)	1.8.2000 से 31.7.2003 1.8.2003 से 31.7.2006
76.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.8.2000	मै. सचिदानन्द ज्योति निकेतन (टीएन/34254)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
77.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.3.99	मै. ऑटोकमाउंड कल्च (टीएन/3051)	1.2.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006

1	2	3	4
78.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 15.5.99	मै. वेलुमनि इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री (टीएन/5066)	11.02.2000 से 10.02.2003 11.02.2003 से 10.02.2006
79.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.5.99	मै. दि तुदियालुर सहकारी एग्रीकल्चरल सर्विसेस (टीएन/6326)	28.6.2000 से 27.6.2003 28.6.2003 से 27.6.2006
80.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 22.12.2000	मै. दि निलग्रीस सहकारी इन्टरप्राइजेस (टीएन/6879)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
81.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.3.99	मै. मैट्रे मैट्रीकुलेशन हायर सैकन्ड्री स्कूल (टीएन/21591)	1.5.2000 से 30.4.2003 1.5.2003 से 30.4.2006
82.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 22.11.2000	मै. श्री शारदा मिल्क कोयम्बतूर (टीएन/69)	24.06.2000 से 23.6.2003 24.06.2003 से 23.06.2006
83.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.01	मै. केन्द्रीय सहकारी प्रिन्टिंग वर्क्स (टीएन/558)	24.06.03 से 23.06.2006
84.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.01	मै. काबोरेन्डम यूनिवर्सल लि. (टीएन/860)	24.06.03 से 23.06.2006
85.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.5.02	मै. रायल इन्फिल्ड मोटर्स (यूनिट ऑफ आशर लि.) (टीएन/927सी)	24.06.03 से 23.06.2006
86.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.01	मै. मद्रास आटो सर्विस तथा 33 शाखाएं (टीएन/1137)	24.06.03 से 23.06.2006
87.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 16.3.99	मै. डायनामालैब तामिल डेयली (टीएन/1171)	1.4.99 से 31.3.02
88.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.01	मै. तमिलनाडु सहकारी मार्किटिंग फेडरेशन लि. तथा 24 शाखाएं (टीएन/3310)	24.06.03 से 23.06.2006
89.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 19.3.99	मै. एल जी कृष्णन एण्ड ब्रादर्स लि. (टीएन/3818)	30.4.2000 से 29.4.03 30.4.2003 से 29.4.06
90.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 10.7.93	मै. एन टी टी एफ इंडस्ट्रीयल लि. बल्लूर (टीएन/4885-ए)	1.10.95 से 30.9.98 1.10.98 से 30.9.01 1.10.01 से 30.9.04
91.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 20.5.99	मै. साऊथ इंडिया शुगर्स (टीएन/5206)	1.02.01 से 31.01.03
92.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 20.5.99	मै. दि शान्थिल मातिस वर्क्स (टीएन/5845)	24.06.03 से 23.06.06
93.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 23.6.99	मै. दि मर्कयूनेड इनडस्ट्रीयल सहकारी चाय फैक्टरी लि. (टीएन/6245)	1.10.99 से 30.9.02 1.10.02 से 30.9.03 ई.डी.एल.आई. स्कीम, 1976 1.10.03 से दूसरे में बदल गई
94.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 21.9.01	मै. दि ताज कोरोमण्डल होटल (टीएन/7755)	24.06.03 से 23.06.2006
95.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.11.00	मै. दि थिरुबुवानम सिल्क हैंडलूम वेवर्स सहकारी प्रोडेक्शन एण्ड सेल्स सोसायटी लि. (टीएन/7825)	1.12.00 से 30.09.03

1	2	3	4
96.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.5.2002	मै. न्यूमैन प्रेस (टीएन/8053)	24.06.2003 से 23.06.2006
97.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 1.12.2000	मै. एम थन्गोमालिगाई ट्रस्ट (टीएन/12063)	24.06.2003 से 23.06.2006
98.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 7.5.2002	मै. श्री शंकरा विद्यासरनम मैट्रीकुलेशन हायर सैकन्ड्री स्कूल (टीएन/15879-ए)	24.06.2003 से 23.06.2006
99.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 24.2.93	मै. डेरिसशर पेनिक्कूल स्विचगेयर लि. (टीएन/16019)	1.1.95 से 31.12.97 1.1.98 से 31.12.2000 24.6.2000 से 31.12.2000 1.01.2001 से 31.12.2003
100.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. डिजाइन्स एण्ड फोटोकोपीस (टीएन/16023)	24.06.2003 से 23.06.2006
101.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. सैनको ट्रान्स लि. तथा शाखाएं (टीएन/16536)	24.06.2003 से 23.06.2006
102.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. डब्ल्यू सी आई (मद्रास) प्रा. लि. (टीएन/17509)	24.06.2003 से 23.06.2006
103.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 28.8.2001	मै. नेशनल आक्सीजन लि. तथा दो शाखाएं (टीएन/17277)	24.06.2003 से 23.06.2006
104.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.11.2000	मै. काली कम्पोसिट मेटल (टीएन/17782)	1.10.99 से 31.9.2000 1.10.2000 से ई.डी.एल.आई. स्कीम में वापसी
105.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 4.9.2001	मै. इन्डस्ट्रियल एण्ड टैक्नीकल कन्सलटैन्सी संगठन ऑफ तमिलनाडु (टीएन/17795)	24.06.2003 से 23.06.2006
106.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 28.8.2001	मै. अरुपनकोट्टाई श्री जय विलास लि. (टीएन/20045)	24.06.2003 से 23.06.2006
107.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 20.12.2000	मै. अरुपनकोट्टाई श्री रोलर मिल्स प्रा. लि. (टीएन/20517)	24.06.2000 से 31.8.2002 1.09.2002 से 31.08.2005
108.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 20.5.99	मै. वेयर टी पी यू प्रा. लि. तथा शाखाएं (टीएन/27530)	1.3.98 से 29.02.2001 1.3.2001 से 31.10.2003
109.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 29.8.2001	मै. तमिल पावर फाइनेंस एण्ड इनफ्रास्टेक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएन/31291)	24.06.2003 से 23.06.2006
110.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 30.11.2000	मै. लुमियर एपलाइन्सेस प्रा. लि. (टीएन/31462)	1.12.2000 से 30.11.2003
111.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 28.8.2001	मै. कान्टीनेन्ल माचिस कं. रिलिंग एण्ड डब्लिंग यूनिट (टीएन/37556)	24.06.2003 से 23.06.2006
112.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1869 दिनांक 31.11.2000	मै. ऐबान लॉयड चिल्स आफशोर लि. (टीएन/30483)	1.12.2000 से 30.11.2003 1.12.2003 से 30.11.2006
113.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1857 दिनांक 4.9.2001	मै. विजया हास्पीटल केन्टीन (टीएन/10108)	1.06.2003 से 31.05.2006
114.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/5162 दिनांक 9.2.2001	मै. कालिसवारी फायर वर्क्स (टीएन/5037-ई)	24.06.2000 से 23.06.2003 24.06.2003 से 23.06.2006

अनुसूची-I

गुजरात

क्र.सं.	पूर्व अधिसूचना की सं. व दिनांक	स्थापना का नाम कोड सहित	छूट की अवधि
1	2	3	4
1.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक	मै. आन्नदाल्य एजूकेशन सोसायटी लि. (जीजे/13901)	1.8.2000 से 31.7.2003 1.08.2003 से 31.7.2006
2.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 12.0.2001	मै. मुदरा कोमुनिकेशन (जीजे/4147-ए)	11.8.2002 से 10.8.2005
3.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लि. तथा 12 शाखाएं एक मु.का. (जीजे/4670)	1.4.2002 से 31.3.2005
4.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 18.1.94	मै. दि महसाना नागरिक सहकारी बैंक लि. (जीजे/14384)	1.3.96 से 28.02.99 1.3.99 से 29.02.2002
5.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 2.4.2003	मै. गुजरात पैगुथान एनर्जी कारपोरेशन प्रा. लि. तथा एक प्लाट (जीजे/24000)	1.3.2003 से 28.02.2006
6.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 2.04.2003	मै. अनुल इन्टरप्राइजेज तथा जिगनेश इन्डस्ट्रीज (जीजे/11209 तथा 11209-ए)	1.6.96 से 31.05.99 1.6.99 से 31.05.2002 1.6.2002 से 31.05.2005
7.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 2.05.93	मै. अमरेली जिला सहकारी खरीद वचन सिंह लि. तथा 7 शाखाएं (जीजे/6773)	1.6.92 से 31.05.95 1.6.95 से 31.05.98 1.6.98 से 31.05.2001 1.6.2001 से 31.05.2004
8.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 18.02.2003	मै. उत्तपल इन्वैस्टमेन्ट्स प्रा. लि. (जीजे/1315-एफ)	1.8.2001 से 31.07.2004
9.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 24.8.99	मै. गोपाल ग्लास वर्क्स प्रा. लि. (जीजे/1469)	1.7.2001 से 30.06.2004
10.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 19.9.2001	मै. एस एम पी एस कन्सेल्टेंट्स (जीजे/3550)	1.3.2003 से 28.02.2006
11.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 24.8.99	मै. विसनगर तालुका मजदूर सहकारी मंडली लि. (जीजे/1329)	1.3.2002 से 28.02.2005
12.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. टीना रिड्स मैन्युफेक्चरिंग कं. (जीजे/15878)	1.6.2002 से 31.05.2005
13.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 30.06.2002	मै. सोना टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि. (जीजे/288)	1.7.2002 से 31.06.2005
14.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 18.02.2003	मै. स्टालिंग अग्रासिवस लि. (जीजे/6241)	1.08.2003 से 31.07.2006
15.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. श्री प्रकाश टैक्सटाइल (गुजरात) लि. (जीजे/2644-ए)	1.08.2003 से 31.07.2006
16.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 19.09.2001	मै. अहमदाबाद टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (जीजे/2650)	1.12.2001 से 30.11.2004
17.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 2.4.2003	मै. एल्टेमैट (इंडिया) लि. (जीजे/23694)	1.12.99 से 30.11.2002 1.12.2002 से 30.11.2005

1	2	3	4
18.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 10.3.99	मै. बंडरबैल इलैक्ट्रोडेस प्रा. लि. (जीजे/4563ए)	1.1.2001 से 31.05.2004
19.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.5.2002	मै. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि. (जीजे/11959)	24.06.2003 से 23.06.2006
20.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 10.2.2002	मै. गुजरात राज्य मार्ग ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा 21 यूनिट (जीजे/1122)	16.08.2001 से 15.08.2004
21.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. शरोफा फाउन्डेशन ट्रस्ट (जीजे/20678)	1.12.2002 से 30.11.2005
22.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 19.09.2001	मै. प्रदीप इंजीनियरिंग वर्क्स (जीजे/1588)	1.3.2001 से 29.02.2004
23.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 15.12.97	मै. अमोल डीकालाइट लि. (जीजे/14606)	1.11.98 से 31.10.2001 1.11.2001 से 31.10.2004
24.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 18.02.2003	मै. सिस्ट्रोनिक्स (जीजे/6053)	1.4.2002 से 31.03.2005
25.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. लक्ष्मी फाउन्ड्री (जीजे/7557)	1.12.2001 से 30.11.2004
26.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 29.01.99	मै. कल्पतारा पावर ट्रांसमिशन लि. (जीजे/15884)	1.06.98 से 31.05.2001 1.06.2001 से 31.05.2004
27.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 23.02.2000	मै. तोनिरा फार्मा लि. (जीजे/23334)	1.9.2002 से 31.08.2005
28.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 27.01.94	मै. दि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लि. (जीजे/4663)	28.11.95 से 27.11.98 28.11.98 से 27.11.2001
29.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 15.09.99	मै. डायमण्ड करसीबल कं. प्रा. लि. (जीजे/14744-ए)	1.06.2001 से 31.05.2004
30.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 15.01.2000	मै. कडमैच मशीनरी कं. (जीजे/6087)	1.3.2002 से 28.02.2005
31.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. महशाना जिला सहकारी दुग्ध प्रोड्यूसर्स यूनियन लि. (जीजे/4827)	25.12.2001 से 24.12.2004
32.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. सन्दीप एजेन्सीस (जीजे/4746-ए)	1.3.2002 से 28.02.2005
33.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 17.04.99	मै. अहमदाबाद जिला सहकारी मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लि. (जीजे/2346)	1.2.2000 से 31.01.2003
34.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. टाटा टेलकोम लि. (जीजे/18706)	1.11.2002 से 31.10.2005
35.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 24.11.2000	मै. मफतलाल इन्डस्ट्रीज लि. (जीजे/363)	24.6.2000 से 23.06.2003
36.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 27.01.94	मै. रंग रसायन एजेन्सी (जीजे/10326)	1.11.95 से 31.10.98 1.11.98 से 31.10.01 1.11.2001 से 31.10.2004

1	2	3	4
37.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 11.11.98	मै. दि चरोटर आयरन फैक्टरी (जीजे/169)	1.3.99 से 28.2.2002
38.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 11.10.99	मै. भावनगर नागरिक सहकारी बैंक लि. मुख्य कार्यालय तथा 7 शाखाएं (जीजे/11958)	1.8.2001 से 31.7.2004
39.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. एडीड मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा. लि. (जीजे/6499)	1.3.2002 से 28.2.2005
40.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. एमको इलीकान (इंडिया) लि. (जीजे/7786)	1.3.2002 से 28.2.2005
41.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 6.09.1998	मै. गुजरात ट्रेडिंग कम्पनी (जीजे/11480)	1.3.2000 से 28.2.2003
42.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 15.01.2000	मै. अमीन मशीनरी प्रा. लि. (जीजे/7400)	1.3.2002 से 28.2.2005
43.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 24.05.2002	मै. अमोल डी के लाइट लि. (जीजे/23405)	1.3.2002 से 28.2.2005
44.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 26.10.2000	मै. चारोटार ग्रामोधार सहकारी मण्डली लि. (जीजे/31 सी)	1.9.1998 से 31.8.2001
45.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 15.2.2000	मै. गुजरात राज्य सिडस सर्टीफिकेशन एजेन्सी (जीजे/5743)	1.9.2002 से 31.8.2005
46.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 13.11.1998	मै. करीकाल्प प्रेसीजर्स (जीजे/2724)	1.7.1997 से 30.11.1998 (स्थापना बंद)
47.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. गुजरात पोलुशन कन्ट्रोल बोर्ड तथा 6 शाखाएं (जीजे/1345)	1.3.2002 से 28.2.2005
48.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 28.05.2002	मै. राजेश मल्लीबल लि. (जीजे/25-ए)	29.10.2001 से 28.10.2004
49.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 19.09.2001	मै. रिलायंस इन्डस्ट्रीस लि. (जीजे/4147)	9.3.2003 से 8.3.2006
50.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 6.04.1999	मै. गरीसन पोलीक्स प्रा. लि. (जीजे/23675)	1.08.2001 से 31.7.2003
51.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 6.4.1999	मै. समयक उद्योग प्लास्टिक्स प्रा. लि. (जीजे/30797)	24.06.2000 से 24.06.2003 23.06.2003 से 30.11.2003
52.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 19.09.2001	मै. बनासकन्थे महसाना ग्रामीण बैंक तथा 66 शाखाएं (जीजे/14371)	1.3.2002 से 28.2.2005
53.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 15.07.2002	मै. दि कालुपुर कॉमर्शियल सहकारी बैंक लि. (जीजे/4682)	12.12.2001 से 16.12.2004
54.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 21.06.1999	मै. पुजा सेल्स कार्पोरेशन तथा एक शाखा (जीजे/4565सी)	1.5.2001 से 30.4.2004
55.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/36300 दिनांक 23.02.2000	मै. गुजरात गिलास प्रा. लि. (जीजे/1249)	1.7.2001 से 30.06.2004

अनुसूची-I

महाराष्ट्र

क्र.सं.	पूर्व अधिसूचना की सं. व दिनांक	स्थापना का नाम कोड सहित	छूट की अवधि
1	2	3	4
1.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/5126 दिनांक 23.1.2001	मै. जे बी वाचा हाई स्कूल पारसी कालोनी, दादर मुम्बई (एमएच/25083)	1.12.2000 से 30.11.2003
2.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 13.5.1994	मै. कोरस (इंडिया) लि., कोरस हाउस, प्लाट नं. 10, वोरली मुम्बई-480018 (एमएच/4966)	1.3.1996 से 28.2.1999 1.3.1999 से 28.2.2002 1.3.2002 से 28.2.2005
3.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 14.09.1989	मै. ई मार्क लि.शिव सागर, स्टेट बोरली मुम्बई-480018 (एमएच/4843)	27.11.1994 से 26.11.1997 27.11.1997 से 26.11.2002 27.11.2000 से 26.11.2003
4.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1177 दिनांक 1.09.1997	मै. हिन्दुस्तातन लिवर लि. ई-3, एमआईडीसी यवतमाल-4450001 (एमएच/60039)	1.08.1998 से 31.7.2001 1.08.2001 से 31.7.2004
5.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/350 दिनांक 31.01.1992	मै. क्राम्पटन ग्रीव्स लि. छठी मंजिल सी.जी. हाऊस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, प्रभादेवी मुम्बई-400025 (एमएच/16)	1.04.2003 से 31.3.2006
6.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/889 दिनांक 12.09.1997	मै. इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि. पॉ. बा. नं. 5, जलोजा, डि. राजगढ़ ए वी-410208 (एमएच/11971)	23.10.2002 से 22.10.2005
7.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 2.12.1993	मै. एशियन पेंट्स लि. 6/ए, शान्तीनगर, वकोला, पाईपलाइन लेन, शान्ताक्रुज (ईस्ट) मुम्बई-400055 (एमएच/4631)	1.12.2003 से 30.11.2006
8.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1553 दिनांक 16.06.1999	मै. हाउसिंग डेवल्पमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. रमन हाउस 169, बैकबाग, रेशलोमेशन मुम्बई-400022 (एमएच/20972)	1.03.2002 से 28.02.2005
9.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 14.09.1989	मै. बाटलीबॉय लि. 5वां तल, 104 बोम्बे समाचार मार्ग, फोर्ट मुम्बई-400001 (एमएच/4349)	25.09.2003 से 24.09.2006
10.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1/1277 दिनांक 18.02.2003	मै. हिन्दुस्तान थॉम्सन एसोयिऐट्स लि. दादर (वेस्ट) मुम्बई-400028 (एमएच/3966)	1.03.2002 से 28.02.2005
11.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 15.11.2000	मै. बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि. 15/17, संत सेवा मार्ग, राग रोड मुम्बई-400010 (एमएच/460)	24.06.2000 से 23.06.2003

अनुसूची-I

राजस्थान

क्र.सं.	पूर्व अधिसूचना की सं. व दिनांक	स्थापना का नाम कोड सहित	छूट की अवधि
1	2	3	4
1.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट दिनांक 6.1.1994	मै. दि सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लि. (आरजे/839) तथा शाखा	26.02.1992 से 25.02.1995 26.02.1995 से 25.02.1998 26.02.1998 से 25.02.2001 26.02.2001 से 25.02.2004
2.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट दिनांक 26.02.2001	मै. सुनील सेनचेम लि., तथा चार शाखाएं (आरजे/2010)	11.12.1999 से 10.12.2002 11.12.2002 से 10.12.2005

अनुसूची-I

पंजाब

क्र.सं.	पूर्व अधिसूचना की सं. व दिनांक	स्थापना का नाम कोड सहित	छूट की अवधि
1	2	3	4
1.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 16.09.2003	मै. बिरिलेक्स केमिकल्स अमृतसर (पीएन/377)	1.9.2001 से 31.08.2004
2.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 9.12.99	मै. दि एएसआर जिला सहकारी दुग्ध प्रोड्यूसर यूनियन लि. (पीएन/1924)	1.1.2003 से 31.12.2005
3.	2/1959/डीएलआई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 28.1.99	मै. ओसीएम (इंडिया) लि. (पीएन/1050)	1.12.98 से 30.11.2001 1.12.2001 से 30.11.2004

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाय तो रद्द किया जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर नियम करे प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्देशितों /विधिक वारिसों का बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/पार्ट-I/560--सा. का जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया जाता है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत शक्ति प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान के छूट संबंधी मामले

क्र.सं.	स्थापना का नाम, पता और कोड संख्या	छूट प्रभावी की तिथि
1	2	3
1.	मै. एस.आर.एम. आलोस प्रा. लि. ई 75, एम एल ए फेस-II, वसूनी जयपुर जोधपुर (आरजे/9273)	1.9.2002 से 31.08.2005
2.	मै. सुरभी स्टील्स एफ-629, एम एल ए फेस-II वसनी जोधपुर (आरजे/9067)	1.9.2002 से 31.08.2005
3.	मै. वैलिन इलैक्ट्रोमेक इन्डस्ट्रीज एफ-628, एम एल ए फेस-II वसनी जोधपुर (आरजे/7246)	1.9.2002 से 31.08.2005
4.	मै. श्रीराम स्टील इन्डस्ट्रीज, ई-417, एम आई ए, फेस-सी बासनी, जोधपुर (आरजे/7888)	1.9.2002 से 31.08.2005
5.	मै. प्रिन्टलैण्ड प्रा. लि., 9, हथरोई, अजमेर मार्ग, जयपुर (आरजे/3622)	1.1.2003 से 31.12.2005

आन्ध्र प्रदेश छूट प्राप्त मामले

क्र.सं.	स्थापना का नाम, पता और कोड संख्या	छूट प्रभावी की तिथि
1	2	3
1.	मै. यशोदा इन्टर प्राईजिस लि., कॉम्प्लेक्स समाजाइ गुडा, हैदराबाद-500082 (ए पी/38050)	1.8.2003 से 31.07.2006
2.	मै. रामनायडू कलर लाबोटोमाइस 8.2.93/82/जे111/6, रामनायूडू स्टेड्यूज, जुबली, हिल्स, हैदराबाद-500034 (ए पी/22158)	1.12.2002 से 30.11.2005
3.	मै. श्री गरंधी चाईना सन्याशी राजू कालिज जी.एम.आर. नगर राजम-532127 (ए पी/28897)	1.4.2000 से 31.3.2003 1.4.2003 से 31.3.2006
4.	मै. सुरेश मोवीज फिल्म डिस्ट्रब्यूटर्स रामनगर स्टोड्यूज जुवली फिल्स, हैदराबाद-500033 (ए पी/19818)	1.12.2002 से 30.11.2005
5.	मै. इन्टरनेशनल रिसर्च सेन्टर एण्ड डवलपमैन्ट सेक्टर आफ डिपार्टमेंट ऑफ साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया बालापुर हैदराबाद-500005 (ए पी/241931)	1.7.2002 से ? .6.2005
6.	मैं अनालोजिक टेक्नोमेट्रिक्स प्रा. लि. नं. 6.1.190/25 पदमाराय नगर सिकन्दराबाद-500025 (ए पी/42248)	1.8.2002 से 31.7.2005
7.	मै. पी. एस. सी. बोस आटोमोबाइल्स जवाहर आटो नगर, विजयवाड़ा (ए पी/4522)	1.3.2001 से 29.2.2004
8.	मै. त्रिरूमाला काटेन एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. थिम्मापुरम चिलाकाकलूरिपेट गुन्टूर (ए पी/27662)	1.12.96 से 30.11.99 1.12.99 से 30.9.2002
9.	मै. हिन्दुस्तान कोका कोला बैनेराजिज प्रा. लि. अटमाकुरू विलेज मंगलगिरि मंडल गुन्टूर (ए पी/33337)	1.4.2001 से 31.3.2004
10.	मै. ससी श्री एक्स ट्रैक्सन लि., अटमाकुर, मंगलागिरी मंडल गुन्टूर (ए पी/33358)	1.3.2001 से 31.1.2002
11.	मै. वेकाटेडरी आपल्स लि. गुन गुरू जियवाड़ा (ए पी/23350)	1.11.2001 से 31.10.2004

1	2	3
12.	मै. अनालीजिक कन्ट्रोल्स इंडिया लि., नं. 6.1.190/25 पदमा राय नगर सिकन्दराबाद-500025 (ए पी/32963)	1.8.2002 से 31.7.2005
13.	मै. त्रियूपहन्ट संस्थान आफ मैनेजमेन्ट ऐजूकेशन प्रा. लि. 102, एस एम आर, सरताज प्लाजा, सिख रोड बैवेनपल्ली सिकन्दराबाद-90 (ए पी/37653)	1.12.2002 से 30.11.2005
14.	मै. गलोबरना इंटैकनोवल्डजे प्रा. लि., नं. 304, रोड नं. 78 जुबली हिल्स हैदराबाद-500033 (ए पी/38550)	1.9.2002 से 31.8.2005
15.	मै. गलोवरना वेब टेक्नोलोजी प्रा. लि. प्लाट नं. 304, रोड नं. 78 जुबली हिल्स हैदराबाद-500033 (ए पी/385511)	1.9.2002 से 31.8.2005
16.	मै. प्रगति ओफसेट प्रा. लि. 17 रेड हिल्स हैदराबाद-500004 (ए पी/39351)	1.3.2001 से 29.2.2004
17.	मै. लक्ष्मी गणपति वाटर पम्प इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीयल स्टेट लेन, टेनलई-522202 (ए पी/33745)	1.1.2001 से 31.12.2003
18.	मै. पाला उत्पत्तईडाल्ला पारसपारा सहायक शकार संघमूला उद्योगला शम केशमा संगम विशाखापटनम-12 (ए पी/40864)	31.7.2002 से 30.6.2005
19.	मै. हिन्दुस्तान कोको कोला वेवराजिल लि. 44-69 मुलाअली हैदराबाद-500040 (ए पी/32408)	26.12.97 से 25.12.2000 26.12.2000 से 25.12. 2003
20.	मै. नासर स्कूल खेरातावुड हैदराबाद-500004 (ए पी/17839)	1.1.99 से 31.12.2000 1.1.2000 से 31.12.2004
21.	मै. इलैजन्ट कैमिकल्स इन्टर प्राईजेस प्रा. लि. हाउस नं. 7.102/25 साई इन्कलेव कालोनी हुबसी गुडा हैदराबाद (ए पी/26352)	1.1.2001 से 31.12.2003
22.	मै.अरसीन सिस्टम प्रा. लि. पी वी आर चेम्बर्स 6.3.249/2ए मैन रोड बनजारा हिल्स हैदराबाद (ए पी/38209)	1.2.2001 से 31.1.2004
23.	मै. अरविन्डो फारमा लि. पाईडी हीमाबरम सराकाकुलम डिस्टिक (ए पी/41211)	1.1.2003 से 31.12.2005
24.	मै. एफक्स लोजीकल डाटा कर्नवसल प्रा. लि. 303 एंड 304 एम. जी. आर स्टेट द्वारकापुरी कालोनी हैदराबाद-500082 (ए पी/35534)	1.2.2003 से 31.1.2006
25.	मै. वेकटाडारी शिफारनरीज प्रा. लि. मनगुरू विजयवाड़ा (ए पी/33944)	1.11.2001 से 31.10.2004
26.	मै. एपैक्स एडवांसड टैक्नोलोजी प्रा. लि. 205 और 206 बाबूखान स्टेट, हैदराबाद-500001 (ए पी/31026)	1.1.2003 से 31.12.2005
27.	मै. विशू कन्सलटैंट्स लि., 104, 106 लूमवाइनी इनक्लेव, हैदराबाद-500082 (ए पी/23837)	1.1.2003 से 31.12.2005
28.	मै. क्यूलकारे लोजिक लि. 7-145 न्यू नागेन्द्रा नगर कालोनी हैदराबाद-500007 (ए पी/34233)	1.11.2002 से 31.10.2005
29.	मै. कडसाइज इंडिया लि. 3.6.262 II फ्लोर त्रिमाला स्टेट हैदराबाद-500029 (ए पी/29200)	1.1.2003 से 31.12.2005
30.	मै. पी ए सी टी सैक्यूरीटाइज एण्ड फाइनेन्सीयल सर्विस लि. 6.3.252/216 नवीन नगर हैदराबाद-500062 (ए पी/30916)	1.10.2002 से 30.9.2005

क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र के छूट संबंधी मामले

क्र.सं.	स्थापना का नाम, पता और कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि
1	2	3
1.	मै. दि बुलडाणा डिस्ट्रिक सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि., एच.ओ. साकर भवन बुलडाणा, महाराष्ट्र (एमएच/7535)	1.7.93 से 30.6.96 1.7.96 से 30.6.99 1.7.99 से 30.6.02
2.	मै. के ई सी इन्टरनेशनल लि., बी-190, एम आई डी सी इंडस्ट्रीयल ऐरिया बुटईबोरी-441108 (एमएच/61405)	1.3.00 से 28.2.03 1.3.03 से 28.2.06

1	2	3
3.	मै. बौम्बे स्वदेशी स्टोर लि. वेस्टन इंडिया हाउस सर पी.एम. रोड बोम्बे-400001 (एमएच/3987)	1.4.93 से 31.3.96 1.4.96 से 31.3.99 1.4.99 से 31.3.02 1.4.02 से 31.3.05
4.	मै. दि कोलावा सेन्ट्रल कोपरेटिव कन्जूमर वोइलशला एंड रिटेल स्टोर्स लि. होटल मैनेस्टिक मुम्बई-400039 (एमएच/8491)	1.2.90 से 31.1.93 1.2.93 से 31.1.96 1.2.96 से 31.1.99 1.2.99 से 31.1.02 1.2.02 से 31.1.05

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाय तो रद्द किया जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर नियम करे प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया
(संसद के एक अधिनियम के अधीन स्थापित)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2004

नं013–सी.ए./परीक्षा/एन/2004: चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

वैसे ही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के 'अनुसूची सी., के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम:, मैनेजमैंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), की परीक्षा भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत में स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते है।

इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन, 1988 के 'अनुसूची जी' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम, इनस्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट (आई.आर.एम.) की परीक्षा निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रो (केवल भारत में स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते है।

<u>व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम परीक्षा:–</u> पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के रेगूलेशन 25–बी (4) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:–
5, 6, 8 और 9 नवम्बर, 2004 (प्रातः कालीन सत्र– 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

<u>व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय परीक्षा:</u> पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के रेगूलेशन 28–बी (5) के अन्तगर्त जारी की गई है, के अनुसार :–

ग्रुप–I : 1, 2 और 3 नवम्बर, 2004
ग्रुप–II : 4, 5 और 6 नवम्बर, 2004
(दोपहर का सत्र– 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक)
भारतीय समयानुसार।

<u>फाईनल परीक्षा:</u> पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के रेगूलेशन 31(2) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:–

ग्रुप–I : 1, 2, 3 और 4 नवम्बर, 2004
ग्रुप–II : 5, 6, 8 और 9 नवम्बर, 2004
(प्रातः कालीन सत्र– 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

क्रमशः.....2 पर

मैनेजमैंट एकाउंटेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), परीक्षा :–

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन 1988 के 'अनुसूची सी' के अन्तर्गत:

ग्रुप– I : 1 और 2 नवम्बर, 2004

ग्रुप– II : 3 और 4 नवम्बर, 2004

(प्रातः कालीन सत्र– 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

इनस्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :–

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 की 'अनुसूची जी' के अन्तर्गत:

माड्यूल 1 से 4 :– 1, 2, 3, और 4 नवम्बर, 2004

(प्रातः कालीन सत्र– 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

परीक्षा केन्द

(1) **भारत में परीक्षा केन्द्र :–**

01.	आगरा	02.	अहमदाबाद	03.	अजमेर	04.	अकोला
05.	इलाहाबाद	06.	एलेप्पी	07.	अलवर	08.	अम्बाला
09.	अमरावती	10.	अमृतसर	11.	आसनसोल	12.	औरंगाबाद
13.	बंगलौर	14.	बरेली	15.	बड़ौदा	16.	भठिन्डा
17.	बेलगॉव	18.	भीलवाड़ा	19.	भोपाल	20.	भुवनेश्वर
21.	बीकानेर	22.	कालीकट	23.	चण्डीगढ़	24.	चैन्नई
25.	कोयम्बटूर	26.	कटक	27.	देहरादून	28.	दिल्ली/नईदिल्ली
29.	धनबाद	30.	दुर्ग	31.	इरनाकुलम	32.	फरीदाबाद
33.	गुवाहटी	34.	गाजियाबाद	35.	गोवा	36.	गुड़गांव
37.	ग्वालियर	38.	हिसार	39.	हुबली	40.	हैदराबाद
41.	इन्दौर	42.	जबलपुर	43.	जयपुर	44.	जलंधर
45.	जलगांव	46.	जम्मू	47.	जामनगर	48.	जमशेदपुर
49.	जोधपुर	50.	कानपुर	51.	कोल्हापुर	52.	कोलकाता
53.	कोटा	54.	कोटटायाम	55.	लखनऊ	56.	लुधियाना
57.	मदुरई	58.	मंगलौर	59.	मथुरा	60.	मेरठ
61.	मुरादाबाद	62.	मुम्बई	63.	मुज्जफ्फरनगर	64.	मैसूर
65.	नागपुर	66.	नासिक	67.	नौएडा	68.	पालघाट
69.	पानीपत	70.	पटियाला	71.	पटना	72.	पूना
73.	रायपुर	74.	राजकोट	75.	रांची	76.	रोहतक
77.	सहारनपुर	78.	सेलम	79.	सांगली	80.	शिमला
81.	सिलिगुड़ी	82.	शोलापुर	83.	सूरत	84.	थाने
85.	तिरूचिरापल्ली	86.	त्रिचुर	87.	त्रिवेन्द्रम	88.	उदयपुर
89.	उडुपी	90.	उज्जैन	91.	वाराणसी	92.	विजयवाड़ा
93.	विशाखापटनम	94.	यमुनानगर				

(2) <u>विदेशों में परीक्षा केन्द्र</u>:– (केवल व्यवसायिक परीक्षा–प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा–द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये)

01. दुबई (यू0ए0ई0)
02. काठमांडू (नेपाल)

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीटयूट के "सचिव" के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

व्यवसायिक परीक्षा–प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा–द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये आवदेन पत्रों, जो 06 अगस्त, 2004 से उपलब्ध होगें, पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 60/–रूपये प्रति आवदेन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। साथ ही मैनेजमैंट एकाउंटेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), और इन्सोरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र जो कि 06 अगस्त 2004 से उपलब्ध होगें, पर ही किया जाना चाहिए, जो कि इंस्टीट्टयूट आफ चार्टर्डेड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/– रूपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 06 अगस्त, 2004 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 27.08.2004 तक पहुँच जाय। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 27.08.2004 के बाद 03.09.2004 तक 200/–रूपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेगें। 03.09.2004 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या इंस्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 27.08.2004 तक जमा कराया जा सकता हैं।

जबकि इंस्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षाओं– मैनेजमैंट एकाउंटेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), और इन्सोरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं।

इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है:–

व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम परीक्षा – शुल्क	1000/– रूपये
व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय परीक्षा – शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए	1250/– रूपये
केवल एक ग्रुप के लिए	750/– रूपये
फाईनल परीक्षा –शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए	1750/– रूपये
केवल एक ग्रुप के लिए	1000/– रूपये
मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), परीक्षा :– –शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए	400/– रूपये
केवल एक ग्रुप के लिए	200/– रूपये
इनस्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैन्ट (आई.आर.एम.) परीक्षा:– शुल्क	1000/– रूपये

दुबई केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को अमेरिकन डालर $ 200/–,250/– एवं 300/– क्रमश., या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय रूपये 1500/–,1750/– एवं 2250/– क्रमशः या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती हैं। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध हैं।

मैनेजमैंट एकाउन्टेसी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम) और इनस्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट परीक्षाओं के उम्मीदवारों को केवल उत्तर अंग्रेजी में ही लिखना है ।

जी सोमाशेखर

(जी0 सोमाशेखर)
सयुंक्त सचिव (परीक्षा)सी0सी0

पंजाब यूनिवर्सिटी

अधिसूचना क्रमांक 6-2004/जी. आर.

केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकन्ड्री एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक एफ. 2-8/2000-डेस्क यू-I, दिनांक 17.7.2003 द्वारा निम्नलिखित विनियमों को मंजूरी दे दी है :

1. भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में पं.यू. कैलेन्डर, भाग II, 2000 के पृष्ठ 422-423 पर डॉक्टर ऑफ मेडिसन (एम.डी.) के लिए 4.1 और 4.2 विनियमों और पृष्ठ 434-35 पर मास्टर ऑफ सर्जरी(एम.एस.) के लिए विनियमों का विलोपन (1999-2000 शैक्षिक वर्ष से लागू)

4.1 परीक्षा के लिए विषयों के निम्नांकित विभिन्न समूह होंगे :

समूह (क) (क्लिनिकल विषय)

समूह (ख) (मूल विषय)

1.अनाटोमि

2.फीज़ियालोजी

3.फार्माकालोजी

4.पेथालोजी

5.माइक्रोबायलोज़ी

6.बायोकेमिस्ट्री

7.बायोफिज़िक्स

4.2 प्रत्येक विषय में चार पेपरों के नाम निम्नलिखित होंगे :

समूह-ख (मूल विषय)

पहला पेपर	सर्जरी जैसा कि इसका अनाटोमी पर प्रयोग होता है
दूसरा पेपर	ग्रास ह्यूमन अनाटोमी जिसमें रेडियालोजिकल और फोरेन्ज़िक अनाटोमी सम्मिलित हैं
तीसरा पेपर	एम्ब्रियालोजी माइक्रोस्कोपिक अनाटोमी
चौथा पेपर	प्रयोगात्मक अनाटोमी

4.1 परीक्षा के लिए विषयों के विभिन्न समूह निम्नलिखित होंगे:

समूह (क) (क्लिनिकल विषय)

समूह (ख) (नॉन–क्लिनिकल विषय)

4.2 प्रत्येक विषय में चार पेपरों के निम्नांकित नाम होंगे:

समूह (क) (क्लिनिकल विषय)

2. भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में जुयालोजी के विषय में एम.एस–सी. (आनर्ज़ स्कूल) के लिए सिमेस्टर सिस्टम अपनाना (शैक्षिक वर्ष 2001–2002 के दाखिलों से लागू)

3. भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में बॉटनी के विषय में एम.एस–सी. (आनर्ज़ स्कूल) के लिए सिमेस्टर सिस्टम अपनाना (2001–2002 के दाखिलों से लागू)

---

4. भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में बी.सी.ए. (आनर्ज) परीक्षा के लिए विनियम (2001 के दाखिलों से लागू)

1. बेचुलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन(आनर्ज) एक वर्ष का कोर्स होगा । परीक्षा पद्धति वार्षिक होगी ।

1.2 एक यूनिट 30 अथवा सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित विद्यार्थियों का होगा । एक कालेज को साधारणतया एक यूनिट दिया जाएगा ।

1.3 दाखिला फार्म और देरी फीस सहित और बिना फीस लेने की समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथि को सम्बद्ध कालेजों को अधिसूचित किया जाएगा ।

2. जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा इसके समान सिंडिकेट द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बी.सी.ए. की परीक्षा पास की है, वह बी.सी.ए. (आनर्ज़) कोर्स में दाखिला लेने के योग्य होगा ।

2.1 बी.सी.ए.(आनर्ज़) की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा जिसने अपना नाम उस कालेज के प्रिंसिपल द्वारा परीक्षा कंट्रोलर को भिजवा दिया है जहाँ उसने हाल ही में पढ़ाई की है और प्रिंसिपल ने प्रमाणित किया हो कि परीक्षार्थी

(i) परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्षों में संबद्ध कालेज में उपस्थित रहा है; और

(ii) वह पूरे कोर्स में प्रत्येक विषय में उसकी कक्षा को अलग अलग तौर पर दिए गए लेक्चरों और करवाए प्रेक्टिकलों के पूरे कोर्स में से कम से कम 75% में उपस्थित रहा है (कोर्स की अवधि को उस अंतिम दिन तक गिना जाएगा जब कक्षाएँ तैयारी के लिए दी गई छुट्टियों में छोड़ दी जाती हैं),

3. कालेज का प्रिंसिपल प्रत्येक विषय में अलग अलग दिए कुल लेक्चरों के 10% तक की न्यूनता को माफ कर सकता है।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी की फेकल्टी द्वारा समय समय पर निर्धारित परीक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण, रूपरेखा और योजना के अनुसार विषयों में परीक्षा ली जाएगी ।

6. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

7.1 प्रत्येक परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में से कम से कम 40% अंक लेने होंगे ।

7.2 जो परीक्षार्थी सभी विषयों के कुल अंकों का 40 प्रतिशत प्राप्त करता है और केवल एक विषय में 20 प्रतिशत अंक लेकर फेल हो जाता है, उसे उस विषय में अगली दो लगातार परीक्षाएँ देने की अनुमति होगी (एक सितंबर/अक्तूबर में केवल कंपार्टमेंट केसों के लिए और दूसरी वार्षिक परीक्षा के रूप में अप्रेल/मई के महीने में) और यदि इन परीक्षाओं में से किसी में भी पास हो जाता है, उसे परीक्षा में पास हुआ समझा जाएगा ।

7.3 जो परीक्षार्थी इस विनियम के अंतर्गत अनूपूरक अथवा वार्षिक परीक्षा में कंपार्टमेंट विषय की परीक्षा देता है,

(क) उसे पूरी परीक्षा जितनी परीक्षा फीस देनी होगी; और

(ख) वह वज़ीफा, पुरस्कार अथवा तमगा प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा ।

8. प्रत्येक परीक्षार्थी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल को प्रस्तुत करेगा ।

9. परीक्षार्थी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जाँच यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षक करेगा ।

10. जिस विद्यार्थी ने परीक्षा के लिए शिक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो परन्तु परीक्षा न दे सका हो अथवा परीक्षा देकर फेल हो गया हो, उसे कालेज के प्रिंसिपल की सिफारिश पर अगली वार्षिक परीक्षा में शिक्षा के नए सिरे से कोर्स में उपस्थित होने के बिना लेट कालेज विद्यार्थी के तौर पर दाखिला देने की अनुमति दी जा सकती है । परीक्षा में दूसरी बार फेल होने अथवा परीक्षा में न बैठने की सूरत में उसे कोर्स में उपस्थित होने के बिना परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी । यदि वह तीसरी बार भी फेल हो जाता है, उसे दोबारा लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में अगली वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु यदि वह पहले वर्ष की

परीक्षा में चौथी बार भी फेल हो जाता है, उसके बाद उसे न तो लेट कालेज विधार्थी के तौर पर और न ही कालेज विद्यार्थी के रूप में उस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी बशर्तेकि इससे कंपार्टमेंट विनियम के अंतर्गत एक विषय में री-अपियर होने का परीक्षार्थी का अधिकार प्रभावित नहीं होगा ।

11. परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली फीस वही होगी जिसे सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

12. परीक्षा समाप्त होने के छः सप्ताह पश्चात अथवा जितनी जल्दी संभव हो, परीक्षा-कंट्रोलर सफल परीक्षार्थियों की सूची को प्रकाशित करेगा । परीक्षा में सफल प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।

13. सफल परीक्षार्थियों का वर्गीकरण बी.सी.ए.(आनर्ज़) परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगाः

(क) कुल अंकों में से 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी ...वैशिष्टय सहित पहली श्रेणी

(ख) कुल अंकों में से 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी ...पहली श्रेणी

(ग) कुल अंकों में से 50% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी ...दूसरी श्रेणी

14. किसी कालेज/संस्था को यह पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति तभी दी जाएगी यदि वह संबंधित फेकल्टी द्वारा निर्धारित और सिंडिकेट द्वारा विधिवत ढंग से अनुमोदित आधारिक संरचना और स्टाफ की शर्तों को पूरा करता हो।

---

5. पं.यू. कैलेन्डर, भाग II के पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन्ज़ परीक्षाओं के लिए विनियम 2(i) (भारत सरकार की अनुमति/भारत सरकार की गजट में प्रकाशन की मंजूरी की प्रत्याशा में 2001 के दाखिलों से लागू)

2. इस कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता होगी:

(i) परीक्षाओं के 10+2+3 सिस्टम के अंतर्गत पंजाब यूनिवर्सिटी की बेचुलर की डिग्री जिसमें किसी भी विषय में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।

(ii) बी.ई./बी.टेक

(iii) सिंडिकेट द्वारा ऊपर (i) के बराबर मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा ।

6. पं.यू.कैलेन्डर, भाग II के एम.एफ.सी. परीक्षा में निष्पादन में सुधार करने के लिए विनियम 11 की वृद्धि ।

11.1 जिस परीक्षार्थी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एम.एफ.सी. की डिग्री प्रदान करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उस पेपर/उन पेपरों में पहले निष्पादन में सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है जिन में वह सुधार करना चाहता हो । इस मतलब के लिए उसे एम.एफ.सी. परीक्षा पास करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में रि-अपियर के लिए दो अवसर दिए जा सकते हैं । परीक्षार्थी से निर्धारित फीस ली जाएगी । नियतकार्य, शोध निबन्ध/शोध प्रबन्ध और मौखिक परीक्षा में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11.2 इस विनियम के अधीन जिस व्यक्ति को एम.एफ.सी. परीक्षा में रि-अपियर होने की अनुमति दे दी जाती है, वह भाग-I और भाग-II परीक्षाओं में एक साथ, अथवा भाग-I अथवा भाग-II अथवा दोनों भागों में अलग अलग रि-अपियर हो सकता है ।

11.3 भाग-I अथवा भाग-II में पहले प्राप्त अंकों को, पहले निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से आगे लै जाया जा सकता है और दूसरे भाग के साथ जोड़ा जा सकता है ।

11.4 जो व्यक्ति दोनों भागों में अलग अलग तौर पर परीक्षा देनी चाहता है और उसे प्रतीत होता है कि उसने एक भाग के अंकों से अपने पहले

निष्पादन को सुधार लिया है, उसे दूसरे भाग में बैठने की जरूरत नहीं होगी ।

11.5 परीक्षार्थी का परिणाम केवल तभी घोषित किया जाएगा यदि वह अपने निष्पादन को सुधार लेता है।

बशर्तेकि ऐसा व्यक्ति परीक्षा में प्रथम आने के लिए किसी तमगा/पुरस्कार के लिए योग्य नहीं होगा।

7.6 भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गजट में प्रकाशन की प्रत्याशा में मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.)(पत्राचार अध्ययन)के लिए विनियम 6 और 10.3(1999–2000 के शैक्षिक वर्ष से लागू)

6.1 परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत, 40% अंक शोध–निबन्ध में और कुल अंकों में से 40% अंक लेने जरूरी हैं ।

6.2 रि–अपियर के लिए एक अवसर (जो अंतिम परीक्षा के साथ लेना होगा) उन परीक्षार्थियों को दिया जाएगा जो एम.एड. पत्राचार पहले वर्ष की परीक्षा में दो पेपरों में अलग अलग तौर पर 40 प्रतिशत अंक और तीसरे पेपर में 25 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेते हैं और परीक्षार्थी दूसरे वर्ष में उन्नीत करने के योग्य हो जाते हैं । एम. एड.(पत्राचार) के दूसरे वर्ष के दौरान भी ऐसे पैटर्न पर रि–अपियर के लिए एक और अवसर दिया जाएगा ।

10.3 जो परीक्षार्थी पंजाब यूनिवर्सिटी से एम.एड.की डिग्री प्रदान करने के योग्य हो जाता है उसको प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन पेपर/पेपरों को देने की अनुमति दी जा सकती है जिनमें वह अपने पहले निष्पादन में सुधार करना चाहता है । इस उद्देश्य के लिए उसे एम.एड. परीक्षा पास कर लेने की तिथि से पांच वर्ष में दो अवसर दिए जा सकते हैं । परन्तु शोध–निबन्ध/शोध–प्रबन्ध, मौखिक परीक्षा और प्रेक्टिकलों में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । परीक्षार्थी से यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर निर्धारित फीस वसूल की जाएगी ।

---

8. पत्राचार द्वारा बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फरमेशन साइंस(वार्षिक पद्धति) (शैक्षिक वर्ष 2001-2002 से लागू)

.....

1.1 पत्राचार द्वारा बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फरमेशन साइंस की डिग्री के लिए कोर्स की अवधि एक शैक्षिक वर्ष होगी अर्थात जुलाई से अप्रैल तक अथवा सिंडिकेट द्वारा समय समय पर लिए निर्णय के अनुसार होगी ।

1.2 परीक्षा अप्रेल/मई के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी ।

2. जिस व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यता है, वह इस कोर्स में दाखिला लेने के योग्य होगा :

(क) इस यूनिवर्सिटी से बेचुलर की डिग्री जिसमें कुल अंकों के 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बेचुलर की डिग्री जिसे सिंडिकेट द्वारा मान्यता प्राप्त हो; अथवा

(ख) इस यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से मास्टर्ज़ डिग्री जिसे इस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त; अथवा

(ग) ओ.टी./आधुनिक भारतीय भाषा (एम.आइ.एल.) और केवल अंग्रेज़ी परीक्षाएँ । इस केस में 50 प्रतिशत अंकों की गणना अंग्रेज़ी और ऐच्छिक विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर की जाएगी ।

(घ) (क), (ख), और (ग) के समान सिंडिकेट द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य योग्यता ।

3.1 प्रत्येक परीक्षार्थी अपनी परीक्षा फीस (कोर्स में दाखिल होते समय) और अन्य खर्चे अर्थात ट्यूशन फीस इत्यादि, देरी फीस के बिना और देरी फीस सहित जैसे भी सिंडिकेट निश्चित करे ।

3.2 पत्राचार अध्ययन विभाग (डी.सी.एस.) का अध्यक्ष परीक्षा-कंट्रोलर को उन विधार्थियों की सूची भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तों को पूरा किया है और जो सिंडिकेट द्वारा निश्चित और परीक्षा-कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथि या उससे पहले परीक्षा में बैठने के योग्य हैं ।

3.3 एक या दो पेपरों में पुनःपरीक्षा दे रहा परीक्षार्थी सिंडिकेट द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस देगा ।

4.1 परीक्षा वही परीक्षार्थी दे सकेगा जो विनियम 2 में दी गई शर्तें पूरा करता हो और:

(क) जिसने थीयरी पेपरों में निजी सम्पर्क कार्यक्रम/मों में कम से कम 50% लेक्चर पूरे किए हों ।

(ख) प्रत्येक परीक्षार्थी को लाइब्रेरी वर्गीकरण और लाइब्रेरी केटालोगिंग पेपरों में अलग अलग तौर पर कम से कम 8 घंटे हाज़िर रहना अनिवार्य होगा ।

(ग) उसका नैतिक आचरण अच्छा हो ।

4.2 थीयरी पेपरों में निजी सम्पर्क कार्यक्रम/मों में लगाए निर्धारित लेक्चरों में 10% तक की न्यूनता को पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष माफ कर सकता है ।

4.3 जो परीक्षार्थी ऊपर पैरा 4.1 (क,ख और ग) के अनुसार शर्त पूरी नहीं करता, उसे अगले शैक्षिक वर्ष में निजी सम्पर्क कार्यक्रम/मों में निर्धारित लेक्चरों में हाज़िर रहना होगा ।

4.4 यदि परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देता अथवा परीक्षा में फेल हो जाता है, तो निजी सम्पर्क कार्यक्रम में परीक्षार्थी द्वारा लगाए लेक्चरों की निर्धारित प्रतिशतता प्रामाणिक रहेगी और उसे अगले शैक्षिक वर्ष में आगे ले जाया जा सकेगा।

5. अध्यापन और परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा ।

6. यदि कोई परीक्षार्थी किसी पेपर/पेपरों को पास नहीं कर पाता, उसे लगातार दो बार उन पेपर/पेपरों में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है (एक अवसर अनुपूरक परीक्षा में और एक अवसर वार्षिक परीक्षा में) जिनमें वह फेल हो गया था । यदि वह फिर भी इस अवधि में इन पेपरों में फेल हो जाता है, उसका परिणाम रद्द हुआ माना जाएगा । ऐसे परीक्षार्थी को पत्राचार अध्ययन विभाग में दोबारा विद्यार्थी बने बगैर बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फरमेशन साइंस में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

7.1 कुल आठ पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा ।

7.2 प्रत्येक पेपर को बाहरी परीक्षक तैयार करेगा ।

8. परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक प्रत्येक पेपर में 50 प्रतिशत होंगे ।

9. परीक्षा-कंट्रोलर परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह बाद अथवा जितनी जल्दी हो सके परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा ।

10.1 सफल परीक्षार्थियों को, जो सभी निर्धारित पेपरों में पास हो गए हैं, बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फरमेशन साइंस की डिग्री प्रदान की जाएगी। सफल परीक्षार्थियों को निम्नानुसार वर्गीकृत जाएगाः

(क) (i) जो कुल अंकों में से 60%
या अधिक अंक प्राप्त करते हैं : पहली श्रेणी

(ii) जो कुल अंकों में से 50%
या अधिक परन्तु 60% से कम
अंक प्राप्त करते हैं : दूसरी श्रेणी

(ख) जो किसी पेपर में 75% या अधिक अंक प्राप्त करता है, उसे उस पेपर में वैशिष्टय प्रदान किया जाएगा।

10.2. प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को डिग्री प्रदान की जाएगी जिसमें उस द्वारा प्राप्त श्रेणी का उल्लेख किया जाएगा ।

11. पढ़ाई का पाठ्यकम और पाठ्य-विवरण समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

---

9. दाखिला/परीक्षा फीस के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2-98/जी.आर. द्वारा मंजूर और यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया विनियम.

कोर्स में दाखिल प्रत्येक परीक्षार्थी प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के लिए सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित दाखिला और परीक्षा फीस यूनिवर्सिटी को देगा ।

10. एम.एस-सी.(इन्फरमेशन टेक्नॉलोजी) (दो वर्षीय कोर्स) के लिए विनियम (यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में 2001 के दाखिलों से लागू)।

1.1 एम.एस-सी. (इन्फरमेशन टेक्नॉलोजी) के लिए परीक्षा होगी। इस कोर्स की अवधि दो वर्ष होगी ।

1.2 इस कोर्स की परीक्षा दो भागों में होगी:
कोर्स के पहले वर्ष के अंत में भाग-I और कोर्स के दूसरे वर्ष के अंत में भाग- II की परीक्षाएँ वर्ष में एक बार साधारणतया अप्रेल के महीने में सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथि पर होंगी।

1.3 सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निश्चित देरी फीस के बिना और देरी फीस सहित दाखिला फार्म लेने की अंतिम तिथि को संबंधित संबद्ध कालेजों को अधिसूचित किया जाएगा ।

2.1 जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाएँ पास की हैं, वह कोर्स के भाग-I (पहले वर्ष) में दाखिला लेने के योग्य होगा :
पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा सिंडिकेट द्वारा इसके तुल्य मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बी.सी.ए. की परीक्षा ।

2.2 एम.एस-सी.(इन्फरमेशन टेक्नॉलोजी) की पहले वर्ष की परीक्षा वही नियमित परीक्षार्थी दे सकेगा:

(क) जो परीक्षा से एक शैक्षिक वर्ष पूर्व संबद्ध कालेज में दाखिल रहा हो;

(ख) जिसका आचरण अच्छा हो; और

(ग) (i) जो उसकी कक्षा को प्रत्येक निर्धारित पेपर में दिए कोर्स के कुल लेक्चरों में से 75 प्रतिशत में हाज़िर रहा हो; (ii) शोध-निबन्ध

की सूरत में, उसने इसे संबंधित संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल के निर्देश अनुसार पूर्ण किया हो ।

(घ) ऐसे प्रत्येक विषय में उसने आंतरिक मूल्यांकन में से 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों ;

परीक्षार्थी को अपना प्रोजेक्ट/शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध भाग II की परीक्षा शुरू होने से कम से कम 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत करना होगा ।

3. संबंधित संबद्ध कालेज का प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को उन विद्यार्थियों की सूची भेजेगा जिन्होंने नियमों और विनियमों की शर्तों को पूरा कर दिया है और जो प्रति वर्ष परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा देने के योग्य हैं।

4. निर्धारित लेक्चरों की संख्या में न्यूनता को निम्नानुसार माफ किया जा सकता है:

(i) प्रत्येक पेपर में 20% लेक्चरों तक	संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल द्वारा
(ii) 10 लेक्चरों तक	कुलपति द्वारा

5. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए दी जाने वाली दाखिला-फीस की राशि समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

6. परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा ।

7.1 प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी ।

7.2 इसके अतिरिक्त,परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन होगा । कालेज का प्रिंसिपल सिंडिकेट द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी को आंतरिक मूल्यांकन के अंक भेजेगा ।

8.1 परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे :

(क) प्रत्येक लिखित पेपर में 40 प्रतिशत

(ख) आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा/सेमिनार/प्रोजेक्ट में 40 प्रतिशत, और

(ग) (क) और (ख) के कुल जोड़ का 50 प्रतिशत ।

जो विद्यार्थी पहले और दूसरे वर्ष के प्रत्येक विषय में अलग अलग तौर पर आंतरिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता, उसे अगले शैक्षिक वर्ष में यूनिवर्सिटी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले उस साल के लिए निर्धारित विषयों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, परन्तु शर्त यह है कि उसे डिग्री प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए इस कोर्स में दाखिला लेने की मूल तिथि से अधिक से अधिक चार शैक्षिक वर्षों में कोर्स की सभी शर्तों को पूरा करना होगा और सभी निर्धारित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

8.2 दूसरे वर्ष की परीक्षा वही नियमित परीक्षार्थी दे सकता है:

(i) जो परीक्षा से पहले दो शैक्षिक वर्षों में संबद्ध कालेज में दाखिल रहा हो ;

(ii) जिसने पहले वर्ष की परीक्षा पास कर ली हो और विनियम 10 के अंतर्गत दूसरे वर्ष की परीक्षा देने के योग्य हो;

(iii) जो प्रत्येक निर्धारित पेपर में उसकी कक्षा को दिए कुल लेक्चरों में से 75 प्रतिशत लेक्चरों में उपस्थित रहा हो ; और शोध-निबन्ध अथवा शोध-प्रबन्ध की सूरत में संबंधित संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल द्वारा दिए निर्देश के अनुसार इसको पूरा कर लिया हो ;

(iv) प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों ।

परीक्षार्थी को अपना प्रोजेक्ट/शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध भाग-II की परीक्षा शुरू होने से कम से कम 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत करना होगा ।

9. रियायती अंक पहले अथवा दूसरे वर्ष की परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, के सभी विषयों के कुल अंकों के एक प्रतिशत के हिसाब से दिए जाएंगे । परीक्षार्थी, जिसमें उसका फायदा हो, या तो कुल जोड़ में या एक पेपर अथवा अधिक पेपरों में रियायती अंकों का लाभ उठा सकता है । परन्तु रियायती अंक केवल परीक्षा पास करने के लिए अथवा उच्चतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे, न कि आंतरिक मूल्यांकन में सुधार अथवा वैशिष्टय से परीक्षा पास करने के लिए दिए जाएंगे ।

10. डिग्री प्रदान करने के लिए विद्यार्थी को कोर्स की सभी शर्तें पूरी करनी चाहिए और कोर्स में दाखिल होने की तिथि से लेकर अधिकतम चार

शैक्षिक वर्षों में सभी निर्धारित परीक्षाएँ पास करनी जरूरी हैं । इन शर्तों के अंतर्गत, विद्यार्थी को निम्नलिखित के अनुसार एक अथवा अधिक विषयों में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है:

जिस परीक्षार्थी ने प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन में पूर्वापेक्षित अंक प्राप्त कर लिए हैं और वह पहले वर्ष की परीक्षा देकर विनियम 8.1(ग) के अंतर्गत फेल हो जाता है, उसे दूसरे वर्ष की परीक्षा के साथ पहले वर्ष के सभी अथवा कुछ विषयों में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है । जिन विषयों में परीक्षार्थी पुनःपरीक्षा देने के योग्य होगा, वे वही विषय होंगे जिनमें से उसने आंतरिक मूल्यांकन और यूनिवर्सिटी परीक्षा दोनों के कुल जोड़ के 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं (आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाएगा, परन्तु उनको आगे ले जाया जाएगा) । यदि वह फिर भी पहले वर्ष की परीक्षा पास नहीं कर पाता, उस परीक्षार्थी को कोर्स के दूसरे वर्ष के लिए पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उसकी पहले वर्ष की परीक्षा का परिणाम उतनी देर तक रोककर रखा जाएगा जितनी देर तक पहले वर्ष के लिए निर्धारित विषयों को पास नहीं कर लेता ।

11. परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह बाद अथवा जितनी जल्दी संभव हो, परीक्षा-कंट्रोलर सफल परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा । भाग-I का प्रत्येक विद्यार्थी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा ।

12. भाग-II परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) जो कुल अंकों में से 75% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं : वैशिष्टय सहित पहली श्रेणी

(ख) जो कुल अंकों में से 60% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं : पहली श्रेणी

(ग) जो कुल अंकों में से 50% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं : दूसरी श्रेणी

13. यदि संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल की अनुमति हो तो सफल परीक्षार्थी अपने शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध के मौलिक परिणामों को पेपरों के रूप में स्थापित शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर सकता है ।

---

11. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग I, 2000 के पृष्ठ 112 पर 'यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की सेवा शर्तें' से संबंधित अध्याय V(क) के विनियम 6.1, 6.2, 6.3 और 7, और इन्हें भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया जाए ।

6.1 इस अध्याय के विनियम 5 और 8 में की गई व्यवस्था के बिना, प्रोफेसरों अथवा रीडरों के तौर पर व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) कुलपति – चेयरमैन

(ii) कुलपति द्वारा सिफारिश की अथवा/और सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय/क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ।

(iii) चांसलर द्वारा मनोनीत एक शिक्षाविद

(iv) संबंधित फेकल्टी का डीन

(v) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

प्रोफेसर के पद से कम पद वाला अध्यक्ष चयन समिति में नहीं बैठना चाहिए । यदि अध्यक्ष प्रोफेसर न हो तो वरिष्ठतम प्रोफेसर चयन समिति का सदस्य होगा । विभाग में किसी प्रोफेसर के न होने की सूरत में, डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन चयन समिति का सदस्य होगा।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों, स्त्रियों और विकलांग का प्रतिनिधित्व चयन समिति में होगा यदि इनमें से किसी प्रवर्ग का परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए आता है ।

रीडर के पद के लिए चयन प्रकिया में साक्षात्कार से पहले परीक्षार्थियों का बायोडेटा और तीन मुख्य प्रकाशनों के रीप्रिन्ट मंगवाना सम्मिलित हैं(प्रोफेसर के पद के लिए एक प्रकाशन पुस्तक अथवा शोध प्रोजेक्ट होना चाहिए) । इस सामग्री का उन तीन बाहरी विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाना ज़रूरी है जिनको परीक्षार्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है । मूल्यांकन रिपोर्ट को चयन समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा ।

समिति उपयुक्त परीक्षार्थियों का साक्षात्कार लेगी और सिफारिशें करेगी जिसको सिंडिकेट के सामने रखा जाएगा । यदि सिंडिकेट चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती, तब यह सीधी भरती के

लिए पद के पुनःविज्ञापन अथवा सेवाकालीन पदोन्नति के आवेदनपत्र दोबारा मंगवाने का आदेश दे सकती है । अथवा जो यह ठीक समझे,वैसी कार्यवाही कर सकती है । प्रोफेसर अथवा रीडर की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करते समय समिति इन बातों को ध्यान में रखेगी:

(i) उसका शोध–सामर्थय

(ii) अध्यापक के रूप में उसकी योग्यता, और

(iii) अपने व्यवसाय के विषय में उसकी सामान्य श्रेष्ठता।

लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर का चयन करने की विधि के रूप में यूनिवर्सिटी सेमिनार अथवा संवाद की विधि को अपना सकती है ।

6.2 कोरम चार व्यक्तियों का होगा जिनमें से कम से कम दो बाहरी विषय विशेषज्ञ उपस्थित होंगे ।

6.3 XXX XXX XXX

7. विनियम 5 और 8 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, जब किसी लेक्चरार की नियुक्ति की जानी है, तो चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा सिफारिश की और सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित सूची में से लिया जाएगा

(iii) चांसलर द्वारा मनोनीत एक शिक्षाविद

(iv) संबंधित फेकल्टी का डीन

(v) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों, स्त्रियों और विकलांगों का एक प्रतिनिधि चयन समिति पर होगा जब इन प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग के लिए परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए आता है ।

---

12. पं.यू. कैलेन्डर, भाग II, 1995 के पृष्ठ 310 पर फेकल्टी ऑफ बिज़निस मेनेजमेंट एण्ड कॉमर्स में डॉक्टर ऑफ फिलासफी के विनियम 1.1 में वृद्धि

1.1 फेकल्टी ऑफ बिज़निस मेनेज़मेंट एण्ड कॉमर्स में डॉक्टर ऑफ फिलासफी का नामांकन वह परीक्षार्थी करवा सकेगा जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी(शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित) से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से मास्टर डिग्री प्राप्त की है:

(i) कॉमर्स अथवा मेनेजमेंट

अथवा

(ii) अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यकी, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, संकियात्मक शोध, सामाजिक कार्य, इंजीनियरिंग और लाज़ ।

अथवा

(iii) ऊपर (i) और (ii) के अतिरिक्त कोई अन्य विषय परन्तु शर्त यह है कि परीक्षार्थी का या तो प्रबंधकीय स्तर का कार्य अनुभव (जिसमें प्रशासनिक सेवा सम्मिलित है) पाँच वर्ष से कम नहीं होना चाहिए अथवा वह कॉमर्स और बिज़निस मेनेजमेंट विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी की फेकल्टी का सदस्य हो और उसका पोस्टग्रेजुएट कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव पांच वर्ष से कम न हो ।

अथवा

(iv) वे एम.एफ.सी. परीक्षार्थी जो यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल से पूर्व-पी-एच.डी. प्रोग्राम में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपना पी-एच.डी. के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।

बशर्तेकि ऊपर (ii) और (iii) में वर्णित योग्यताओं वाले परीक्षार्थी केवल तब ही योग्य होंगे यदि उनकी शोध का क्षेत्र बिज़निस मेनेजमेंट की फेकल्टी से संबंधित होगा ।

---

13. मास्टर ऑफ फाइनान्स एण्ड कंट्रोल(एम.एफ.सी.) परीक्षा के लिए विनियम 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 और सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया जाए ।

प्रस्तावित विनियम

9.1 जो परीक्षार्थी भाग- I की परीक्षा में फेल हो जाता है और वह आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर कम से कम तीन पेपरों में अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में 35 % अंक और कुल अंकों में से कम से कम 50 % अंक प्राप्त करता है, उसे भाग-II की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी परन्तु उसे उन पेपर/पेपरों में उसी वर्ष की सितंबर/अक्तूबर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में पुनःपरीक्षा देनी होगी जिनमें वह अप्रेल/मई की परीक्षा में फेल हुआ था । यदि परीक्षार्थी सितंबर/अक्तूबर के महीने में हुई अनुपूरक परीक्षा में पुनःपरीक्षा वाले पेपर/पेपरों में फेल हो जाता है, उसे अप्रेल/मई के महीने में होने वाली परीक्षा में पुनःपरीक्षा वाले पेपर को पास करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा ।

9.2 जो परीक्षार्थी भाग-I की परीक्षा में फेल हो जाता है परन्तु आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर सभी पेपरों में से अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में कम से कम 35 % अंक प्राप्त कर लेता है परन्तु कुल अंकों में से 50 % अंक प्राप्त नहीं करता है, उसे उसी वर्ष के सितंबर/अक्तूबर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में अधिक से अधिक तीन पेपरों में पुनःपरीक्षा देने का विकल्प प्राप्त होगा और उसे भाग-II के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी । यदि परीक्षार्थी सितंबर/अक्तूबर के महीने में अनुपूरक परीक्षा में पुनःपरीक्षा वाले पेपर/पेपरों को पास करने में असफल रहता है, उसे अप्रेल/मई के महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा वाले पेपर/पेपरों को पास करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा ।

9.3 जो परीक्षार्थी भाग-II की परीक्षा में फेल हो जाता है और आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को मिलाकर कम से कम तीन पेपरों में अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में कम से कम

35% अंक और कुल अंकों में से 50% अंक प्राप्त कर लेता है, उसे उसी वर्ष में सितंबर/अक्तूबर महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में उन पेपर/पेपरों में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी जिनमें वह अप्रेल/मई की परीक्षा में फेल हुआ था । यदि परीक्षार्थी सितंबर/अक्तूबर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में पुनः परीक्षा वाले पेपर/पेपरों को पास नहीं कर पाता, उसे अप्रेल/मई के महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा में पुनःपरीक्षा वाले पेपर/पेपरों को पास करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा ।

9.4 जो परीक्षार्थी भाग–II की परीक्षा में फेल हो जाता है परन्तु सभी पेपरों में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को मिलाकर अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में 35% अंक प्राप्त कर लेता है और कुल अंकों में से 50% अंक प्राप्त नहीं कर पाता, उसे उसी वर्ष के सितंबर/अक्तूबर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में अधिक से अधिक तीन पेपरों में पुनःपरीक्षा देने का विकल्प प्राप्त होगा । यदि वह परीक्षार्थी सितंबर/अक्तूबर के महीने में हुई अनुपूरक परीक्षा में पुनःपरीक्षा वाले पेपर/पेपरों को पास करने में असफल रहता है, तो उसे अप्रेल/मई के महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा वाले पेपर/पेपरों को पास करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा ।

---

14. मास्टर ऑफ साइंस(औद्योगिक रासायणिकी–इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री)के लिए विनियम 4 में संशोधन

प्रस्तावित विनियम

4. जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह इस कोर्स में दाखिला लेने के योग्य होगा:

(क) कोई परिवर्तन नहीं

अथवा

(ख) भौतिकी, रासायणिकी और गणित सहित बी.एस–सी. तीन–वर्षीय डिग्री कोर्स ।

(ग) गणित/कंप्यूटर साइंस, रासायणिकी और औद्योगिक रासायणिकी सहित बी.एस–सी. तीन वर्षीय डिग्री कोर्स

अथवा

(घ) ऊपर(क), (ख) और (ग) के तुल्य सिंडिकेट द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा।

जिस व्यक्ति ने ऊपर (ख), (ग) और (घ) के तुल्य कोई अन्य परीक्षा पास की है, उसे दाखिले के समय पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से पात्रता प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा ।

15. बी.ई.(मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग) से बी.ई. मेटालर्जिकल एण्ड मेटिरियल इंजीनियरिंग नाम का परिवर्तन ।

---

16. पं.यू. कैलेन्डर, भाग II, 1995 के बेचुलर ऑफ फाइन आर्टस के लिए विनियम 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4, 8 और 13 (2001 के दाखिलों से लागू)।

3.1. परीक्षार्थी इस कोर्स के अंतिम वर्ष की कक्षा में केवल तभी दाखिल हो सकेगा यदि वह पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं पास कर लेता है ।

ये सभी चार वार्षिक परीक्षाएं उस परीक्षार्थी के लिए खुली होंगी जिसके पास विनियम 1.2 और 3.1 में निर्धारित योग्यताएं हैं और वह कालेज के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है । लेक्चरों और प्रेक्टिकलों में 5 प्रतिशत की न्यूनता को संबद्ध कालेज का प्रिंसिपल माफ कर सकता है ।

सभी चार वार्षिक परीक्षाओं की सूरत में कालेज का प्रिंसिपल दिए गए सत्रीय अंकों को यूनिवर्सिटी परीक्षा शुरू होने से कम से कम दस दिन पहले निर्धारित फार्म पर यूनिवर्सिटी को भेजेगा ।

परीक्षा–कंट्रोलर प्रत्येक वार्षिक परीक्षा के परिणाम को इसके समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो प्रकाशित करेगा।

---

17. पं.यू. केलेन्डर, भाग II, 2000 के पृष्ठ 172 पर फेकल्टीज़ ऑफ आर्टस, लेंगुएजिज़, डिज़ाइन एण्ड फाइन आर्टस और बिज़निस मेनेजमेंट एण्ड कॉमर्स में मास्टर ऑफ फिलासफी के लिए विनियम 1 की वृद्धि। इसे सीनेट/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार के गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया जाए ।

प्रस्तावित विनियम

1. आर्टस, लेंगुएजिज़, एजुकेशन, साइंस, डिज़ाइन एण्ड फाइन आर्टस और बिज़निस मेनेजमेंट एण्ड कॉमर्स की फेकल्टीज़ में मास्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री के लिए परीक्षार्थी को पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर की परीक्षा पहली अथवा दूसरी श्रेणी में पास करनी ज़रूरी है अथवा कोई अन्य परीक्षा जो इस यूनिवर्सिटी द्वारा इसके तुल्य मान्यताप्राप्त हो (संबंधित विषय में 50% अंक) । गांधियन स्टडीज़ में एम.फिल. के लिए, विषय में मास्टरज़ की डिग्री को बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्धारित करेगा(डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन के अनुमोदन से)। गुरु ग्रंथ साहिब स्टडीज़ में एम. फिल. के लिए, परीक्षार्थी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से किसी भी फेकल्टी से कम से कम 50% अंकों से मास्टर की डिग्री प्राप्त की हो अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी परीक्षा पास की हो जिसे इस यूनिवर्सिटी की अनुसारी परीक्षा के तुल्य मान्यता प्राप्त हो ।

---

18. यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में कंप्यूटर साइंस कोर्स में बी.एस–सी. (आनर्ज़ स्कूल) की वार्षिक पद्धति का आरंभ (2001–2002 के शैक्षिक वर्ष से लागू) ।

इस कोर्स को संचालित करने वाले विनियम वही होंगे जो विज्ञान के विभिन्न विभागों में अन्य बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) कोर्स के लिए लागू हैं ।

19. यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में बायो–टेक्नॉलोजी कोर्स में बी.एस–सी. (आनर्ज़) की वार्षिक पद्धति का आरंभ(2001–2002 शैक्षिक वर्ष से लागू) ।

20. यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में बेचुलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन(बी. बी.ए.) के लिए विनियम 11.4 में वृद्धि ।

11.4 कि बी.बी.ए. भाग–I की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी जो लगातार दो अवसरों में कंपार्टमेंट पेपर पास नहीं कर पाता परन्तु बी.बी.ए. भाग–II की परीक्षा को पास कर लेता है, उसे कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए । यदि वह अतिरिक्त अवसर में भी कंपार्टमेंट विषय पास नहीं कर पाता, उसे फेल घोषित किया जाएगा और उसका बी.बी.ए. भाग–II की परीक्षा का परिणाम तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा ।

21. यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में बेचुलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन्ज़(बी.सी.ए.) के लिए विनियम 6.3 में वृद्धि(इसे लागू किया जाए)

कि बी.सी.ए. भाग–I की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी, जो लगातार दो अवसरों में कंपार्टमेंट पेपर पास नहीं कर पाता और भाग–II की परीक्षा पास कर लेता है, उसे कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए दूसरे अवसर के तुरन्त बाद एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए। यदि वह अतिरिक्त अवसर में भी कंपार्टमेंट पेपर पास नहीं कर पाता, उसे फेल घोषित किया जाएगा और उसका बी.सी.ए. भाग–II का परिणाम तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा ।

22. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 2000 के पृष्ठ 54 पर बी.ए./बी. एस–सी.(जनरल और आनर्ज) परीक्षा के लिए विनियम 27.2 और इसे यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गजट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया जाए ।

27.2 जिस परीक्षार्थी की कंपार्टमेंट आई हो, वह अस्थायी रूप से अगली उच्चतर कक्षा में दाखिल होने के योग्य है । यदि वह लगातार दो अवसरों में कंपार्टमेंट विषय को पास करने में असफल रहता है, उच्चतर परीक्षा के लिए उसका परिणाम रद्द समझा जाएगा । कंपार्टमेंट विषय के लिए वह नियमित विद्यार्थी अथवा लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में पेपर दे सकता है ।

बशर्तेकि बी.ए./बी.एस–सी. भाग–II का परीक्षार्थी जो लगातार दो अवसरों में कंपार्टमेंट विषय को पास करने में असफल रहता है और पहली बार में बी.ए./बी.एस–सी. भाग–III की परीक्षा पास कर लेता है, उसे उस द्वारा लिए दूसरे अवसर के तुरन्त बाद दो अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे ।

यदि वह कंपार्टमेंट विषय में अतिरिक्त अवसरों में भी पास होने में असफल रहता है, उसको फेल घोषित किया जाएगा और बी.ए./बी. एस–सी. के लिए उसके परिणाम को तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा ।

———

23. पत्राचार द्वारा मास्टर ऑफ कामर्स(वार्षिक पद्धति) के लिए विनियम और इन्हें यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में 2003 के दाखिलों से लागू किया जाए ।

1. मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री के कोर्स की अवधि दो शैक्षिक वर्ष होगी और परीक्षा के दो भाग होंगे अर्थात पहले वर्ष के कोर्स के अंत पर भाग–I और दूसरे वर्ष के कोर्स के अंत पर भाग–II. प्रत्येक भाग के लिए परीक्षा वर्ष में एक बार साधारणतया अप्रेल/मई के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित और परीक्षा–कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित तिथियों पर होगी।

2.1 प्रत्येक परीक्षार्थी सिंडिकेट द्वारा निश्चित देरी फीस के बिना और देरी फीस सहित अपनी परीक्षा फीस और अन्य खर्चे अर्थात शिक्षा–फीस इत्यादि अदा करेगा ।

2.2 पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष/कालेज का प्रिंसिपल परीक्षा–कंट्रोलर को उन विद्यार्थियों की सूची भेजेगा जिन्होंने विनियमों की शर्तों को पूरा किया है और वे परीक्षा देने के योग्य हैं । यह सूची सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निश्चित और परीक्षा–कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथि को या उस से पहले भेजेगा ।

3. इस कोर्स के पहले वर्ष में दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता होगी:

(क)कुल अंकों में से कम से कम 45% अंकों सहित कॉमर्स/बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बेचुलरज़ डिग्री ; अथवा

(ख)कुल अंकों में से कम से कम 45% अंकों सहित बी.कॉम. (आनर्ज़)डिग्री ; अथवा

(ग)कुल अंकों में से कम से कम 45% अंकों से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यकी या कॉमर्स में आनर्ज़ सहित ग्रेजुएट ; अथवा

(घ)कुल अंकों में से 50% अंक से ग्रेजुएट और जिसनें या अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यकी या कामर्स विषयों से परीक्षा पास की हो ।

बशर्तेकि जिस परीक्षार्थी के पास आधुनिक भारतीय भाषाओं (हिंदी/उर्दू/पंजाबी/गुरुमुखी लिपि में) और/या क्लासिकी भाषाओं (संस्कृत/फारसी/अरबी)में अथवा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से इसी ढंग से प्राप्त डिग्री हो जिसे सिंडिकेट द्वारा मान्यता प्राप्त हो ; कुल अंकों में से 50% की गणना भाषा के सभी पेपरों में अंकों की पूर्ण प्रतिशतता को दृष्टि में रखकर

की जाएगी जिसमें अतिरिक्त ऐच्छिक पेपर, अंग्रेज़ी और वैकल्पिक विषय सभी को मिलाया जाएगा ; अथवा

(च)(i) इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टरड अकाउंटेंटस ऑफ इन्डिया या इंग्लैंड अथवा (ii) भारत या इंग्लैंड का इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्कस अकाउंटेंटस का एसोशिएट ; अथवा

(छ) इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज़ ऑफ इन्डिया द्वारा संचालित अंतिम परीक्षा में पारित ; अथवा

(ज) इस उद्देश्य से सिंडिकेट द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य योग्यता ।

4. अध्यापन और परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा । परन्तु परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर अंग्रेज़ी, हिंदी अथवा पंजाबी में दे सकता है ।

5.1 प्रत्येक परीक्षार्थी की समय समय पर पाठ्यक्रम में निर्धारित पेपरों (जिसमें प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा भी सम्मिलित होगी) में परीक्षा ली जाएगी। प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा को छोड़कर, प्रत्येक पेपर में यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के 75% अंक होंगे और आंतरिक मूल्यांकन 25% अंकों का होगा ।

5.2 पत्राचार अध्ययन विभाग के परीक्षार्थियों के लिए, पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष लिखित नियत कार्य (असाइन्मेंट) के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को परीक्षा शुरू होने के कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा–कंट्रोलर को भेजेगा ।

5.3 कालेज के विद्यार्थियों के लिए, कालेज का प्रिंसिपल आवधिक परीक्षणों, लिखित नियत कार्यों, केस परिचर्चा, सिंडिकेट सेशनों, क्षेत्रीय फेरी इत्यादि के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा–कंट्रोलर को भेजेगा ।

5.4 प्रोजेक्ट का मूल्यांकन आंतरिक तौर पर किया जाएगा । प्रोजेक्ट रिपोर्ट पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष/कालेज के प्रिंसिपल को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो महीने पहले प्रस्तुत की जाएगी । निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उतनी देर तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जितनी देर तक पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष/कालेज के प्रिंसिपल द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता ।

5.4(i)(क) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबध में नियम वही होंगे जो यू.बी.एस., कालेजों और पत्राचार अध्ययन के लिए है।

(ख) विधार्थी ग्रीष्म प्रशिक्षण के 6–8 सप्ताहों पर आधारित ग्रीष्म प्रशिक्षण शोध प्रोजेक्ट अथवा इससे अलग शोध प्रोजेक्ट ले सकता है ।

(ग) अगले शैक्षिक वर्ष के लिए कालेज/यूनिवर्सिटी खुलने से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(घ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आधारित मौखिक परीक्षा दो महीने के अंदर आंतरिक और बाहरी परीक्षकों द्वारा ली जाएगी ।

(च) परीक्षक की नियुक्ति यूनिवर्सिटी विभागों और संबद्ध कालेजों में से की जाएगी ।

(छ) (क) से (च) तक के प्रकाश में पत्राचार में किए गए नियमों के परिणामी परिवर्तन का अनुसरण किया जाएगा।

5.5 मौखिक परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त आंतरिक और बाहरी परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप में ली जाएगी ।

5.6 पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष/कालेज का प्रिंसिपल उस रिकार्ड को, जिसके आधार पर आंतरिक मुल्यांकन के अंक तैयार किए गए हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिए परिणाम घोषित करने की तिथि से छः महीने तक संभाल कर रखेगा ।

7.1 (i) भाग–I की परीक्षा वही परीक्षार्थी दे सकेगा जो पत्राचार अध्ययन विभाग/कालेज में भाग–I की परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में हाज़िर रहा हो ;

अथवा

(ii) वह किन्हीं दो पहले शैक्षिक वर्षों में पत्राचार अध्ययन विभाग/कालेज में हाज़िर रहा हो बशर्तेकि वह "पुनःपरीक्षा" विनियम 9.1 और 9.2 के अंतर्गत आता हो ।

7.2 (i) भाग–II की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा जिसने पत्राचार अध्ययन विभाग से एम.कॉम.I की परीक्षा पास की है और पत्राचार अध्ययन विभाग/कालेज में भाग–II की परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में हाज़िर रहा है।

(ii) वे परीक्षार्थी जिन्होंने संबद्ध कालेजों/यूनिवर्सिटी बिज़निस स्कूल, पं.यू. से एम.कॉम. भाग–I की परीक्षा पास की है, केवल यदि उन्होंने कुलपति

की पूर्व अनुमति से विशेष केस के तौर पर एम.कॉम. भाग–I में वार्षिक पद्धति में पढ़ाई की है।

(iii) वे परीक्षार्थी जिन्होंने पं.यू. के अतिरिक्त अन्य यूनिवर्सिटियों से एम.कॉम. भाग-1 की परीक्षा पास की है, उनको कुलपति द्वारा निर्णीत विशेष केस में न्यून विषयों को पास करने पर अनुमति दी जा सकती है।

(iv) पहले दो शैक्षिक वर्षों में पत्राचार अध्ययन विभाग/कालेज में हाज़िर रहा हो, पर शर्त यह है कि वह 'रि–अपियर विनियमों 9.3 और 9.4' के अंतर्गत आता हो और पूर्व–विद्यार्थी के तौर पर प्रत्येक वर्ष निर्धारित जारी फीस, यदि कोई हो, जमा करवा दी हो।

7.3 (i) पत्राचार अध्ययन विभाग का परीक्षार्थी जो सेशन की सभी नियत–कार्य में से कम से कम 80% का प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वह यूनिवर्सिटी परीक्षा देने के योग्य नहीं होगा।

(ii) कालेज का विद्यार्थी जो प्रत्येक पेपर के लिए लेक्चरों, सेमिनारों, केस परिचर्चा, सिंडिकेट सेशनों, फील्ड फेरी, प्रोजेक्ट के काम इत्यादि में कम से कम 66% में हाज़िर नहीं होता, वह यूनिवर्सिटी परीक्षा देने के योग्य नहीं होगा। परन्तु 10% की न्यूनता की माफी कालेज के प्रिंसिपल द्वारा दी जा सकती है।

8.1 प्रत्येक भाग में परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे:

(i) यूनिवर्सिटी परीक्षा में प्रत्येक पेपर में अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में आंतरिक मूल्यांकन सहित 35%;

(ii) प्रोजेक्ट में 35%;

(iii) मौखिक परीक्षा में 35%;

(iv) उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) के कुल जोड़ में से 50%

8.2 रियायती अंक प्रत्येक भाग की यूनिवर्सिटी परीक्षा के कुल जोड़ के 1% के हिसाब से दिए जाएंगे। परीक्षार्थी अपने लाभ हित कुल जोड़ में अथवा एक या अधिक पेपरों में रियायती अंकों का फायदा उठा सकता है। रियायती अंक केवल परीक्षा में पास होने के लिए अथवा उच्चतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे और वैशिष्टय सहित परीक्षा पास करने के लिए नहीं।

9.1 जो परीक्षार्थी भाग-I की परीक्षा में फेल हो जाता है परन्तु यूनिवर्सिटी परीक्षा में 50% पेपरों में अलग अलग तौर पर अर्थात संयुक्त रूप में आंतरिक मूल्यांकन सहित 35% अंक प्राप्त कर लेता है और कुल जोड़ में से 50% अंक प्राप्त कर लेता है, उसे भाग–II की अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु उन पेपरों में जिनमें वह अप्रेल/मई की परीक्षा में फेल हो गया था, उनको उसी वर्ष की सितंबर/अक्तूबर में होने वाली अनुपूरक परीक्षा और/अथवा अगले वर्ष में अप्रेल/मई में होने वाली वार्षिक परीक्षा में रि–अपियर होना पड़ेगा।

9.2 जो परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी की भाग–I की परीक्षा में फेल हो जाता है और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को मिलाकर सभी पेपरों में अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में कम से कम 35% अंक प्राप्त कर लेता है, परन्तु कुल अंकों में से 50% अंक प्राप्त नहीं कर पाता, उसे उसी वर्ष सितंबर/अक्तूबर के महीने में हाने वाली अनुपूरक परीक्षा और/अथवा अगले साल अप्रेल/मई के महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% पेपरों में पुनःपरीक्षा देने का विकल्प प्राप्त होगा। उसे भाग–II की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति भी दी जाएगी।

9.3 जो परीक्षार्थी भाग–II की परीक्षा में फेल हो जाता है, परन्तु आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को मिलाकर यूनिवर्सिटी परीक्षा में कम से कम 50% पेपरों में अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में कम से कम 35% अंक और कुल अंकों में से 50% प्राप्त कर लेता है, उसे उसी वर्ष के सितंबर/अक्तूबर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा और/अथवा अगले वर्ष के अप्रेल/मई के महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा में उन पेपरों को देने की अनुमति दी जाएगी जिन पेपरों में वह अप्रेल/मई के महीने में फेल हो गया था ।

9.4 जो परीक्षार्थी भाग–II की परीक्षा में फेल हो जाता है परन्तु आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को मिलाकर सभी पेपरों में अलग अलग तौर पर और संयुक्त रूप में 35% अंक प्राप्त कर लेता है परन्तु कुल अंकों में से 50% अंक प्राप्त नहीं कर सकता, उसे उसी वर्ष सितंबर/अक्तूबर के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा और अगले वर्ष अप्रेल/मई के

महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक 50% पेपरों में पुनःपरीक्षा देने का विकल्प प्राप्त होगा ।

9.5 इन विनियमों के उद्देश्य से 5 पेपरों का 50% 2 और 7 पेपरों का 50% 3 समझा जाएगा ।

नोटः

(i) जो परीक्षार्थी लगातार तीन अवसरों में भाग-I की परीक्षा में फेल जो जाता है, उसे यह कोर्स छोड़ना पड़ेगा ।

(ii) जो परीक्षार्थी लगातार तीन अवसरों में भाग-II की परीक्षा में फेल हो जाता है और भाग-I की परीक्षा पास कर लेता है, उसे विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है और पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष/कालेज के प्रिंसिपल की सिफारिश कर इस कोर्स में हाज़िर होने के बिना और नियत फीस, यदि कोई हो, देने पर अगली नियमित परीक्षा में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है ।

(iii) यदि विशेष अवसर का लाभ उठाने के बाद भी कोई परीक्षार्थी फेल हो जाता है, उसे इस कोर्स को छोड़ना पड़ेगा ।

10.1(i) पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों के लिए उस परीक्षार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को, जिसने विनियम 7.3(i) के अनुसार नियत-कार्य प्रस्तुत कर दिया है परन्तु परीक्षा में फेल हो जाता है और नियमित विद्यार्थी के तौर पर पत्राचार अध्ययन विभाग में अपना नामांकन नहीं करवाता, अगली परीक्षा के लिए आगे ले जाया जाएगा ।

(i) कालेज के विद्यार्थियों के लिए, उस परीक्षार्थी, जो विनियम 7.3(ii) के अनुसार लेक्चरों की अपेक्षित संख्या में हाज़िर रहा हो और परीक्षा में फेल हो जाता है और नियमित विद्यार्थी के रूप में कालेज में दाखिल नहीं होता, के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को आगे ले जाथा जाएगा ।

10.2जो विद्यार्थी विनियम 7.3(i) के अनुसार अपने नियत-कार्य को प्रस्तुत नहीं करता और वह पत्राचार अध्ययन विभाग के पूर्व-विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा देना चाहता है, उसे केवल तब ही अनुमति दी जाएगी जब तक वह सेशन की असाइन्मेंटों को प्रस्तुत नहीं कर देता ।

11. परीक्षा समाप्त होने से जितनी जल्दी संभव हो, परीक्षा-कंट्रोलर परीक्षा में सफल रहे परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा ।

12. यदि कोई परीक्षार्थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मौखिक परीक्षा में फेल हो जाता है, उसे एक वर्ष के अंदर उस पेपर को पास करने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा ।

13. जो परीक्षार्थी एम.कॉम.डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है उसे अपनी एम.कॉम. परीक्षा पास करने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर जिन पेपरों में वह पहले निष्पादन में सुधार करना चाहता है, उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर पुनःपरीक्षा देने के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे । आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट और मौखिक परीक्षा में सुधार करने की अनुमति नहीं होगी ।

14.2 जिस परीक्षार्थी को विनियम 14.1 के अंतर्गत एम. कॉम. परीक्षा में पुनः परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है, वह भाग-I और भाग-II की परीक्षा एक साथ दे सकता है अथवा भाग-I या भाग-II की परीक्षाएं अलग अलग तौर पर भी दे सकता है । पहले निष्पादन में सुधार लाने के लिए उस द्वारा भाग-I अथवा भाग-II में पहले प्राप्त अंकों को आगे ले जाया जा सकता है और सुधार के उद्देश्य से दूसरे भाग से जोड़ा जा सकता है ।

14.3 सफल परीक्षार्थियों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाएगा

(i) भाग-I और भाग-II के अंकों को मिलाकर जो कुल अंकों में से 75% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं ...वैशिष्ट्य सहित पहली श्रेणी

(ii) जो भाग-I और भाग-II के अंकों को मिलाकर कुल अंकों में से 60% अंकों से अधिक परन्तु 75% से कम अंक प्राप्त करते हैं ...पहली श्रेणी

(iii) जो भाग-I और भाग-II के अंकों को मिलाकर कुल अंकों में से 60% अंकों से कम अंक प्राप्त करते हैं ...दूसरी श्रेणी

---

24. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्टर, भाग II, 2000 के पृष्ठ 350-353 पर बेचुलर ऑफ लाज़ परीक्षा के लिए विनियम 1 और 8.1 को यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया जाए ।

1. पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून विभाग निम्नलिखित कोर्स चलाएगा:

एल-एल.बी डिग्री(बेचुलर ऑफ लाज़) के लिए तीन वर्षीय(6 सिमेस्टर) समाकलित कोर्स ।

XXX XXX XXX

8.1(क)पहले से दूसरे, तीसरे से चौथे और पाँचवें से छठे सिमेस्टर में कक्षोन्नति की अनुमति उस विद्यार्थी को दी जाएगी जो नियमों के अंतर्गत उपस्थिति और अन्य शर्तों को पूरा करता हो, चाहे वह पहले, तीसरे अथवा पांचवें सिमेस्टर में यथास्थिति निर्धारित पेपरों में फेल हो अर्थात परीक्षा न भी दे।

(ख)तीसरे या पांचवें सिमेस्टर में कक्षोन्नति/दाखिले की अनुमति उस विद्यार्थी को दी जाएगी जिसने पहले अथवा दूसरे सिमेस्टर में निर्धारित यथास्थिति 10 पेपरों में से 5 और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सिमेस्टरों में 20 पेपरों में से 10 पेपर पास किए हों।

(ग)परीक्षार्थी को पहले, तीसरे और पांचवें सिमेस्टरों में दाखिला लेने के 3 वर्ष के अंदर यथास्थिति पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें और छठे सिमेस्टरों में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी ।

25. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II,2000 के पृष्ठ 264-268 पर बेचुलर ऑफ एजुकेशन के लिए विनियम 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 10.3 और 11.1 और इन्हें यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में 2001 के दाखिलों से लागू किया जाए ।

1.1 बेचुलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) की डिग्री के लिए कोर्स की अवधि एक वर्ष होगी और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कार्य दिवस 180 दिनों से कम नहीं होंगे ।

2.1 जिस व्यक्ति के पास निम्नांकित में से कोई एक योग्यता है, वह इस कोर्स में दाखिला लेने के योग्य होगा :

(क) इस यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से कुल अंकों में से कम से कम 45 % अंकों से बेचुलर डिग्री पास की हो, बशर्तेकि परीक्षार्थी ने पहले डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूली विषय लिए हों ;

(ख) इस यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से एम.ए. अथवा एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) अथवा एम.कॉम डिग्री पास की हो और पहले डिग्री स्तर और पोस्टग्रेजुएट डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूली विषयों सहित कुल अंकों में से 45 % अंक प्राप्त किए हों ;

(ग) आधुनिक भारतीय भाषाएं और केवल अंग्रेज़ी परीक्षाओं द्वारा इस यूनिवर्सिटी से बी.ए.की डिग्री । इस सूरत में 45 प्रतिशत अंकों के कुल जोड़ की गणना अंग्रेज़ी और वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर की जाएगी;

(घ) देहाती उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त देहाती सेवाओं में डिप्लोमा (3–वर्षीय कोर्स) जिस में कुल अंक 45 % प्राप्त किए हों ;

(च) ऊपर (क), (ख) अथवा (ग) के तुल्य मान्यताप्राप्त कोई अन्य योग्यता।

व्याख्या: (i) जिस परीक्षार्थी को बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) के आधार पर इस यूनिवर्सिटी से बी.एस–सी. परीक्षा की पास डिग्री प्रदान की गई है, उसे कुल अंकों में से 50% अंकों से पास हुआ माना जाएगा ।

(ii) जिस परीक्षार्थी ने कुल अंकों में से 45% अंक प्राप्त कर बी.ए./बी. एस–सी. डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अतिरिक्त विषय पास कर लिया है, उस की गणना अनिवार्य विषय/यों में प्राप्त अंकों और तीन ऐच्छिक अथवा अतिरिक्त ऐच्छिक विषयों के अंकों को मिलाकर की जाएगी ।

अपवाद: अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों (आर्थिक तौर पर पिछड़ी श्रेणी को छोड़कर) के विद्यार्थियों की सूरत में, 45 प्रतिशत की शर्त को 5 प्रतिशत घटा दिया जाएगा बशर्तेकि उन्होंने विनियमों में निर्धारित न्यूनतम पास अंक प्राप्त कर लिए हों ।

2.3 जो व्यक्ति नौकरी (पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा अवैतनिक सेवा) कर रहा है, उसे उतनी देर तक बी.ऐड. कोर्स में दाखिला नहीं दिया जाएगा

जितनी देर तक वह शैक्षिक वर्ष के शुरू से विद्यार्थी-अध्यापन तक अपनी परीक्षा समाप्त होने तक छुट्टी नहीं ले लेता ।

3.1 जिस व्यक्ति के पास विनियम 2 में निर्धारित योग्यता है, परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में बी.ऐॅड. डिग्री के कोर्स के लिए संबद्ध कालेज में दाखिल रहा हो, और कालेज के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, वह परीक्षा देने के योग्य होगा:

(i) अच्छे आचरण का;

(ii) इस परीक्षा के लिए संबद्ध कालेज में एक शैक्षिक वर्ष के लिए बेचुलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का; और

(iii) प्रत्येक विषय में दिए कम से कम 75 प्रतिशत लेक्चरों में हाजिर रहने का ।

3.2 कालेज का प्रिंसिपल एक विषय में 5 लेक्चरों की कमी को माफ़ कर सकता है ।

4. परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा फीस की राशि को समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

5.1 परीक्षा के निम्नानुसार दो भाग होंगे :

भाग- I सिद्धान्त पेपर(पाठ्यक्रम में दिए गए विस्तार के अनुसार)।

भाग- II : प्रेक्टिकल(पाठ्यक्रम में दिए गए विस्तार के अनुसार)।

बशर्तेकि -

(i) से (iv) पहले जैसे ।

6.1 कालेज (i) सिद्धान्त पेपरों, (ii) ड्राइंग और स्केचिंग और (iii) बी.बी. राइटिंग और बी.बी.स्केचिंग में कम से कम दो हाऊस परीक्षण लेगा । जो परीक्षार्थी सिद्धान्त पेपर/रों और प्रक्टिकलों(सब परीक्षणों को मिलाकर) में 35 % से कम अंक प्राप्त करता है,उसे यूनिवर्सिटी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उसके बारे में सूचना प्रिंसिपल द्वारा यूनिवर्सिटी परीक्षा शुरू होने (बी.ऐॅड.सिद्धान्त) से 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी को भेजनी होगी ।

हाऊस परीक्षणों में किसी पेपर या किसी भाग में से अर्हता अंक (35 %) प्राप्त न करने की सूरत में, परीक्षार्थी अगले शैक्षिक वर्ष में

नियमित विद्यार्थियों के साथ संबंधित पेपर(रों) अथवा भाग(गों) में परीक्षा दे सकता है ।

10.3 प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को डिग्री प्रदान की जाएगी जिसमें भाग–I (बाहरी) में सिद्धान्त पेपरों से संबंधित प्रेक्टिकल कार्य का आंतरिक मूल्यांकन जिसे अलग अलग दिखाया जाएगा और भाग–II (बाहरी) दोनों को मिलाकर प्राप्त श्रेणी को दिखाया जाएगा ।

11.1 जिस व्यक्ति ने बेचुलर ऑफ टीचिंग/बेचुलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए परीक्षा पहले ही पास कर ली है, वह अतिरिक्त अध्यापन विषय में परीक्षा दे सकता है । उसे निर्धारित फार्म पर प्रार्थनापत्र देने और समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित दाखिला फीस देने पर परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है ।

बशर्तेकि

(i) उसने उस विषय में पहले ही फर्स्ट डिग्री/पोस्टग्रेजुएट डिग्री पास कर ली हो;

(ii) अध्यापन विषय के लिखित पेपर के अतिरिक्त परीक्षार्थी को मान्यताप्राप्त हाई स्कूल में 30 पाठ पढ़ाने होंगे और उस द्वारा लिए अतिरिक्त विषय के अध्यापन में प्रेक्टिकल परीक्षण देना होगा ।

---

26. यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गजट में प्रकाशन की प्रत्याशा में मास्टर ऑफ साइंस(इन्फरमेशन टेक्नॉलोजी) (दो वर्षीय कोर्स) के लिए विनियम 2.1(2002 के दाखिलों से लागू)।

2.1 जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाएं पास की हैं वह इस कोर्स की भाग–I कक्षा(पहला वर्ष) में दाखिल होने के योग्य होगा:

पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा सिंडिकेट द्वारा इसके तुल्य मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बी.सी.ए. परीक्षा;

(ख) बी.ई./बी.टैक.–कंप्यूटर साइंस में ।

---

27. परिशिष्ट के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग-II, 2000 के क्रमानुसार पृष्ठ 64-69 और 120-124 पर बी.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) और एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) के लिए विनियमों का संशोधन/परिवर्धन/विलोपन विभिन्न यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में पहले वर्ष में 2002-2003 के दाखिलों से लागू ।

शीर्षक: 1992-93 के दाखिलों से मानवविज्ञान,जैव-रासायणिकी, जैव-भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान,रासायणिकी,भूविज्ञान,गणित, सूक्ष्मजैविकी,भौतिकी और जंतुविज्ञान (वार्षिक पद्धति)में बी.एस-सी.(आनर्ज़)के लिए विनियम ।	शीर्षक: 2002-2003 के दाखिलों से बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल) (वार्षिक पद्धति)
1. यूनिवर्सिटी निम्नलिखित विषयों में बी.एस-सी. आनर्ज़ स्कूल कोर्सों के लिए अध्यापन करवाएगी:	यूनिवर्सिटी निम्नलिखित विषयों में बी.एस-सी. आनर्ज़ स्कूल कोर्सों के के लिए अध्यापन करवाएगी:
i. मानवविज्ञान	i. मानवविज्ञान
ii. जैव-रासायणिकी	ii. जैव-रासायणिकी
iii. जैव-भौतिकी	iii. जैव-भौतिकी
iv. वनस्पतिविज्ञान	iv. बायोटेक्नॉलोजी
v. रासायणिकी	v. वनस्पति-विज्ञान
vi. भूविज्ञान	vi. रासायणिकी
vii.गणित	vii. कंप्यूटर साइंस
viii.सूक्ष्मजैविकी	viii.भूविज्ञान
ix. भौतिकी	ix. गणित
x. जंतुविज्ञान	x. गणित और परिकलन
	xi. सूक्ष्मजैविकी
	xii.भौतिकी
	xiii.जंतुविज्ञान
सिंडिकेट को किसी विषय में आनर्ज़ स्कूल कर परिवर्धन और बंद करने का अधिकार होगा।	सिंडिकेट को किसी विषय में आनर्ज़ स्कूल का परिवर्धन और बंद करने का अधिकार होगा ।

बी.एस–सी(आनर्ज़ स्कूल) की डिग्री के लिए कोर्स की अवधि 3 वर्ष होगी। बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स के लिए परीक्षा तीन भागों में ली जाएगी – कोर्स के पहले वर्ष के अंत में भाग–I , दूसरे वर्ष के अंत में भाग–II और तीसरे वर्ष के अंत में भाग–III । परीक्षा साधारणतया अप्रेल के महीने अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथि पर होगी ।

2.जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित में से परीक्षा पास की है, वह बी. एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) कोर्स के पहले वर्ष में दाखिला लेने के योग्य होगा –

i संबंधित कंट्रोल–बोर्डो द्वारा निर्धारित विषयों के संयोजन सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी/परिषद द्वारा संचालित 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत +2 परीक्षा।

ii.पंजाब यूनिवर्सिटी से प्री–मेडिकल/ प्री–इंजीनियरिंग/बी.एस–सी. भाग–I (मेडिकल अथवा नॉन–मेडिकल परीक्षा(पुराने विनियम)

iii.पंजाब यूनिवर्सिटी से पुराने विनियमों के अंतर्गत तीन–वर्षीय बी. ए./बी. एस–सी.कोर्स का भाग-I.

iv.ऊपर (ii) और (iii) के तुल्य सिंडिकेट द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा ।

बी.एस–सी(आनर्ज़ स्कूल) के लिए कोर्स की अवधि तीन वर्ष होगी । बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) कोर्स की अंतिम परीक्षा तीन भागों में ली जाएगी – कोर्स के पहले वर्ष के अंत में भाग–I ,दूसरे वर्ष के अंत में भाग–II और तीसरे वर्ष के अंत में भाग– III । परीक्षा साधरणतया अप्रेल के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी ।

2(क)जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित में से परीक्षा पास की है, वह बी. एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) कोर्स के पहले वर्ष में दाखिला लेने के योग्य होगा –

i संबंधित कंट्रोल–बोर्डो द्वारा निर्धारित विषयों के संयोजन सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी/परिषद द्वारा संचालित 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत +2 परीक्षा ।

ii.पंजाब यूनिवर्सिटी से प्री–मेडिकल/ प्री–इंजीनियरिंग/बी.एस–सी. भाग–I (मेडिकल अथवा नॉन–मेडिकल परीक्षा(पुराने विनियम)

iii.पंजाब यूनिवर्सिटी से पुराने विनियमों के अंतर्गत तीन–वर्षीय बी. ए./बी. एस–सी.कोर्स का भाग-I.

iv.ऊपर (ii) और (iii) के तुल्य सिंडिकेट द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा ।

बशर्तेकि वह संबंधित कंट्रोल-बोर्डो द्वारा निर्धारित पढ़े गए विषयों की शर्तो को पूरा करता हो।

आगे बशर्तेकि बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल)कोर्सो में योग्य विद्यार्थियों का दाखिला इस मतलब के लिए दाखिला परीक्षण में उनकी मेरिट/सिंडिकेट द्वारा निर्धारित अन्य शर्तो पर आधारित होगा ।

3. बी.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) कोर्स में दाखिल प्रत्येक विद्यार्थी संबंधित मुख्य विषय में दाखिल होगा और यूनिवर्सिटी को सिंडिकेट द्वारा निश्चित फीस देगा । डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्सट्रक्शन निश्चित अवधि के अंतर्गत विभाग के चेयरमैन/अध्यक्ष की सिफ़ारिश पर किसी विद्यार्थी को शिक्षा-फीस की अदायगी से माफ़ी दे सकता है ।

बशर्तेकि वह संबंधित कंट्रोल-बोर्डो द्वारा निर्धारित पढ़े गए विषयों की शर्तो को पूरा करता हो।

आगे बशर्तेकि बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल)कोर्सो में योग्य विद्यार्थियों का दाखिला इस मतलब के लिए दाखिला परीक्षण में उनकी मेरिट/सिंडिकेट द्वारा निर्धारित अन्य शर्तो पर आधारित होगा ।

(ख)विद्यार्थी बी.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) के दूसरे वर्ष में दाखिला लेने के योग्य तभी होगा यदि वह बी. एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)की पहले वर्ष की परीक्षा पास कर लेता है ।

(ग)विद्यार्थी बी.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) के तीसरे वर्ष में दाखिला लेने के योग्य तभी होगा यदि वह बी. एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) की दूसरे वर्ष की परीक्षा पास कर लेता है ।

3. कोई परिवर्तन नहीं ।

4.1 बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष जनवरी में सिंडिकेट द्वारा की जाएगी और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :	4.1 कोई परिवर्तन नहीं ।
1.चेयरमैन के रूप में स्कूल के संबंधित विषय में विभाग का अध्यक्ष;	
2.स्कूल के संबंधित विषय में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और रीडर;	
3.स्कूल के संबंधित विषय में विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश पर दो यूनिवर्सिटी लेक्चरार (बारी से प्रवरता के आधार पर):	
4.स्कूल के प्रत्येक पूरक विषय में विभाग से एक अध्यापक ।	
4.2 डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन की मंजूरी के अंतर्गत, कंट्रोल-बोर्ड को शिक्षा-परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को आनर्ज़ स्कूल अथवा कक्षा में दाखिला देने और निकाल देने का अधिकार होगा ।	4.2 कोई परिवर्तन नहीं।
4.3 डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन की मंजूरी के अंतर्गत, कंट्रोल-बोर्ड को किसी विद्यार्थी को दुराचरण की सूरत में आनर्ज़ स्कूल से निकाल देने का अधिकार होगा ।	4.3 कोई परिवर्तन नहीं।
4.4 कंट्रोल-बोर्ड आनर्ज़ स्कूल कोर्स से संबंधित सभी मामलों में, जिनमें	4.4 कंट्रोल बोर्ड आनर्ज़ स्कूल कोर्स से संबंधित सभी मामलों में, जिनमें

पाठ्यक्रम और परीक्षकों की नियुक्ति भी सम्मिलित होगी, सिंडिकेट को सिफ़ारिशें करेगा ।	पाठ्यक्रम और परीक्षकों की नियुक्ति(मुख्य और पूरक विषय दोनों के लिए)भी सम्मिलित होगी. सिंडिकेट को सिफारिशें करेगा ।
परन्तु, पाठ्यक्रम से संबंधित सिफारिशें फेकल्टी और शिक्षा–परिषद से होकर जाएंगी ।	परन्तु, पाठ्यक्रम से संबंधित सिफारिशें फेकल्टी और शिक्षा–परिषद से होकर जाएंगी ।
5. बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण वही होगा जिसे समय समय पर सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।	5. कोई परिवर्तन नहीं।
6.1 आनर्ज़ स्कूल का विद्यार्थी पढ़ेगा:	6.1 आनर्ज़ स्कूल का विद्यार्थी पढ़ेगा:
(i) मुख्य विषय	(i) मुख्य विषय
(ii) पूरक कोर्स	(ii) पूरक कोर्स
(iii) अंग्रेज़ी (पहले वर्ष में)	(iii) अंग्रेज़ी (पहले वर्ष में)
(iv) पर्यावरणीय शिक्षा: 50 अंक (पहले वर्ष में अनिवार्य अर्हताकारी पेपर के रूप में)	(iv) पर्यावरणीय शिक्षा: 50 अंक (पहले वर्ष में अनिवार्य अर्हताकारी पेपर के रूप में)
नोट: यह अनिवार्य पेपर है जिसे परीक्षार्थियों को कोर्स के पहले वर्ष में अथवा दूसरे/तीसरे वर्ष में कम से कम 33% अंकों से पास करना पड़ता है ।	नोट: यह अनिवार्य पेपर है जिसे परीक्षार्थियों को कोर्स के पहले वर्ष में अथवा दूसरे/तीसरे वर्ष में कम से कम 33% अंकों से पास करना पड़ता है ।
(v) पंजाबी (दूसरे वर्ष में)	(v) अर्हताकारी पेपर के रूप में पंजाबी(दूसरे वर्ष में): 50 अंक। इसके अंकों को श्रेणी निश्चित करने के लिए गिना नहीं जाएगा ।

6.2 शिक्षा-परिषद की मंजूरी के अंतर्गत प्रत्येक कंट्रोल-बोर्ड पूरक कोर्सों की संख्या और प्रकार निश्चित कर सकता है।	6.2 शिक्षा-परिषद की मंजूरी के अंतर्गत प्रत्येक कंट्रोल-बोर्ड पूरक कोर्सों की संख्या और प्रकार निश्चित कर सकता है ।
मुख्य पूरक	मुख्य पूरक
मानवविज्ञान जैव-रासायणिकी, जैव-भौतिकी, रासायणिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल समाजविज्ञान, जंतुविज्ञान अथवा वनस्पति-और-जंतुविज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, रासायणिकी, सूक्ष्मजैविकी और जैव-भौतिकी में आनर्ज़ स्कूल मानवविज्ञान पूरक कोर्स	मानवविज्ञान जैव-रासायणिकी, जैव-भौतिकी, रासायणिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल भूविज्ञान, गणित, सूक्ष्मजैविकी, भौतिकी, समाजविज्ञान और जंतुविज्ञान अथवा वनस्पतिविज्ञान-और-जंतुविज्ञान ।
जैव-रासायणिकी पहला वर्ष रासायणिकी, वनस्पति-और-जंतुविज्ञान, गणित, भौतिकी, सूक्ष्मजैविकी और जैव-भौतिकी ।	जैव-रासायणिकी पहला वर्षः जैव-भौतिकी, वनस्पति विज्ञान-और-जंतुविज्ञान, रासायणिकी, गणित, सूक्ष्मजैविकी और भौतिकी
दूसरा वर्षः रासायणिकी, जैव-भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान, जंतुविज्ञान, सूक्ष्मजैविकी, मानव शरीर रचना विज्ञान और वनस्पति विज्ञान-और-जंतुविज्ञान	दूसरा वर्ष जैव-भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान-और-जंतुविज्ञान, रासायणिकी, मानव शरीर रचना विज्ञान, सूक्ष्मजैविकी और जंतुविज्ञान ।
जैव-भौतिकी पहला वर्षः वनस्पति विज्ञान, जंतुविज्ञान, गणित, भौतिकी और रासायणिकी	बायो-टेक्नॉलोजी पहला वर्षः रासायणिकी (आधारभूत) गणित-I और भौतिकी (आधारभूत)

	दूसरा वर्ष:
	जैव–रासायणिकी, भौतिकी, सूक्ष्मजैविकी और गणित ।
वनस्पति विज्ञान	जंतुविज्ञान, रासायणिकी, भौतिकी, भूविज्ञान, जैव–रासायणिकी, जैव–भौतिकी, सूक्ष्मजैविकी और मानवविज्ञान
रासायणिकी	भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान, भूविज्ञान, जंतुविज्ञान, और गणित
भूविज्ञान	गणित, भौतिकी, रासायणिकी, भूगोल, वनस्पतिविज्ञान, जंतुविज्ञान, मानवविज्ञान
गणित	भौतिकी, रासायणिकी, भूविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, परिकलनात्मक तकनीकें और जीवन विज्ञान
सूक्ष्मजैविकी	पहला वर्ष:
	रासायणिकी, वनस्पतिविज्ञान–और–जंतुविज्ञान, गणित और भौतिकी
	दूसरा वर्ष:
	जैव–भौतिकी, जैव–रासायणिकी, वनस्पति विज्ञान, जंतुविज्ञान और मानवविज्ञान
भौतिकी	गणित, रासायणिकी, वनस्पति विज्ञान,

	दूसरा वर्ष:
	जैव–भौतिकी, कंप्यूटर साइंस एण्ड एप्लिकेशन्ज़, जीवन विज्ञान–II
	गणित–II
जैव–भौतिकी	पहला वर्ष:
	वनस्पति विज्ञान, रासायणिकी, गणित, भौतिकी और जंतुविज्ञान
	दूसरा वर्ष:
	जैव–रासायणिकी, गणित, सूक्ष्मजैविकी और भौतिकी ।
वनस्पति विज्ञान	मानवविज्ञान, जैव–रासायणिकी, जैव–भौतिकी, रासायणिकी, भूविज्ञान, सूक्ष्मजैविकी, भौतिकी और जंतुविज्ञान ।
रासायणिकी	वनस्पतिविज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी और जंतुविज्ञान
कंप्यूटर साइंस	गणित और भौतिकी
भूविज्ञान	मानवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायणिकी, भूगोल, गणित, भौतिकी और जंतुविज्ञान ।
गणित	पहला वर्ष:
	i.परिकलनात्मक तकनीकें

	जंतुविज्ञान,जैव–भौतिकी परिकलनात्मक तकनीकें और भूविज्ञान	ii.निम्नांकित में से एक: रासायणिकी,अर्थशास्त्र, भूगोल,भूविज्ञान,जीवन विज्ञान,दर्शनशास्त्र और भौतिकी
जंतुविज्ञान	वनस्पति विज्ञान, रासायणिकी,भूविज्ञान, जैव–रासायणिकी, जैव–भौतिकी,सूक्ष्मजैविकी और मानवविज्ञान	दूसरा वर्ष: i.संभाविता और सांख्यकीय विधियाँ ii.निम्नांकित में से एक: रासायणिकी,अर्थशास्त्र, भूगोल,भूविज्ञान,जीवन विज्ञान, दर्शनशास्त्र और भौतिकी
		गणित और परिकलन कंप्यूटर एप्लिकेशन्ज़ और सांख्यकी और परिकलनात्मक विधियाँ
		सूक्ष्मजैविकी पहला वर्ष: वनस्पति विज्ञान–और– जंतुविज्ञान,रासायणिकी, गणित और भौतिकी दूसरा वर्ष: मानवविज्ञान, जैव–रासायणिकी, जैव–भौतिकी,वनस्पति विज्ञान और जंतुविज्ञान
		भौतिकी जैव–भौतिकी,वनस्पति विज्ञान,रासायणिकी, परिकलनात्मक तकनीकें,भूविज्ञान, गणित और जंतुविज्ञान

	जंतुविज्ञान मानवविज्ञान, जैव–रासायणिकी, जैव–भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, रासायणिकी, भूविज्ञान और सूक्ष्मजैविकी ।

7. प्रत्येक परीक्षार्थी बी.एस–सी. आनर्ज़ स्कूल परीक्षा के लिए अपना आवेदनपत्र विभाग के अध्यक्ष के ज़रिये भेजेगा जिसके साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएंगे:

(क) अच्छे नैतिक आचरण का ;
(ख) प्रत्येक *कोर्स में कुल लेक्चरों और प्रेक्टिकलों में अलग अलग तौर पर कम से कम 66% में हाज़िर रहने का; और
(ग) पहली परीक्षाएँ पास करने का ।

*(कोर्स का मतलब सिद्धान्त और प्रेक्टिकल में पेपर से है)।

कंट्रोल–बोर्ड को सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों के प्रत्येक कोर्स में दिए लेक्चरों में से 10% तक की हाज़िरी की कमी को माफ़ करने का अधिकार है ।

7. भाग I, II और III की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा जिसने विनियम 2 में निर्धारित किए गए अनुसार परीक्षा एक शैक्षिक वर्ष पहले पास की हो और उसका नाम उस यूनिवर्सिटी विभाग के अध्यक्ष द्वारा परीक्षा–कंट्रोलर को भेजा गया हो जहाँ उसने पढ़ाई की है और संबंधित विभाग अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे:

(क) अच्छे नैतिक आचरण का ;
(ख) परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में यूनिवर्सिटी विभाग में हाज़िर रहने का;
(ग) प्रत्येक *कोर्स में कुल लेक्चरों और प्रेक्टिकलों के कम से कम 75% में हाज़िर रहने का; और
(घ) पहली परीक्षाएँ पास करने का।

*(कोर्स का मतलब सिद्धान्त और प्रेक्टिकल में पेपर से है)। कंट्रोल–बोर्ड को सिद्धान्त/प्रेक्टिकलों के प्रत्येक कोर्स में दिए लेक्चरों/प्रेक्टिकलों की हाज़िरी में 10% तक की कमी को माफ़ करने का अधिकार है।

8.1 परीक्षा-कंट्रोलर के पास देरी फीस बिना/सहित दाखिला फार्म और फीस पहुँचने की अंतिम तिथि को सिंडिकेट द्वारा निश्चित किया जाएगा।	8.1 कोई परिवर्तन नहीं।
8.2 परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए दी जाने वाली दाखिला फीस को समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित किया जाएगा।	8.2 कोई परिवर्तन नहीं।
9.1 शिक्षा-परिषद द्वारा अनुमोदित परीक्षाओं की योजना के अनुसार सिद्धान्त/प्रेक्टिकल में परीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी ।	9.1 विलोपित।
9.2 परीक्षाओं की योजना निम्नानुसार होगी:	9.2 परीक्षाओं की योजना निम्नानुसार होगी:
पहला वर्ष – आनर्ज़ स्कूल	पहला वर्ष – आनर्ज़ स्कूल
केडिट	केडिट
मुख्य विषय 400 अंक 16	मुख्य विषय 400 अंक 16
पूरक विषय 400 अंक 16	पूरक विषय 400 अंक 16
अंग्रेज़ी 200 अंक 8	अंग्रेज़ी 200 अंक 8
आधारभूत 200 अंक 8	आधारभूत 200 अंक 8
मेडिकल साइंसिज़ के लिए अतिरिक्त पूरक कोर्स	मेडिकल साइंसिज़ के लिए अतिरिक्त पूरक कोर्स
दूसरा वर्ष – आनर्ज़ स्कूल	दूसरा वर्ष – आनर्ज़ स्कूल
केडिट	केडिट
मुख्य विषय 600 अंक 24	मुख्य विषय 600 अंक 24
पूरक विषय 400 अंक 16	पूरक विषय 400 अंक 16
आधारभूत 200 अंक 8	आधारभूत 200 अंक 8
मेडिकल साइंसिज़ के लिए अतिरिक्त पूरक कोर्स	मेडिकल साइंसिज़ के लिए अतिरिक्त पूरक कोर्स

	केडिट
अर्हताकारी पंजाबी (श्रेणी निश्चित करने के लिए अंकों की गणना नहीं की जाएगी)	50 अंक 2
तीसरा वर्ष – आनर्ज़ स्कूल	
	केडिट
मुख्य विषय आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के इलावा अन्य विषय के लिए	1000 अंक 40
बी.एस–सी. (आनर्ज़ स्कूल)के लिए आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के लिए	3000 अंक 120 3400 अंक 136

सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों के पेपरों की संख्या और सिद्धान्त और प्रेक्टिकल में अंकों का विभाजन पाठ्यकम में दिया जाएगा ।

नोटः 25 अंकों का मतलब है एक केडिट

10. सिंडिकेट द्वारा निर्धारित तिथियों पर ली गई परीक्षाएं केवल उन्हीं कोर्सों में होंगी जिनको यथास्थिति पहले, दूसरे और तीसरे वर्षों में पढ़ा गया है ।

तीसरा वर्ष – आनर्ज़ स्कूल	
	केडिट
मुख्य विषय आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के इलावा	1000 अंक 40 3000 अंक 120
बी.एस–सी आनर्ज़ स्कूल के लिए कुल अंकः आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के लिए	3400 अंक 136

नोटः25 अंकों का मतलब है एक केडिट ।

सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों के पेपरों की संख्या अर्थात सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों में अंकों का विभाजन पाठ्यकम में दिया जाएगा ।

10. कोई परिवर्तन नहीं।

11. विद्यार्थी को क्रमशः वार्षिक कोर्सों में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दाखिल किया जाएगा:

(i) उस कोर्स में पास के लिए सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों में मुख्य, पूरक, अंग्रेजी अथवा पंजाबी के प्रत्येक पेपर में परीक्षाओं की 10+2+3 पद्धति के अंतर्गत बेचुलर की डिग्री ।

(ii) परीक्षा साधारणतया अप्रेल के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित तिथियों पर होगी। प्रत्येक पेपर में अंतिम निर्णय विद्यार्थी द्वारा वार्षिक परीक्षा और दिसंबर परीक्षण में प्राप्त अंकों को मिलाकर किया जाएगा ।

(iii)(क)जो विद्यार्थी बी.एस-सी. (आनर्ज स्कूल)की पहले वर्ष की वार्षिक परीक्षा देता है और आधारभूत मेडिकल साइंसिज के इलावा अन्य विषयों में न्यूनतम 24 केडिट लेता है(आधारभूत मेडिकल साइंसिज की सूरत में न्यूनतम 28 अंक),उसको उन पेपरों में पुनःपरीक्षा का अवसर दिया जाएगा जिनमें वह फेल हुआ है और उसकी बी.एस-सी. (आनर्ज स्कूल) की दूसरे वर्ष

11. मूल्यांकन और परीक्षा की विधि निम्नानुसार होगी :

(i) सिद्धान्त और प्रेक्टिकल पेपरों में परीक्षा पूरी तरह आंतरिक, आवधिक/लगातार और खुली होगी ।

(ii) अंतिम परीक्षा साधारणतया अप्रेल के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निश्चित तिथियों पर होगी । प्रत्येक पेपर में अंतिम निर्णय विद्यार्थी द्वारा वार्षिक परीक्षा और मध्यावधि परीक्षणों में प्राप्त अंकों को मिलाकर किया जाएगा ।

(iii)परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर संबंधित विभाग द्वारा घोषित समय के अनुसार मूल्यांकित उत्तर-पुस्तकों को विद्यार्थियों को दिखाया जाएगा। उत्तरों पर चर्चा की जाएगी और मूल्यांकन की तर्कविधि विद्यार्थी को समझाई जाएगी । विद्यार्थी से उत्तरों पर विचार करने के पश्चात, अध्यापक अंक-सूची UGAPMEC (देखिए 12.2)के कन्वीनर के सिपुर्द करेगा। उत्तर-पुस्तकों को संबंधित विभाग परिणाम घोषित होने के एक वर्ष तक

की कक्षा में कक्षोन्नति की जाएगी ।

(ख)किसी विद्यार्थी को बी. एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)कक्षा के तीसरे वर्ष में तभी दाखिल किया जाएगा अगर उसने आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ को छोड़कर अन्य विषयों में पहले दो वर्षों अर्थात पहले और दूसरे वर्ष के क्रेडिटों को मिलाकर कम से कम 56 क्रेडिट प्राप्त किए हैं(आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के विद्यार्थियों की सूरत में 64 क्रेडिट)।

(ग)विद्यार्थी को उन पेपरों को पास करने के लिए पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए जिन पेपरों में वह फेल हो गया था, अनुपूरक परीक्षा सितंबर/अक्तूबर के महीने में अथवा यूनिवर्सिटी द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी । इसके इलावा, जब नियमित विद्यार्थियों की उन पेपरों में परीक्षा हो, वह उन पेपरों की परीक्षा उनके साथ वार्षिक परीक्षा में दे सकता है ।

(घ) जो विद्यार्थी बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल)पहले वर्ष की परीक्षा में आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ (आधारभूत मेडिकल संभाल कर रखेगा । पुनःमूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं होगी ।

(iv) किसी विशेष कोर्स का अध्यापक साधारणतया पेपर-सेटर, निरीक्षक और मूल्यांकनकर्ता खुद ही होगा । यदि एक कोर्स को एक से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, उनमें से एक अध्यापक को प्रभारी-प्रशिक्षक मनोनीत किया जाएगा । वह कोर्स के दूसरे अध्यापक की सलाह से प्रश्न-पत्र तैयार करेगा और वे दोनों निरीक्षक होंगे और उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे ।

(v) प्रत्येक कोर्स के लिए अंतिम परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों के दो सेंट तैयार किए जाएंगे, एक अंतिम परीक्षा के लिए और दूसरा अनुपूरक परीक्षा के लिए ।

(vi) प्रत्येक सिद्धान्त पेपर के लिए कुल अंकों के 20% अंकों को तीन मध्यावधि परीक्षणों में से सब से बढ़िया दो परीक्षणों के लिए नियत किए जाएंगे । प्रत्येक परीक्षण के कोर्स के कुल अंकों के 10% अंक होंगे । मध्यावधि

साइंसिज़ की सूरत में 28 केडिट)को छोड़कर अन्य विषयों में 24 केडिट प्राप्त नहीं करता है, और आधारभूत मेडिकल साइंसिज़(आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ की सूरत में 64 केडिट) को छोड़कर अन्य विषयों में पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं को मिलाकर 56 से कम केडिट प्राप्त करता है, उसे कमशः बी. एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)के पहले वर्ष और बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) के दूसरे वर्ष की परीक्षा में फेल घोषित किया जाएगा। परन्तु ऐसा विद्यार्थी फेल परीक्षार्थी के तौर पर यथास्थिति बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)के पहले वर्ष अथवा दूसरे वर्ष में पुनः दाखिला ले सकता है ।

परीक्षण सितंबर, अक्तूबर, दिसंबर और फरवरी/मार्च में, विशेषकर बिना किसी अन्तराल के और अध्यापन कार्य को भंग किए बिना हो सकते हैं ।

(vii) प्रयोगशाला कोर्स में, प्रयोगशाला में लगातार मूल्यांकन के लिए कुल अंकों में से 20% अंक नियत किए जाएंगे जिसका निर्भर प्रयोग करने और प्रयोगों पर मौखिक परीक्षा देने में विद्यार्थी की कुशलता पर होगा । अंतिम प्रेक्टिकल परीक्षा अंतिम सिद्धान्त परीक्षाओं से पहले हो सकती है । इसके लिए बकाया 80% अंक होंगे । अंतिम प्रेक्टिकल परीक्षा से पहले लगातार मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को UGAPMEC द्वारा विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

प्रत्येक प्रेक्टिकल परीक्षा के लिए दो परीक्षक होंगे।

(viii) वर्ष के लिए संपूर्ण शैक्षिक कैलेन्डर, जिसमें प्रशिक्षण का आरंभ, प्रशिक्षण का समापन, मध्यावधि परीक्षणों की डेट–शीट इत्यादि प्रत्येक विभाग द्वारा सेशन के

आरंभ में तैयार किया जाएगा और अध्यापकों और विद्यार्थियों को अधिसूचित किया जाएगा ।

(ix) मध्यावधि परीक्षणों और निरंतर मूल्यांकन के अंकों का रिकार्ड अंतिम सिद्धान्त परीक्षाएं शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले परीक्षा–कंट्रोलर के पास पहुँच जाना चाहिए ।

(x) अस्थायी परिणाम को अंतिम पेपर के 15 दिनों के अन्दर विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा । उसके दो दिन पश्चात विभाग द्वारा परीक्षा–कंट्रोलर को अंतिम परिणाम भेज दिया जाएगा । यूनिवर्सिटी अगले 15 दिनों के अन्दर परिणाम घोषित करेगी ।

(xi) कुल केडिटों में से 50% से कम केडिट लेने वाले विद्यार्थी को फेल घोषित कर दिया जाएगा ।

(xii) जिस विद्यार्थी ने न्यूनतम 50% केडिट प्राप्त किए हैं परन्तु बाकी कोर्सों में फेल हो गया है, वह साधारणतया जुलाई के महीने में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में उन पेपरों में परीक्षा देने के योग्य होगा

जिनमें उसने रि-अपियर प्राप्त की है । मध्यावधि परीक्षणों/निरंतर मूल्यांकन के लिए कोई पुनःपरीक्षा नहीं होगी । अनुपूरक परीक्षा कोर्स के कुल अंकों के केवल 80%अंकों के लिए होगी । यदि विद्यार्थी इसमें पास नहीं होता, अनुपूरक परीक्षा में उसका परिणाम फेल घोषित किया जाएगा ।

फेल हुआ विद्यार्थी लेट कालेज विद्यार्थी के तौर पर अगली वार्षिक परीक्षा में पुनः दाखिला ले अथवा पुनःपरीक्षा दे सकता है ।

(xiii)उपर्युक्त शर्तों के होते हुए भी, किसी भी विद्यार्थी को समूचे बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल) कोर्स में 5 वर्षों से अधिक रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल)की डिग्री प्राप्त करने के लिए सभी रि-अपियरों को पास करना और केडिटों की अनुबद्ध संख्या को प्राप्त करना आवश्यक है अर्थात पांच वर्ष की अधिकतम अवधि में आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के इलावा अन्य विषयों में 120 केडिट और

(iv)उपर्युक्त शर्तों के होते हुए भी, किसी भी विद्यार्थी को समूचे बी. एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल) कोर्स में 5 वर्षों से अधिक रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे बी.एस-सी. (आनर्ज़ स्कूल)की डिग्री प्राप्त करने के लिए सभी रि-अपियरों को पास करना और केडिटों की अनुबद्ध संख्या को प्राप्त करना आवश्यक है अर्थात पांच वर्ष की अधिकतम अवधि में आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के इलावा अन्य विषयों में 120 केडिट और आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ में 136 केडिट लेने ज़रूरी हैं । ऐसा करने में असफल रहे

विद्यार्थी को फेल घोषित किया जाएगा और उसे बी.एस--सी(आनर्ज़ स्कूल)को छोड़ना पड़ेगा ।

(v) श्रेणी निर्धारित करने के लिए परीक्षार्थी द्वारा तीन वर्षों में अर्हताकारी/पंजाबी को छोड़कर सभी विषयों -- मुख्य, पूरक और अंग्रेज़ी की सभी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को विचाराधीन लाया जाएगा ।

(vi) विद्यार्थियों को सिद्धान्त और प्रेक्टिकल पेपरों में अलग अलग तौर पर पास करना आवश्यक है और इन पेपरों में प्रत्येक पेपर में से अलग अलग तौर पर पास अंक लेने आवश्यक हैं ।

(vii) जो विद्यार्थी किसी कारणवश अंकों में सुधार के लिए अनुपस्थित होते हैं, उन्हें केवल वार्षिक परीक्षा में ही पुनःपरीक्षा की अनुमति दी जाएगी ।

12.1 संबंधित विभाग के कंट्रोल–बोर्ड प्रश्नपत्रों में प्रश्नों की प्रकृति एवं शैली का निर्णय ले

आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ में 136 केडिट लेने ज़रूरी हैं। ऐसा करने में असफल रहे विद्यार्थी को फेल घोषित किया जाएगा और उसे बी.एस--सी(आनर्ज़ स्कूल)को छोड़ना पड़ेगा ।

(xiv) श्रेणी निर्धारित करने के लिए परीक्षार्थी द्वारा तीन वर्षों में अर्हताकारी पेपरों/विषयों को छोड़कर सभी विषयों -- मुख्य, पूरक और अंग्रेज़ी – की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों को विचाराधीन लाया जाएगा ।

(xv) विद्यार्थियों को सिद्धान्त और प्रेक्टिकल पेपरों में अलग अलग तौर पर पास करना आवश्यक हैं ।

कोर्स/पेपर पास करने के लिए न्यूनतम अंक उस कोर्स/पेपर के लिए नियत कुल अंकों का 40% अंक होंगे ।

(xvi) जो विद्यार्थी किसी कारणवश अंकों में सुधार के लिए अनुपस्थित होते हैं, उन्हें केवल वार्षिक परीक्षा में ही पुनःपरीक्षा की अनुमति दी जाएगी ।

12.1 संबंधित विभाग के कंट्रोल--बोर्ड प्रश्नपत्रों में प्रश्नों की प्रकृति एवं शैली का निर्णय ले

सकते हैं कि क्या प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ भाँति के/संक्षिप्त उत्तर भाँति के/समस्या–आधारित/विषयनिष्ठ/निबन्ध –रूप अथवा इनका कोई संयोजन । कोर्स को एक से अधिक व्यक्ति के पढ़ाने की सूरत में, कंट्रोल–बोर्ड इनमें से एक को आंतरिक परीक्षक बनाने का निर्णय लेगा ।

12.2 यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए पेपर–सेटिंग केवल बाहरी परीक्षक ही करेगा । इस मतलब के लिए, कंट्रोल–बोर्ड/पाठ्य समिति 3–5 अथवा अधिक परीक्षकों का पैनल तैयार करेगी – इनमें से एक को समर्थ प्राधिकारी द्वारा पेपर सैट का काम सौंपा जा सकता है ।

सकते हैं कि क्या प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ भाँति के/संक्षिप्त उत्तर भाँति के/समस्या–आधारित/विषयनिष्ठ/निबन्ध –रूप अथवा इनका कोई संयोजन ।

12.2 कंट्रोल–बोर्ड इन सभी तीन वर्षों में शैक्षिक कार्यक्रम को परिवीक्षण और कार्यान्वित करने के लिए अंडरग्रेजुएट एकाडेमिक प्रोग्राम मॉनिटरिंग एण्ड एक्सिक्यूशन कमेटी(UGAPMEC) नियुक्त करेगा । UGAPMEC की बनतर और कार्य निम्नानुसार होंगे:

(i) UGAPMEC में 5–7 फेकल्टी सदस्य होंगे । इसके कन्वीनर और सचिव होंगे जिनकी नियुक्ति कंट्रोल–बोर्ड द्वारा की जाएगी । UGAPMEC विभाग के अध्यक्ष के निकट सहयोग से काम करेगी ।

(ii) UGAPMEC की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी । 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पश्चात, कन्वीनर समेत 3–4 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे । कंट्रोल–बोर्ड द्वारा 3 वर्ष के लिए नया कन्वीनर और सचित नियुक्त किया जाएगा । एक और वर्ष पश्चात शेष पुराने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए

सदस्य ले लिए जाएंगे, ताकि पुनःपूर्ति और निरन्तरता बरकरार रहे। प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए काम करेगा ।

(iii)UGAPMEC कार्यक्रम के सभी पहलुओं की सही कियाशीलता और सत्यनिष्ठा को यकीनी बनाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक पहलु का ध्यान में रखेगा ।

(iv) UGAPMEC के काम में वर्ष का शैक्षिक कैलेन्डर तैयार करना, हाज़िरी का ध्यान रखना, मध्यावधि परीक्षणों और वार्षिक परीक्षाओं की सूची तैयार करना, सतर्क छानबीन पश्चात अंकों का सारणीकरण, आधार सामग्री का कंप्यूटरीकृत भंडारण, यह देखने के लिए कि यूनिवर्सिटी के नियमों और विनियमों का सही अनुकरण हो रहा है इसका नियमित परिवीक्षण और अध्यक्ष/कंट्रोल–बोर्ड द्वारा सौंपा कोई अन्य काम सम्मिलित होंगे ।

पूरक विषयों की सूरत में, पूरक विषय की UGAPMEC, मुख्य विषय की UGAPMEC से तालमेल करेगी ।

(v) UGAPMEC के सभी निर्णय कंट्रोल–बोर्ड की मंजूरी के अधीन होंगे ।

12.3 पेपर-सेंटर को निम्नलिखित के साथ अध्यापन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण प्रदान किया जाएगाः (i) कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों और किसी विषय को दी जाने वाली सापेक्ष भारिता और वह पुस्तिका जिसमें से ये विषय पढ़ाए जाने हैं; (ii)मॉडल प्रश्नपत्र और (iii)ऐसी हिदायत/सूचना जो कंट्रोल-बोर्ड देना मुनासिब समझता हो ताकि प्रश्नपत्र समूचे पाठ्यक्रम में से हो और इसे विद्यार्थियों के ज्ञान और बोध की परख के लिए डिज़ाइन किया गया हो ।

12.3 कोई परिवर्तन नहीं।

12.4 गृह परीक्षण के लिए पेपर सैंट करने और मूल्यांकन की ज़िम्मेदारी संबंधित कोर्स को पढ़ाने वाले अध्यापक की होगी । मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को दिखाया जा सकता है।

12.4 विलोपित।

12.5 वार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाहरी और आंतरिक परीक्षकों द्वारा स्वतन्त्र रूप से किया जाएगा । यदि इन दोंनों के दिए अंकों में 15% का अन्तर है, तो इन दोनों की औसत अंतिम अंक होगा । यदि अंकों में अंतर 15% से अधिक है, तो उत्तर-पुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा । अंतिम अंक

12.5 विलोपित।

दिए गए अंकों में से विद्यार्थी के हक में जाते दो उत्तम अंकों की औसत होंगे ।

12.6 प्रेक्टिकल पेपरों की परीक्षा एक बाहरी परीक्षक और एक या अधिक आंतरिक परीक्षकों, जैसा भी संबंधित विषय के कंट्रोल–बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, द्वारा ली जाएगी। कंट्रोल–बोर्ड यह भी फैसला कर सकता है कि क्या कुछ प्रतिशतता प्रयोगशला में विद्यार्थी के किए गए निरंतर मूल्यांकन पर भी आधारित करनी है ।

12.6 विलोपित।

1.2.7 उत्तर–पुस्तिका को पुनःमूल्यांकन की अनुमति यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर पुनःमूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाएगी । परन्तु, पुनःमूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति परीक्षकों के मौजूदा पेनल से की जाएगी ।

12.7 विलोपित।

13. सफल परीक्षार्थियों का श्रेणियों में वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगाः

(i)जो कुल अंकों में से 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त करते हैं .....वैशिष्टय सहित पहली श्रेणी

(ii) जो कुल अंकों में से 60% अथवा अधिक और 75% से कम अंक प्राप्त करते हैं ...पहली श्रेणी

13.कोई परिवर्तन नहीं।

(iii) जो कुल अंकों में से 50% अथवा अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं ....दूसरी श्रेणी

(iv) जो कुल अंकों में से 40% अथवा अधिक परन्तु 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं ...तीसरी श्रेणी

14. परीक्षार्थी को प्रति वर्ष का ब्योरेबार अंक-कार्ड प्रदान किया जाएगा । डिग्री पर वह श्रेणी दर्शाई जाएगी जिसमें परीक्षार्थी ने यह परीक्षा पास की है । प्रमाणपत्र पर आनर्ज़ स्कूल में दाखिल होने और छोड़ने की तिथि भी दी जाएगी।

14. परीक्षार्थी को प्रति वर्ष का ब्योरेबार अंक-कार्ड प्रदान किया जाएगा । ब्योरेबार अंक-कार्ड में जिस परीक्षा को पहली वार्षिक परीक्षा में पास नहीं किया गया, उस प्रत्येक कोर्स पर तारक-चिन्ह(*) लगा दिया जाएगा । डिग्री पर वह श्रेणी दर्शाई जाएगी जिसमें यह परीक्षा पास की है। प्रमाणपत्र पर आनर्ज़ स्कूल में दाख़िल होने और छोड़ने की तिथि भी दी जाएगी ।

15. जिस परीक्षार्थी ने बी. एस-सी(आनर्ज़ स्कूल) में 92 या अधिक केडिट(आधारभूत मेडिकल साइंसिज़ के विद्यार्थियों की सूरत में 108 या अधिक)प्राप्त किए हैं और सभी पूरक विषय पास कर लिए हैं, यदि वह बी.एस-सी(आनर्ज़ स्कूल) की पढ़ाई के तीन वर्ष पूरे करने के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहता हो, वह बी.एस-सी. पास डिग्री प्राप्त कर सकता है।

ऐसे विद्यार्थियों की सूरत में श्रेणी का निर्धारण आनर्ज़ स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बनाए विनियमों के अनुसार

किया जाएगा और ऐसा करते समय 92 केडिटों में से उस द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ केडिटों को हिसाब में लाया जाएगा । आनर्ज़ स्कूल में दाख़िल होने और छोड़ने की तिथि को परीक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र पर दर्शाया जाएगा

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर, भाग II, 2000 के पृष्ठ 120-124 पर एम. एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) के लिए विनियमों में संशोधन/परिवर्धन/विलोपन

मौजूदा विनियम	प्रस्तावित विनियम
1.1 यूनिवर्सिटी निम्नलिखित विषयों में एम.एस.सी.(आनर्ज़ स्कूल)के लिए अध्यापन करवाएगी: (i) मानवविज्ञान (ii) वनस्पतिविज्ञान (iii) रासायणिकी (iv) भूविज्ञान (v) गणित (vi) भौतिकी (vii) जंतुविज्ञान (viii) जैव-रासायणिकी (ix) जैव-भौतिकी (x) सूक्ष्म-जैविकी सिंडिकेट को किसी विषय में आनर्ज़ स्कूल शुरू करने अथवा समाप्त करने का अधिकार होगा ।	1.1 यूनिवर्सिटी निम्नलिखित विषयों में एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)के लिए अध्यापन करवा सकती है: (i) मानवविज्ञान (ii) वनस्पतिविज्ञान (iii) रासायणिकी (iv) भूविज्ञान (v) गणित (vi) भौतिकी (vii) जंतुविज्ञान (viii) जैव-रासायणिकी (ix) जैव-भौतिकी (x) सूक्ष्म-जैविकी सिंडिकेट को किसी विषय में आनर्ज़ स्कूल शुरू करने अथवा समाप्त करने का अधिकार होगा ।
1.2 कोर्स की अवधि दो वर्ष होगी। एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) की परीक्षा दो भागों में होगी-पहले वर्ष के अंत में भाग-I और दूसरे वर्ष के अंत में भाग-II — वर्ष में एक बार साधारणतया अप्रेल के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी ।	1.2 कोर्स की अवधि दो वर्ष होगी। एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल) की परीक्षा दो भागों में होगी-पहले वर्ष के अंत में भाग-I और दूसरे वर्ष के अंत में भाग-II — वर्ष में एक बार साधारणतया अप्रेल के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी ।

2.1 जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक संबंधित विषय में एक परीक्षा पास की है, उसे एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) में दाखिल किया जा सकता है:	2.1 जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक संबंधित विषय में एक परीक्षा पास की है, उसे एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) में दाखिल किया जा सकता है:
(i) एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स के विषय में पंजाब यूनिवर्सिटी से बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)की परीक्षा।	(i) कोई परिवर्तन नहीं।
(ii) आनर्ज़ स्कूल कोर्स के विषय सहित, पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा इसके तुल्य मान्यता प्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बी.एस–सी.(पास अथवा ऑनर्ज़)की परीक्षा ।	(ii) कोई परिवर्तन नहीं।
(iii) मानवविज्ञान में एम.एस–सी. (आनर्ज़ स्कूल) में दाखिले के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा इसके तुल्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से बी.ए. अथवा बी.एस–सी. की परीक्षा ।	(iii) कोई परिवर्तन नहीं।
(iv) भौतिकी में एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)में दाखिले के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा इसके तुल्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से रासायणिकी, भौतिकी और गणित के वैकल्पिक विषयों सहित बी.एस–सी.(पास अथवा ऑनर्ज़)की परीक्षा ।	(iv) कोई परिवर्तन नहीं।
	<u>नोटः जिस विद्यार्थी ने बी.एस–सी. (आनर्ज़ स्कूल) के सभी कोर्स पास न किए हों, उसे एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)के पहले वर्ष में दाखिला नहीं दिया जाएगा ।</u>

बशर्तेकि उपर्युक्त (ii), (iii) और (iv) में योग्य विद्यार्थियों का दाखिला इस मतलब के लिए करवाए दाखिला परीक्षण/सिंडिकेट द्वारा निर्धारित अन्य ऐसी शर्तो की पूर्ति पर आधारित होगा ।	कोई परिवर्तन नहीं ।
2.2 जिस विद्यार्थी ने संबंधित विषय में एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)के पहले वर्ष की परीक्षा पास कर ली है, वह उस कोर्स के भाग–II (दूसरे वर्ष)में दाखिल होने के योग्य होगा।	2.2 कोई परिवर्तन नहीं।
3.1 बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) के लिए नियुक्त कंट्रोल–बोर्ड एम. एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) के कंट्रोल–बोर्ड के रूप में भी कार्य करेगा ।	3.1 कोई परिवर्तन नहीं ।
3.2 डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन की मंजूरी के अंतर्गत, कंट्रोल–बोर्ड के पास विद्यार्थियों को दाखिल करने का अधिकार होगा और शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इसके पास विद्यार्थियों को निकालने का अधिकार होगा।	3.2कोई परिवर्तन नहीं ।
3.3 डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन की मंजूरी के अंतर्गत, दुराचरण की सूरत में कंट्रोल–बोर्ड के पास किसी विद्यार्थी को आनर्ज़ स्कूल से निकालने का अधिकार होगा ।	3.3 कोई परिवर्तन नहीं ।

3.4 कंट्रोल–बोई आनर्ज़ स्कूल से संबंधित सभी मामलों में अपनी सिफारिशों को सिंडिकेट के पास ले जा सकता है जिसमें पाठ्यक्रम और परीक्षकों की नियुक्ति सम्मिलित होगी । परन्तु पाठ्यक्रम से संबंधित सिफारिशों को फेकल्टी और शिक्षा–परिषद के ज़रिये भेजना पड़ेगा।	3.4 कोई परिवर्तन नहीं ।
4. एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्सो के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण सिंडिकेट द्वारा समय समय पर अनुमोदित कोर्स होंगे ।	4. कोई परिवर्तन नहीं ।
5. भाग–I/II की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा जिसने एक शैक्षिक वर्ष पहले विनियम 2 में निर्धारित परीक्षा पास कर ली है और जिसका नाम उस यूनिवर्सिटी विभाग के अध्यक्ष द्वारा परीक्षा–कंट्रोलर को भेजा गया है जिसमें वह हाल ही में उपस्थित रहा है और जो संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है: (क) परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में यूनिवर्सिटी विभाग में हाज़िर रहने का ; (ख) सदाचरण का ; और (ग) प्रत्येक निर्धारित पेपर में उसकी कक्षा को दिए लेक्चरों के पूर्ण कोर्स के 66 प्रतिशत में हाज़िर रहने का; और (ख)प्रेक्टिकल क्लासों	5.1 भाग–I/II की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा जिसने एक शैक्षिक वर्ष पहले विनियम2 में निर्धारित परीक्षा पास कर ली है और जिसका नाम उस यूनिवर्सिटी विभाग के अध्यक्ष द्वारा परीक्षा–कंट्रोलर को भेजा गया है जिसमें वह हाल ही में उपस्थित रहा है और जो संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है: (क) परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में यूनिवर्सिटी विभाग में हाज़िर रहने का ; (ख) सदाचरण का ; और (ग) प्रत्येक निर्धारित पेपर में उसकी कक्षा को दिए लेक्चरों के पूर्ण कोर्स के 75 प्रतिशत में हाज़िर रहने का: और (ख)प्रेक्टिकल क्लासों

में 66 प्रतिशत में हाजिर रहने का; और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सूरत में अथवा शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध अथवा दोनों में अथवा विभाग ध्यक्ष के निर्देश के अनुसार इसको संतोषजनक ढंग से पूरा करने का । परीक्षार्थी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि यह भाग-II की यूनिवर्सिटी परीक्षा शुरू होने से कम से कम 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी पहुँच जाना चाहिए।

में 75 प्रतिशत में हाजिर रहने का; और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सूरत में अथवा शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध अथवा दोनों में अथवा विभाग अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार इसको संतोषजनक ढंग से पूरा करने का । परीक्षार्थी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शोध-निबन्ध/शोध-प्रबन्ध इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि यह भाग-II की यूनिवर्सिटी परीक्षा शुरू होने से कम से कम 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी पहुँच जाना चाहिए।

5.2 कंट्रोल-बोर्ड के पास सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों के प्रत्येक कोर्स में दिए लेक्चरों/प्रेक्टिकलों की हाज़िरी में कमी को 10% तक माफ करने का अधिकार है ।

5.3 परीक्षार्थी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट/शोध-निबन्ध को अंतिम परीक्षा शुरू होने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत करना चाहिए । समय बढ़ाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. एम.एस-सी. आनर्ज़ स्कूल की परीक्षा सिद्धान्त पेपरों, प्रेक्टिकलों,फील्ड अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट(यदि कोई हो) में होगी जैसा कि कंट्रोल-बोर्ड प्रत्येक विषय में, निर्धारित करेगा । पेपरों की संख्या, सिद्धान्त और प्रेक्टिकल और सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों में अंकों का

6. कोई परिवर्तन नहीं ।

विभाजन, फील्ड कार्य अथवा प्रोजेक्ट, यदि कोई हो, को पाठ्यक्रम में दिया जाएगा।

अंकों/केडिटों की कुल संख्या निम्नानुसार होगी:

एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)भाग-I-1000 40 केडिट

एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)भाग-II-1000 40 केडिट

7.परीक्षा साधारणतया अप्रेल के महीने में अथवा समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी ।

व्याख्या: प्रत्येक पेपर के लिए नियत 75% और 25% अंकों/केडिटों को 5 अंकों के निकटतम गुणज अथवा तुल्य केडिट से पूर्ण किया जा सकता है।

7.1 सिद्धान्त और प्रेक्टिकलों दोनों में परीक्षा पूरी तरह आंतरिक, आवधिक/निरन्तर और खुली होगी ।

7.2 परीक्षा समाप्त होने से 10 दिनों के अन्दर संबंधित विभाग अध्यक्ष द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को दिखाया जाएगा । विद्यार्थियों के साथ उत्तरों पर विचार किया जाएगा और मूल्यॉंकन की तर्कविधि को उन्हें समझाया जाएगा। विद्यार्थियों से उत्तरों पर विचार करने के बाद अध्यापक अंतिम रूप में अंक-सूची को PGAPMEC (देखिए 10.1) के कन्वीनर को प्रस्तुत करेगा। परिणाम की घोषणा से एक वर्ष तक संबंधित अध्यापक उत्तर-पुस्तिकाओं को संभाल कर रखेगा। पुनःमूल्यॉंकन की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

7.3 अध्यापक विशेष कोर्स के लिए साधारणतया पेपर-सेंटर, निरीक्षक

और पेपर–मूल्यांकनकर्ता होगा । यदि किसी एक कोर्स को एक से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, एक अध्यापक को अध्यापक–इन्चार्ज मनोनीत किया जाएगा। वह कोर्स के दूसरे अध्यापकों की सलाह से प्रश्नपत्र तैयार करेगा और संयुक्त रूप से निरीक्षण करेगा और उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा। कंट्रोल–बोर्ड परीक्षकों की सूचियाँ अक्तूबर के अंत तक परीक्षा–कंट्रोलर को भेज देगा ।

7.4 प्रत्येक कोर्स के लिए अंतिम परीक्षा से पहले दो प्रश्नपत्र तैयार करवाए जाएंगे – एक अंतिम परीक्षा के लिए और दूसरा अनुपूरक परीक्षा के लिए ।

7.5 सिद्धान्त पेपर के कुल अंकों के 20% अंक तीन मध्यावधि परीक्षणों में से दो उत्तम परीक्षणों के लिए नियत किए जाएंगे । प्रत्येक परीक्षण के कोर्स के कुल अंकों में से 10% अंक होंगे । मध्यावधि परीक्षण लगातार और अध्यापन कार्यक्रम में विघ्न पाए बगैर सितंबर/अक्तूबर, दिसम्बर और फरवरी/मार्च में होंगे।

7.6 प्रयोगशाला कोर्स में, प्रयोगों, प्रयोगों पर मौखिक परीक्षा और प्रयोगों पर लिखित रिपोर्ट लिखने में विद्यार्थियों की कुशलता पर निर्भर करते हुए, प्रयोगशाला में निरंतर मूल्यांकन के

लिए कुल अंकों के 20% अंक नियत किए जाएंगे । अंतिम प्रेक्टिकल परीक्षा अंतिम परीक्षा से पहले हो सकती है । इसके बकाया 80% अंक होंगे । प्रेक्टिकल परीक्षा से पहले, निरंतर मूल्यांकन में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों(20% में से) को विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक प्रेक्टिकल परीक्षा के दो परीक्षक होंगे।

7.7 पूरे वर्ष के लिए समूचा शैक्षिक कैलेन्डर, जिसमें अध्यापन का आरंभ, अध्यापन का समापन, मध्यावधि परीक्षणों की डेट-शीट इत्यादि प्रत्येक विभाग द्वारा सेशन के आरंभ में तैयार किया और अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को अधिसूचित किया जाएगा।

7.8 मध्यावधि परीक्षणों और निरंतर मूल्यांकन का रिकार्ड, अंतिम परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले परीक्षा-कंट्रोलर को भेज दिया जाएगा।

7.9 अंतिम पेपर समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अस्थायी परिणामों को विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके दो दिन पश्चात विभाग द्वारा अंतिम परिणाम परीक्षा-कंट्रोलर को भेज

8.1 जो विद्यार्थी एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)की भाग–I की परीक्षा देता परन्तु न्यूनतम 24 केडिट प्राप्त करता है, उसे उन पेपरों में पुनःपरीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा जिनमें वह फेल हुआ है। उसे एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)भाग-II की कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा।

8.2 विद्यार्थी एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल)के भाग–I की वार्षिक परीक्षा में यदि 24 केडिट प्राप्त नहीं कर पाता, उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा और वह उसी कक्षा में पुनःदाखिला ले सकता है।

दिया जाएगा। अगले 15 दिनों में यूनिवर्सिटी परिणाम घोषित कर देगी।

8.1 जिस विद्यार्थी ने न्यूनतम 24 केडिट वार्षिक परीक्षा में प्राप्त न किए हों, उसे फेल घोषित किया जाएगा। जो विद्यार्थी एम. एस–सी(आनर्ज़ स्कूल) के भाग–I की वार्षिक परीक्षा देता है और न्यूनतम 24 केडिट प्राप्त करता है, उसे उन पेपरों में जिनमें वह फेल हुआ है, साधारणतया जुलाई के महीने में पुनःपरीक्षा का अवसर दिया जाएगा। मध्यावधि परीक्षणों में कोई रि–अपियर परीक्षा नहीं होगी। अनुपूरक परीक्षा कोर्स के कुल अंकों के केवल 80% के लिए होगी। यदि विद्यार्थी अनुपूरक परीक्षा में अपने सभी कोर्सों में पास नहीं होता, उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा।

फेल हुआ विद्यार्थी पुनःदाखिला ले सकता है अथवा लेट कालेज विद्यार्थी के तौर पर अगली वार्षिक परीक्षा दे सकता है।

8.2 कोई परिवर्तन नहीं।

8.3 विद्यार्थी को फैल हुए पेपरों में रि-अपियरों को पास करने के लिए, सितंबर/अक्तूबर के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर अनुपूरक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त वह उन पेपरों में उस समय परीक्षा दे सकता है जब नियमित विद्यार्थियों के लिए उन पेपरों में वार्षिक परीक्षा हो।

उपर्युक्त शर्तों के होते हुए, किसी भी विद्यार्थी को एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स में तीन वर्ष से अधिक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)डिग्री पाने के लिए सभी रि-अपियरों में पास होना पड़ेगा और नियत केडिट प्राप्त करने होंगे अर्थात 80 केडिट। ऐसा न करने की स्थिति में विद्यार्थी को फेल घोषित किया जाएगा और उसे एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स को छोड़ना पड़ेगा।

8.4 विद्यार्थियों को सिद्धान्त और प्रेक्टिकल के पेपरों में अलग अलग तौर पर पास करना होगा और विद्यार्थियों को इन पेपरों में से प्रत्येक पेपर में अलग अलग तौर पर पास अंक प्राप्त करने होंगे।

8.5 जो विद्यार्थी किसी कारणवश गैरहाज़िर हो जाते हैं अथवा अंकों में सुधार नहीं कर सकते, उनको केवल वार्षिक परीक्षा में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति होगी।

8.3 उपर्युक्त शर्तों के होते हुए, किसी भी विद्यार्थी को एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स में तीन वर्ष से अधिक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)डिग्री पाने के लिए सभी रि-अपियरों में पास होना पड़ेगा और नियत केडिट प्राप्त करने होंगे अर्थात 80 केडिट। ऐसा न करने की स्थिति में विद्यार्थी को फेल घोषित किया जाएगा और उसे एम.एस-सी.(आनर्ज़ स्कूल)कोर्स को छोड़ना पड़ेगा।

8.4 कोई परिवर्तन नहीं।

8.5 जो विधार्थी अंतिम परीक्षा में गैरहाज़िर हो जाते हैं अथवा उनको फेल घोषित कर दिया जाता है अथवा जो अपने परिणामों में सुधार लाना चाहते हैं, उनको केवल नियमित विद्यार्थियों के साथ अगली वार्षिक परीक्षा में पेपर देने की अनुमति दी जाएगी

संबंधित विभागों के कंट्रोल–बोर्ड, उपयुक्त निकायों की मंजूरी के अंतर्गत, प्रश्नपत्रों के प्रश्नों की प्रकृति और शैली का निर्णय ले सकते हैं – क्या प्रश्न वस्तुनिष्ठ हों/संक्षिप्त उत्तर वाले हों/समस्या–आधारित हों/विषयनिष्ठ हों/निबन्ध–रूप हों अथवा इनको मिलाकर तैयार करने हों । एक विषय को एक से अधिक अध्यापकों को पढ़ाने की सूरत में, कंट्रोल–बोर्ड उनमें से एक को आंतरिक परीक्षक नियुक्त करेगा।

10.1 वार्षिक परीक्षा के लिए केवल बाहरी परीक्षक ही पेपर तैयार करेगा। इस मतलब के लिए कंट्रोल बोर्ड/पाठ्य समिति 3–5 या अधिक परीक्षकों का पेनल तैयार करेंगे जिनमें से किसी एक को समर्थ प्राधिकारी द्वारा पेपर तैयार करने का काम सौंपा जाएगा।

9. संबंधित विभागों के कंट्रोल–बोर्ड, उपयुक्त निकायों की मंजूरी के अंतर्गत, प्रश्नपत्रों के प्रश्नों की प्रकृति और शैली का निर्णय ले सकते हैं – क्या प्रश्न वस्तुनिष्ठ हों/संक्षिप्त उत्तर वाले हों/समस्या–आधारित हों/विषयनिष्ठ हों/निबन्ध रूप हों अथवा इनको मिलाकर तैयार करने हों ।

10.1 कंट्रोल बोर्ड शैक्षिक कार्यक्रमों के परिवीक्षण और कार्यान्वित करने के लिए पोस्टग्रेजुएट एकाडेमिक प्रोग्राम मॉनिटरिंग एण्ड एक्सिक्यूशन कमेटियाँ(PGAPMEC) नियुक्त करेगा । PGAPMEC की बनतर और कार्य निम्नानुसार होंगे:

(i) PGAPMEC में 5–7 फेकल्टी सदस्य सम्मिलित होंगे। इसका एक कन्वीनर और एक सचिव होंगे जिनको कंट्रोल–बोई नियुक्त करेगा। PGAPMEC विभागके अध्यक्ष के निकट सहयोग से कार्य करेगा।

(ii) PGAPMEC की अवधि दो वर्ष के लिए होगी। पहली दो वर्ष की अवधि के बाद, कन्वीनर समेत 3–4 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कंट्रोल–बोर्ड द्वारा नए कन्वीनर और सचिव की

दो वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। एक वर्ष के पश्चात, बाकी के दो पुराने सदस्य भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे जिनके स्थान पर दो नए सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे ताकि पुनःपूर्ति और निरंतरता बरकरार रहे। प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए काम करेगा।

(iii) PGAPMEC कार्यक्रम के सभी पहलुओं के सही कार्य और सत्यनिष्ठा को यकीनी बनाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक पहलु की देखभाल कर सकती है। यह सामान्य तौर पर महीने में एक बार मिलेगी।

(iv) PGAPMEC के काम में पूरे वर्ष के लिए शैक्षिक कैलेन्डर तैयार करना, हाज़िरी का ध्यान रखना, मध्यावधि परीक्षणों और वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम बनाना, विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट निरीक्षक नियत करने, स्तर्क छानबीन के बाद अंकों का सारणीकरण, आधार-सामग्री का कंप्यूटरीकृत भंडारण, यह यकीनी बनाने के लिए नियमित परिवीक्षण कि यूनिवर्सिटी के नियमों और विनियमों का सही तरीके से अनुसरण हो रहा है और विभाग के अध्यक्ष/कंट्रोल-बोर्ड द्वारा सौंपा कोई अन्य काम सम्मिलित होंगे।

(v) प्रोजेक्ट रिर्पोटों की मूल्यांकन विधि का निर्णय कंट्रोल-बोर्ड और PGAPMEC द्वारा लिया जाएगा।

(vi) PGAPMEC द्वारा लिए सभी निर्णय कंट्रोल-बोर्ड के मंजूरी के अंतर्गत लिए जाएंगे।

10.2 पेपर-सेटरों को निर्धारित पाठ्यक्रम और पठन-कोर्सो सहित निम्नलिखित सामग्री प्रदान की जाएगी:(i) कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी प्रकरणों की विस्तृत रूपरेखा और प्रत्येक प्रकरण को दी जाने वाली सापेक्ष भारिता और जिन पुस्तकों से ये प्रकरण पढ़ाए जाने हैं, समेत निर्धारित पाठ्यक्रम और पठन-कोर्स प्रदान किए जाएंगे।

10.2 विलोपित।

(ii) मॉडल प्रश्नपत्र ; और

(iii) ऐसी हिदायत/सूचना जिसे कंट्रोल-बोर्ड उचित समझे ताकि प्रश्नपत्र में समूचा पाठ्यक्रम आ जाए और इसे विद्यार्थी के विषय के ज्ञान और बोध की परख के लिए डिज़ाइन किया जा सके।

10.3 गृह परीक्षणों की पेपर-सेटिंग और मूल्यांकन की ज़िम्मेदारी संबंधित कोर्स पढ़ा रहे अध्यापक की होगी। अंकित उत्तर-पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को दिखाया जा सकता है।

10.3 विलोपित।

10.4 वार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाहरी और आंतरिक परीक्षक द्वारा स्वतन्त्र तौर पर किया जाएगा। यदि अंकों में अंतर 15% तक का है, तो इन दोनों की औसत अंतिम अंक होंगे। यदि अंकों में अंतर 15% से अधिक है, तो उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तीसरे परीक्षक से करवाया जाएगा। अंतिम अंक विद्यार्थी के हित में दो उत्तम अंकों की औसत होंगे।

10.4 विलोपित।

10.5 प्रेक्टिकल पेपरों की परीक्षा संबंधित विषय के कंट्रोल-बोर्ड द्वारा लिए निर्णय के अनुसार एक बाहरी परीक्षक और एक अथवा अधिक आंतरिक परीक्षकों द्वारा ली जाएगी। कंट्रोल-बोर्ड यह भी निर्णय ले सकता है कि क्या आंतरिक अंकों की कुछ प्रतिशतता प्रयोगशाला में विद्यार्थी द्वारा पूरे वर्ष में किए काम के निरंतर मूल्यांकन पर आधारित करनी है।

10.5 विलोपित।

11. उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की यूनिवर्सिटी द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। पुनर्मूल्यांकन करना परीक्षकों की मौजूदा सूची में से नियुक्त किए जाएंगे ।

11. विलोपित।

12. उस विद्यार्थी की सूरत में जिसे एम.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) डिग्री के लिए शर्तों की आंशिक पूर्ति के तौर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाहरी और आंतरिक (निरीक्षक) परीक्षकों पर निर्भर करेगी। परन्तु दोनों परीक्षकों द्वारा अलग अलग तौर पर दिए अंकों का निर्णय मौखिक परीक्षा समय किया जाएगा जो परीक्षक–मंडल द्वारा ली जाएगी जिसमें बाहरी परीक्षक, आंतरिक परीक्षक(निरीक्षक)और विभाग का अध्यक्ष सम्मिलित होंगे । विभाग के अध्यक्ष के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आंतरिक परीक्षक होने की सूरत में विभाग के प्रवरतम अध्यापक को मौखिक परीक्षा लेने के लिए शामिल किया जाएगा।

विद्यार्थी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामान्तया एक वर्ष के अंत में प्रस्तुत करेगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो निरीक्षक/विभाग के अध्यक्ष द्वारा सिफ़ारिश करने पर डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन द्वारा छः महीने की अवधि में बढ़ोतरी की अनुमति दी जा सकती है। अपवादात्मक स्थितियों में अवधि में छः महीने की और बढ़ोतरी की जा सकती है।

13. जिस परीक्षार्थी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से वार्षिक पद्धति के अंतर्गत एम.एस.–सी.(आनर्ज़ स्कूल)

12. विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट/शोध–निबन्ध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर मौखिक परीक्षा की मूल्यांकन विधि और/अथवा मूल्यांकन की कोई अन्य विधि जैसे पोस्टर का प्रस्तुतीकरण कंट्रोल–बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा।

13. कोई परिवर्तन नहीं।

की परीक्षा पास की है, यदि वह अपने निष्पादन में सुधार करना चाहता है, तो वह जिन कोर्स/र्सों में सुधार करना चाहता है उनमें प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकता है। इस मतलब के लिए, उसको उपर्युक्त डिग्री पास करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर दो अवसर दिए जा सकते हैं । परीक्षार्थी: को पहले उन सभी कोर्सों की सूचना देनी होगी जिनमें वह अपने निष्पादन में सुधार चाहता है। फिर वह इन कोर्स/र्सों में केवल मुख्य वार्षिक परीक्षा में ही बैठ सकेगा अर्थात पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए प्रस्तूत कोर्स(र्सों)में अप्रेल/मई की परीक्षा में। यदि वह किसी कोर्स/र्सों में अपने निष्पादन में सुधार करने में असमर्थ रहता है तो वह अगले वर्ष की केवल अप्रेल/मई की वार्षिक परीक्षा में बैठने के योग्य होगा और यह उसका दूसरा अवसर होगा।

परीक्षार्थी से सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निश्चित परीक्षा फीस वसूल की जाएगी।

14. सफल परीक्षार्थियों का श्रेणियों में वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा

(i) जो कुल अंकों में से 75% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं

...वैशिष्टय सहित पहली श्रेणी

14. कोई परिवर्तन नहीं।

(ii) जो कुल अंकों में से 60% से अधिक परन्तु 75% से कम अंक प्राप्त करते हैं ...पहली श्रेणी

(iii) जो कुल अंकों में से 50% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं ...दूसरी श्रेणी

(iv) जो कुल अंकों में से 40% या अधिक परन्तु 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं ...तीसरी श्रेणी

15. परीक्षार्थी को प्रत्येक वर्ष के लिए ब्योरेबार अंक प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। डिग्री में उस श्रेणी का उल्लेख किया जाएगा जिसमें परीक्षार्थी ने यह परीक्षा पास की है। आनर्ज़ स्कूल में दाखिल होने और इसको छोड़ने की तिथि को भी प्रमाणपत्र में दर्शाया जाएगा।

16. उपर्युक्त नियम में किसी भी मद्द के होने के बावजूद, COSIST विभाग अर्थात रासायणिकी, भूविज्ञान, गणित और भौतिकी, इस मामलै में उनको दी गई स्वतन्त्रता के मद्देनज़र पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सों में निम्नलिखित मूल्याँकन पद्धति अपना सकते हैं:

15. परीक्षार्थी को प्रत्येक वर्ष के लिए ब्योरेबार कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ब्योरेबार अंक कार्डों में, उस प्रत्येक कोर्स के सामने तारक-चिन्ह(*) लगा दिया जाएगा जो उन्होंने पहली वार्षिक परीक्षा में पास नहीं किया।

डिग्री में उस श्रेणी का उल्लेख किया जाएगा जिसमें परीक्षार्थी ने यह परीक्षा पास की है। आनर्ज़ स्कूल में दाखिल होने और इसको छोड़ने की तिथि को भी प्रमाणपत्र में दर्शाया जाएगा।

16.उपर्युक्त नियम में किसी भी मद्द के होने के बावजूद, COSIST/C.A.S विभाग अर्थात रासायणिकी, भूविज्ञान, गणित और भौतिकी, इस मामले में उनको दी गई स्वतन्त्रता के मद्देनजर, उपयुक्त यूनिवर्सिटी निकायों द्वारा सही ढंग से अनुमोदित अपनी मूल्यांकन पद्धति अपना सकते हैं

(i) पेपर-सेटिंग और मूल्यांकन पूर्णतया आंतरिक होगा जिसे सिद्धान्त और प्रयोगशाला कोर्स पढ़ा रहे अध्यापक करेंगे।

(i) विलोपित।

(ii) नवंबर-दिसंबर में सिद्धान्त पेपरों के लिए गृह परीक्षण होगा। यह प्रत्येक पेपर में 35% अंकों का होगा। गृह परीक्षण की जिम्मेदारी उस कोर्स को पढ़ा रहे अध्यापक की होगी। अंकित उत्तर-पुस्तिकाएँ विद्यार्थियों के देखने के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

व्याख्याः प्रत्येक पेपर के लिए नियत 35% अंकों को 5 के निकटतम गुणज से पूर्ण किया जा सकता है।

ii) विलोपित।

(iii) अध्यापन के प्रत्येक वर्ष के बाद वार्षिक परीक्षा होगी जिसमें संबंधित विषय में प्रत्येक पेपर को 65% अंक दिए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा विस्तृत होगी और पढ़ाए गए कोर्स का समूचा भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। परन्तु गृह परीक्षण तक पढ़ाए कोर्स और गृह परीक्षण के बाद करवाए कोर्स को वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में 1:2 के अनुपात से भारिता दी जाएगी।

(iii) विलोपित।

(iv) वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों की संरचना का निर्णय उस विषय के कंट्रोल-बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर-सेटिंग और मूल्यांकन आंतरिक परीक्षकों किया जाएगा। परिणाम घोषित अंकित

(iv) विलोपित।

उत्तर-पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध बनाया जाएगा।

(v) प्रत्येक सिद्धान्त पेपर में अंतिम अंकों का निर्धारण विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक परीक्षा और गृह परीक्षणों में प्राप्त अंकों को मिलाकर किया जाएगा।

(v) विलोपित।

(vi) यह आशा की जाती है कि सिद्धान्त कोर्सों के अध्यापन के साथ साथ गृह नियत कार्य(असाइन्मेंटस), प्रश्नोत्तरियाँ, वस्तुनिष्ठ भांति के कक्षा परीक्षण इत्यादि भी चलते रहेंगे और इनको वर्ष में समान अंतराल के बाद रखा जाएगा। अंकों के रूप में इसको कोई भारिता नहीं दी जाएगी, परन्तु यह बात विद्यार्थियों को जचा देनी चाहिए कि यह कार्य सिद्धान्त कोर्स के अध्यापन का अनिवार्य अंग है।

(vi) विलोपित।

(vii) प्रयोगशाला कोर्सों में परीक्षा पूर्णतया आंतरिक होगी। प्रयोगशाला कोर्सों में कोई गृह परीक्षण नहीं होगा। कंट्रोल-बोर्ड यह निर्णय ले सकता है कि 50% तक के कितने अंकों की प्रतिशतता को पूरे साल में प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को काम को निरंतर मूल्यांकन पर आधारित करना है। आंतरिक मूल्यांकन का आधार होगा:

(vii) विलोपित।

(i) प्रयोग करने में विद्यार्थी का तरीका और कुशलता ;

(ii) किए गए प्रत्येक प्रयोग की मौखिक परीक्षा;

(iii) प्रयोग की लिखित रिपोर्ट, और

(iv)प्रयोगशाला में नियमित हाजिरी। प्रत्येक प्रयोग के बाद विद्यार्थी को अध्यापक के मूल्यांकन के बारे में सूचित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में इसके कम से कम 50% अंक होंगे।

---

28. बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फरमेशन साइंस(पत्राचार द्वारा) के लिए विनियम 5(विभिन्न निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में 2002–2003 के दाखिलों से लागू)।

5. अध्यापन का माध्यम अंग्रेज़ी होगा और प्रश्नपत्र भी अंग्रेज़ी में सेंट किए जाएंगे। परन्तु परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी, हिन्दी अथवा पंजाबी हो सकता है

29. बी.ऐड. परीक्षा के लिए विनियम 1.3, 2.1(घ), 5.1(i) और 6.1 और इसे यूनिवर्सिटी के विभिन्न निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में 2002 के दाखिलों से लागू किया जाए।

1.3 कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों के लिए अनुपूरक परीक्षा साधारणतया सितंबर के महीने में सिंडिकेट द्वारा निश्चित की गईं तिथियों पर होगी।

5.1(i) चुने गए अध्यापन के दोनों विषय वही होंगे जो ग्रेजुएट/पोस्ट–ग्रेजुएट स्तर पर लिए गए हों। परन्तु बी.कॉम/एम.कॉम के विद्यार्थी एक अध्यापन विषय को कॉमर्स के अध्यापन के तौर पर लेंगे और दूसरे अध्यापन विषय को या तो अर्थशास्त्र के अध्यापन या अंग्रेज़ी के अध्यापन अथवा हिंदी के अध्यापन/पंजाबी के अध्यापन/संस्कृत के अध्यापन के रूप में लेंगे।

6.1 प्रत्येक कालेज (i) सिद्धान्त पेपरों, (ii)ड्राइंग और स्केचिंग और (iii) बी.बी. राइटिंग और बी.बी. स्केचिंग में कम से कम दो गृह परीक्षण लेगा। विद्यार्थी को प्रत्येक गृह परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं अथवा कुल अंकों में से 50% अंक प्राप्त करने ज़रूरी हैं ताकि वह यूनिवर्सिटी परीक्षा में बैठ सके। कालेज का प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी परीक्षा(बी.ऐड. सिद्धान्त) शुरू होने के कम से कम 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी को उन विद्यार्थियों के नाम भेजेगा जो ये शर्तें पूरी नहीं करते।

30. बी.ऐड(पत्राचार) के लिए विनियम को N.C.T.E. की मंजूरी के अंतर्गत अनुकमणिका में दिए अनुसार जुलाई 2002 से शुरू किया जाए और यूनिवर्सिटी के विभिन्न निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया जाए।

1.1 पत्राचार द्वारा बेचुलर ऑफ एजुकेशन (बी.ऐॅड.) वित्त की दृष्टि से स्व–निर्भर कोर्स होगा। इसकी डिग्री के लिए कोर्स की अवधि 24 महीने होगी।

1.2 परीक्षा नियमित बी.ऐॅड कोर्स के साथ साधारणतया अप्रेल के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी।

1.3 अनुपूरक परीक्षा साधारणतया सितंबर के महीने में उन तिथियों पर होगी जो कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों के लिए सिंडिकेट द्वारा निश्चित की जाएंगी।

1.4 देरी फीस के बिना/सहित परीक्षा दाखिला फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि को समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किया जाएगाा। विनियम 1.4 के अनुसार तिथियों की अनुसूची को सभी पत्राचार विद्यार्थियों के लिए परीक्षा–कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

2.1 जिस व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता है, वह इस कोर्स में दाख़िला लेने के योग्य हैः

(क) इस यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से कुल अंकों में से कम से कम 45% अंकों सहित बेचुलर की डिग्री, बशर्तेकि परीक्षार्थी ने पहले डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूली विषय पढ़े हों।

(ख) इस यूनिवर्सिटी अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से कुल अंकों में से कम से कम 45% अंकों सहित एम.ए. अथवा एम.एस–सी. अथवा एम.कॉम. अथवा एम.एस–सी(आनर्ज़ स्कूल) डिग्री जिसमें पहले डिग्री स्तर और पोस्ट–ग्रेजुएट डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूली विषय पढ़े होने चाहिएं।

(ग) आधुनिक भारतीय भाषाओं और केवल अंग्रेज़ी की परीक्षाओं के ज़रिये यूनिवर्सिटी की बी.ए. डिग्री, जिस सूरत में 45 प्रतिशत अंकों के जोड़ की गणना अंग्रेज़ी में से प्राप्त अंकों और वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर की जाएगी।

(घ) उपयुक्त (क), (ख) अथवा (ग) के तुल्य मान्यताप्राप्त कोई अन्य योग्यता।

व्याख्या–(i) जिस परीक्षार्थी को इस यूनिवर्सिटी के बी.एस–सी.(आनर्ज़ स्कूल) के आधार पर बी.एस–सी. पास डिग्री प्रदान की गई है, उसे कुल अंकों में से 50% अंकों से पास हुआ समझा जाएगा।

(ii) जिस परीक्षार्थी ने बी.ए./बी.एस–सी. डिग्री प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त विषय/विषयों को पास किया है, कुल अंकों के 45% की गणना अनिवार्य विषयों में प्राप्त अंकों और तीन वैकल्पिक अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर की जाएगी।

अपवाद – आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को छोड़कर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की सूरत में, 45 प्रतिशत की शर्त को 5 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा, बशर्तेकि उन्होंने विनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम पास अंक प्राप्त किए हों।

2.2 अध्यापन अनुभव के लिए NCTE के प्रतिमानों का अनुसरण किया जाएगा।

3.1 जो व्यक्ति परीक्षा से पहले शैक्षिक वर्ष में बी.ऐड. पत्राचार कोर्स में दाखिल रहा हो, उसे अध्ययन केन्द्र के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित PCP उपस्थिति प्रमाणपत्र (NVTE के प्रतिमानों के अनुसार) पुनःप्रस्तुत करना पड़ता है और परीक्षा देने के योग्य होने के लिए इसे नोडल केन्द्र के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना पड़ता है।

3.2 नोडल केन्द्र का अध्यक्ष प्रत्येक विषय में दो लेक्चर माफ कर सकता है।

3.3 जिस विद्यार्थी ने निर्धारित कोर्स पूरा कर लिया है परन्तु वह परीक्षा नहीं देता है अथवा परीक्षा देकर फेल हो जाता है, वह प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर अगले लगातार तीन वर्षों में परीक्षा देने के योग्य होगा।

4. परीक्षार्थी द्वारा अदा की जाने वाली परीक्षा फीस समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निश्चित की जाएगी।

5.1 परीक्षा के निम्नानुसार दो भाग होंगेः

भाग I : सिद्धान्त पेपर (पाठ्यक्रम में दी गई तफसील के अनुसार)

भाग II : प्रेक्टिकल (पाठ्यक्रम में दी गई तफ़सील के अनुसार)

5.2 प्रत्येक भाग के लिए पाठ्यक्रम समय समय पर सीनेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6.1 यूनिवर्सिटी अध्ययन केन्द्रों पर मानकों में एकरूपता को यकीनी बनाने के लिए विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में आंतरिक मूल्यांकन और किए गए प्रेक्टिकल के काम के रिकार्डों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करेगी।

6.2 आंतरिक मूल्यांकन के परीक्षार्थी को दिए अंकों को परीक्षार्थी की इच्छा के अनुसार आगे ले जाया जाएगा, यदि उसको विनियम 9.1 के अंतर्गत

अगली परीक्षा में किसी भाग अथवा भागों में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति दी जाती है।

चाहे वह बाहरी परीक्षा में गैरहाज़िर भी रहता है, तो भी परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रामाणिक रहेंगे।

7. परीक्षा का माध्यम निम्नानुसार होगाः

(क) भाषाओं के पेपरों को छोड़कर, जिनमें नीचे दिए अनुसार होंगे, प्रश्नपत्र हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में तैयार किए जाएंगेः–

(i) संस्कृत के लिए : हिंदी, संस्कृत

(ii) हिंदी, पंजाबी के लिए : क्रमशः हिंदी, पंजाबी में

(ख) परीक्षार्थी अपने उत्तर लिखेंगेः

(i) अंग्रेज़ी के विषय में अंग्रेज़ी में ;

(ii) दूसरे विषयों की सूरत में अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत में।

8. परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक होंगेः

(i) भाग– I (सिद्धान्त पेपर) : प्रत्येक पेपर में अलग अलग तौर पर 40%

(ii) भाग– II (प्रेक्टिकल) : 40%

9.1 जो परीक्षार्थी फेल हो जाता है, उसे जिस भाग अथवा भागों में वह फेल हुआ है, उस/उन में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। उसे प्रत्येक विषय के एक भाग के लिए सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित फीस से लेकर प्रत्येक अवसर पर सिंडिकेट द्वारा समय समय निर्धारित अधिकतम फीस देनी होगी। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत होगीः

(i) यदि परीक्षार्थी भाग–II के आंतरिक मूल्यांकन में फेल हो जाता है, उसे भाग– II के आंतरिक मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने के लिए पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अवधि, कम से कम एक महीने के लिए, पत्राचार अध्ययन विभाग में दाखिल होना पड़ेगा। यदि वह आंतरिक मूल्यांकन में पास हो जाता है, उसे भाग– II की परीक्षा में पास हुआ समझा जाएगा।

(ii) यदि वह केवल एक पेपर अथवा भाग–I में फेल हो जाता है, उसे अनुपूरक परीक्षा और अगली वार्षिक परीक्षा में उस पेपर में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्तेकि उसने फेल हुए पेपर में

20% और सभी पेपरों के कुल अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए हों। ऐसे परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर पर सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित फ़ीस अदा करनी होगी। यदि वह उस पेपर में इनमें से किसी भी परीक्षा में पास हो जाता है, उसे भाग–I की परीक्षा में पास हुआ समझा जाएगा।

9.2 (i) जो परीक्षार्थी भाग– II (प्रेक्टिकल) में पास हो जाता है परन्तु भाग–I (सिद्धान्त) में फेल हो जाता है, उसे केवल भाग–I में ही परीक्षा देनी पड़ेगी।

(ii) जो परीक्षार्थी भाग–I में पास हो जाता है और भाग–II के किसी अंग या उपांग में फेल हो जाता है, जिसका मूल्यांकन बाहरी तौर पर किया गया होता है, उसे केवल उसी अंग या उपांग में पुनःपरीक्षा देनी पड़ेगी जिसमें वह फेल हुआ है।

10.1 परीक्षा–कंट्रोलर परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह पश्चात अथवा जितनी जल्दी संभव हो, परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। योग्यता–क्रम सूची भाग–I (बाहरी) और भाग–II (बाहरी) में प्राप्त अंकों को मिलाकर तैयार की जाएगी।

10.2 सफल परीक्षार्थियों का वर्गीकरण भाग–I (बाहरी) और भाग–II (बाहरी) को मिलाकर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगाः

(क) कुल अंकों में से 60% और
इससे अधिक अंक ...पहली श्रेणी

(ख) कुल अंकों में से 50% और अधिक
परन्तु 60% से कम अंक ...दूसरी श्रेणी

(ग) कुल अंकों में से 50% से कम अंक ...तीसरी श्रेणी

10.3 प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को डिग्री प्रदान की जाएगी जिसमें भाग–I (बाहरी)में प्राप्त अंकों जिसमें सिद्धान्त पेपरों से संबंधित प्रेक्टिकल काम के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को अलग अलग तौर पर दिखाया जाएगा, और भाग–II (बाहरी) के अंकों को मिलाकर प्राप्त श्रेणी को दर्शाया जाएगा।

11.1 जिस व्यक्ति ने बेचुलर ऑफ टीचिंग/बेचुलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए परीक्षा पहले ही पास कर ली है, वह अतिरिक्त विषय प्रस्तुत कर सकता है। उसे निर्धारित फार्म पर आवेदनपत्र देने और सिंडिकेट

द्वारा समय समय पर दाख़िला फीस जमा करवाने पर परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्तेकि–

(i) उसने उस विषय में पहली डिग्री/पोस्ट–ग्रेजुएट डिग्री की परीक्षा पहले ही पास कर ली हो।

(ii) अध्यापन विषयों के लिखित पेपर के अतिरिक्त, परीक्षार्थी को मान्यताप्राप्त हाई स्कूल में 30 पाठ पढ़ाने पड़ेंगे और उस द्वारा लिए अतिरिक्त विषय के अध्यापन में प्रेक्टिकल परीक्षण देना पड़ेगा।

11.2 अतिरिक्त विषय में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 40% होंगे।

11.3 जिस व्यक्ति ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बी.ऐॅड. की डिग्री प्रदान करने की अर्हता प्राप्त कर ली है, उसको अपने निष्पादन में सुधार के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर उस विषय/उन विषयों में पुनःपरीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है जिस/जिन में उसने बी.ऐॅड. परीक्षा में पहले परीक्षा दी थी, बशर्तेकि परीक्षार्थी ने इस समय में उपर्युक्त फेकल्टी में कोई उच्चतर कोर्स पास न किया हो।

इस मतलब के लिए उसे अपनी बी.ऐॅड. परीक्षा पास कर लेने की तिथि से लेकर केवल तीन लगातार अवसरों में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी और उसे पुनःपरीक्षा केवल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ही देनी पड़ेगी।

---

31. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलिकम्यूनिकेशन एण्ड इन्फरमेशन टेक्नॉलोजी, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायो-टेक्नालोजी, इन्स्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग एण्ड मेटिरियल इंजीनियरिंग (यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलोजी में)में बी.ई. के लिए विनियम।

---

1. किसी भी अनुशासन में बेचुलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए अध्यापन कोर्स की अवधि 4 वर्ष होगी। अध्यापन काल को लगभग 8 सिमेस्टरों में विभाजित किया जाएगा – प्रत्येक सिमेस्टर लगभग 15 सप्ताह का होगा।

2. प्रत्येक सिमेस्टर में पढ़े जाने वाले विषय परीक्षा की स्कीम के अनुसार होंगे जिसमें प्रत्येक विषय में दिए जाने वाले लेक्चरों की संख्या, लिखित परीक्षा, प्रेक्टिकल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। अध्यापन और परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा।

3. (क) किसी भी ब्रांच में पहले सिमेस्टर कोर्स में दाखिला, दाखिला परीक्षण द्वारा होगा। इसमें वह विद्यार्थी बैठ सकता है जिसने केन्द्रीय सेकन्ड्री शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा इसके तुल्य संस्था से भौतिकी, रासायणिकी, गणित और अंग्रेज़ी सहित इन विषयों से कुल अंकों में से कम से कम 50% से 10+2 की परीक्षा पास की हैं, बशर्तेकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों का परीक्षार्थी होने की सूरत में, जैसा कि सरकार ने आरक्षण के लाभ हित परिभाषित किया है, यह शर्त 45% अंकों की होगी, बशर्तेकि उन्होंने विनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। विदेशीय नागरिकों/एन. आर.आइ-पुष्ट/उद्योग-पुष्ट विद्यार्थियों को दाखिला यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित प्रतिमानों के अनुसार होगा।

(ख) दाखिला परीक्षण में योग्यता-कम दाखिले के लिए केवल एक मात्र आधार होगा, जिसमें एन.आर.आइ./एन.आर.आइ.-पुष्ट/उद्योग-पुष्ट प्रवर्ग के लिए परीक्षार्थियों का दाखिला भी सम्मिलित होगा। परन्तु विदेशीय नागरिकों का मुकाबला आपस में होगा जिसका आधार SAT अंक होंगे।

4. पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सिमेस्टरों की परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष नवंबर/दिसंबर के महीने में और दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सिमेस्टर की परीक्षाएं अप्रेल/मई के महीने में अथवा सिंडिकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होंगी। इसके इलावा, सातवें और आठवें सिमेस्टरों के लिए प्रत्येक वर्ष साधारणतया जुलाई/अगस्त महीने में अतिरिक्त परीक्षा ली जाएगी।

5. सिमेस्टर में अध्यापन की अनुसूची में दर्शाए विषय के प्रति सप्ताह प्रत्येक घंटे के लिए कम से कम दस (लेक्चर+टयुटोरियल) प्रेक्टिकल/ड्राइंग क्लासें होंगी।

विद्यार्थी परीक्षा देने के योग्य केवल तभी होगा यदि ऊपर दर्शाए गए अनुसार सिमेस्टर में वह प्रत्येक विषय में कुल क्लासों में से कम से कम 75% में हाज़िर रहता है। हाज़िरी संस्था के निर्देशक द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

6. जो परीक्षार्थी किसी विषय में हाज़िरी की शर्त पूरी नहीं करता, उसे उस विषय में अध्यापन कोर्स दोबारा करना पड़ेगा।

7. परीक्षार्थी को निम्नांकित में दाखिल होने की अनुमति दी जाएगीः

(i) दूसरा सिमेस्टर	बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार पहले सिमेस्टर में पढ़ाई का नियमित कोर्स पूरा कर लिया हो।
(ii) तीसरा सिमेस्टर	बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कमिक ढंग से पहले और दूसरे सिमेस्टरों में पढ़ाई का नियमित कोर्स पूरा कर लिया है।
(iii) चौथा सिमेस्टर	बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कमिक ढंग से पहले, दूसरे और तीसरे सिमेस्टरों में पढ़ाई का नियमित कोर्स पूरा कर लिया है।
(iv) पांचवां सिमेस्टर	बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कमिक ढंग से पहले, दूसरे,तीसरे और चौथे सिमेस्टरों में

पढ़ाई का नियमित कोर्स पूरा कर लिया है और पहले सिमेस्टर की परीक्षा पास कर ली हो।

(v) छठा सिमेस्टर — बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कमिक ढंग से पहले,दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें सिमेस्टरों में पढ़ाई का नियमित कोर्स पूरा कर लिया है और पहले और दूसरे सिमेस्टर की परीक्षाएं पास कर ली हों।

(vi) सातवां सिमेस्टर — बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कमिक ढंग से पहले, दूसरे, तीसरे,चौथे,पांचवें और छठे सिमेस्टरों में पढ़ाई का कोर्स पूरा कर लिया है और पहले, दूसरे और तीसरे सिमेस्टरों की परीक्षाएँ पास कर ली हों।

(vii) आठवां सिमेस्टर — बशर्तेकि उसने विनियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कमिक ढंग से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें सिमेस्टरों में पढ़ाई का कोर्स पूरा कर लिया है और पहले, दूसरे तीसरे और चौथे सिमेस्टरों की परीक्षाएं पास कर ली हों।

8.(क) सिमेस्टर के लिए निर्धारित नियमित पेपरों के अतिरिक्त, किसी विशेष सिमेस्टर में पहली बार परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी को निम्न सिमेस्टर/सिमेस्टरों के अधिक से अधिक 10 विषयों में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी जिनमें से 5 से अधिक सिद्धान्त पेपर और 5 से अधिक प्रेक्टिकल पेपर नहीं होने चाहिएं।

(ख) परीक्षार्थी को बी.ई.कोर्स के सभी विषयों को पास करना होगा, जहाँ 6 शैक्षिक वर्षो की अधिकतम अवधि में न्यूनतम पास अंक निर्धारित किए गए हैं। 6 शैक्षिक वर्षो को उस शैक्षिक सेशन से गिना जाएगा जिसमें

परीक्षार्थी को बी.ई. के पहले सिमेस्टर में दाखिल किया जाता है। यदि परीक्षार्थी छः वर्ष की अवधि में परीक्षा पास नहीं करता, उसकी उम्मेदवारी अपने आप रद्द हो जाएगी। छः शैक्षिक वर्षों की इस अवधि में वही सभी काल सम्मिलित होगा जिसमें उसने अपनी पढ़ाई को जारी न रखा हो अथवा वह परीक्षा में फेल हो गया हो अथवा उसको यूनिवर्सिटी द्वारा कोई परीक्षा देने से विसर्जित कर दिया हो।

9.(क) परीक्षार्थी को विषय में पास हुआ समझा जाएगा (सिद्धान्त और अन-सिद्धान्त के पेपर) यदि उसने विषय के कुल अंकों में से कम से 40% अंक प्राप्त किए हैं (अर्थात यूनिवर्सिटी परीक्षा में प्राप्त अंक+आंतरिक मूल्यांकन)। इसके अतिरिक्त, परीक्षार्थी के लिए यूनिवर्सिटी परीक्षा में से कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा। आंतरिक मूल्यांकन में किसी भी पास अंक की अपेक्षा नहीं होगी, परन्तु आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को उसी तरह जोड़ दिया जाएगा।

जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित किया गया है, परीक्षार्थी के लिए आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने ज़रूरी है।

(ख) परीक्षार्थी को प्रत्येक सिमेस्टर में कुल अंकों में से कम से 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं।

10. यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय में फेल हो जाता है, उसे केवल अगली परीक्षा में यूनिवर्सिटी परीक्षा में उस विषय की पुनःपरीक्षा देनी होगी। परन्तु आंतरिक मूल्यांकन में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. संबंधित अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आंतरिक मूल्यांकन की संस्था की कंट्रोल-बोर्ड द्वारा छानबीन की जाएगी जिसके पास अंकों को ठीक करने का अधिकार होगा, जिनको बाद में यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा।

12. प्रत्येक सिमेस्टर के लिए ब्योरेबार अंक-कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी को डिग्री के लिए निर्धारित सभी विषयों को पास करने पर बेचुलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की जाएगी।

13. श्रेणियाँ निम्नानुसार प्रदान की जाएंगी:

(क) जो कुल अंकों में से 70 प्रतिशत आनर्ज़ सहित पहली श्रेणी।

या अधिक अंक प्राप्त करते हैं – बशर्तेकि प्रत्येक विषय को पहली बार में ही पास किया हो(अर्थात पहली बार जब परीक्षार्थी वास्तव में यूनिवर्सिटी परीक्षा में उस विषय में बैठा हो)

(ख) जो कुल अंकों में से 60 प्रतिशत या अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं – पहली श्रेणी

(ग) जो कुल अंकों में से 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं – दूसरी श्रेणी

14. प्रत्येक सिमेस्टर की परीक्षा में अदा की जाने वाली फीस समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

परीक्षार्थी पुनःपरीक्षा देने के लिए सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निर्धारित दाखिला फीस देगा।

---

34. मास्टर ऑफ साइंस (ह्यूमन जीनोमिक्स) (सिमेस्टर पद्धति) के लिए विनियम यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में (2000 के दाखिलों से लागू)

1.1 एम.एस–सी.(ह्यूमन जीनोमिक्स) की डिग्री के लिए परीक्षा के अध्यापन कोर्स की अवधि दो वर्ष होगी जिसमें चार सिमेस्टर होंगे।

पहले सिमेस्टर और तीसरे सिमेस्टर की अवधि जुलाई से दिसंबर तक और दूसरे और चौथे सिमेस्टर की अवधि जनवरी से मई तक होगी। प्रत्येक सिमेस्टर के लिए अध्यापन काल कम से कम 16 सप्ताह तक का होगा। इसके पश्चात सिमेस्टर के अंत में परीक्षा होगी जो प्रत्येक सिमेस्टर में कम से कम 40 लेक्चरों के बाद ली जाएगी।

1.2 जिस परीक्षार्थी ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह एम.एस–सी.(ह्यूमन जीनोमिक्स कोर्स के पहले सिमेस्टर में दाखिल होने के योग्य होगा।

पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी/संस्था से शिक्षा के 10+2+3 पेटर्न के अंतर्गत कम से कम 55% अंकों सहित भौतिक, रासायणिक, जीववैज्ञानिक और फार्मास्यूटिकल साइंसिज़ में बेचुलर डिग्री।

1.3 दाखिले की विधि समय समय अनुसार सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

2. परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक सिमेस्टर के लिए अदा की जाने वाली दाखिला फीस और कोर्स की फीस–संरचना को समय समय पर सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

3. परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा ।

4.1 प्रत्येक सिद्धान्त पेपर/कोर्स के लिए एक–एक घंटे की अवधि के प्रति सप्ताह 4 लेक्चर (जिसमें ट्यूटोरियल भी शामिल होंगे) दिए जाएंगे। ट्युटोरियलों में परीक्षण–प्रश्नों और लेक्चरों से संबंधित असाइन्मेंटस इत्यादि की समस्या हल करने की चर्चा के काम में विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहभागिता सम्मिलित होगी।

4.2 प्रत्येक कोर्स एक विशिष्ट अस्तित्व होगा और विद्यार्थी को अंतिम डिग्री प्रदान करने के लिए प्रत्येक कोर्स/पेपर का पास करना अनिवार्य होगा।

4.3 कोर्स के लिए नियत अध्यापक कोर्स का अपेक्षित मयार बरकरार रखने और विद्यार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

एक कोर्स के लिए एक से अधिक अध्यापक होने की सूरत में एक अध्यापक को इन्चार्ज मनोनीत किया जाएगा जो कोर्स के अध्यापन और मूल्यांकन में तालमेल रखेगा।

4.4 प्रयोगशाला कोर्स के लिए अध्यापकों/प्रशिक्षकों की टीम होगी जिसका एक अध्यापक इन्चार्ज होगा।

5. एम.एस–सी.(ह्यूमन जीनोमिक्स) में पाठ्यविवरण और पाठ्यक्रम को समर्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

6. (i) प्रत्येक सिमेस्टर के लिए अंकों/क्रेडिटों की कुल संख्या, सिद्धान्त और प्रेक्टिकल पेपरों की संख्या, प्रत्येक पेपर के लिए नियत अंक/क्रेडिट, पढ़ाई का पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण समय समय अनुसार परामर्ष समिति/कंट्रोल–बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और समर्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) सिद्धान्त के सभी पेपरों के लिए मूल्यांकन संपूर्ण तौर पर आंतरिक होगा। प्रयोगशाला कोर्स में दो परीक्षक होंगे, और उनमें से कम से कम एक आंतरिक होगा।

(iii) सिद्धान्त पेपर में कुल अंकों में से 25% अंक सिमेस्टर के दौरान में मूल्यांकन के लिए और 75% अंक अंतिम सिमेस्टर परीक्षा के लिए रखे जाएंगे।

(iv) सिद्धान्त पेपर में सिमेस्टर में लिए परीक्षणों की उत्तर–पुस्तिकाएं विद्यार्थियों के हस्ताक्षर लेकर उनको वापिस कर दी जाएंगी और सिमेस्टर के अंत में ली परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाएं विद्यार्थियों के देखने के लिए केन्द्र के समन्वयक/अध्यापक द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होगी।

(v) विभागीय परिवीक्षण समिति जिसमें अध्यक्ष(समन्वयक)और दो अध्यापक होंगे सिमेस्टर के अंत में हुई परीक्षा के ग्रेडों/अंकों में किसी प्रकार के विवाद को रिवियू करेंगे। इस समिति का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।

(vi) प्रयोगशाला कोर्स में, 50% अंक सिमेस्टर मध्य मूल्यांकन के लिए होंगे जो निम्नलिखित पर निर्भर होंगे:

(क) प्रयोग करते समय विद्यार्थी की कुशलता

(ख) प्रयोगों पर मौखिक परीक्षा

(ग) प्रयोगों पर लिखित रिपोर्ट, और

(घ) विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सेमिनार।

जो विद्यार्थी किसी भी कोर्स/पेपर/प्रेक्टिकल की हाज़िरी शर्तों को पूरा नहीं करता, उसको उस कोर्स/पेपर में अध्यापन के इस कोर्स को अगली परीक्षा में दोबारा देना पड़ेगा।

(vii) प्रेक्टिकल परीक्षा प्रत्येक सिमेस्टर के अंत में ली जाएगी। इसके लिए प्रयोगशाल कोर्स के बकाया 50% अंक होंगे। कोर्स का/के समन्यक/अध्यापक प्रेक्टिकल परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षक होंगे।

(viii) सिद्धान्त और प्रेक्टिकल में आंतरिक मूल्यांकन, केन्द्र द्वारा अंतिम सिमेस्टर परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा–कंट्रोलर को भेजे जाएंगे।

7. एम.एस–सी.(ह्यूमन जीनोमिक्स)परीक्षा का प्रत्येक परीक्षार्थी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा और विभाग के अध्यक्ष के ज़रिये निम्नलिखित प्रमाणपत्रों सहित सूचित करेगाः

(i) सदाचरण का;

(ii) परीक्षा से पहले सिमेस्टर में (ह्यूमन जीनोमिक्स) केन्द्र में हाज़िर रहने का;

(iii) प्रत्येक कोर्स में लेक्चरों और प्रेक्टिकलों की कुल संख्या में से अलग अलग तौर पर कम से कम 75% में हाज़िर रहने का। कोर्स का मतलब है सिद्धान्त अथवा प्रेक्टिकल में पेपर।

(iv) शोध–निबन्ध की सूरत में निरीक्षक से विभाग के अध्यक्ष द्वारा पृष्ठांकित प्रमाणपत्र कि परीक्षार्थी के शोध–कार्य पर वह संतुष्ट है।

परामर्श समिति/कंट्रोल–बोर्ड सिद्धान्त अथवा प्रेक्टिकल के प्रत्येक कोर्स में लेक्चरों और प्रेक्टिकलों की 10% तक की कमी को माफ कर सकता है।

8. विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए सिद्धान्त/प्रयोगशाला के प्रत्येक कोर्स में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने और प्रत्येक सिमेस्टर के सभी कोर्सों (सिद्धान्त और प्रेक्टिकल) में से कम से कम 50% समूचे कुल अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।

सभी चार सिमेस्टर परीक्षाओं के सफल परीक्षार्थियों का श्रेणियों में वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:

75% और अधिक, बशर्तेकि परीक्षार्थी ने सिमेस्टर-अंत की सभी परीक्षाएं पहली बार में पास की हैं	वैशिष्टय सहित पहली श्रेणी
जो कुल अंकों में से 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करते हैं	पहली श्रेणी
जो कुल अंकों में से 50% या अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं	दूसरी श्रेणी और पास

सिमेस्टर-अंत की परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह पश्चात अथवा जितनी जल्दी संभव हो, परीक्षा-कंट्रोलर सफल परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा।

9.1 यदि कोई विद्यार्थी सिद्धान्त/प्रेक्टिकल कोर्स में पास अंक प्राप्त करने के असमर्थ रहता है अथवा वह किसी सिमेस्टर में सिमेस्टर-अंत परीक्षा नहीं दे पाया, उसे उस कोर्स में पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी रि-अपियर परीक्षाएँ नियमित कक्षाओं के प्रत्येक सिमेस्टर के परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद ली जाएंगी।

9.2 यदि कोई विद्यार्थी एक सिमेस्टर में सिमेस्टर-अंत की अथवा रि-अपियर परीक्षा में कुल केडिटों के 50% से अधिक में फेल हो जाता है, उसे अगले सिमेस्टर में कक्षोन्नत नहीं किया जाएगा और उसे उसी सिमेस्टर में दोबारा दाखिला लेना पड़ेगा।

9.3 एम.एस-सी.(ह्यूमन जीनोमिक्स)प्रोग्राम में दोबारा दाखिले की सुविधा एक वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती अर्थात एम.एस-सी.(ह्यूमन जीनोमिक्स)प्रोग्राम को पूरा करने की समय सीमा इस प्रोग्राम में उसे दाखिल होने से तीन साल की है। यदि विद्यार्थी तीन वर्षों में सभी कोर्सों में पास होने में असमर्थ रहता है, उसे एम.एस-सी.प्रोगाम को छोड़ना पड़ेगा और उसी प्रोग्राम में उसे दोबारा दाखिल नहीं किया जाएगा।

10. परामर्श समिति/कंट्रोल-बोर्ड एम.एस-सी. (ह्यूमन जीनोमिक्स)प्रोग्राम के सभी पहलुओं को कार्यान्वित करने में उपयुक्त कदम उठाएगी जिसमें अध्यापन और मूल्यांकन, परीक्षाओं का संचालन, सेमिनार, प्रोजेक्ट और परिणामों की घोषणा इत्यादि की समय अनुसूची सम्मिलित होगी।

---

35. मास्टर ऑफ साइंस(पर्यावरण) के लिए विनियम यूनिवर्सिटी निकायों/भारत सरकार की मंजूरी/भारत सरकार की गज़ट में प्रकाशन की प्रत्याशा में (2002 के दाखिलों से लागू)।

1 (i) इस कोर्स के 4 सिमेस्टर होंगे(दो–वर्ष)। पहला और तीसरा सिमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक होगा और दूसरा कमशः जनवरी से जून तक अथवा जैसा कुलपति निर्णय ले। प्रत्येक सिमेस्टर के लिए अध्यापन काल कम से कम 16 सप्ताह का होगा और इसके बाद सिमेस्टर परीक्षाओं से पूर्व अधिक से अधिक एक सप्ताह की तैयारी–छुट्टियां होंगी।

(ii) प्रत्येक सिमेस्टर के अंत में केवल उस सिमेस्टर में करवाए कोर्सों के लिए अंतिम परीक्षा होगी।

(iii) जो विद्यार्थी किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सकता अथवा किसी सिमेस्टर में किसी पेपर/पेपरों में फेल हो जाता है, वह अगले वर्ष के बैच के नियमित विद्यार्थियों की संबंधित परीक्षा(परीक्षाओं)के साथ परीक्षा देने के योग्य होगा। किसी भी हालत में यूनिवर्सिटी ऐसे फेल हुए विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी।

2. परीक्षा देने के योग्य होने के लिए, परीक्षार्थी को यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार संबंधित पेपर/कोर्स में लेक्चरों की न्यूनतम संख्या में हाजिर होना पड़ेगा।

3. पर्यावरण साइंस में साइंस फेकल्टी की पोस्ट–ग्रेजुएट(मास्टरज़) डिग्री अर्थात एम.एस–सी.(पर्यावरण) प्रदान करने की अर्हता प्राप्त करने के लिए, परीक्षार्थी को इस कोर्स के काम को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा और कुल अंकों में कम से कम 50% और प्रत्येक कोर्स(सिद्धान्त और प्रेक्टिकल) में अलग अलग तौर पर 40% अंक प्राप्त करने होंगे।

4. कोर्स के एक क्रेडिट में सामान्यतया ट्युटोरियल/सेमिनारों सहित 4 घंटे का अध्यापन शामिल होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट/शोध–निबन्ध इत्यादि के लिए दिए जाने वाले क्रेडिटों का निर्णय कंट्रोल–बोर्ड/विद्या समिति लेगी।

5. एक सिमेस्टर में विद्यार्थी का सामान्य कार्य–भार प्रत्येक पेपर में 20 क्रेडिट होगा और प्रत्येक सिमेस्टर में 4 पेपर होंगे।

6. परीक्षणों, पाठ्यकम और पाठ–कोर्सों की रूपरेखा को पहले ही बता दिया जाएगा।

7. किसी विशेष कोर्स में क्रेडिट प्रदान करने की अर्हता प्राप्त करने के लिए, परीक्षार्थी को कम से कम पास अंक तो प्राप्त करने चाहिएं। यदि परीक्षार्थी कोर्स में फेल हो जाता है अथवा परीक्षा नहीं देता, उसे इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसे नियमित विद्यार्थी के तौर पर अगली बार उसी कोर्स को दोबारा करना पड़ेगा जिसमें वह फेल हुआ था अथवा परीक्षा नहीं दे सका था, अथवा वह बिना क्लासों में हाज़िर हुए प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा दे सकता है बशर्तेकि वह हाज़िरी की धारा को पूरा करता हो।

8. प्रत्येक कोर्स का मूल्यांकन प्रत्येक सिमेस्टर के अंत में यूनिवर्सिटी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी परीक्षा समय समय पर समर्थ निकाय द्वारा अनुमोदित परीक्षण, पाठ्यक्रम और पाठ्य-कोर्सों की रूपरेखा के अनुसार होगी।

9. यूनिवर्सिटी प्रत्येक परीक्षार्थी की अलग अधिकृत प्रतिलिपि रखेगी जिसमें लिए गए कोर्स, प्रत्येक कोर्स का क्रेडिट मूल्य और प्राप्त अंकों का उल्लेख किया जाएगा।

10. पंजाब यूनिवर्सिटी अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा इसके तुल्य मान्यताप्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भूगोल में आनर्ज़ सहित साइंस/इंजीनीयरिंग स्ट्रीम अथवा किसी अन्य स्ट्रीम से ग्रेजुएट इस कोर्स में दाखिले के योग्य होगा।

11. प्रत्येक सिमेस्टर की परीक्षा वह परीक्षार्थी दे सकेगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर के विनियम 11.1 और 11.2 में निर्धारित योग्यता की शर्तों को पूरा करता है और कंट्रोल-बोर्ड/विद्या समिति के अध्यक्ष/कन्वीनर से निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है:

(क) कि परीक्षा से पहले सिमेस्टर में वह विभाग/केन्द्र में हाज़िर रहा है।

(ख) यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार लेक्चरों की निर्धारित संख्या में वह हाज़िर रहा है।

12. यदि कोई लेक्चरों में न्यूनता है, उसकी माफी पर केवल उस समय प्रचलित यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

13. जो विद्यार्थी किसी पेपर के लिए किसी कारणवश हाज़िरी की शर्तें पूरा नहीं करता, उसे अगली बार परीक्षा देते समय उस पेपर में अध्यापन को दोहराना पड़ेगा।

4. विद्यार्थी प्रत्येक सिमेस्टर के लिए अपना परीक्षा फार्म समय समय पर यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित परीक्षा से छः सप्ताह पहले लेट फीस के बिना और चार सप्ताह पहले लेट फीस सहित कंट्रोल–बोर्ड के अध्यक्ष/विद्या समिति के कन्वीनर के ज़रिये परीक्षा–कंट्रोलर को प्रस्तुत करेगा।

15. विद्यार्थी पहली बार या बार बार परीक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर निर्धारित परीक्षा फीस की राशि अदा करेगा।

16. अध्यापन और परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होगा।

17. सफल परीक्षार्थियों को कुल अंकों में से निम्नलिखित प्राप्त अंकों के आधार पर तीन कोटियों में विभाजित किया जाएगाः (क)वैशिष्टयः 75% अंकों से अधिक; (ख)पहली श्रेणीः 60% और 75% के बीच; और (ग)दूसरी श्रेणीः 50 और 60% के बीच ।

18. मूल्यांकन पद्धति में पारदर्शता बरकरार रखने के लिए, परीक्षार्थियों को उनकी संबंधित उत्तर–पुस्तिकाएं दिखाकर हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं।

19. प्रत्येक सिमेस्टर में प्रत्येक पेपर(सेमिनार/आवधिक पेपर/प्रोजेक्ट के इलावा) के लिए, विद्यार्थी के दो पूर्व–सूचित परीक्षण लिए जाएंगे जिनमें प्रत्येक की 4% भारिता होगी और 6 अप्रत्याशित (पूर्व–सूचना के बिना)परीक्षण लिए जाएंगे जिनमें प्रत्येक की 3% भारिता होगी। 6 अप्रत्याशित परीक्षणों में से 4 सर्वोतम किए परीक्षणों को अंतिम आंतरिक/निरंतर मूल्यांकन के लिए विचाराधीन लाया जाएगा। पूर्व–सूचित और अप्रत्याशित परीक्षण के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन में प्रत्येक पेपर में कुल अधिकतम अंकों के 20% अंक सम्मिलित होंगे। प्रोजेक्टों और सेमिनार के लिए कोई आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा।

20. आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को अंतिम अंक–सूची में अलग तौर पर दर्शाया जाएगा।

21. परीक्षार्थी की हाज़िरी को भी सिमेस्टर के अंत में विद्यार्थी को दी जाने वाली अंतिम अंक सूची में दर्शाया जाएगा।

22. विद्यार्थियों को सिमेस्टर के लिए परीक्षा फीस यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर निर्धारित निश्चित दरों पर अदा करनी पड़ेगी।

23. आंतरिक परीक्षक प्रेक्टिकल परीक्षा लेंगे जबकि बाहरी परीक्षक सिद्धान्त पेपरों के पेपर-सॅटर और मूल्यांकनकर्ता होंगे।

24. दाखिला लिखित परीक्षण (5% भारिता) और शैक्षिक केरियर (50% भारिता जिसकी अलग अलग भारिता इस प्रकार होगी: X श्रेणी: 10% और ग्रेजुएशन: 30%) के आधार पर होगा।

25. यूनिवर्सिटी लिखित परीक्षण लेगी जिसमें वैज्ञानिक जागरूकता के इलावा विज्ञान के विभिन्न अनुशासन सम्मिलित होंगे।

26. दाखिला/प्रवेश परीक्षण के लिए फीस युनिवर्सिटी के समय समय पर किए फैसले के अनुसार वसूल की जाएगी।

27. विद्यार्थी के अधिकतम प्रवेश का निर्णय युनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर लिए फैसले के अनुसार होगा।

चंडीगढ़

दिनांक 19.6.2004

(एच. सी. मल्होत्रा)

संयुक्त रजिस्ट्रार

मेरी उपस्थिति में आज 19.6.2004 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य मुहर द्वारा मुहरबंद।

(परमजीत सिंह)

रजिस्ट्रार

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

अधिसूचना संख्या 7-2004 जी.आर.

भारत सरकार, नई दिल्ली के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक एफ. 2-6/2000-डेस्क (यू-I) के द्वारा निम्नलिखित विनियमों को अनुमोदित कर दिया है:-

1. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली खंड-I, 1994 ई. के अध्याय-II (ए) 'वित्त' के पृष्ठ 43 पर दिया गया विनियम 1.1.

1.1. वित्त-मंडल (बोर्ड ऑफ फाइनेंस) का प्रावधान है, जिसका प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक गठन कर दिया जाएगा। इसका कार्यकाल 1 फरवरी से आगामी वर्ष की 31 जनवरी तक रहेगा। इसका गठन इनसे होगा:-

(i) से (iv) XXX XXX XXX

(v) दो नामित व्यक्ति होंगे- इनमें से एक पंजाब सरकार तथा दूसरा चंडीगढ़ प्रशासन से होगा; तथा

XXX XXX XXX

2. पंजाब यूनिवर्सिटी की विनियमावली, खंड-I, 1994 ई. अध्याय-II (vi) 'अध्ययन मंडल' से संबंधित पृष्ठ 65 पर दिया गया विनियम

4. निम्नलिखित विषयों में 'अध्ययन-मंडल' (बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़) तथा उनके संयोजक सिंडीकेट के द्वारा नामित किए जाएंगे:

(i) से (XLIV) XXX XXX XXX

(XLV) कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग का स्नातकीय अध्ययन-मंडल

(XLVI) कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग का स्नातकोत्तर अध्ययन-मंडल

3. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, भाग II , 1995 ई. के पृष्ठ 262 पर दिए गए मास्टर ऑफ आर्ट्स (शारीरिक शिक्षा) से संबंधित विनियम 2.1.

2.1 एम.पी.एड. भाग I में ऐसा व्यक्ति प्रवेश ले सकेगा, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों :

(i) पंजाब विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक उपाधि या पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसके समकक्ष स्वीकृत कोई अन्य उपाधि, जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांक हों

(ii) हटा दिया गया तथा

(iii) हटा दिया गया

(iv) पंजाब विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए हों, बशर्ते अभ्यर्थी एक श्रेष्ठ खिलाड़ी हो तथा उसने अंतर-विश्वविद्यालयीय (क्षेत्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय) अथवा अंतर-प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, जैसा कि ए.आई.यू. की विनियमावली/अंतर-राष्ट्रीय स्पर्धाओं के प्रावधान के अनुरूप हो/भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित हो

(v) हटा दिया गया

4. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली खंड II , 1995 ई. के पृष्ठ 387-394 तथा 423-431 पर संदर्भतः दिए गए, आयुर्विज्ञान के संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा डिप्लोमा से संबंधित विनियम

4.1 परीक्षाओं में निम्नलिखित विषय-समूह होंगे:

समूह-ए (चिकित्सापरक विषय)

1. सामान्य ओषधि
2. क्षय तथा श्वास-परक रोग
3. आब्सटेट्रिक्स तथा प्रसूतिविज्ञान
4. पेडियाट्रिक्स
5. रेडियो-डायग्नॉसिस
6. समुदाय-ओषधि
7. सायकियाट्री
8. डर्मेटोलोजी, वेनेरेलोजी तथा कुष्ठ
9. एनेस्थेसियोलोजी
10. शारीरिक ओषधि तथा रिहेबिलिटेशन

समूह बी (प्राथमिक विषय)

1. फिज़ियोलोजी
2. फार्माकोलोजी
3. पेथोलोजी
4. मायक्रोबॉयोलोजी
5. बॉयोकेमेस्ट्री
6. बॉयोफिज़िक्स

4.2 परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय-समूह निर्धारित हैं:

समूह-ए (चिकित्सापरक विषय)

1. सामान्य शल्य-चिकित्सा
2. ओफथलमोलोजी
3. ई.एन.टी.
4. आर्थोपेडीक्स

समूह-बी (गैर-चिकित्सापरक विषय)

1. एनॉटॉमी

डिप्लोमा (I) लैरिंगोलोजी ऐंड ओटोलोजी (डी.एल.ओ.)

(II) ऑफथलमोलोजी (डी.ओ.)

(III) मेडिकल रेडियो डायग्नॉसिस (डी.एम.-आर.डी.)

(IV) मेडिकल रेडियोथिरैपी (डी.एम.आर.डी.)

1. डिप्लोमा इन लैरिंगोलोजी ऐंड ओटोलोजी (डी.एल.ओ.)
2. डिप्लोमा इन ऑफथमोलोजी (डी.ओ.)
3. डिप्लोमा इन मेडिसिन रेडियो डायग्नॉसिस (डी.एम.आर.डी.)
4. डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोथिरैपी (डी.एम.आर.टी.)

एम.सी.-एच. (प्लास्टिक सर्जरी)

5. भारत सरकार के अनुमोदन/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में एम.एस-सी. (एनॉटामी) का विनियम, जो 1998 ई. के प्रवेशों में प्रभावी होगा

1. मास्टर ऑफ साइंस (एनॉटॉमी) के पाठ्यक्रम की अवधि दो अकादमिक वर्षों की होगी। प्रत्येक वर्ष दो खंडों में विभाजित रहेगा। प्रथम भाग (द्वितीय समस्तर) की परीक्षा तथा द्वितीय भाग (चतुर्थ समस्तर) की परीक्षा सामान्यत: मई/जून के मास में होगी।

2. प्रवेश के फार्म तथा शुल्क स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि का निर्धारण सिंडीकेट और उसकी घोषणा परीक्षा-नियंत्रक करेगा।

3. पूरक-परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर के महीने में ली जाएगी।

4. वही अभ्यर्थी भाग-I की परीक्षा दे सकेगा, जो विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:

अभ्यर्थी कम से कम उपस्थित रहा है-

(अ) इस पूरे पाठ्यवृत्त में प्रत्येक प्रश्नपत्र में दिए गए व्याख्यानों (जिनकी गणना परीक्षा प्रारम्भ होने से एक महीने पूर्व की तिथि से होगी) में 80 प्रतिशत।

(आ) पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्येक प्रायोगिक कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत।

5. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी। परीक्षा संबंधित संकाय के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

6. आन्तरिक मूल्यांकन के लिए 10 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे, जिनमें से 50 प्रतिशत अंक सैद्धांतिक परीक्षा तथा 50 प्रतिशत अंक प्रायोगिक परीक्षा के लिए दोनों भाग I तथा भाग II की परीक्षाओं के लिए निर्धारित रहेंगे।

7.1 शोध प्रबंध के स्थान पर अभ्यर्थी अपना प्रकाशित शोधपत्र/ शोधपत्रों को प्रस्तुत कर सकता है।

यदि किसी अभ्यर्थी ने एम.एस-सी./पी-एच.डी. नृतत्त्वशास्त्र/जीवविज्ञान/ मानव प्राणिविज्ञान की परीक्षा को उत्तीर्ण करते समय पूर्वत: शोध प्रबंध लिख रखा है, तो उसको शोधप्रबंध को पुन: लिखने से मुक्त माना जाएगा।

7.2 शोध प्रबंध/प्रकाशित शोध-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन स्वीकृत या अस्वीकृत के रूप में होगा। इसमें अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. भाग I तथा भाग II में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे। भाग II की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए शोध प्रबंध/शोध-पत्र (पत्रों) की स्वीकृति की अनिवार्यता होगी।

9. भाग II की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को पुन: शोधप्रबंध की परीक्षणार्थ प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी।

10. निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी भाग I या भाग II में अनुत्तीर्ण रह जाता है या परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसे विश्वविद्यालय में पुन: उस पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, उसके उपरान्त ही उसे पूरक परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा नहीं दे सकेगा। यदि कोई विद्यार्थी भाग I में प्रवेश लेने के तीन साल के अन्दर इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो वह एम.एस.-सी. (एनॉटॉमी) का पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकेगा।

11. परीक्षा के उपरान्त परीक्षा-नियंत्रक यथासंभव शीघ्र से शीघ्र परीक्षा-परिणाम की घोषणा कर देगा।

12. जो विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किये जाएंगे, उनका वर्गीकरण इस रूप में होगा:

(क) भाग I तथा भाग II के कुल अंकों में से 75 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त करने वाले	: प्रथम श्रेणी आनर्स के साथ
(ख) 60 प्रतिशत से अधिक किंतु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले	: प्रथम श्रेणी
(ग) 50 प्रतिशत अधिक किंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले	: द्वितीय श्रेणी

13. भाग I की परीक्षा देने की अनुमति उसी विद्यार्थी को होगी, जो विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा:

(अ) कि इस विद्यार्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी-एस.सी. (एनॉटॉमी, फिज़ियोलोजी तथा बॉयोकेमिस्ट्री) की परीक्षा 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ (या उसके समकक्ष की कोई अन्य परीक्षा, जो विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त हो) या एम.एस-सी. परीक्षा फ़िज़िकल एंथ्रोपोलोजी/जीव विज्ञान/मानव प्राणिविज्ञान विषय में कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण कर ली है और यह विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(आ) कि (क) यह विद्यार्थी इस प्राठ्यक्रम में प्रत्येक प्रश्नपत्र में दिए गए कुल व्याख्यानों में से कम से कम 80 प्रतिशत व्याख्यानों में उपस्थित रहा है (व्याख्यानों की गणना परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक महीने पूर्व की तिथि से होगी) : तथा (ख) पाठ्यवृत्त में निर्धारित प्रायोगिक कक्षाओं में से प्रत्येक कक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत इसकी उपस्थिति रही है।

6. एम. एस-सी. (आनर्स स्कूल) का रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषयों में, भौतिक विज्ञान (समस्तर पद्धति) के (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम से संबंधित विनियम, जो 1999 ई. के प्रवेशों से प्रभावी माना जाएगा

1. प्रवेश :

(अ) एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल) कार्यक्रम में वही व्यक्ति प्रवेश पाने का अधिकारी होगा, जिसने संबद्ध विषय में बी.एस-सी. (आनर्स स्कूल) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(आ) एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल)/ एम.एस-सी. पाठ्यक्रम में वही अभ्यर्थी प्रवेश पा सकेगा, जिसने बी.एस-सी./बी.एस-सी. (आनर्स) परीक्षा संबद्ध विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली हो।

(इ) प्रवेश के लिए वे नियम लागू होंगे, जिनको नियंत्रण मंडल (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) ने समय-समय पर बनाया होगा।

2. पाठ्यक्रम की अवधि :

(अ) एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल)/ एम.एस-सी. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होगी, जिनमें दो-दो समस्तर होंगे।

(आ) सम्बद्ध अकादमिक वर्ष में पहले तथा तीसरे समस्तर की अवधि अगस्त से दिसंबर की परीक्षांत तक, तथा दूसरे व चौथे समस्तर की अवधि जनवरी से मई की परीक्षांत तक की होगी।

(इ) प्रत्येक समस्तर के अंत में परीक्षा होगी, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र/कोर्स के 36 व्याख्यानों के बाद होगी।

3. शिक्षण :

(अ) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र कोर्स में प्रत्येक सप्ताह 3-4 व्याख्यान (ट्यूटोरियल सहित) होंगे। ट्यूटोरियल में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रहेगी, जो समस्या के समाधान के प्रयत्न, बातचीत, प्रश्न तथा प्रदत्त कार्य आदि के रूप में होगी।

(आ) प्रत्येक कोर्स के उचित स्तर को बनाए रखने का दायित्व उस कोर्स के अध्यापक का होगा। साथ ही विद्यार्थियों की निष्पादन-क्षमता के मूल्यांकन का दायित्व भी उसी अध्यापक का होगा। प्रत्येक कोर्स एक स्वतंत्र इकाई होगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक कोर्स को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, तभी उसे उपाधि मिल सकेगी।

(इ) एक कोर्स के लिए एक से अधिक अध्यापक के नियत होने की दशा में, एक अध्यापक को 'प्रभारी अध्यापक' पदनाम दिया जाएगा, जो अध्यापन तथा मूल्यांकन में समन्वय करेगा।

(ई) प्रयोगशाला से संबंधित कोर्स में अध्यापकों/निर्देशकों का एक दल गठित होगा, जिसमें एक 'प्रभारी अध्यापक' होगा।

(उ) एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल)/एम.एस-सी. की परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से निम्नलिखित प्रमाणपत्रों से संयुक्त करते हुए भेजेगा :

(i) (क) कि उसका चरित्र अच्छा है;

(ख) कि परीक्षा से पूर्व चलने वाले समस्तर में वह विश्वविद्यालय के विभाग संबद्ध महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी रहा है;

(ii) कि वह प्रत्येक प्रश्नपत्र / कोर्स में दिए गए व्याख्यानों में से प्रत्येक व्याख्यान में पृथक-पृथक रूप में कम से कम 66 प्रतिशत व्याख्यानों में उपस्थित रहा है।

(प्रश्नपत्र कोर्स से अभिप्राय सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र तथा प्रायोगिक कक्षा दोनों से है।)

(iii) लघु शोध प्रबंध के मामले में, इस आशय का शोध प्रबंध के निर्देशक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि अभ्यर्थी ने जो कार्य किया है, वह उससे संतुष्ट है। इस प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित विभागाध्यक्ष/चेयरपर्सन करेगा।

बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अभ्यर्थी की उपस्थिति में कमी को, प्रत्येक कोर्स में (सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक) 10 प्रतिशत तक क्षमा कर दे।

4 मूल्यांकन:

(अ) नियंत्रण-मंडल (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) प्रत्येक समस्तर के लिए कुल अंकों/क्रेडिटों का, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक प्रश्नपत्रों की कुल संख्या का, प्रत्येक प्रश्नपत्र/कोर्स के लिए नियत कुल अंकों का तथा पाठ्यवृत्त एवं पाठ्यक्रम का समय-समय पर निर्धारण करेगा।

(आ) सभी सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन पूरी तहर से आंतरिक होगा। प्रयोगशाला-परक प्रश्नोंपत्रों/कोर्सों के लिए मूल्यांकन आंतरिक भी हो सकता है और किसी बाह्य परीक्षक के द्वारा भी कराया जा सकता है।

(इ) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/कोर्स में कुल अंकों के 25 प्रतिशत अंक समस्तर के दौरान किए गए मूल्यांकन के लिए, तथा 75 प्रतिशत अंक समस्तर की समाप्ति पर ली गई परीक्षा के लिए नियत रहेंगे।

(ई) सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/कोर्स में समस्तर के दौरान ली गई परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को लौटा दी जाएंगी, तथा समस्तर की समाप्ति पर ली गई परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को विभाग/अध्यापक के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार केवल देखने को ही दी जाएंगी।

(उ) प्रयोगशाला-परक प्रश्नपत्र/कोर्स में 50 प्रतिशत अंक समस्तर के दौरान के मूल्यांकन के लिए नियत होंगे, जो निम्नलिखित आधारों पर दिए जाएंगे:

(i) प्रयोगों को करते समय विद्यार्थियों की कुशलता

(ii) प्रयोगों पर आधारित मौखिक परीक्षा

(iii) प्रयोगों के विषय में लिखित प्रतिवेदन; तथा

(iv) विद्यार्थी के द्वारा परिसंवाद (सेमिनार)

परीक्षा को प्रत्येक समस्तर की समाप्ति पर अथवा अकादमिक वर्ष की समाप्ति पर नियत किया जा सकता है। प्रयोगशाला-परक परीक्षा से बचे हुए 50 प्रतिशत अंक इसके लिए नियत रहेंगे। इसमें एक या दो आन्तरिक परीक्षकों के साथ-साथ एक बाह्य परीक्षक भी रहेगा। यदि बाह्य परीक्षक उपलब्ध न हो, तो विभाग से किसी अन्य परीक्षक को नियत कर दिया जाएगा।

यदि 'नियंत्रण-मंडल' (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) चाहे तो प्रयोगशाला-परक प्रश्नपत्रों/कोर्सों के लिए समस्तर के दौरान के मूल्यांकन के लिए पूरे के पूरे 100 प्रतिशत अंक भी नियत कर सकता है।

(ऊ) उत्तीर्णांक :

प्रत्येक समस्तर में प्रत्येक सैद्धांतिक/प्रयोगशाला-परक प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

5. पुनर्परीक्षा :

(अ) यदि कोई विद्यार्थी किसी सैद्धांतिक/प्रायोगिक प्रश्नपत्र में उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाता है, या किसी समस्तर में समस्तर के अंत वाली परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसे वह परीक्षा फिर से देनी होगी। सभी ऐसी पुनर्परीक्षाएँ ग्रीष्मावकाश के तुरंत बाद तथा नियमित रूप से कक्षाओं के प्रारम्भ होने के पहले ली जाएंगी।

(आ) यदि कोई विद्यार्थी कुल क्रेडिटों, जो संबद्ध वर्ष के दोनों समस्तरों के होंगे, में से 50 प्रतिशत में पुनर्परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे अगली कक्षा में जाने की अनुमति नहीं होगी और उसे आगामी अकादमिक सत्र में फिर से उसकी कक्षा में प्रवेश लेना होगा।

(इ) एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल)/एम.एस-सी. के पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश की सुविधा एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी अर्थात् एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल)/एम.एस-सी. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अवधि तीन वर्ष की है, जो किसी विद्यार्थी के पहले प्रवेश से आरम्भ होगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्षों में सभी कोर्सों को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसको यह एम.एस-सी. (आनर्स स्कूल)/एम.एस-सी. पाठ्यक्रम छोड़ना पड़ेगा और इसमें उसे पुनः प्रवेश पाने की अनुमति नहीं होगी।

6. 'नियंत्रण-मंडल' (बोर्ड आफ कंट्रोल) एम.एस-सी. कार्यक्रम के सभी आयामों को ठीक तरह से कार्यान्वित कराएगा, जिनमें शिक्षण की कालावधि की व्यवस्था, मूल्यांकन, परीक्षा लेना, सेमिनार, परियोजना आदि सम्मिलित हैं।

7. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड- II, 1995 ई. के पृष्ठ 347 पर दिए गए 'बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग' शीर्षक में परिवर्तन

ऐरोनॉटिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन, मेकैनिकल, मेटालार्जिकल, प्रोडक्शन, कम्प्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल तथा ऐग्रो प्रॉसेसिंग टेकनॉलाजी में बेचलर आफ इंजीनियरिंग

8. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड- II, 1995 ई. के पृष्ठ 51 पर दिए गए बी.ए./बी.एस-सी. (सामान्य तथा आनर्स) से संबंधित विनियम संख्या-12

12. अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अपना आवेदन निर्धारित फार्म पर निम्नलिखित अधिकारियों के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा:

(I) कॉलेज का प्रधानाचार्य	यदि अभ्यर्थी किसी संबद्ध कॉलेज का विद्यार्थी हो

(II) अंतिम रूप में जहाँ पढ़ा हो, उस कॉलेज का प्रधानाचार्य	यदि अभ्यर्थी पहले कॉलेज में पढ़ता रहा हो और अब नहीं पढ़ता हो

परीक्षा-नियंत्रक किसी कॉलेज के प्रधानाचार्य को,किसी वरिष्ठ प्राध्यापक को विद्यार्थी के परीक्षा-फार्म को प्रमाणित करने के लिए नामित करने का अधिकार दे सकता है, यदि उस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 800 से अधिक हो।

(III) व्यक्तिगत परीक्षार्थी माने जाने के लिए

(IV) यदि सभी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए, जिसमें उपर्युक्त क्रमांक (III) सम्मिलित है:

(क) राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाध्यापक

अथवा

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के प्रधानाचार्य, जिनमें व्यावसायिक कॉलेज सम्मिलित हैं

अथवा

(ग) पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापन-विभागों का विभागाध्यक्ष

अथवा

(घ) जनपदीय शिक्षा अधिकारी या सर्किल शिक्षा अधिकारी

अथवा

(ड़) दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा-नियंत्रक द्वारा अधिकृत व्यक्ति

अथवा

(च) सेना से संबंधित अभ्यर्थी के संदर्भ में यूनिट का कमान अधिकारी

अथवा

(छ) विश्वविद्यालय का पुस्तकालय-अध्यक्ष तथा पंजाब विश्वविद्यालय का विस्तार पुस्तकालय, लुधियाना का अध्यक्ष, यदि अभ्यर्थी वहाँ का कर्मचारी हो

अथवा

(ज) फेलो/पंजाब विश्वविद्यालय के स्थायी अध्यापक

अथवा

(झ) कुलपति की संस्तुति पर सिंडीकेट के द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति

अथवा

(ञ) राज्यों के राजपत्रित अधिकारी तथा केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी

अथवा

(ट) सरकारी कर्मचारियों/अर्ध-सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के मामलों में, वह विभागाध्यक्ष, जहाँ अभ्यर्थी कार्यरत हो

अथवा

(ठ) पूर्व-छात्र/छात्राओं के मामलों में पंजाब विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग तथा सांध्यकालीन शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष, जहां से अभ्यर्थी संबद्ध हो

अथवा

(ड) सहायक कुलसचिव के वेतनमान से अधिक वेतनमान वाले निदेशक, लोक सम्पर्क तथा गैर-अध्यापक यूनिवर्सिटी अधिकारी

9. 'बेचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' परीक्षा से संबंधित विनियम संख्या 11.2, जो 1999 ई. के प्रवेशों से प्रभावी समझा जाएगा।

11.2 यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी विषय उत्तीर्ण कर लिए हों, लेकिन एक विषय में वह उत्तीर्ण न हो तथा अधिकतम अंकों के 20 प्रतिशत अंक से कम अंक उसे न मिले हों, तो उसको उस विषय की पूरक परीक्षा देनी पड़ेगी। उसे आगामी दो लगातार परीक्षाओं में उस विषय को उत्तीर्ण करना होगा अर्थात् आगामी पूरक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा में उसे वह विषय उत्तीर्ण करना होगा।

चंडीगढ़--160014
दिनांक: **19.6.2004**

(एच.सी.मलहोत्रा)
संयुक्त कुलसचिव

मेरी उपस्थिति में आज दिनांक **19.6.2004** के दिन इसे पंजाब विश्वविद्यालय की मोहर लगाकर बंद किया गया।

(परमजीत सिंह)
कुलसचिव

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 08th July 2004

No. N-15/13/8/1/85-P&D :—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 01st July 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Madhya Pradesh namely.

"Areas comprising the revenue villages of Manglia, Manglia Sadak, Raukhedi, Dhabli and Gari Piplia in Tehsil Sanwer, District of Indore."

And

"The revenue village of Talawali Chanda in Tehsil and District of Indore."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

The 12th July 2004

No. N-15/13/9/8/2004-P&D :—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 01st July 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Maharashtra Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Maharashtra namely.

"Areas comprising the revenue villages of Baner, Warje, Kothrud, Katraj, Hingane (Khurd), Dhankawadi, Kondhwa (Khurd), Hadapsar, Mohadwadi, Vadgaonsheri, Dhanori, Kalas, Pashan & Balewadi falling in the extended municipal limits of Pune; and

Shivane, Undri, Badgaon (Khurd), Lohagaon, Ambegaon (Khurd), Ambegaon (Budruk), Dhayari, Pisoli, Narhe & Nanded in Taluka-Haveli in the District of Pune."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

No. N-15/13/9/2/97-P&D :—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 01st July 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Maharashtra Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Maharashtra namely.

"Extended limits of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation area comprising the revenue villages of Talavade, Dighi, Bhopkhel & Chikhali in Taluka Haveli; Pimple Nilakh, Punavale, Vakad & Hinjawadi in Taluka Mulshi & Markal, Dhanor & Alandi (Devachi) in Taluka Khed in the District of Pune."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

The 13th July 2004

No. N-15/13/9/38/92-P&D :—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 01st July 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Maharashtra Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Maharashtra namely.

"Areas within the limits of the revenue villages of Uchgaon and Godmudshingi in Taluk Karvir, District of Kolhapur."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi, the 04th July 2004

S. O. No. 2/1959/DLI/E.EXP/89/Pt.I/554:—Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any seperate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the henefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

Name of the Region : TAMIL NADU
Schedule-I

Sl. No.	Previous Notification No. and date	Name of the Establishment with code No.	Period of Exemption
1	2	3	4
1.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 12.01.1994	M/s. Schasayee Paper & Board Ltd. (TN/4028 & 4028-A)	24.12.2001 to 23.12.2004
2.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.05.1999	M/s. The Amaravathi Coop. Sugar Mills Ltd. (TN/3066)	25.11.2000 to 24.11.2003 25.11.2003 to 24.11.2006
3.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.04.1999	M/s. CRI Pumps Pvt. Ltd. (TN/17520)	01.01.2000 to 31.12.2002 01.01.2003 to 31.12.2005
4.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Shri & Co. alongwith its 5 branches (TN/3670)	24.06.2003 to 23.06.2006
5.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. PL Worldways Ltd. alongwith its 8 branches (TN/19822)	24.06.2003 to 23.06.2006
6.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. MRF Ltd. alongwith its all over India 60 branches (TN/347-A)	24.06.2003 to 23.06.2006
7.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s. Canvery Textiles (Conversion Unit) (TN/29794)	24.06.2003 to 23.06.2006
8.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 26.08.1998	M/s. Coimbatoor Prossing (TN/10224)	01.03.2000 to 28.02.2003 01.03.2003 to 28.02.2006
9.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s. Shri Mangyarkarshi Mills (P) Ltd. (TN/16645)	24.06.2003 to 23.06.2006
10.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Chemical Consultants and Engineers (P) Ltd. (TN/20000)	24.06.2003 to 23.06.2006
11.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Vijayeswari Textiles Ltd. (TN/1097)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
12.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 21.09.2001	M/s. The Chennai Port Trust Employees Coop. Bank Ltd. (TN/10945)	24.06.20003 to 23.06.2006
13.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. ELP EN Industries (TN/6647)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
14.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 23.02.2001	M/s. Ransar Indl. Ltd. (TN/21845)	24.06.2003 to 23.06.2006
15.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.12.2001	M/s. Pankaja Mills (TN/66)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
16.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 17.06.1999	M/s. Shri Rannga Textiles Ltd. (TN/17028)	24.07.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
17.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.04.1999	M/s. The IDA Scudder School (TN/15854)	01.02.2001 to 31.01.2004
18.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Super Sales Agencies Ltd. (TN/17468)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
19.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.11.2002	M/s. Krishnaveri Textiles Mills (TN/1069)	01.12.2000 to 31.05.2002
20.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 13.12.2000	M/s. Rieter-LMW Machinery Ltd. (TN/33972)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
21.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 28.02.1994	M/s.Mastorq (P) Ltd. (TN/25019)	01.04.1996 to 31.03.1999 01.04.1999 to 31.03.2002 01.04.2002 to 31.03.2005
22.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 13.12.2000	M/s. Aquasub Engg. (Unit-II) (TN/19230-A)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006

1	2	3	4
23.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.11.2000	M/s. Veejay lakshmi Engg. Works Ltd. (TN/10434)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
24.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Lashmi Ring Travellers (CBE) Ltd. (Units-II) (TN/21246)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
25.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 17.11.1999	M/s. Venkatalakshmi textiles (P) Ltd. (TN/21347)	01.12.1999 to 23.06.2000 24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
26.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Deccan Industries (TN/21767)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
27.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.08.2000	M/s. Bonomi Velgium Ventiel India (P) Ltd. (TN/21613)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
28.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Duarajraj Mills Ltd. (TN/25002)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
29.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 01.06.1998	M/s. Sharp Tools (TN/11725)	01.03.2000 to 28.02.2003 01.03.2003 to 28.02.2005
30.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Florind Shoes Ltd. (TN/16318)	24.06.2003 to 23.06.2006
31.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Ranga Vilas Ginning Spinning & Weaving Mills Ltd. (TN/64)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
32.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.08.2000	M/s. Emrald Travel Creators (TN/33960)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
33.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 17.02.2001	M/s. NTC (TN & P) Ltd. (TN/7510)	01.03.2000 to 28.02.2003 01.03.2003 to 28.02.2006
34.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Universal Radiators Ltd. (TN/3131)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
35.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 17.11.1999	M/s. The Sri Venkatesa Mills Ltd. (TN/51)	08.01.2001 to 31.08.2002
36.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 31.01.2000	M/s. G. Print (P) Ltd. (TN/16638)	01.06.2000 to 31.05.2003 01.06.2003 to 31.05.2006
37.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 12.03.1999	M/s. UMS Services Ltd. (TN/16387)	01.05.2000 to 30.04.2003 01.05.2003 to 30.04.2006
38.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.03.1999	M/s. Sundaram Brakes Lenings Ltd. (TN/10771)	01.03.2000 to 29.02.2004
39.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. Victoria Technical Institute (TN/ 2555).	24.06.2003 to 23.06.2006
40.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. T. T. Krishna Machineri & Co. along its 7 branches (TN/2508)	24.06.2003 to 23.06.2006
41.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 02.08.2002	M/s. Cholamandalam & Finance Co. Ltd. Along its 41 branches (TN/23200)	24.06.2003 to 23.06.2006
42.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 18.02.2003	M/s. Mangal Tirth Estate Ltd. (TN/26325)	24.06.2003 to 23.06.2006
43.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 31.01.2000	M/s. Om Parasakthi Mills (TN/1163)	01.12.2001 to 31.05.2002 (The Estt. is closed w.e.f. 31.05.2002)
44.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.03.1999	M/s. Vishnu Shankar Mills Ltd. (TN/20349)	01.10.1999 to 30.09.2002 01.10.2002 to 30.09.2005

1	2	3	4
45.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 26.10.1997	M/s. Polyspin Ltd. (TN/10447-B)	01.04.1996 to 31.03.1999 01.04.1999 to 31.03.2002 01.04.2002 to 31.03.2005
46.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 10.08.1999	M/s. Deccan Radiators and Presigns Ltd. (TN/7841)	01.03.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
47.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.11.200	M/s. Wellington Tea Factory (TN/8876)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
48.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.08.2000	M/s. Chansuba Pumps (P) Ltd. (TN/45095)	01.03.2000 to 28.02.2003 01.03.2003 to 28.02.2006
49.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 17.08.1999	M/s. Sundersanam Spinning Mills (TN/2327)	01.10.1999 to 30.09.2002 01.10.2002 to 30.09.2005
50.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.05.1999	M/s. EIFCO Machine Tools (P) Ltd. (TN/2536)	01.03.2000 to 28.02.2003 01.03.2003 to 29.02.2006
51.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 15.05.1999	M/s. Gedee Hopt. (P) Ltd. (TN/6935)	01.05 2000 to 30.04.2003 01.05.2003 to 30.04.2006
52.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s. Madras Cements Ltd. (TN/3448)	24.06.2003 to 23.06.2006
53.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 31.08.1998	M/s. Centwin Textile Mills Ltd. (TN/24908)	01.04.2000 to 31.03.2003 01.04.2003 to 31.03.2006
54.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Malaysia Airline alongwith its 5 branches (TN/8785)	24.06.2003 to 23.06.2006
55.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 20.09.1991	M/s. Ramaraju Surgical Cotton Mills Ltd. (TN/6665)	01.03.1993 to 29.02.1996 01.03.1996 to 28.02.1999 01.03.1999 to 28.02.2002 01.03.2002 to 28.02.2005
56.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Fuel Taps (TN/10352)	24.06.2003 to 23.06.2006
57.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s. The T.N.Coop Housing Federation Ltd. (TN/16009)	24.06.2003 to 23.06.2006
58.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s. Nippon Enterprises South (TN/16832).	24.06.2003 to 23.06.2006
59.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 28.09.2001	M/s. Vaas Industries Pvt. Ltd. alongwith its sales office (TN/17539)	24.06.2003 to 23.06.2006
60.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. Hotel Ambassador Pallava (TN/9450)	24.06.2003 to 23.06.2006
61.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Vijaya Hospital Canteen (TN/10108)	24.06.2003 to 23.06.2006
62.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 17.02.1996	M/s. Unity Forge Ltd. (TN/6134)	01.12.1997 to 30.11.2000 01.12.2000 to 30.11.2003
63.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.04.1999	M/s. G. Plant (P) Ltd. (TN/21235)	01.05.2000 to 30.04.2003 01.05.2003 to 30.04.2006
64.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.11.2000	M/s. Precot Mills Ltd. (TN/240-C)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
65.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.11.2000	M/s. Sri Varadha Raja Textiles (P) Ltd. (TN/519)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
66.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.11.2000	M/s. Kumaran Mills Ltd. (TN/70)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006

1	2	3	4
67.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.03.2000	M/s. The Scientific Fertiliser Co. Ltd. (TN/1217)	01.07.2000 to 30.06.2003 01.07.2003 to 30.06.2006
68.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 31.01.2000	M/s. Thulasiram Highway Transport (TN/4430)	01.01.2001 to 30.04.2002
69.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Gokul Foods (TN./25051)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
70.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Chola Pumps (P) Ltd. (TN/25393)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
71.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.08.2000	M/s. Air Cell Ltd. (TN.45056)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
72.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.02.2001	M/s. Mookambi Kai Trading Co. (TN/28552)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
73.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 01.04.1999	M/s. Small Industries Testing & Research Centre (TN/25443)	01.08.2000 to 31.07.2003 01.08.2003 to 31.07.2006
74.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.08.2000	M/s. Karpagam Arts Pvt. Ltd. (TN.34087)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
75.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 01.04.1999	M/s. Veeyer Alloys Pvt. Ltd. (TN.28624)	01.08.2000 to 31.07.2003 01.08.2003 to 31.07.2006
76.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.08.2000	M/s. Satchidananda Jothi Nikethan (TN/34254)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
77.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.03.1999	M/s. Ootacamund Club (TN/3051)	01.02.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
78.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 15.05.1999	M/s. Velumani Engg. Industry (TN/5066)	11.02.2000 to 10.02.2003 11.02.2003 to 10.02.2006
79.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.05.1999	M/s. The Tudiyalur Coop Agricultural Services Ltd. (TN/6326)	28.06.2000 to 27.06.2003 28.06.2003 to 27.06.2006
80.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.12.2000	M/s. The Nilgiris Coop. Enterprises Ltd. (TN/6879)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
81.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 19.03.1999	M/s. Metro Matriculation Hr. Sec. School (TN/21591)	01.05.2000 to 30.04.2003 01.05.2003 to 30.04.2006
82.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 22.11.2000	M/s. Sri Sarada Milk Coimbatore (TN/69)	24.06.2000 to 23.06.2003 24.06.2003 to 23.06.2006
83.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Central Coop. Printing Works (TN/558)	24.06.2003 to 23.06.2006
84.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Carborundum Universal Ltd. (TN/860)	24.06.2003 to 23.06.2006
85.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. Royal Enfield Motors Unit of Eicher Ltd. (TN/927-C)	24.06.2003 to 23.06.2006
86.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Madras Auto Service (TN/1137) alongwith its 33 branches	24.06.2003 to 23.06.2006
87.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 16.03.1999	M/s. Dinamalab Tamil Dairy (TN/1171)	01.04.1999 to 31.03.2002
88.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Tamil Nadu Coop. Marketing Federation Ltd. alongwith its 24 branches (TN/3310)	24.06.2003 to 23.06.2006

1	2	3	4
89.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 19.03.1999	M/s. L.G. Balakrishanan & Bros. Ltd. (TN/3818)	30.04.2000 to 29.04.2003 30.04.2003 to 29.04.2006
90.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 10.07.1993	M/s. N.T.T.F. Industries Ltd. Vellore (TN/4885-A) and TN/4885	01.10.1995 to 30.09.1998 01.10.1998 to 30.09.2001 01.10.2001 to 30.09.2004
91.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 20.05.1999	M/s. South India Sugars (TN/5206)	01.02.2001 to 31.01.2003
92.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 20.05.1999	M/s. The Senthil Match Works (TN/5845)	24.06.2003 to 23.06.2006
93.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 23.06.1999	M/s. The Mercunad Indl. Coop. Tea Fac. Ltd. (TN/6245)	01.10.1999 to 30.09.2002 01.10.2002 to 30.09.2003 (The Swith over the EDLI Schem, 1976 from 01.10.2003)
94.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 21.09.2001	M/s. Taj Coramandel Hotel (TN/7755)	24.06.2003 to 23.06.2006
95.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.11.2000	M/s. The Thirubuvanam Silk Handloom Weavers Coop. Production & Sales Society Ltd. (TN/7825)	01.12.2000 to 30.09.2003
96.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. New Man Press (TN/8053)	24.06.2003 to 23.06.2006
97.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 1.12.2000	M/s. M. Thangamaligai Trust (TN/12063)	24.06.2003 to 23.06.2006
98.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 07.05.2002	M/s. Sri Sankara Vidhya Shranam Matriculation Hr. Sec. School (TN/15879-A)	24.06.2003 to 23.06.2006
99.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 24.02.1993	M/s. Driescher Paniokkar Switchgear Ltd. (TN/16019)	01.01.1995 to 31.12.1997 01.01.1998 to 23.06.2000 24.06.2000 to 31.12.2000 01.01.2001 to 31.12.2003
100.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Designs & Photocopies (TN/16023)	24.06.2003 to 23.06.2006
101.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Sanco Trans Ltd. alongwith its branches (TN/16536)	24.06.2003 to 23.06.2006
102.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. WCI (Madras) Pvt. Ltd. (TN/17509)	24.06.2003 to 23.06.2006
103.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 28.08.2001	M/s. National Oxygen Ltd. alongwith its two branches (TN/17227)	24.06.2003 to 23.06.2006
104.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.11.2000	M/s. Kali Compisite Metals (TN/17782)	01.10.1999 to 31.09.2000 Reverted back to EDLI Scheme from 01.10.2000
105.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Industrial and Technical Consultancy Organisation of Tamil Nadu (TN/17795)	24.06.2003 to 23.06.2006
106.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s. Aruppukottai Sri Jay Vilas Ltd. (TN/20045)	24.06.2003 to 23.06.2006
107.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 20.12.2000	M/s. Aruppukottai Shri Roller Mills (P) Ltd. (TN/20517)	24.06.2003 to 31.08.2002 01.09.2002 to 31.08.2005
108.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 20.05.1999	M/s. Bayer TPU(P) Ltd. alongwith its branches (TN/27530)	01.03.1998 to 28.02.2001 01.03.2001 to 31.10.2003

1	2	3	4
109.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 29.08.2001	M/s.Tamil Power Finance & Infrastructure Development Coop. Ltd. (TN/3129)	24.06.2003 to 23.06.2006
110.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.11.2000	M/s. Lumiere Appliances (P) Ltd. (TN/31462)	01.12.2000 to30.11.2003
111.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 28.08.2001	M/s. Continental Matho Co. Reeling & Doubling Unit (TN/37556)	24.06.2003 to 23.06.2006
112.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 30.11.2000	M/s. Aban Loyd Chiles Offshore Ltd., Janpriya Crest-113, Pantheon Road, Egmose, Chennai-60008 Code No. (TN/30483)	01.12.2000 to 31.11.2003 01.12.2003 to 30.11.2006
113.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 04.09.2001	M/s. Vijaya Hospital Canteen, 180 NSK Salai, Vadapalani, Chennai-26, (TN/10108)	01.06.2003 to 31.05.2006
114.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1869, dated 09.02.2001	M/s. Kaliswari Fire Works, (TN/5037-E)	24.06.2003 to 23.06.2006

Schedule-I

Sl. No.	Previous Notification No. and date	Name of the Establishment with code No.	Period of Exemption
1	2	3	4
1.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300	M/s. Anandalaya Education Society Ltd. (GJ/13901)	01.08.2000 to 31.07.2003 01.08.2003 to 31.07.2006
2.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 12.04.2001	M/s. Mudra Communication Ltd. (GJ/4147-A)	11.08.2002 to 10.08.2005
3.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 28.05.2002	M/s. Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank Ltd. alongwith its 32 branches and onde H.O. (GJ/4670)	01.04.2002 to 31.03.2005
4.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 18.01.1994	M/s. The Mehsana Nagarik Sahakari Bank Ltd. (GJ/14384)	01.03.1996 to 28.02.1999 01.03.1999 to 29.02.2002
5.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 02.04.2003	M/s. Gujarat Paguthan Energy Corpn. Pvt. Ltd. alongwith its on plants (GJ/24000)	01.03.2003 to 28.02.2006
6.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 02.04.2003	M/s. Atul Enterprises including Jignesh Industries (GJ/1109 & 11209-A)	01.06.1996 to 31.05.1999 01.06.1999 to 31.05.2002 01.06.2002 to 31.05.2005
7.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 02.05.1993	M/s. Amralijilla Sahkari Kharid Vechan Singh Ltd., alongwith its 7 branches (GJ/6773)	01.06.1992 to 31.05.1995 01.06.1995 to 31.05.1998 01.06.1998 to 31.05.2001 01.06.2001 to 31.05.2004
8.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 18.02.2003	M/s. Utpal Investments Pvt. Ltd. (GJ/1315-F)	01.08.2001 to 31.07.2004
9.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 24.08.1999	M/s. Gopal Glass Works Pvt. Ltd. (GJ/1469)	01.07.2001 to 30.06.2004
10.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 19.09.2001	M/s. SMPS Consultants (GJ/3550)	01.03.2003 to 28.02.2006
11.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 24.08.1999	M/s. Visnagar Taluka Mazdoor Sahakari Mandi Ltd. (GJ/1829)	01.03.2002 to 28.02.2005
12.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 28.05.2002	M/s. Tina Reeds Mfg.Co. (GJ/15878)	01.06.2002 to 31.05.2005
13.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 30.06.2002	M/s. Textile Industries Ltd. (GJ/288)	01.07.2002 to 30.06.2005

1	2	3	4
14.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 18.02.2003	M/s. Sterling Abrasives Ltd. (GJ/6241)	01.08.2003 to 31.07.2006
15.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 28.05.2002	M/s. Shree Prakash Textile (Guj) Ltd. (GJ/2644-A)	01.08.2003 to 31.07.2006
16.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 19.09.2001	M/s. Ahmedabad Textile Industries Research Association (GJ/2650)	01.12.2001 to 30.11.2004
17.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 02.04.2003	M/s.Eltromate (India) Ltd. (GJ/23694)	01.12.1999 to 30.11.2002 01.12.2002 to 30.11.2005
18.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 10.03.1999	M/s. Wonderwell Electrodes Pvt. Ltd (GJ/4563-A)	01.01.2001 to 31.05.2004
19.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 28.05.2002	M/s. Visnagar Nagarik Sahkari Bank Ltd. (GJ/11959)	24.06.2003 to 28.06.2006
20.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 10.02.2002	M/s. Gujarat State Road Transport Corporation alongwith its 21 units (GJ/1122)	16.08.2001 to 15.08.2004
21.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 28.05.2002	M/s. Shroffa Foundation Trust (GJ/20678)	01.12.2002 to 30.11.2005
22.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 19.09.2001	M/s. Pradip Enginering Works (GJ/1588)	01.03.2001 to 29.02.2004
23.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 15.12.1997	M/s. Amol Dicalite Ltd. (GJ/14606)	01.11.1998 to 31.10.2001 01.11.2001 to 31.10.2004
24.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 18.02.2003	M/s. Systronics (GJ/6053)	01.04.2002 to 31.03.2005
25.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 28.05.2002	M/s. Laxmi Foundry (GJ/7557)	01.12.2001 to 30.11.2004
26.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 29.01.1999	M/s. Kalpatara Transmission Ltd. (GJ/1554)	01.06.1998 to 31.05.2001 01.06.2001 to 31.05.2004
27.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 23.02.2000	M/s. Tonira Pharma Ltd. (GJ/23334)	01.09.2002 to 31.08.2005
28.	2/1959/DLI/Exemp/89/36300 dated 27.01.1994	M/s. The Ahmedabad Dist. Co-op. Bank Ltd. (GJ/4663)	28.11.1995 to 27.11.1998 28.11.1998 to 27.11.2001
29.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 15.09.1999	M/s. Diamond Crucible Co. Pvt. Ltd. (GJ/14744-A)	01.06.2001 to 31.05.2004
30.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 15.01.2000	M/s. Cadmach Machinery Co. (GJ/6087)	01.03.2002 to 28.02.2005
31.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28.05.2002	M/s. Mehsana Dist. Coop Milk Producers Union Ltd. (GJ/4827)	25.12.2001 to 24.12.2004
32.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28.05.2002	M/s. Sundeep Agencies (GJ/4746)	01.03.2002 to 28.02.2005
33.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 17.04.1999	M/s. Ahmedabad Dist. Co-op. Milk Producer Union Ltd. (GJ/2346)	01.02.2000 to 31.01.2003
34.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 28.05.2002	M/s. Tata Telecom Ltd. (GJ/18706)	01.11.2002 to 31.10.2005
35.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 24.11.2000	M/s. Mafutlal Ind. Ltd. (GJ/363)	24.06.2000 to 23.06.2003
36.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 27.01.1994	M/s. Rang Rasayan Agency (GJ/10326)	01.11.1995 to 31.10.1998 01.11.1998 to 31.10.2001 01.11.2001 to 31.10.2004

1	2	3	4
37.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 11.11.1998	M/s. The Charatar Iron Factory (GJ/159)	01.03.1999 to 28.02.2002
38.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 11.10.1999	M/s. Bhavnagar Nagarik Sahkari Bank Ltd. (GJ/11958) alongwith its Head Office and 7 Branches	01.08.2001 to 31.07.2004
39.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 28.05.2002	M/s. ATE Manufacturing Co. Pvt. Ltd (GJ/6499)	01.03.2002 to 28.02.2005
40.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 28.05.2002	M/s. Emico Elicon (India) Ltd. (GJ/7786)	01.03.2002 to 28.02.2005
41.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 06.09.1998	M/s. Gujarat Trading Co. (GJ/11480)	01.03.2000 to 28.02.2003
42.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 15.01.2000	M/s. Amin Machinery Pvt. Ltd. (GJ/7400)	01.03.2002 to 28.02.2005
43.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 24.05.2002	M/s. Amol Dicalite Ltd. (GJ/23405)	01.03.2002 to 28.02.2005
44.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 26.10.2000	M/s. Charotar Gramodoyag Sahkari Mandali Ltd. (GJ/31-C)	01.09.1998 to 31.08.2001
45.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 15.02.2000	M/s. Gujarat State Seeds Certification Agency (GJ/5743)	01.09.2002 to 31.08.2005
46.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 13.11.1998	M/s. Ferikalp Processore (GJ/2724)	01.07.1997 to 30.11.1998 (Estt. Closed)
47.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 28.05.2002	M/s. Gujarat Pollution Control Board, (GJ/1345) alongwith its 6 Branches	01.03.2002 to 28.02.2005
48.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 28.05.2002	M/s. Rajesh Malliables Ltd. (GJ/25-A)	29.10.2001 to 28.10.2004
49.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 19.09.2001	M/s. Reliance Industries Ltd. (GJ/4147)	09.03.2003 to 08.03.2006
50.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 06.04.1999	M/s. Garrison Polyacks Pvt. Ltd. (GJ/23675)	01.08.2001 to 31.07.2004
51.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 06.04.1999	M/s. Samyak Udyog Plastics Pvt. Ltd. (GJ/30797)	24.06.2000 to 24.06.2003 23.06.2003 to 30.11.2003
52.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 19.09.2001	M/s. Banas Kanthe Mehsana Gramin Bank (GJ/14371) alongwith its 66 Branches	01.03.2002 to 28.02.2005
53.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 15.07.2002	M/s. The Kalupur Commercial Coop. Bank Ltd. (GJ/4682)	17.12.2001 to 16.12.2004
54.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 21.06.1999	M/s. Puja Sales Corpn. Alongwith its one Branch (GJ/4565-C)	01.05.2001 to 30.04.2004
55.	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 23.02.2000	M/s. Gujarat Glass (P) Ltd. (GJ/1249)	01.07.2001 to 30.06.2004

Name of the Region : MAHARASHTRA

Notification for Extension of Exemption

Sl. No.	Previous Notification No. and date	Name of the Establishment with code No.	Period of Exemption
1	2	3	4
1.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/5126 dated 23.01.2001	M/s. J.B. Vachha High School Parsi Colony Dadar-Mumbai (MH/25983)	01.12.2000 to 30.11.2003
2.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 13.05.1994	M/s. Kores (India) Ltd., Kojis House Plot No. 10 Worli, Mumbai-400018 (MH/4966)	01.03.1996 to 28.02.1999 01.03.1999 to 28.02.2002 01.03.2002 to 28.02.2005
3.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 14.09.1989	M/s. Marck (India) Ltd. Shiv Sagar Estate Worli Mumbai-400018 (MH/4843)	27.11.1994 to 26.11.1997 27.11.1997 to 26.11.2000 27.11.2000 to 26.11.2003
4.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1177 dated 01.09.1989	M/s. Hindustan Lever Ltd., E-3, MIDC Yavatmal-445001 (MH/60039)	01.08.1998 to 31.07.2001 01.08.2001 to 31.07.2004
5.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/350 dated 31.01.1992	M/s. Crompton Greaves Ltd., 6th House, CG House Dr. Annie Basant Road Prabhadevi, Mumbai-400025 (MH/16)	01.04.2003 to 31.03.2006
6.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/889 dated 12.09.2001	M/s. Indian Aluminum Co. Ltd., Post Box No. 5, Jaloja Dist. Raigarh A.V. 410208 (MH/11971)	23.10.2002 to 22.10.2005
7.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 02.12.1993	M/s. Asian Paints India Ltd., 6/A, Shanti Nagar, Vakola Pipe Line Lane Santacruz (E) Mumbai-400055 (MH/4631)	01.12.2003 to 30.11.2006
8.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1553 dated 16.06.1999	M/s. Housing Development Finance Corporation Ltd., Ramon House, 169, Backbag, Reclamation, Mumbai-400020 (MH/20972)	01.03.2002 to 28.02.2005
9.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 14.09.1989	M/s. Balli Boi Ltd. Bharat House, 5th Floor, 104, Bombay Semachar Marg, Fort, Mumbai-400001 (MH/4349)	25.09.2003 to 24.09.2006
10.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1277 dated 18.02.2003	M/s. Hindustan Thompson, Associates Ltd., Dadar (West) Mumbai-400028 (MH/3966)	01.03.2002 to 28.02.2005
11.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/ dated 15.11.2000	M/s. Bajaj Electricals Ltd. 15/17, Sant Sewa Marg, Mumbai-400010 (MH/460)	24.06.2000 to 23.06.2003

Name of the Region : RAJASTHAN

Notification for Extension of Exemption

Sl. No.	Previous Notification No. and date	Name of the Establishment with code No.	Period of Exemption
1	2	3	4
1.	2/1950/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 06.01.1994	M/s. The Central Coop. Bank Ltd. alongwith its one branch (RJ/839)	26.02.1992 to 25.02.1995 26.02.1995 to 25.02.1998 26.02.1998 to 25.02.2001 26.02.2001 to 25.02.2004
2.	2/1950/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 26.02.2001	M/s. Sunil Synchem Ltd., alongwith its branches (RJ/2010)	11.12.1999 to 10.12.2002 11.12.2002 to 12.12.2005

Name of the Region : PUNJAB

Notification for Extension of Exemption

Sl. No.	Previous Notification No. and date	Name of the Establishment with code No.	Period of Exemption
1	2	3	4
1.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 16.09.2003	M/s. Brillex Chemicals Amritsar (PN/377)	01.09.2001 to 31.08.2004
2.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 09.12.1999	M/s. The ASR District Coop. Milk Producers Union Ltd. (PN/1924)	01.01.2003 to 31.12.2005
3.	2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I dated 28.01.1999	M/s. OCM (India) Ltd. (PN/1050)	01.12.1998 to 30.11.2001 01.12.2001 to 30.11.2004

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s) legal heir (s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/EXEMP/89/Pt. I/560.— Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner ..... from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

Name of the Region: Rajasthan

Notification for Exemption

Sl. No	Name of the Establishment with code No.	Date of Exemption
1	M/s. SRM Alloys Pvt. Ltd, E-75, MLA, Phase-II, Basui Jodhpur (RJ/9273)	01.09.2002 to 31.08.2005
2	M/s. Surabhi Steels E-629, MLA Phase-II, Basni Jodhpur (RJ/9067)	01.09.2002 to 31.08.2005
3	M/s. Bellm Electromac Industries, F-628, MLA Phase-II, Basni Jodhpur (RJ/7246)	01.09.2002 to 31.08.2005
4	M/s. Shri Ram Steel Industries B-417, MIA Phase C Basni Jodhpur (RJ/7888)	01.09.2002 to 31.08.2005
5	M/s. Printland (P) Ltd., 9, Hathroi Ajmer Road Jaipur (RJ/3622)	01.01.2003 to 31.12.2005

Andhra Pradesh

Notification for Exemption

Sl. No	Name of the Establishment with code No.	Date of Exemption
1	M/s. Ushodya Enterpises Ltd. Complex Somajguda Hyderabad-560082 (AP/38050)	01.08.2003 to 31.07.2006
2	M/s. Ramanaidu Colour, Lotutomics 8.2.93/82/J 111/6 Ramanaidu, Studios Julules Hills Hyderabad-560034 (AP/22158)	01.12.2002 to 30.11.2005
3	M/s. Sri Grandhi China Sanyari Raju Ceelege G.M.R. Nagar Rajam-532127 (AP/28897)	01.04.2000 to 31.03.2003 01.04.2003 to 31.03.2006
4	M/s. Suresh Mohies Film Distributors Rama Naidu Studios Juleilee Hills Hyderabad-560033 (AP/19818)	01.12.2002 to 30.11.2005
5	M/s. International Advanced Research Centre and Development Centre & Development of Science and Technology, Govt. of India, Belapur Hyderabad-560005 (AP/24193)	01.07.2002 to 30.06.2005
6	M/s. Analogic Technomatics (P) Ltd. No.6-1-190/25 Padma Rao Nagar Secunderabad-500025 (AP/42248)	01.08.2002 to 31.07.2005
7	M/s. P.S.C. Bose Automobiles Jawahr Auto Nagar Vijawada (AP/4522)	01.03.2001 to 29.02.2004
8	M/s. Tirumala Cotton & Agro Products (P) Ltd, Thimmapujam Chilakalujipet Guntur (AP/27662)	01.12.1996 to 30.11.1999 01.12.1999 to 30.09.2002
9	M/s. Hindustan Coca Cola, Benerajij (P) Ltd, Atmakuru Village, Mangalogiji Guntur (AP/GT/33337)	01.04.2001 to 31.03.2004
10	M/s. Sasi Sri Extractions Ltd, Atmakur Manglagiri Mandal Guntur (AP/33358)	01.03.2001 to 31.01.2002
11	M/s. Venkatadri Oils Ltd, Ganguru Vijayawada (AP/23350)	01.11.2001 to 31.10.2004
12	M/s. Analogic Contrals India Ltd., No. 6-1-190/25, Padma Rao Nagar Secuderabad-500025 (AP/32963)	01.08.2002 to 31.07.2005
13	M/s. Triumphant Institute of Management Education (P) Ltd., 102, SMR, Sartaj Plaza, Sikh Road, Bowenpally Secunderabad-90 (AP/37653)	01.12.2002 to 30.11.2005
14	M/s. Globarena Iteknoueledge (P) Ltd., Plot No. 304, Road No. 78, Julillee Hills, Hyderabad-560033 (AP/38550)	01.09.2002 to 31.08.2005

15	M/s. Globerena Web Technologies (P) Ltd., Plot No. 304, Road No. 78, Jublee Hills Hyderabad-500033 (AP/38551)	01.09.2002 to 31.08.2005
16	M/s. Pragati Offset (P) Ltd. 17 Red Hills Hyderabad-500004 (AP/3935)	01.03.2001 to 29.02.2004
17	M/s. Lakshmi Ganapathi Water Pump, Industries Industrial Estate Lane, Tenali-522202 (AP/33745)	01.01.2001 to 31.12.2003
18	M/s. Pala Utpattidarulla Paraspase, Sahayak Sahakara, Sangmulla Udyogula Samkeshma Sangam Visakhapatnam-12 (AP/40864)	31.07.2002 to 30.06.2005
19	M/s. Hindustan Coca Cola, Beverages Ltd, 44-69 Maulaali Hyderabd-500040 (AP/32408)	26.12.1997 to 25.12.2000 26.12.2000 to 25.12.2003
20	M/s. Nasr School Khaijatabad Hyderabad-560004 (AP/17839)	01.01.1999 to 31.12.2001 01.01.2002 to 31.12.2004
21	M/s. Eleganta Chemical Enterprises (P) Ltd., Sai Enclave Colony, Hubshiguda Hyderabad (AP/26352)	01.01.2001 to 31.12.2003
22	M/s. Arsin Systems (P) Ltd., PVR, Chambers 6-3-249/2A Main Road, Banjara Hills, Hyderabad (AP/38209)	01.02.2001 to 31.01.2004
23	M/s. Aurobindo Pharma Ltd., Pydibheema Varam Srikakulam Dist. (AP/41211)	01.01.2003 to 31.12.2005
24	M/s. Apex Logical Data Conversion (P) Ltd, 303 & 304 M.G.R. Estate Dharakapurji Colony Hyderabad-500082 (AP/35534)	01.02.2003 to 31.01.2006
25	M/s. Venkatadri Refineries (P) Ltd., Ganguru Vijayawada (AP/33944)	01.11.2001 to 31.10.2004
26	M/s. Apex Advanced Technology (P) Ltd., 205 & 206 Babukhan Estate Hydrabad-500001 (AP/31026)	01.01.2003 to 31.12.2005
27	M/s. Visu Consultants Ltd., 104-106, Lumbini Enclave Hyderabad-500082 (AP/23837)	01.01.2003 to 31.12.2005
28	M/s. Oualcore Logic Ltd., 7-145 New Nagamdre Nagar Colony Hyderabad-500007 (AP/34233)	01.11.2002 to 31.10.2005
29	M/s. Cadsys (India) Ltd., 3-6-262 IInd Floor, Tirumala Estate Hyderabad-500029 (AP/29200)	01.01.2003 to 31.12.2005
30	M/s. PACT Securities and Financial Services Ltd. 6-3-252/2/6 Naveen Nagar Hyderabad-500082 (AP/30916)	01.10.2002 to 30.09.2005

Name of the Region : MAHARASHTRA

Notification for Exemption

Sl. No.	Name of the Establishment with Code No.	Date of Exemption
1.	M/s. The Buldana Dist, Central Co-op Bank Ltd., H.O. Sahakar Bhawan Buldana Maharashtra (MH/7535)	01.07.1993 to 30.06.1996 01.07.1996 to 30.06.1999 01.07.1999 to 30.06.2002
2.	M/s. KEC International Ltd., B-190, MIDG Industrial Area, Butiberi-441108 (MH/61405)	01.03.2000 to 28.02.2003 01.03.2003 to 28.02.2006
3.	M/s. Bombay Swadeshi Stores Ltd., Western India House, Sir P.M. Road, Bombay-400001 (MH/3987)	01.04.1993 to 31.03.1996 01.04.1996 to 31.03.1999 01.04.1999 to 31.03.2002 01.04.2002 to 31.03.2005
4.	M/s. The Colaba Central Co-op Consumers Wholesale & Retail Stores Ltd., Hotel Majestic Mumbai-400039 (MH/8491)	01.02.1990 to 31.01.1993 01.02.1993 to 31.01.1996 01.02.1996 to 31.01.1999 01.02.1999 to 31.01.2002 01.02.2002 to 31.01.2005

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the languae of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme approprately, if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s) Legal Heir (s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payament of assurance benefits to the nominee (s) Legal Heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal Heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S.R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner

TO

The Institute of Chartered Accountants of India
[Set up under an Act of Parliament]

New Delhi-110002, the 19th July 2004

July 19, 2004

No. 13-CA (EXAM)/N/2004 :- In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Education - I, Professional Education -II and Final examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly Post Qualification Courses in Management Accountancy (MAC Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) examinations will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only) in terms of provisions as contained in Schedule "C" and Schedule "G" of the Chartered Accountants Regulations,1988 respectively, provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

PROFESSIONAL EDUCATION– I EXAMINATION :
[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

5th, 6th, 8th and 9th November, 2004

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

PROFESSIONAL EDUCATION– II EXAMINATION :
[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I	:	**1st, 2nd and 3rd November, 2004**
Group-II	:	**4th, 5th and 6th November, 2004**

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION :
[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group -I	:	**1st, 2nd, 3rd and 4th November, 2004**
Group -II	:	**5th, 6th, 8th and 9th November, 2004**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I) EXAMINATION:
[As per provision contained in 'Schedule"C" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I	:	**1st and 2nd November, 2004**
Group-II	:	**3rd and 4th November, 2004**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in 'Schedule G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV	**1st, 2nd, 3rd and 4th November, 2004**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

EXAMINATION CENTRES :

(I) **CENTRES IN INDIA :**

1	AGRA	26	CUTTACK	51	KOLHAPUR	76	ROHTAK
2	AHMEDABAD	27	DEHRADUN	52	KOLKATA	77	SAHARANPUR
3	AJMER	28	DELHI/NEW DELHI	53	KOTA	78	SALEM
4	AKOLA	29	DHANBAD	54	KOTTAYAM	79	SANGLI
5	ALLAHABAD	30	DURG	55	LUCKNOW	80	SHIMLA
6	ALLEPPEY	31	ERNAKULAM	56	LUDHIANA	81	SILIGURI
7	ALWAR	32	FARIDABAD	57	MADURAI	82	SOLAPUR
8	AMBALA	33	GUWAHATI	58	MANGALORE	83	SURAT
9	AMRAVATI	34	GHAZIABAD	59	MATHURA	84	THANE
10	AMRITSAR	35	GOA	60	MEERUT	85	TIRUCHIRAPALLI
11	ASANSOL	36	GURGAON	61	MORADABAD	86	TRICHUR
12	AURANGABAD	37	GWALIOR	62	MUMBAI	87	TRIVANDRUM
13	BANGALORE	38	HISAR	63	MUZAFFARNAGAR	88	UDAIPUR
14	BAREILLY	39	HUBLI	64	MYSORE	89	UDUPI
15	BARODA	40	HYDERABAD	65	NAGPUR	90	UJJAIN
16	BATHINDA	41	INDORE	66	NASIK	91	VARANASI
17	BELGAUM	42	JABALPUR	67	NOIDA	92	VIJAYAWADA
18	BHILWARA	43	JAIPUR	68	PALGHAT	93	VISAKHAPATNAM
19	BHOPAL	44	JALANDHAR	69	PANIPAT	94	YAMUNANAGAR
20	BHUBANESWAR	45	JALGAON	70	PATIALA		
21	BIKANER	46	JAMMU	71	PATNA		
22	CALICUT	47	JAMNAGAR	72	PUNE		
23	CHANDIGARH	48	JAMSHEDPUR	73	RAIPUR		
24	CHENNAI	49	JODHPUR	74	RAJKOT		
25	COIMBATORE	50	KANPUR	75	RANCHI		

(II) **OVERSEAS CENTRES :** (ONLY FOR PROFESSIONAL EDUCATION – I, PROFESSIONAL EDUCATION-II AND FINAL EXAMINATIONS)

1) DUBAI (UAE)	2) KATHMANDU (NEPAL)

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations)-CC, The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.60/- per application form in respect of Professional Education - I, Professional Education -II and Final Examinations. The cost of Examination application forms for Management Accountancy Course (Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) examinations is Rs. 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from **6th August, 2004**.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations)-CC at New Delhi not later than **27th August, 2004**. However, applications will also be received direct by Delhi Office after **27th August, 2004** and upto **3rd September, 2004** with late fee of **Rs. 200/-**. Applications received after **3rd September, 2004** shall not be entertained under any circumstances. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto **27th August, 2004**. However, application forms duly completed for the Post Qualification Course examinations viz: Management Accountancy Course (Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) examinations will be received **only** at the New Delhi office of the Institute.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :-

PROFESSIONAL EDUCATION– I EXAMINATION :	Rs. 1000/-

PROFESSIONAL EDUCATION – II EXAMINATION	
For Both the Groups	Rs. 1250/-
For one of the Groups	Rs. 750/-

FINAL EXAMINATION	
For Both the Groups	Rs. 1750/-
For one of the Groups	Rs. 1000/-

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (PART-I) EXAMINATION	
For Both the Groups	Rs. 400/-
For one of the Groups	Rs. 200/-

INSURANCE & RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION :	Rs. 1000/-

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final examinations opting for Dubai Centre are required to remit US$ 200, US$ 250 and US$ 300 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups.

Candidates of Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs.1500/-, Rs.1750/- and Rs.2250/- respectively or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form. However the medium of Examinations will be English only in respect of Management Accountancy Course (MAC Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) Examinations

(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)-CC

PANJAB UNIVERSITY,CHANDIGARH

Notification No. 7-2004 G.R.

The Central Government, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, New Delhi have accorded approval vide their letter No.F.2-6/2000-Desk(U-I) dated 17.7.2003 to the following Regulations:-

1. **Regulations 4.1 and 4.2 for Doctor of Medicine (MD) examinations at pages 422-23 and deletion of Clause Group B (Non-Clinical Subject) of Regulations 4.1 and 4.2 for Master of Surgery (MS) examination at pages 434-35 of Panjab University Calendar, Volume II, 2000 effective from the session 1999-2000 in anticipation of the approval of Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

Doctor of Medicine (M.D.)

4.1. The following shall be the various groups of subjects for the examination:

Group -A (Clinical Subjects)

Group -B (Basic Subjects)

1. Anatomy
2. Physiology
3. Pharmacology
4. Pathology
5. Microbiology
6. Biochemistry
7. Biophysics

4.2. The following shall be the titles of the four papers in each subject:

Group-B (Basic Subjects)

Anatomy

1st Paper Surgery as applied to Anatomy

2nd Paper Gross Human Anatomy including Radiological and Forensic Anatomy

3rd Paper Embryology
Microscopic Anatomy

4th Paper Applied Anatomy

Master of Surgery (M.S.)

4.1. The following shall be the various groups of subjects for the examination:

Group-A	(Clinical Subjects)	
Group-B	(Non-Clinical Subjects)	Deleted

4.2. The following shall be the titles for the fours papers in each subject:

Group-A	(Clinical Subjects)	
Group-B	(Non-Clinical Subjects)	Deleted

2. **Adoption of Semester System for M.Sc. (Honours School) in the subject of Zoology (effective from the session 2001-2002) in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

3. **Adoption of Semester System for M.Sc. (Honours School) in the subject of Botany (effective from the session 2001-2002) in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

4. **Regulations for B.C.A. (Honours) examination effective from the admissions of 2001 in anticipation of the approval of Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1. The Bachelor of Computer Application (Honours) shall be one-year course. The system of examination shall be annual.

1.2. The unit shall be of 30 students or as decided by the Syndicate from time to time. Ordinarily a college shall be given one unit.

1.3. The last date for receipt of admission form and fee with and without late fee as fixed by the Syndicate from time to time shall be notified to the affiliated Colleges concerned.

2.1. A person who has passed B.C.A. examination from the Panjab University or any other University recognized by the Syndicate as equivalent thereto shall be eligible to join B.C.A. (Honours) Course.

2.2. The examination of B.C.A. (Honours) shall be open to a student who has his name submitted to the Controller of Examinations by the Principal of the College he has most recently attended and the Principal has certified that the candidate:

i) has remained on the rolls of an affiliated College for the academic year preceding the examination; and

ii) has attended not less than 75% of the full course of lectures delivered and tutorials held separately, for his class in each of the subjects offered (the course to be counted up to the last day when the classes break up for preparatory holidays).

3. The Principal of the College shall have authority to condone deficiency of lectures up to 10% of the total number of lectures delivered in each subject separately.

4. Every candidate shall be examined in the subjects according to the current syllabi, course, outlines and scheme of examination prescribed by the concerned Faculty from time to time.

5. The medium of instruction shall be English.

6.1 The minimum marks required to pass each examination shall be 40% in each paper.

6.2 A candidate who obtains 40 per cent of the aggregate marks of all the subjects but has failed in one subject only obtaining not less than 20 per cent marks in that subject shall be placed under compartment in that subject. He shall be permitted to appear in that subject only at the next two consecutive examinations-one in September/October (only for compartment cases) and the other in April/May at the annual examination and if he passes at either of these examinations he shall be deemed to have passed the examination.

6.3. A candidate who appears in the compartment subject at the supplementary or the annual examination under this regulation shall-

(a) be required to pay examination fee as for the whole examination; and

(b) not be eligible for a scholarship, prize or a medal.

7. Each candidate shall submit the Project Report to the Principal of the affiliated College.

8. The Project Report of the candidate shall be examined by an external examiner to be appointed by the University.

9. A student who has completed the prescribed course of instruction for the examination but has not been able to appear in the examination or has appeared but has failed may be recommended by the Principal for admission to such examination as a late college student, without attending a fresh course of instruction in the next annual examination. On his second failure in the examination or failure to appear in the examination he shall not be eligible to appear in the examination without attending a fresh course. If he failed at the third attempt, he may again be permitted to appear in the next annual examination either as a late college student, but if he fails even at the fourth attempt in the First year examination, he shall not be permitted thereafter to appear in that examination either as a college student or as a late college student. Provided that this shall not affect the right of a candidate to re-appear in one subject under the compartment regulations.

10. The amount of admission fee to be paid by a candidate for each part of the examination shall be as prescribed by the Syndicate from time to time.

11. Four weeks after the termination of the examination or as soon as is possible, the Controller of Examinations shall publish a list of successful candidates. Each successful candidate of examination shall receive a certificate.

12. The successful candidates shall be classified on the aggregate of marks obtained in B.C.A. (Honours) examination:

a)	Those who obtain 75% or more of the aggregate marks.	:	First Division with Distinction
b)	Those who obtain 60% or more of the aggregate marks.	:	First Division
c)	Those who obtain 50% or more but less than 60% of the aggregate marks.	:	Third Division

13. A College/Institution will be permitted to offer the Course which fulfils the infrastructure and staff requirements laid down by the concerned Faculty and duly approved by the Syndicate.

5. **Regulation 2(i) for Post-Graduate Diploma in Computer Applications examination of Panjab University Calendar, Volume II (effective from the admissions of 2001) in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

2. The minimum qualifications for the course shall be -

(i) Bachelor's degree of Panjab University under 10+2+3 system of examination with at least 50% marks in any discipline.

(ii) B.E./B.Tech.

(ii) Any other examination recognized by the Syndicate as equivalent to (i) above.

6. **Addition of Regulation 11 for Master of Finance & Control examination regarding improvement of performance of Panjab University Calendar, Volume II in anticipation of the approval of Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

11.1 A candidate who has qualified for the award of M.F.C. degree from Panjab University may be allowed to reappear as a private candidate in the paper/s in which he wants to improve his previous performance. For this purpose two chances may be given within a period of five years from the date of his passing the M.F.C. examination. The candidate will be charged the prescribed fee. Improvement will not, however, be allowed in assignment, dissertation/thesis and viva-voce.

11.2 A person who is allowed to reappear in the M.F.C. examination under this regulation may reappear in both Part-I and Part-II examinations simultaneously or Part-I or Part-II or both the Parts separately.

11.3 Marks already obtained in Part-I or II may be carried forward and combined with the other part for purposes of improving the previous performance.

11.4 A person who chooses to appear in both the parts separately but finds that he has improved the previous performance even with the marks of one part, may not reappear in the other Part.

11.5 The result of the candidate shall be declared only if he improves his performance.

Provided that such a person shall not be eligible for the award of any medal/prize for standing first in the examination.

7. **Regulations 6 and 10.3 for Master of Education (M.Ed. (Correspondence Studies) effective from the session 1999-2000) in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

6.1. The minimum number of marks required to pass the examination shall be 33 per cent in each paper, 40% in the dissertation and 40% in the aggregate.

6.2. One chance for reappear (to be taken with the final year) will be given to the candidates scoring minimum of 40 per cent in two papers each and minimum of 25 per cent in the remaining third paper in the M.Ed. (Correspondence) First Year and the candidate be declared eligible to be promoted to the Second Year. During the Second Year M.Ed. (Correspondence) also one chance for reappear will be given on the same pattern.

10.3. A candidate who has qualified for the award of M.Ed. degree from the Panjab University may be allowed to appear as a private candidate in the paper/s in which he wants to improve his previous performance. For this purpose he may be given two chances within a period of five years from the date of his passing M.Ed. examination. Improvement will not, however, be allowed in dissertations/thesis/viva-voce and practicals. The candidate will be charged fee as prescribed by the University from time to time.

8. **Regulations for Bachelor of Library and Information Science through correspondence (Annual System) (To come into force with effect from the academic session 2001-2002).**

1.1. The duration of the course for the Degree of Bachelor of Library and Information Science through Correspondence shall be one academic year from July to April or as decided by the Syndicate from time to time.

1.2. The examination shall be held in the month of April/May or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

2. A person who possesses any of the following qualifications shall be eligible to join the course:

(a) Bachelor's degree with at least 50 per cent marks in the aggregate from this University or from any other University the Bachelor's degree of which has been recognized by the Syndicate; or

(b) Master's degree from this University or from any other University the Master's degree of which has been recognized by this University; or

(c) B.A. degree of the University through O.T./Modern Indian Languages (M.I.L.) and English only examinations, in which case the aggregate of 50 per cent marks shall be calculated by taking into account the marks obtained in English and the elective subjects taken together.

3.1. Every candidate shall pay his/her examination fee (at the time of admission to the course) along with other charges, i.e. tuition fee etc. with or without late fee as may be fixed by the Syndicate.

3.2. The Chairperson of the Department of Correspondence Studies (DCS) shall forward to the Controller of Examinations a list of students who have satisfied the requirements of regulations and are qualified to appear in the examination before or on the last date prescribed as may be fixed by the Syndicate and notified by the Controller of Examinations.

3.3. A candidate on reappearing in one or more papers shall pay the examination fee as prescribed by the Syndicate.

4.1. The examination shall be open to a candidate, who fulfils the requirements laid down in regulation 2, and:

(a) has attended at least 50% of the lectures at the Personal Contact Programme/s in Theory papers;

(b) each candidate shall be required to attend at least 8 hours of practicals in each of the library classification in and library cataloguing papers which will be compulsory;

(c) bears good moral character.

4.2. Deficiency up to 10% in the prescribed number of lectures attended at Personal Contact Programme/s in theory papers may be condoned by the Chairperson of the Department of Correspondence Studies.

4.3. A candidate who does not fulfil the requirements of Regulation 4.1. (a, b and c) above will have to attend again the prescribed number of lectures in the Personal Contact Programme/s held during the next session.

4.4. The prescribed percentage of lectures attended by a candidate at the Personal Contact Programme/s shall remain valid and be carried forward to the next session, in case he/she does not appear or fails in the examination.

5. The medium of instruction and examination shall be English.

6. If a candidate fails to qualify in any paper/s, he/she may be allowed to appear twice subsequently (one chance in supplementary examination and one in annual examination in which he/she has failed to qualify). If he/she still fails to qualify in these papers within this period, his/her result shall stand cancelled. Such a candidate shall not be allowed to appear in the Bachelor of Library and Information Science examination without repeating as a student of the Department of Correspondence Studies.

7.1. There shall be eight papers in all, each comprising 100 marks.

7.2. Every paper shall be set by an external examiner.

8. The minimum marks required to pass the examination shall be 50 per cent in each paper.

9. The Controller of Examinations shall publish the result of the examination four weeks after the termination of the examination or as soon thereafter as possible.

10.1 Successful candidates who have cleared all the prescribed papers shall be awarded the Degree of Bachelor of Library and Information Science. Such candidates shall be classified as under:

(a)(i) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks. : First Division

(ii) Those who obtain 50% or more marks but less than 60% of the aggregate marks. : Second Division

(b) A candidate who secures 75% or more marks in a paper shall be awarded distinction in that paper.

10.2 Every successful candidate shall be granted a Degree mentioning the division in which he/she has passed.

11. The syllabi and courses of reading shall be prescribed by the Syndicate from time to time.

9. **Regulation as approved by the Government of India Notification No. 2-98/G.R. and given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette regarding admission/examination fee.**

Every candidate admitted to the course shall pay admission and examination fee for each academic year to the University as the Syndicate may prescribe from time to time.

10. **Regulations for M.Sc. (Information Technology) (Two-Year Course) (effective from the admissions of 2001) in anticipation of the approval of the University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1.1. There shall be an examination for the degree of M.Sc. (Information Technology). The duration of the course shall be two years.

1.2. The examination for this course shall be held in two parts - Part-I at the end of the first year of the course and Part-II at the end of second year of the course once a year ordinarily in the month of April or on a date fixed by the Syndicate.

1.3 The last date for receipt of admission form and fee with and without late fee as fixed by the Syndicate from time to time shall be notified to the affiliated Colleges concerned.

2.1 A person who has passed the following examinations shall be eligible to join Part I (First Year class) of the course:

B.C.A. examination from the Panjab University or any other University recognized by the Syndicate as equivalent thereto.

2.2 The First Year examination for M.Sc. (Information Technology) shall be open to a regular candidate who:

(a) has been on the rolls of the affiliated college for the academic year preceding the examination;

(b) bears a good moral character; and

(c) has attended not less than (i) 75 per cent of the full course of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers and (ii) in the case of dissertation of thesis, has completed it as directed by the Principal of the affiliated College concerned.

(d) has obtained at least 40 per cent marks in the internal assessment of each such subject.

The candidate must submit his project/dissertation/thesis so as to reach the University at least 20 days before the commencement of Part II examination.

3. The Principal of the affiliated college concerned shall forward to the Registrar, a list of the students who have satisfied the requirement of the rules and regulations and are qualified to appear in the examination, before the commencement of examination for each year.

4. A deficiency in the prescribed number of lectures may be condoned as under:

i) Up to 20% lectures in each paper ... By the Principal of the affiliated College.

ii) Up to 10 lectures may be condoned by the Vice-Chancellor.

5. The amount of admission fee to be paid by the candidate for each part of the examinations shall be as prescribed by the Syndicate from time to time.

6. The medium of examination shall be English.

7.1 Every candidate shall be examined according to the syllabus prescribed by the University from time to time.

7.2 In addition, there shall be Internal Assessment in each part of the examination as per the scheme approved by the Board of Control. The Principal of the college shall send to the University internal assessment awards of each candidate 15 days before the commencement of the examination in accordance with rules laid down by the Syndicate.

8.1 The minimum number of marks required to pass the examination shall be-

a) 40 per cent in each written paper;

b) 40 per cent in internal assessment/viva-voce/seminar/project; and

c) 50 per cent in the aggregate of (a) and (b) above.

A student who does not obtain 40 per cent marks in internal assessment part of every subject separately of the First or Second Year shall be required to again study the subjects prescribed for that year in the next academic session before being allowed to appear in the University examination, subject to the restriction that a student must complete all course requirements and pass all prescribed examinations within a maximum period of four academic sessions from the original date of joining the course in order to be eligible for the award of the Degree.

8.2 The Second Year examination will be open to a regular candidate who-

i) has been on the rolls of the affiliated college during two academic sessions preceding the examination;

ii) has passed the First Year examination and is eligible to appear in the Second Year examination under Regulation 10;

iii) has attended not less than 75 per cent of the full course of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers and in the case of dissertation or thesis, has completed it as directed by the Principal of the affiliated College concerned,

iv) has obtained at least 40 per cent marks in the internal assessment of each such subject.

The candidate must submit his project/dissertation/thesis so as to reach the University at least 20 days before the commencement of Part II examination.

9. Grace marks shall be given at the rate of one per cent of the aggregate marks of all subjects of the First or Second Year examination, as the case may be. A candidate may avail of the grace marks either in the aggregate or in one or more papers as may be his/her advantage. Grace marks shall, however, be given only for passing the examination or for earning a higher division and not for improving internal assessment or for passing the examination with distinction.

10. The student must complete all course requirements and pass all prescribed examinations in maximum four academic sessions from the date of joining the course in order to be eligible for award of the Degree. Subject to the above, a student may be allowed to re-appear in one or more subjects as specified below:

A candidate who having obtained the pre-requisite marks in the internal assessment part of every subject appeared in the First Year examination but fails to pass the examination under Regulation 8.1(c) may be allowed to study in the Second Year of the Course and to re-appear in all or some of the subjects of the First Year examination along with the subjects of the Second Year examination. The subjects in which the candidate shall be eligible to re-appear shall be only those in which he/she has obtained less than 50 per cent marks in the total of the internal assessment part and the university examination part (internal assessment marks shall not be reassessed, but shall be carried over). If he/she still fails to clear the First Year examination, the candidate shall not be allowed to study for the Second Year of the Course, and his result of the First Year Examination shall be withheld, till all the subjects prescribed for the first year examination have been cleared by him/her.

11. Four weeks after the termination of the examination or as soon as possible the Controller of Examinations shall publish a list of successful candidates. Each successful candidate of Part I examination shall receive a certificate.

12. The successful candidates of Part II examination shall be classified into three Divisions as under:

(a) Those who obtain 75% or more of the aggregate marks	:	First Division with Distinction
(b) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks	:	First Division
(c) Those who obtain 50% or more but less than 60% of the aggregate marks	:	Second Division

13. A successful candidate may publish original results of his dissertation/thesis, if permitted by the Principal of affiliated College as papers in journals of repute.

11. Regulations 6.1, 6.2 and 7 of Chapter V(A) relating to 'Conditions of Service of University Employees' at page 112 of Panjab University Calendar, Volume I, 2000 and be given effect to in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette.

6.1 Save as provided in Regulations 5 and 8 of this chapter, a Selection Committee shall consist of the following members to recommend persons for appointment as Professors or Readers:

(i) The Vice-Chancellor to be the Chairperson.

(ii) Three Experts in the concerned subject/field out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Syndicate.

(iii) An academician who is nominee of the Chancellor.

(iv) The Dean of the concerned Faculty.

(v) Head/Chairperson of the concerned department. The Chairperson not below the rank of Professor should sit in the Selection Committee. If Chairperson is not Professor, the senior most Professor would be the member of the Selection Committee. In the absence of any Professor in the department, the Dean of University Instruction would be the member of the Selection Committee.

A representative of Schedule Castes/Scheduled Tribes, Women and Physically handicapped person shall be in the Selection Committee whenever a candidate from any of these categories appears for interview.

The process of selection shall involve inviting the bio-data and reprints of 3 major publications of candidates for the post of Reader (in the case of candidates for the post of Professor one of the publications could be a book or research project) before interview and getting them assessed by the same three external experts who are to be invited to interview the candidates. The assessment report shall be placed before the Selection Committee.

The Committee shall interview suitable persons and make recommendations which will be placed before the Syndicate. If the Syndicate does not accept the recommendation of the Selection Committee it may order re-advertisement of the post in case of direct recruitment or re-invitation of applications in case of in-service promotion or take such other action as may be considered necessary. The Committee in recommending a person for appointment as Professor or Reader shall have regard to:

(i) His capacity for research.

(ii) His ability as a teacher, and

(iii) Generally his eminence in the subject of his profession.

The University may utilize a seminar or colloquium as a method for the selection of a Lecturer, Reader and Professor.

6.2 The quorum shall be 4 out of which at least 2 outside subject experts shall be present.

7. Save as provided in regulations 5 and 8 whenever a Lecturer is to be appointed, a Selection Committee shall consist of the following:

(i) The Vice-Chancellor to be the Chairperson.

(ii) Three Experts in the concerned subject out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Syndicate.

(iii) An academician nominated by the Chancellor.

(iv) The Dean of the concerned Faculty.

(v) Head/Chairperson of the concerned Department.

A representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Women and Physically Handicapped person shall be in the Selection Committee whenever a candidate from any of these categories appears for the interview.

12. Addition in Regulation 1.1 for Doctor of Philosophy in the Faculty of Business Management & Commerce at page 310 of Panjab University Calendar, Volume II, 1995.

1.1. The enrolment to the Doctor of Philosophy in the Faculty of Business Management & Commerce shall be open to a candidate who has obtained Master's degree with not less than 50% marks in the aggregate from Panjab University or from any other University (approved by the Academic Council) in any of the following subjects:

(i) Commerce or Management;

or

(ii) Economics, Mathematics, Statistics, Sociology, Psychology, Public Administration, Operations Research, Social Work, Engineering and Laws;

or

(iii) Any subject other than those mentioned in (i) & (ii) above provided that the candidate has either not less than 5 years work experience at the managerial (including administrative service) level or is a member of the Faculty in the Department of Commerce & Business Management, Panjab University with not less than 5 years experience of teaching postgraduate classes;

or

(iv) Those M.F.C. candidates who qualify the Pre-Ph.D. programmes of the University Business School can get themselves registered for Ph.D.

Provided further that candidates with qualifications mentioned in (ii) and (iii) above shall be eligible for enrolment only if the area of research relates to the Faculty of Business Management & Commerce.

13. Regulations 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4 for Master of Finance & Control (M.F.C.) examination and be given effect to in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette.

9.1. A candidate who fails in the Part-I Examination but has secured in not less than 3 papers at least 35% marks separately as well as jointly with the internal assessment and at least 50% of aggregate marks shall be permitted to continue his studies for Part-II but he will be required to re-appear in the supplementary examination held in the month of September/October of the same year in such paper/s in which he had failed in the April/May Examination. If a candidate fails to clear the re-appear paper/s in the supplementary examination in the month of September/October, he shall be given one more chance to clear the re-appear paper in the annual examination to be held in the month of April/May.

9.2. A candidate who fails in the Part I Examination but secured at least 35% marks separately as well as jointly with the internal assessment in all the papers but fails to get 50% marks in the aggregate shall have the option to re-appear in not more than three papers in the supplementary examination to be held in the month of September/October of the same year and shall be permitted to continue his studies for Part II. If a candidate fails to clear the re-

appear paper/s in the supplementary examination in the month of September/October, he shall be given one more chance to clear the re-appear paper/s in the annual examination to be held in the month of April/May.

9.3. A candidate who fails in the Part II examination but has secured at least 35% marks separately as well as jointly with the internal assessment and at least 50% of aggregate marks in not less than 3 papers shall be allowed to re-appear in the supplementary held in the month of September/October of the same year in such paper/s in which he had fails in the April/May examination. If a candidate fails to clear the reappear paper/s in the supplementary examination in the month of September/October, he shall be given one more chance to clear the re-appear paper/s in the annual examination to be held in the month of April/May.

9.4 A candidate who fails in the Part II examination but has secured at least 35% marks separately as well jointly with the internal assessment in all the papers but fails to get 50% marks in the aggregate shall have the option to re-appear in not more than three in the supplementary examination to be held in the month of September/October the same year. If a candidate fails to clear the re-appear paper/s in the Supplementary examination in the month of September/October he shall be given one more chance to clear the re-appear paper/s in the annual examination to be held in the month of April/May.

14. **Regulation 4 for Master of Science (Industrial Chemistry).**

4. A person who has passed one of the following examinations shall be eligible for admissions to the course:

(a) No change;

(b) B.Sc. Three-Years degree course with Physics, Chemistry and Mathematics;

(c) B.Sc. Three years Degree course with Mathematics/Computer Science, Chemistry and Industrial Chemistry;

OR

(d) Any other examination recognized by the Syndicate as equivalent to (a), (b) and (c).

A person who has passed any equivalent examination under (b), (c) and (d) above shall have to produce an eligibility certificate from the Registrar, Panjab University at the time of admission.

15. Change in nomenclature from B.E. (Metallurgical Engineering) to B.E. Metallurgical & Material Engineering.

16. Deletion of Regulations 2.3, 2.4 and amendments of Regulations 3.1, 3.2, 4, 8 and 13 for Bachelor of Fine Arts of Panjab University Calendar, Volume II, 1995 w.e.f. the admissions of 2001.

3.1. A candidate will be eligible to join the Final Year Class of the course only after he has passed 1st Year, 2nd Year and 3rd Year examinations.

3.2. All the four annual examinations shall be open to a candidate who possesses the qualification as laid down in Regulations 1.2 and 3.1 and produces a certificate signed by the Principal of the College.

4. A deficiency in lectures and practicals may be condoned by the Principal of the affiliated College up to 5 per cent.

8. In the case of all the four annual examinations the sessional marks awarded shall be forwarded by the Principal of the College to the University on the prescribed form at least 10 days before the commencement of the University Examination.

13. The Controller of Examinations shall publish the result of each Annual examination as soon as possible after its termination.

17. Addition to Regulation 1 for Master of Philosophy in the Faculties of Arts, Languages, Education, Science, Design & Fine Arts and Business Management & Commerce at page 172 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 and be given effect to in anticipation of the approval of the Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette.

1. A candidate for the degree of Master of Philosophy in the Faculties of Arts, Languages, Education, Science, Design & Fine Arts and Business Management & Commerce should have passed Master's examination from the Panjab University or any examination which has been recognized as equivalent thereto by this University in the first or second division (50% marks in the subject concerned). For M.Phil. in Gandhian Studies, Master's degree in the subject will be determined by the Board of Control (with the approval of the Dean of University Instruction). For M.Phil. in Guru Granth Sahib Studies, the candidate should have obtained a Master's degree in any Faculty with at least 50% marks in the aggregate from the Panjab University, or from any other University examination of which has been recognized as equivalent to the corresponding examination of this University.

18. **Introduction of Annual System in B.Sc. (Honours School) in Computer Science Course(effective from the session 2001-2002) in anticipation of the approval of University Bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

Regulations governing the course would be the same as for other B.Sc. (Honours School) courses in various Science Departments.

19. **Introduction of (Annual System) in B.Sc. (Honours School) in Bio-technology course (effective from the session 2001-2002) in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette**

20. **Addition to Regulation 11.4 for Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

11.4. That a candidate for B.B.A. Part I examination who fails to qualify the compartment paper in two consecutive chances but stands passed in B.B.A. Paper II examination be given one additional chance to clear the compartment paper. In case he fails to qualify in the additional chance he shall be declared fail and his result for B.B.A. Part II examination shall be cancelled forthwith.

21. **Addition to Regulation 6.3 for Bachelor of Computer Applications (B.C.A.) examination and be given effect to in anticipation of the approval of the University bodies/Government of India/publication in the Government of India gazette.**

That a candidate for B.C.A. Part I/Part II examination who fails to qualify the compartment paper in two consecutive chances but stands passed in B.C.A. Part II/ III examination be given one additional chance immediately next to the second chance to clear the compartment subject. In case he fails to qualify in the compartment paper even in the additional chance he shall be declared fail and his result for B.C.A. Part II /III shall be cancelled forthwith.

22. **Regulation 27.2 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examination at page 54 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 and be given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

27.2. A candidate who is placed in compartment is eligible to join the next higher class provisionally. In case he fails to qualify the compartment subject within the two consecutive chances, his result for the higher examination will be cancelled. For the compartment subject, he may appear as a regular student or a late college student.

Provided that a candidate for B.A./B.Sc. Part II examination who fails to qualify the compartment subject in two consecutive chances but stands passed in B.A./B.Sc. Part III examination in the first attempt shall be given two additional chances immediately next to the second chance availed by him.

In case he fails to qualify in the compartment subject even in additional chance he shall be declared fail and his result for B.A./B.Sc. Part III examination shall be cancelled.

23. **Regulations for Master of Commerce (Annual System) (through Correspondence) and be given effect to from the admissions of 2003 in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1. The duration of course leading to the degree of Master of Commerce shall be two academic years and the examinations shall consist of two parts, viz. Part I at the end of course of first year and Part II at the end of course second year. Examination for each part shall ordinarily be held once a year in the month of April/May or on such dates as may be fixed by the Syndicate and notified by the Controller of Examinations.

2.1. Every candidate shall pay his examination fee along with other charges i.e. tuition fee etc. with and without late fee as may be fixed by the Syndicate.

2.2. The Chairperson of the Department of Correspondence Studies/Principal of the College shall forward to the Controller of Examinations a list of students who have satisfied the requirement of regulations and are qualified to appear in the examination before or on the last date as may be fixed by the Syndicate from time to time and notified by the Controller of Examinations.

3. The minimum qualifications for admission to the First Year of the course shall be -

(a) A bachelor's degree in Commerce/Business Administration with not less than 45 % in the aggregate; OR

(b) B.Com. (Honours) Degree with not less than 45% marks in the aggregate; OR

(c) A graduate with Honours in Economics OR Mathematics OR Statistics OR Commerce with not less than 45% marks in the aggregate; OR

(d) A graduate with 50% marks in the aggregate having offered Economics, Mathematics, Statistics or Commerce as a subject in the examination.

Provided that in case of candidates having 'Bachelor's degree of the University through Modern Indian Language (Hindi/Urdu/Punjabi) (Gurmukhi Script) and or in a classical Language (Sanskrit/Persian/Arabic) or degree of any other University obtained in the same manner recognized by the Syndicate; 50% marks in the aggregate shall be calculated by taking into account full percentage of marks in all the papers in Language excluding the additional optional paper, English and the elective subject taken together; OR

(e) An associate of the (i) Institute of Chartered Accountants of India or England or (ii) Institute of Cost and Work Accountants of India or England; OR

(f) A pass in the final examination conducted by the Institute of Company Secretaries of India; OR

(g) Any other qualifications recognized by the Syndicate for this purpose.

4. The medium of instructions and examination shall be English. However, the candidate can answer the questions in English, Hindi or Punjabi.

5.1. Every candidate shall be examined in the papers (including Project and Viva-voce) as laid down in the syllabus prescribed from time to time. The written examination to be conducted by the University in each paper, except for papers of Project and viva-voce, shall carry 75% marks and internal shall carry 25% marks.

5.2. For the students of Department of Correspondence Studies, the Chairperson of Department of Correspondence Studies shall forward internal assessment marks on the basis of written assignments to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of examination.

5.3. For the students of a college, the Principal of the college shall forward internal assessment marks on the basis of periodical tests, written assignments, case discussion, Syndicate sessions, field trips etc. to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the examinations.

5.4. Project shall be assessed internally. Project report shall be submitted to the Chairperson, Department of Correspondence Studies/Principal of the college at least two months before the commencement of the examination. Project reports received after the prescribed date shall not be accepted unless approved by Chairperson, Department of Correspondence Studies/Principal of the College.

5.4(i)(a) The rules regarding project report will be the same as for students of UBS, College and Correspondence Studies.

(b) A student may undertake a summer training research project based on 6-8 weeks of summer training or a research project.

(c) The report shall be submitted within two weeks of opening of College/University for the next academic session.

(d) A viva voce examination based on the project report shall be held within two weeks by an internal and an external examiner.

(e) The examiner shall be appointed from University Departments and affiliated Colleges.

(f) In the light of (a) to (e) any consequential change in the rules of correspondence studies shall follow.

5.5. Viva-voce shall be conducted jointly by an internal and an external examiner appointed by the University.

6. The Chairperson of the Department of Correspondence Studies/Principal of the College shall preserve the record on the basis of which the internal assessment awards are prepared for inspection, if needed by the University for six months from the date of declaration of the result.

7.1. (i) Part I examination shall be open to a candidate who has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies/College during academic year preceding Part-I examination.

OR

(ii) has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies/College during any of the two previous academic years provided that he is covered under the "Re-appear" Regulations 9.1 and 9.2..

7.2. (i) Part-II examination shall be open to a candidate who has passed M.Com.-I from Department of Correspondence Studies and has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies/College during the academic year preceding Part-II examination.

(ii) Candidates having passed M.Com. I from a affiliated College/University Business School, P.U. only if they have studied in annual system in M.Com.-I, in special cases, with prior permission of the Vice-Chancellor only.

(iii) Candi dates having passed M.Com. I from Universities other than P.U. be allowed subject to the clearance of deficient subjects in special cases on condition to be decided by the Vice-Chancellor.

(iv) Has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies/College during any of the two previous academic years provided he is covered under the 'Re-appear' Regulations 9.3 & 9.4 and has paid prescribed continuation fee, if any, every year as an ex-student.

7.3(i) A candidate of the Department of Correspondence Studies who fails to submit at least 80% of all the assignments of the session shall not be eligible to appear in the University examination.

(ii) A candidate of a college who fails to attend at least 66% of lectures, seminars, case discussion, syndicate sessions. field trips, project work etc. for each paper shall not be eligible to appear in the University examination. However, a deficiency up to 10% may be condoned by the Principal of the college.

8.1. The minimum marks to pass the examination in each Part shall be as under:

(i) 35% in each paper in the University examination separately as well as jointly with internal assessment;

(ii) 35% in Project;

(iii) 35% in Viva-voce;

(iv) 50% in aggregate of (i), (ii) and (iii) above.

8.2. Grace marks shall be given @ 1% of the aggregate marks of the University examination in each Part. A candidate may avail of the grace marks either in the aggregate or in one or more papers as may be to his advantage. The grace marks shall, however, be given only for passing the examination or for earning the higher division and not for passing the examination with distinction.

9.1. A candidate who fails in Part-I examination but has secured in not less than 50% of the papers at least 35% marks in the University examination separately as well as jointly with the internal assessment and at least 50% of aggregate marks shall be permitted to continue his studies for Part-II but he will be required to re-appear in the supplementary examination to be held in the month of September/October of the same year and/or in the annual examination to be held in April/May next year in such papers in which he had failed in April/May examination.

9.2. A candidate who fails in the University Part-I examination but has secured at least 35% marks separately as well as jointly with the internal assessment in all the papers but fails to get 50% marks in the aggregate shall have the option to re-appear in not more than 50% of the papers in the supplementary examination to be held in the month of September/October of the same year and/or in the annual examination to be held in April/May next year and shall be permitted to continue his studies for Part-II.

9.3. A candidate who fails in the Part-II examination but has secured in not less than 50% of the papers at least 35% marks in the University examination separately as well as jointly with the internal assessment and at least 50% of aggregate marks shall be allowed to re-appear in the supplementary examination to be held in the month of September/October of the same year and/or in the annual examination to be held in the month of April/May next year in such papers in which he had failed in April/May examination.

9.4. A candidate who fails in the Part II examination but has secured at least 35% marks separately as well as jointly with the internal assessment in all the papers but fails to get 50% marks in the aggregate shall have the option to re-appear in not more than 50% of the papers in the supplementary examination to be held in the month of September/October of the same year, and in the annual examination to be held in April/May next year.

9.5. 50% of 5 papers will be taken as 2 and that of 7 papers as 3 for the purpose of these regulations.

Note: i) A candidate who fails to pass Part-I examination in three consecutive years shall have to leave the course.

ii) A candidate who fails to pass Part-II examination in three consecutive years but has passed Part-I examination may be given a special chance and allowed to appear in the next regular examination without attending the course on the recommendation of the Chairperson of the Department of Correspondence Studies/Principal of the College on payment of the prescribed continuation fee, if any.

(iii) A candidate who fails to pass Part-II examination even after availing the special chance shall have to leave the course.

10.1(i) For the students of Department of Correspondence Studies the internal assessment awards of a candidate who has submitted assignments as per Regulation 7.3(i) but fails in the examination and does not rejoin the Department of Correspondence Studies as a regular student shall be carried forward to the next examinations.

(ii) For the students of a College the internal assessment awards of a candidate who has attended the required number of lectures as per Regulation7.3 (ii) but fails in the examination and does not rejoin the College as a regular student shall be carried forward to the next examination.

10.2. In case a student who has not submitted his assignments as per Regulation 7.1(i) and wants to appear as an ex-student of Department of Correspondence Studies, he will be allowed to do so only after the submission of assignments of the session in which he wants to appear.

11. As soon as it is possible after the termination of the examination, the Controller of Examinations shall publish a list of candidates who have passed the examination.

12. If a candidate fails in Project/Viva-voce he will be given one more opportunity to pass that paper within one year.

13. A candidate who qualifies for the M.Com. degree shall be allowed to have up to two chances to re-appear as a private candidate in the papers in which he wants to improve his previous performance within a period of 5 years from the date of his passing of M.Com. examination. The candidate will be charged prescribed fee. Improvement will not, however, be allowed in internal assessment, project and viva-voce.

14.1. A candidate who is allowed to re-appear in the M.Com. examination under the regulation 13 may reappear in both Part-I and Part-II examinations simultaneously or Part I or Part II separately. Marks already obtained in Part I

or Part II may be carried forward and combined with the other part for purposes of improving the previous performance.

14.2. The successful candidates shall be classified as under:

i)	Those who obtain 75% or more of the aggregate marks in Part I and Part II examinations taken together.	: First Division with Distinction
ii)	Those who obtain 60% or more of the aggregate marks but less than 75% marks in Part I and Part II examinations taken together.	: First Division
iii)	Those who obtain below 60% of the aggregate marks in Part I and Part II examinations taken together.	: Second Division

24. **Regulations 1 and 8.1 for Bachelor of Laws examination at pages 350-353 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1. The Department of Laws, Panjab University, shall conduct the following courses:

Three-Year (6 Semesters) integrated course leading to the Degree of LL.B. (Bachelor of Laws).

xxx xxx xxx

8.1(a) Promotion from 1st to 2nd, 3rd to 4th and 5th to 6th semester shall be allowed to a student who fulfils the attendance and other requirements under the rules, even if he fails to appear or qualify in the papers prescribed for 1st, 3rd or 5th semesters as the case may be.

(b) Promotion/admission to 3rd or 5th semester shall be allowed to a student provided he has passed in 5 out of 10 papers prescribed for 1st and 2nd semesters and 10 out of 20 papers prescribed for 1st, 2nd, 3rd and 4th semesters as the case may be.

(c) A candidate shall be allowed to appear in the 1st and 2nd semesters, 3rd and 4th semesters and 5th and 6th semester examination within 3 years of his joining 1st, 3rd and 5th semesters as the case may be.

25. **Regulations 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 10.3 and 11.1 for Bachelor of Education examination at pages 264-268 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 and be given effect to from the admissions of 2001 in anticipation of the approval of the University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1.1. The duration of the course for the degree of Bachelor of Education (B.Ed.) shall be one year and the number of working days for transacting curriculum shall not be less than 180 days.

2.1. A person who possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the course:

(a) Bachelor's degree of this University or any other recognized University with at lest 45% marks in the aggregate, provided the candidate has offered at least two school subjects at the first degree level;

(b) M.A. or M.Sc. or M.Sc. (Honours School) or M.Com. degree of this University or any other recognized University with a minimum of 45% marks in the aggregate with combination of at lest two School subjects at first degree level and postgraduate level;

(c) B.A. degree of the University through Modern Indian Languages and English only examinations, in which case the aggregate of 45% marks shall be calculated by taking into account the marks obtained in English and the elective subjects taken together;

(d) Diploma in Rural Services (3-Year Course) awarded by the National Council for Rural Higher Education, Ministry of Education, with not less than 45 per cent marks in the aggregate;

(e) Any other qualification recognized as equivalent to (a), (b) or (c) above.

Explanation -

(i) A graduate who has been awarded B.Sc. Pass degree on the basis of B.Sc. (Honours School) examination of the University shall be deemed to have passed with 50% marks in the aggregate.

(ii) A candidate who passed in additional subjects subsequent to obtaining B.A./B.Sc. degree 45% marks in the aggregate shall be calculated taking into account the marks obtained in the compulsory subject/s and three elective subjects or additional elective subjects.

Exception -

In the case of students belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes (excluding economically backward class) the

requirement of 45 per cent marks shall be reduced by 5 per cent provided they have obtained minimum pass marks prescribed by the regulations.

2.2. Deleted

2.3. No one who is in employment (whole-time, part-time or honorary service) shall be allowed to join B.Ed. course without taking leave from his institution/office, etc. from the date of commencement of the academic session to the conclusion of his examination in student Teaching.

3.1. A person who possesses the qualification laid down in Regulation 2, has been on the rolls of a College affiliated for the course for B.Ed. degree during the academic year preceding the examination, and produces the following certificates signed by the Principal of the College shall be eligible to appear in the examination:

(i) of good character;

(ii) of having undergone the course of training for the degree of Bachelor of Education for one academic year at a college affiliated for this examination; and

(iii) of having attended not less than 75 per cent of the lectures delivered in each subject.

3.2. The Principal of a College may condone shortage up to 5 lectures in a subject.

4. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be as fixed by the Syndicate from time to time.

5.1. The examination shall consist of two parts as under:

Part-I: Theory Papers (as per details given in the syllabus)

Part-II: Practicals (as per details given in the syllabus)

Provided that –

(i) to (iv) as such.

6.1. Each College shall hold at least two house tests in (i) theory papers, (ii) in drawing and sketching and (iii) B.B. writing and B.B. sketching. A candidate who obtains less than 35% marks in a theory paper/s and practicals (in all the tests combined) shall not be allowed to appear in the University examination and intimation about him/her be sent by the College Principal at least 10 days prior to the commencement of University examination (B.Ed. theory) to the University.

In case of failure to get qualifying marks (35%) in house tests in any paper or parts, the candidate can appear in the test in the concemed paper(s) or Part(s) along with the regular students in the next academic session.

10.3. Each successful candidate shall be awarded a degree stating the division obtained in Part-I (External) along with Intemal Assessment of Practical Work related to Theory Papers to be indicated separately and Part-II (Extemal) taken together.

11.1. A person who has already passed the examination for the degree of Bachelor of Teaching/Bachelor of Education may offer an additional teaching subject. He may be admitted to the examination on submission of application on the prescribed form and payment of admission fee as prescribed by the Syndicate from time to time.

Provided that –

(i) he has already passed the first degree/postgraduate degree examination in that subject;

(ii) in addition to the written paper of the teaching subject, the candidate shall have to give 30 lessons in a recognized high school and shall undergo a practical test in the teaching of the additional subject taken by him.

(iii) Deleted.

26. Regulation 2.1 for Master of Science (Information Technology) (2-Year Course) (effective from the admissions of 2002) in anticipation of the approval of the University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.

2.1. A person who has passed the following examinations shall be eligible to join Part-I (First Year) class of the course:

(a) B.C.A. examination from the Panjab University;

or

(b) B.E./B.Tech. in Computer Science from Panjab University;

or

(c) Any other examination recognized by the Syndicate as equivalent to (a) or (b) above.

27. **Amendment/addition/deletion of regulations for B.Sc. (Honours School) and M.Sc. (Honours School) (Annual System) at pages 64-69 and 120-124 respectively of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 (effective from the admissions of 2002-2003 to the First Year in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

Title: REGULATIONS FOR B.Sc. (HONOURS SCHOOL) IN ANTHROPOLOGY, BIOCHEMISTRY, BIOPHYSICS, BOTANY, CHEMISTRY, GEOLOGY, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS AND ZOOLOGY (ANNUAL SYSTEM) W.E.F. THE ADMISSIONS OF 1992-93.	Title: B.Sc. (HONOURS SCHOOL (ANNUAL SYSTEM) W.E.F. THE ADMISSIONS OF 2002-2003.
1. The University shall undertake instruction for B.Sc. (Honours School) Courses in the following subjects: i. Anthropology ii. Biochemistry iii. Biophysics iv. Botany v. Chemistry vi. Geology vii. Mathematics viii. Microbiology ix. Physics x. Zoology	1. The University shall undertake instruction for B.Sc. (Honours School) Courses in the following subjects. i. Anthropology ii. Biochemistry iii. Biophysics iv. Biotechnology v. Botany vi. Chemistry vii. Computer Science viii. Geology ix. Mathematics x. Mathematics and Computing xi. Microbiology xii. Physics xiii. Zoology
The Syndicate shall, however, have the authority to add or discontinue Honours School in any subject.	The Syndicate shall, however, have the authority to add or discontinue Honours School in any subject.
The duration of the course for B.Sc. (Honours School) degree shall be 3 years. The examination for the B.Sc. (Honours School) course shall be held in three parts-Part I at the end of the 1st year, Part II at the end of the 2nd year and Part III at the end of 3rd year of the course – once a year, ordinarily in the month of April or on a date to be fixed by the Syndicate.	The duration of the course for B.Sc. (Honours School) degree shall be 3 years. The final examination for the B.Sc. (Honours School) course shall be held in three parts – Part I at the end of the 1st year, Part II at the end of the 2nd year and Part III at the end of 3rd year of the course, ordinarily in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

2. The person who has passed one of the following examinations will be eligible for admission to the First Year of the B.Sc. (Honours School) Course:

i. +2 examination under 10+2+3 system of education conducted by a recognized Board/University/Council with the combination of subjects as laid down by the respective Boards of Control.

ii. Pre-Medical/Pre-Engineering/B.Sc. Part-I (Medical or Non-Medical) examination (old Regulations) of the Panjab University.

iii. Part-I of the Three Year B.A./B.Sc. Course of the Panjab University under old Regulations.

iv. Any other examination recognized by the Syndicate equivalent to (ii) and (iii) above.

Provided that he/she fulfils the requirements of the subjects studied as laid down by the respective Board of Control.

Provided further that the admission of the eligible students to the B.Sc. (Honours School) Courses will be based on their merit in the Entrance Test conducted for this purpose/the fulfilment of such other requirements which may be laid down by the Syndicate.

2(a) The person who has passed one of the following examinations will be eligible for admission to the First Year of the B.Sc. (Honours School) Course:

i. +2 examination under 10+2+3 system of education conducted by a recognized Board/University/Council with the combination of subjects as laid down by the respective Boards of Control.

ii. Pre-Medical/Pre-Engineering/B.Sc. Part-I (Medical or Non-Medical) examination (old Regulations) of the Panjab Universlty.

iii. Part-I of the Three Year B.A./B.Sc. Course of the Panjab University under old Regulations.

iv. Any other examination recognized by the Syndicate equivalent to (ii) and (iii) above.

Provided that he/she fulfils the requirements of the subjects studied as laid down by the respective Board of Control.

Provided further that the admission of the eligible students to the B.Sc. (Honours School) Courses will be based on their merit in the Entrance Test conducted for this purpose/the fulfilment of such other requirements which may be laid down by the Syndicate.

(b) A student will be eligible to seek admission to B.Sc. (Honours School) 2nd year only if he/she has passed B.Sc. (Honours

	School) 1st year examination.
	(c) A student will be eligible to seek admission to B.Sc. (Honours School) 3rd year only if he/she has passed B.Sc. (Honours School) 2nd year examination.
3. Every student admitted to the B.Sc. (Honours School) Course shall be on the rolls of the University Department of the Major subject concerned and pay such fees to the University as the Syndicate may prescribe. The Dean of University Instruction may exempt any student for payment of tuition fee on the recommendation of the Chairman/Head of the Department within the prescribed period.	3. No Change
4.1. A Board of Control shall be appointed by the Syndicate in January every year and shall consist of:	4.1. No Change
1. The Chairman/Head of the Department in the subject of the School as Chairman;	
2. The University Professors and Readers in the subject of the School;	
3. Two University Lecturers on the recommendation of the Chairman/Head of the Department in the subject of the School by rotation according to seniority;	
4. One teacher from the Department in each Subsidiary subject of the School.	
4.2. Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to admit students and to remove students from the Honours School or class in accordance with the Rules laid down by the Academic Council.	4.2. No Change

4.3. Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to remove students from the Honours School, in case of misconduct.	4.3. No Change
4.4. The Board of Control shall make recommendations to the Syndicate in all matters concerning the Honours School course including syllabi and the appointment of examiners.	4.4. The Board of Control shall make recommendations to the Syndicate in all matters concerning the Honours School, including syllabi and the appointment of examiners (for both Major and Subsidiary subject).
However, recommendations concerning syllabi shall be routed through the Faculty and the Academic Council.	However, recommendations concerning syllabi shall be routed through the Faculty and the Academic Council.
5. The syllabi and courses of reading for B.Sc. Honours School course shall be as approved by the Senate from time to time.	5. The syllabi and courses of reading for B.Sc. Honours School course shall be as approved by the Senate from time to time.
6.1.A student of Honours School shall study:	6.1. A student of Honours School shall study:
i) Major Subject ii) Subsidiary courses iii) English (during First Year) iv) Environmental Education: 50 marks (during First Year as a compulsory qualifying paper).	i) Major Subject ii) Subsidiary courses iii) English (during First Year) iv) Environmental Education: 50 marks (during First Year as a compulsory qualifying paper).
Note: This is a compulsory paper which the candidates are required to pass with the at least 33% marks in the First year or in the Second Year/Third Year of the course.	Note: This is a compulsory paper which the candidates are required to pass with the at least 33% marks in the First year or in the Second Year/Third Year of the course.
v) Panjabi (during Second Year)	v) Panjabi (during Second Year: 50 marks) as a qualifying paper - marks will not be counted in deciding the division.

6.2. Each Board of Control may decide the number and type of Subsidiary courses subject to the approval of Academic Council.	6.2. Each Board of Control may decide the number and type of Subsidiary courses subject to the approval of Academic Council.
Honours School Anthropology: Subsidiary courses in Biochemistry, Geology, Geography, Sociology, Zoology or Botany-cum-Zoology, Economics, Mathematics, Physics, Chemistry, Microbiology and Biophysics.	Major: Anthropology Subsidiary: Biochemistry, Biophysics, Chemistry, Economics, Geography, Geology, Mathematics, Microbiology, Physics, Sociology and Zoology or Botany-cum-Zoology.
Biochemistry First Year: Chemistry, Botany-cum-Zoology, Mathematics, Physics, Microbiology and Biophysics. Second Year: Chemistry, Biophysics, Botany, Zoology, Microbiology, Human Anatomy and Botany-cum-Zoology.	Biochemistry First Year: Biophysics, Botany-cum-Zoology, Chemistry, Mathematics, Microbiology and Physics. Second Year: Biophysics, Botany, Botany-cum-Zoology, Chemistry, Human Anatomy, Microbiology, and Zoology.
Biophysics First Year: Botany, Zoology, Mathematics, Physics and Chemistry. Second Year: Biochemistry, Physics, Microbiology and Mathematics.	Biophysics First Year: Botany, Chemistry, Mathematics, Physics and Zoology. Second Year: Biochemistry, Mathematics Microbiology and Physics.

		Biotechnology	First Year: Chemistry (Basic), Mathematics-I and Physics (Basic). Second Year: Biophysics, Computer Science & Applications, Life Sciences-II, Mathematics-II
Botany	Zoology, Chemistry, Physics, Geology, Biochemistry, Biophysics, Microbiology and Anthropology.	Botany	Anthropology, Biochemistry, Biophysics, Chemistry, Geology, Microbiology, Physics and Zoology,
Chemistry	Physics, Botany, Geology, Zoology and Mathematics.	Chemistry	Botany, Geology, Mathematics, Physics and Zoology.
Geology	Mathematics, Physics, Chemistry, Geography, Botany, Zoology, Anthropology.	Geology	Anthropology, Botany, Chemistry, Geography, Mathematics, Physics and Zoology.
Mathematics	Physics, Chemistry, Geology, Geography, Economics, Philosophy, Computational Techniques and Life Sciences.	Mathematics	First Year: i. Computational Techniques. ii. One of the following: Chemistry, Economics, Geography, Geology, Life Sciences, Philosophy and Physics. Second Year: i. Probability and Statistical Methods.

	ii.	One of the following: Chemistry, Economics, Geography, Geology, Life Sciences, Philosophy and Physics.
Microbiology	First Year:	
		Chemistry, Botany-cum-Zoology, Mathematics and Physics.
	Second Year:	
		Biophysics, Biochemistry, Botany, Zoology and Anthropology.
Physics		Mathematics, Chemistry, Botany, Zoology, Biophysics, Computational Techniques and Zoology.
Zoology		Botany, Chemistry, Geology, Biochemistry, Biophysics, Microbiology and Anthropology.

Microbiology	First Year:	
		Botany-cum-Zoology, Chemistry, Mathematics and Physics.
	Second Year:	
		Anthropology Biochemistry, Biophysics, Botany, and Zoology.
Physics		Biophysics, Botany, Chemistry, Computational Techniques, Geology, Mathematics and Zoology.
Zoology		Anthropology, Biochemistry, Biophysics, Botany, Chemistry, Geology and Microbiology.

7. Every candidate for the B.Sc. Honours School examination shall send his application through the Chairman/Head of the Department accompanied by the following certificates:	7. The examination in Part-I/II/III shall be open to a student who has passed one academic year previously the examination as laid down in Regulation 2 and whose name is sent to the Controller of Examinations by the Head of the University Department that he has most recently attended and who produces the following certificates signed by the Head of Department concerned:
(a) of good moral character;	(a) of good moral character;
(b) of having attended at least 66% of the total number of lectures and practicals separately in each *course; and	(b) of having been on the rolls of the University Department for the academic year preceding the examination;
	(c) of having attended at least 75% of the total number of lectures and practicals separately in each *course; and
(c) of having passed the earlier examinations.	(d) of having passed the earlier examinations.
*(A course means a paper in theory or practicals)	*(A course means a paper in theory or practicals)
The Board of Control is empowered to condone shortage in attendance of lectures and practicals to the extent of 10 per cent lectures delivered in each course of theory and practicals.	The Board of Control is empowered to condone shortage of attendance to the extent of 10 per cent of the lectures delivered practicals in each course of theory and practicals.
8.1. The last dates by which admission forms and fees must reach the Controller of Examinations without and with late fee shall be as fixed by the Syndicate.	8.1. No Change
8.2. The amount of the admission fee for each year examination to be paid by a candidate shall be as fixed by the Syndicate from time to time.	8.2. No Change
9.1. Examination in theory/practical shall be held at the end of each year according to the scheme of	9.1. Deleted

examinations approved by the Academic Council.

9.2. The Scheme of Examinations will be as follows:

First Year Honours School

		Credits
Major Subject	400 marks	16
Subsidiary courses	400 marks	16
English	200 marks	8
Additional Subsidiary Course for Basic Medical Sciences	200 marks	8

Second Year Honours School

		Credits
Major Subject	600 marks	24
Subsidiary courses	400 marks	16
Additional Subsidiary Course for Basic Medical Sciences	200 marks	8
Panjabi qualifying (marks will not be counted in deciding the division)	50 marks	2

9.1. The Scheme of Examinations will be as follows:

First Year Honours School

		Credits
Major Subject	400 marks	16
Subsidiary courses	400 marks	16
English	200 marks	8
Additional Subsidiary Courses for Basic Medical Sciences	200 marks	8

		Credits
Major Subject	600 marks	24
Subsidiary courses	400 marks	16
Additional Subsidiary Course for Basic Medical Sciences	200 marks	8

Third Year Honours School

		Credits
Major Subject	1000 marks	40
Total marks for B.Sc. (Honours School) for subject other than Basic Medical Sciences.	3000	120
For Basic Medical Sciences	3400	136

Note: 25 marks means one credit.

The number of Paper-Theory and Practicals as well as the distribution of marks amongst theory and practicals shall be given in the syllabus.

10. The examinations conducted on the dates prescribed by the Syndicate will be only in those courses which have been offered in 1st, 2nd and 3rd years as the case may be.

11. A student shall be admitted to the annual courses successively subject to the following conditions:

(i) Bachelor's degree (under 10+2+3) system of examination in each paper of theory and practicals (Major, Subsidiary, English or Punjabi) for a pass in that course.

(ii) The examination shall ordinarily be held in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate from time to time.

The final award in each paper will be determined by the combined

Third Year Honours School

		Credits
Major Subject	1000 marks	40
Total marks for B.Sc. (Honours School) for subject other than Basic Medical Sciences.	3000	120
For Basic Medical Sciences	3400	136

Note: 25 marks means one credit.

The number of Papers, (Theory and Practicals) as well as the distribution of marks amongst theory and practicals shall be given in the syllabus.

10. No Change

11. The mode of assessment and examination shall be as under:

(i) Examination in both theory and practical papers would be fully internal, periodic/continue and open.

(ii) The final examination shall ordinarily be held in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate from time to time.

The final award in each paper will be determined by the combined

marks obtained by a student in the annual examination and December Test.

(iii)(a) A student who appears in the annual examination of the 1st year of B.Sc. (Honours School) but earns a minimum of 24 credits for subjects other than Basic Medical Sciences (a minimum of 28 credits in the case of Basic Medical Sciences) will be given reappear chance in those papers in which he fails, and he will be promoted to the 2nd year B.Sc. (Honours School) class.

(b) A student will be admitted to 3rd year of B.Sc. (Honours School) class only if he has earned a minimum of 56 credits in the first two years, i.e. first and second year together for subjects other than Basic Medical Sciences (64 credits in the case of students of Basic Medical Sciences).

(c) to enable a student to clear the reappear(s) in the paper(s) in which he has failed, a supplementary examination will be held in the month of September/October or on such dates as may be fixed by the University. In addition, he may also appear in those papers when annual examination is held for those papers for regular students.

(d) A student failing to earn 24 credits in the B.Sc. (Honours School) first year examination for the subjects other than Basic Medical Sciences (28 credits in the case of Basic Medical Sciences) and less than 56 credits in the B.Sc. (Honours School) first year and second

marks obtained by a student in the annual examination and mid-term tests.

(iii) The evaluated answer scripts would be shown to the students, according to a schedule announced by the concerned department, within 10 days of the completion of examination. Answers would be discussed and rationale of assessment explained to the students. After discussing the answers with the students, the teacher would finally submit the award list to the Convener of UGAPMEC (see 12.2). Answer scripts would be retained by the concerned teacher for one year after the declaration of the result. There would be no provision for re-evaluation.

(iv) The teacher for a particular course would ordinarily be the paper-setter, invigilator and script-evaluator. In case, more than one teacher teaches the course, one of the teachers would be designated as Instructor-in-Charge. He would set the question paper in consultation with other teachers of the course as well as jointly invigilate and evaluate the answer scripts.

(v) For each course, two question papers would be set before the Final Examination, one for the Final Examination and the other for the Supplementary Examination.

(vi) 20 per cent of the total marks for each theory course would be assigned to the two best out of three mid-term tests. Each test would have 10% of the total marks for the course. Mid-term tests may be held in September, October, December and

year examinations together for subjects other than Basic Medical Sciences (64 credits in the case of Basic Medical Sciences) will be declared fail in B.Sc. (Honours School) first year and B.Sc. (Honours School) second year examination respectively. However, such a student may seek readmission in B.Sc. (Honours School) first year or second year as the case may be as a failed candidate.

(iv) Not withstanding the above conditions, no student shall be allowed to spend more than a maximum of five years in the entire B.Sc. (Honours School) course. He must clear all the re-appears and earned the stipulated number of credits for the award of B.Sc. (Honours School) degree viz. 120 for subjects other than Basic Medical Sciences and 136 for Basic Medical Sciences within the maximum period of five years. A student failing to do so will be declared fail and will be required to leave the B.Sc. (Honours School).

(v) For the purpose of determining the division, aggregate marks obtained by the candidate in all the examinations of the three years in all the subjects-Major, Subsidiaries and English except Panjabi (Qualifying) shall be taken into account.

(vi) The students are required to pass the theory and practical papers separately and students should secure pass marks in each of these papers separately.

(vii) The students who absent themselves for one reason or the February/March, preferably without any break and without disrupting the teaching schedule.

(vii) In a laboratory course, 20% of the total marks would be assigned for continuous assessment in the Laboratory, depending on the skill of the student in doing the experiments, viva-voce on the experiments and written report on the experiments. The final practical examination may be held before the final theory examinations. It would carry the remaining 80% of the marks. Before the final practical examination marks secured by the students in the continuous assessment would be displayed on the Departmental Notice Board by UGAPMEC.

Each practical examination would have two examiners.

(viii) The entire academic calendar for the year, including the beginning of instruction, ending of instruction, date-sheet of mid-term tests, etc. would be worked out by each department at the beginning of the session and notified to the teachers and students.

(ix) The records of marks for the mid-term tests and continuous assessment would be sent to the Controller of Examinations at least 15 days before the commencement of the final theory examinations.

(x) The provisional results would be displayed within 15 days of the last paper, on the Departmental Notice Board. Within two days after that the final result would be sent by the Department to the Controller of Examinations. The

other for improvement of course shall be allowed to appear in the annual examinations only.

University would declare the result within next 15 days.

(xi) A student who has not earned a minimum of 50% of the total credits would be declared fail.

(xii) A student who has earned a minimum of 50% of credit, but has failed in the remaining courses would be eligible to appear in the Supplementary Examination to be held ordinarily in the month of July in the papers in which he has re-appears. There would be no re-examination for mid-term tests/continuous assessments. The Supplementary Examination would be only for 80% of the total marks in a course. If a student does not pass all his courses at the Supplementary Examination he would be declared fail.

A failed student may seek re-admission or may re-appear in the next final examination as a late college student.

(xiii) Not withstanding the above conditions, no student shall be allowed to spend more than a maximum of five years in the entire B.Sc. (Honours School). He must clear all the re-appears and earned the stipulated number of credits for the award of B.Sc.(Honours School) degree viz. 120 for subjects other than Basic Medical Sciences and 136 for Basic Medical Sciences within the maximum period of five years. A student failing to do so will be declared fail and will be required to leave the B.Sc. (Honours School).

(xiv) For the purpose of determining the division, aggregate marks

	obtained by the candidate in all the examinations of the three years in all the subjects-Major, Subsidiaries and English except the qualifying papers/subjects shall be taken into account.
	(xv) The students are required to pass the theory and practical papers separately. The minimum number of marks to pass a course/paper shall be 40% of the total marks allotted to the course/paper.
	(xvi) The students who absent themselves for one reason or the other for improvement of course shall be allowed to appear in the annual examinations only.
12.1. The Boards of Control in respective Departments may decide the nature and style of question papers whether objectives/short answer type/problem-based/subjective/Essay type or any combination thereof. In case, there are more than one person teaching the course, the Board of Control shall decide one of them to be the internal examiner.	12.1. The Boards of Control in respective Departments may decide the nature and style of question papers whether objectives/short answer type/ problem - based / subjective / Essay type or any combination thereof.
12.2. The setting of question papers for the University examination will be done by the external examiner only. For this purpose, the Board of Control/Board of Studies will prepare a panel of 3-5 or more examiners – any one of whom may be entrusted with the setting of the paper by the competent authority.	12.2. The Board of Control would appoint Undergraduate Academic Programme Monitoring and Execution Committee (UGAPMEC), for monitoring and execution of the academic programmes in all the three years. The composition and functions of UGAPMEC would be as under: (i) UGAPMEC would consist of 5-7 faculty members. It will have a Convener and Secretary both to be appointed by the Board of Control. The UGAPMEC would work in close collaboration with the Department and Chairperson.

	(ii) The term of UGAPMEC would be three years. After the initial period of 3 years, 3-4 members, including the Convener would retire. A new Convener and Secretary would be appointed for 3 years by the Board of Control. After another year the remaining older members will retire making way for new members, so that both replenishment and continuity are maintained. Each member would serve a 3 year terms.
	(iii) The UGAPMEC would look after every aspect of the academic programme in order to ensure the smooth functioning and integrity of all aspects of the programme. It would meet preferably once a month.
	(iv) The duties of UGAPMEC would include framing of academic calendar for the year, keeping track of attendance, schedule of mid-term test and annual examinations, tabulation of marks after careful scrutiny, computerized storage of data, regular monitoring that the University rules and regulations are followed properly and any other duty assigned by the Chairperson/Board of Control. In case of subsidiary subjects, the UGAPMEC of subsidiary subject would collaborate with the UGAPMEC of the major subject.
	(v) All decisions taken by the UGAPMEC would be subject to approval of Board of Control.
12.3. The paper setters will be provided with the prescribed syllabus and courses of reading along with (i) of all the topics to be covered in the class with relating weightage given to each topic and the booklets from which the	12.3. No Change

topics are to be taught, (ii) a model question paper and (iii) such instruction/information as the Board of Control may deem fit so that the question paper encompasses the entire syllabus and is designed to test the students' knowledge and understanding of the subject.	
12.4. The paper setting, evaluation of the House Test will be the responsibility of the teacher teaching the given course. The marked answer books may be shown to the students.	12.4. Deleted
12.5. The evaluation of the answer books of the Annual Examination will be done independently by the External and Internal examiners. If the difference in the awards is up to 15% the average of the two will be the final award. If the marks differ by more than 15% the answer book will be got evaluated by the Third Examiner. The final award will be average of the two of the best awards favouring the student.	12.5. Deleted
12.6. The examination in the practical papers will be conducted by one External Examiner and one or more Internal Examiners as may be decided by Board of Control in the subject concerned. The Board of Control may decide if some percentage of the internal marks is to be based on the continuous assessment of a student's work in the laboratory throughout.	12.6. Deleted
12.7. The re-evaluation of answer book shall be permissible as per rules laid down by the University for re-evaluation from time to time. However, the re-evaluators will be appointed from the existing panel of examiners.	12.7. Deleted

13. The successful candidates shall be classified into divisions as under:	13. No Change
(i) Those who obtain 75% or more of the total marks. : First Division with Distinction	
(ii) Those who obtain 60% or more but less than 75% of the total marks. : First Division	
(iii) Those who obtain 50% or more but less than 60% of the total marks. : Second Division	
(iv) Those who obtain 40% or more but less than 50% of the total marks. : Third Division	
14. The candidates shall be provided with the detailed marks cards of each year. The degree shall indicate the division in which the candidate has passed the examination. The date of entry and leaving the Honours School shall also be shown on the certificate.	14. The candidates shall be provided with the detailed marks cards of each year. In the detailed marks card, asterisk (*) would be put against each course not passed in the first annual examination. The degree shall indicate the division in which the candidate has passed the examination. The date of entry and leaving the Honours School shall also be shown on the certificate.
	15. A candidate having obtained 92 or more credits (108 or more in the case of students of basic medical sciences) in the B.Sc. (Honours School) and having cleared all subsidiary subjects may seek the award of B.Sc. pass degree in case he wishes to discontinue the Honours School after completing three years of studies for B.Sc. (Honours School).
	The division in the case of such candidates shall be determined by the regulations as for the Honours School students taking into account the best of the 92 credits which he has

obtained. The date of entry and leaving the Honours School shall be shown on the certificate of the degree awarded to the candidates.

28. Amendments/additions/deletions in the regulations for M.Sc. (Honours School) (Annual System) at pages 120-124 of Panjab University Calendar, Volume II, 2000.

Existing Regulations	Proposed Regulations
1.1 The University shall undertake instruction for M.Sc. (Honours School) courses in the following subjects:	1.1 The University shall undertake instruction for M.Sc. (Honours School) courses in the following subjects:
(i) Anthropology (ii) Botany (iii) Chemistry (iv) Geology (v) Mathematics (vi) Physics (vii) Zoology (viii) Biochemistry (ix) Biophysics (x) Microbiology	(i) Anthropology (ii) Botany (iii) Chemistry (iv) Geology (v) Mathematics (vi) Physics (vii) Zoology (viii) Biochemistry (ix) Biophysics (x) Microbiology
The Syndicate shall, however, have authority to add or discontinue Honours School in any subject.	The Syndicate shall, however, have authority to add or discontinue Honours School in any subject.
1.2. The duration of the course shall be two years.	1.2. The duration of the course shall be two years.
The examination for the M.Sc. (Honours School) will be held in two parts, Part-I at the end of the first year and Part-II at the end of second year-once a year ordinarily in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate.	The final examination for the M.Sc. (Honours School) will be held in two parts, Part-I at the end of the first year and Part-II at the end of second year-once a year ordinarily in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate.
2.1. A person who has passed one of the following examinations in the concerned subject may be admitted to the M.Sc. (Honours School) course:	2.1. A person who has passed one of the following examinations in the concerned subject may be admitted to the M.Sc. (Honours School) course:
(i) B.Sc. (Honours School) examination of the Panjab University in the subject of M.Sc. (Honours School) course.	(i) No Change

(ii) B.Sc. (Pass or Honours School) examination of the Panjab University or any other examination recognized by the Panjab University as equivalent thereto with the subject of the Honours School course.	(ii) No Change
(iii) B.A. or B.Sc. examination of the Panjab University or any other examination recognized by the Panjab University as equivalent thereto, for admission to M.Sc. (Honours School) in Anthropology.	(iii) No Change
(iv) B.Sc. (Pass or Honours) examination of Panjab University or any other examination recognized as equivalent thereto with Chemistry, Physics and Mathematics as elective subjects at B.Sc. level, for admission to M.Sc. (Honours School) in Chemistry and Physics and Mathematics as elective subjects for admission to M.Sc. (Honours School) in Physics.	(iv) No Change
	Note: A student who has not cleared all courses of B.Sc. (Honours School) will not be admitted to M.Sc. (Honours School) First Year.
Provided that admission of the eligible students in (ii), (iii) and (iv) above will be based on their merit in the Entrance Test conducted for this purpose/the fulfilment of such other requirements as may be laid down by the Syndicate.	
2.2. A student who has passed M.Sc. (Honours School) Part I in the subject concerned shall be eligible to join Part II (second year) class of that course.	2.2. No Change

3.1. The Board of Control appointed for the B.Sc. (Honours School) shall act as the Board of Control for M.Sc. (Honours School) also.	3.1. No Change
3.2. Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to admit students and it shall also have the authority to remove students from the rolls in accordance with the rules laid down by the Academic Council.	3.2. No Change
3.3. Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to remove a student from the Honours School in case of misconduct.	3.3. No Change
3.4. The Board of Control may make recommendations to the Syndicate in all matters concerning the Honours School course including the syllabi and the appointment of examiners. However, recommendations concerning syllabi shall be routed through the Faculty and the Academic Council.	3.4. No Change
4. The syllabi and courses of reading for the M.Sc. (Honours School) courses shall be as approved by the Senate from time to time.	4. No Change
5. The examination in Part-I/II shall be open to a student who has passed one academic year previously the examination as laid down in Regulation 2 and whose name is sent to the Controller of Examinations by the Head of the University Department that he has most recently attended and who produces the following certificates signed by the Head of the Department concerned:	5.1 The examination in Part-I/II shall be open to a student who has passed one academic year previously the examination as laid down in Regulation 2, and whose name is sent to the Controller of Examinations by the Head of the University Department that he has most recently attended and who produces the following certificates signed by the Head of the Department concerned:
(a) of having been on the rolls of the University Department for the academic year preceding the examination;	(a) of having been on the rolls of the University Department for the academic year preceding the examination;

(b)	of having good character; and	(b) of having good character; and
(c)	of having attended not less than (a) 66 per cent of full course of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers, and (b) 66 per cent of the practical classes held and (c) in the case of Project Report, or dissertation/thesis or both or having completed it satisfactorily and as directed by the Head of the Department. The candidate must submit his Project Report/dissertation, thesis so as to reach the University at least 20 days before the commencement of Part-II examination.	(c) of having attended not less than (a) 75 per cent of full course of lectures delivered to his class ineach of the prescribed papers, and (b) 75 per cent of the practical classes held and (c) in the case of Project Report, dissertation or both of having completed it satisfactorily and as directed by the Head of the Department. 5.2. The Board of Control is empowered to condone shortage of attendance to the extent of 10 per cent of the lectures delivered/practicals in each course of theory and practicals 5.3. The candidate must submit his Project Report/dissertation at least 10 days before commencement of Part-II final examination. No extension would be permitted.
6.	The M.Sc. (Honours School) examination shall be by theory papers, practicals, field or project report (if any) as determined by the Board of Control in each subject. The number of papers, theory and practicals, as well as distribution of marks amongst theory and practicals the field work or project, if any, shall be given in the syllabi. The total number of marks/credits shall be as follow: M.Sc. (Honours School) Part-I-1000 40 credits	6. No Change

M.Sc. (Honours School) Part-II-
1000
40 credits

7. The examination shall ordinarily be held in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate from time to time.

Explanation: The 75% and 25% marks/credits assigned to each paper may be rounded off to the nearest multiple of 5 marks or equivalent credit thereof.

7.1. Examination in both theory and practical would be fully internal, periodic/continuous and open.

7.2. The evaluated answer scripts would be shown to the students, according to a schedule announced by the concerned department, within 10 days of the completion of examination. Answers would be discussed and the rationale of assessment explained to the students. After discussing the answers with the students, the teacher would finally submit the award list to the PGAPMEC (See 10.1) Convener. Answer scripts would be retained by the concerned teacher for one year after the declaration of the result. There would be no provision for re-evaluation.

7.3. The teacher for a particular course would ordinarily be the paper setter, invigilator and script-evaluator. In case more than one teacher teaches the course, one of the teachers would be designated as Instructor-in-Charge. He would set the question paper in consultation with other teachers of the course as well as jointly invigilate and evaluate the answer scripts. The Board of Control would send the list of examiners to the Controller of Examinations by the end of October.

7.4. For each course, two question papers would be set before the Final Examination, one for the Final Examination and the other for the Supplementary Examination.

7.5. 20% of the total marks for theory course would be assigned to the two best out of three mid-term tests. Each test would have 10% of the total marks for the course. Mid-term tests may be held in September/October, December and February/March, preferably without any break and without disrupting the teaching schedule.

7.6. In a laboratory course, 20% of the total marks would be assigned for continuous assessment in the laboratory, depending on the skill of the student in doing the experiments; viva-voce on the experiments; and written report on the experiments. The final practical examination may be held before the final examination. It would carry the remaining 80% of the marks. Before the practical examination, marks secured by the students in the continuous assessment (out of 20%) would be displayed on the Departmental Notice Board. Each practical examination would have two examiners.

7.7. The entire academic calendar for the year including the beginning of instruction, ending of instruction, date sheet of the mid-term test etc. would be worked out by each department at the beginning of the session and notified to the teachers and students.

7.8. The record of marks for the mid-term test and continuous assessment would be sent to the Controller of Examinations at least 15 days before the commencement of the final examination.

7.9. The provisional result would be displayed within 15 days of the last paper, on the Departmental Notice Board. Within two days after the final result would be sent by the Department to the Controller of Examinations. The University would declare the result within the next 15 days.

8.1. A student who appears in the annual examination in M.Sc. (Honours School) Part-I but earns a minimum of 24 credits will be given a reappear chance in those papers in which he fails and he will be promoted to M.Sc. (Honours School) Part-II class.	8.1. A student who has not earned a minimum of 24 credits at the Annual Examination would be declared fail. A student who appears in Annual Examination of M.Sc. (Honours School) Part-I but earns a minimum of 24 credits will be given a reappear chance in those papers in which he fails ordinarily in the month of July. There would be no reappear examination for mid-term tests. The Supplementary Examination would be only for 80% of the total marks in a course. If a student does not pass all his courses at the Supplementary Examination, he would be declared fail. A failed student may seek readmission or may appear in the next Final Examination as late college student.
8.2. A student failing to earn 24 credits in the M.Sc. (Honours School) course Part-I in the annual examination will be declared fail and may seek readmission in the same class.	8.2. No Change
8.3. To enable a student to clear the reappear in papers in which he has failed a supplementary examination will be in the month of September/October or on such dates as may be fixed by the University. In addition, he may also appear in those papers when annual examination is held for these papers for regular students.	8.3. Notwithstanding the above conditions, no student shall be allowed to spend more than a maximum of three years period in the M.Sc. (Honours School) course. He must clear all the reappears and earn the stipulated number of credits for the award of M.Sc. (Honours School) degree i.e. 80 credits. A student failing to do so, will be declared fail and will be required to leave the M.Sc. (Honours School) course.
Notwithstanding the above conditions, no student shall be allowed to spend more than a maximum of three years period in the M.Sc. (Honours School) course. He must clear all the reappears and earn the stipulated number of credits for the award of M.Sc.	

(Honours School) degree i.e. 80 credits. A student failing to do so, will be declared fail and will be required to leave the M.Sc. (Honours School) course.

8.4. The students are required to pass the theory and practical papers separately and students should secure pass marks in each of these papers separately.

8.4. No Change

8.5. The students who absent themselves for one reason or the other or for improvement of scores shall be allowed to reappear in the Annual Examinations only.

8.5. The students who absent themselves from the final examinations or are declared fail or want to improve their results shall be allowed to appear in the next annual examinations only along with regular students.

9. The Boards of Control in respective Departments may, subject to the approval of the appropriate bodies, decide the nature and style of questions in the Question Papers – whether objective/short answer type/problem based/subjective/essay type or any combination thereof. In case there are more than one person teaching a subject, the Board of Control shall appoint one of them to be the internal examiner.

9. The Boards of Control in respective Departments may, subject to the approval of the appropriate bodies, decide the nature and style of questions in the Question Papers – whether objective/short answer type/problem based/subjective/essay type or any combination thereof.

10.1. The setting of Question papers for the annual examination will be by the external examiner only. For this purpose the Board of Control/Board of Studies will prepare panel of 3-5 or more examiners, any one of whom may be entrusted with the setting of the Question Paper by the competent authority.

10.1. The Board of Control would appoint Postgraduate Academic Programme Monitoring and Execution Committee (PGAPMEC) for monitoring and execution of the academic programmes. The composition and functions of the PGAPMEC would be as under:

(i) PGAPMEC would consist of 5-7 faculty members. It will have a Convener and a Secretary both to be appointed by the Board of Control. The PGAPMEC would work in close collaboration with the Department and the Chairperson.

(ii) The term of PGAPMEC would be two years. After the initial period

of two years, 3-4 members including the Convener would retire. A new Convener and Secretary would be appointed for two years by the Board of Control. After another year, the 2 remaining older members will retire making way for 2 new members, so that both replenishment and continuity are maintained. Each member would serve a two year term.

(iii) The PGAPMEC could look after every aspect of the academic programme in order to ensure the smooth functioning and integrity of all aspects of the programme. It would meet preferably once a month.

(iv) The duties of PGAPMEC could include framing of academic calendar for the year, keeping track of attendance, schedule of mid-term test and annual examination, assignment of projects supervisors to the students, tabulation of marks after careful scrutiny, computerized storage of data, regular monitoring to ensure that the University rules and regulations are followed properly and any other duty assigned by the Chairperson/Board of Control.

(v) The mode of evaluation for the project reports would be decided by PGAPMEC and Board of Control.

(vi) All decisions taken by PGAPMEC could be subject to approval by Board of Control.

10.2. The paper-setters will be provided with the prescribed syllabus and courses of reading along with (i) the detailed outlines of all the topics to be covered in the class with relative weightage given

10.2. Deleted

to each topic and the books from which the topics are to be taught.	
10.3. The paper-setting and evaluation of the House Test will be the responsibility of the teacher teaching the given course. The marked answer books may be shown to the students.	10.3. Deleted
10.4. The evaluation of the answer books of the annual examination will be done independently by the external and internal examiners. If the difference in the awards is up to 15 per cent the average of the two will be the final award. If the marks differ by more than 15 per cent the answer books will be got evaluated by the third examiner. The final award will be the average of the two of the best awards favouring the student.	10.4. Deleted
10.5. The examination in the practical papers will be conducted by one External Examiner and one or more Internal Examiners as may be decided by the Board of Control in the subject concerned. The Board of Control may decide if some percentage of the internal marks is to be based on the continuous assessment of a student's work in the laboratory through out the year.	10.5. Deleted
11. The re-evaluation of answer books shall be permissible as per rules laid down by the University for reevaluation from time to time. However, the evaluators will be appointed from the existing panel of examiners.	11. Deleted
12. In case of student who is allowed the option of submitting the project report as a partial fulfilment of the requirements for the M.Sc. (Honours School) degree, the project report is required to be followed by examiners – External and Internal (Supervisor). However, the marks to be awarded by the two examiners separately will be decided at the time of the viva-voce examination which would be conducted	12. The mode of assessment of the project report/dissertation submitted by the student, viva-voce on the project report and/or any other mode of assessment e.g. poster presentation, shall be as decided by the Board of Control.

by the Board of Examiners consisting of External - Internal examiners (Supervisor) and Head of the Department. In case, the Head of the Department happens to be the internal examiner for the project report then the senior most teacher of the Department would be included for conducting the viva-voce examination.

The candidate shall ordinarily submit the project report at the end of one year. Extension up to six months may be granted by the Dean of University Instruction, if required by the student and recommended by the Supervisor and the Chairman/Head of the Department. A further extension of six months will be given under exceptional circumstances.

13. A candidate who has passed the M.Sc. (Honours School) examination from the Panjab University under the annual system may reappear as a private candidate in a course/s he/she wishes to, with a view to improve his/her performance. For this purpose, he/she may be given two chances within a period of 5 years from the date of his/her passing the said degree course. The candidate in the first instance shall be required to intimate all the courses in which he/she would like to improve his/her performance. He/she will then appear in the respective course/s at the main annual examination only i.e. for the course/s offered for first year and second year in April/May examination. If he/she does not improve his/her performance, in any course/s, he/she shall be eligible to do so in the following years only in the April/May annual examination concerned which would be treated as his/her second chance. The candidate shall be charged examination fee as fixed by the Syndicate from time to time.

13. No Change

14. The successful candidates shall be classified in divisions as under:	14. No Change
(i) Those who obtain First Division or more of the total marks. : 75 per cent with distinction	
(ii) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75 per cent of the total marks. : Second Division	
(iii) Those who obtain 40 per cent or more but less than 50 per cent of the total marks. : Third Division	
15. The candidates shall be provided with the detailed marks certificate of each year. The degree shall indicate the division in which the candidate passed the examination. The date of entry and leaving the Honours School shall also be shown on the certificate.	15. The candidates shall be provided with the detailed marks cards of each year. In the detailed marks cards, asterisk (*) would be put against each course not passed in the first annual examination. The degree shall indicate the division in which the candidate has passed the examination. The date of entry and leaving the Honours School shall also be shown on the certificate.
16. Notwithstanding anything contained in the above regulation, the COSIST Departments namely Chemistry, Geology, Mathematics and Physics, in view of the autonomy already granted to them in the matter, may adopt the following assessment systems in the Postgraduate courses:	16. Notwithstanding anything contained in the above regulation, the COSIST/C.A.S. Departments, namely Chemistry, Geology, Mathematics and Physics, in view of the autonomy already granted to them in the matter, may adopt their own assessment systems duly approved by the appropriate bodies of the University.
(i) the paper setting and evaluation will be wholly internal conducted by the teachers teaching the theory or laboratory courses.	(i) Deleted
(ii) their will be a House Test during the period November-December for the Theory courses. It will carry 35% marks assigned to each paper.	(ii) Deleted

The paper-setting and evaluation of the House test will be the responsibility of the teacher teaching the course. The marked answer scripts will be made available to the students for their perusal. Explanation: 35% marks assigned to each paper may be rounded off to nearest multiple of 5.	
(iii) Each year of instruction will be followed by an annual examination which will carry 65% marks assigned to each paper of the given subject. The annual examination will be comprehensive and cover the entire portion of the course taught. However, the course covered up to the House Test and that covered after the House Test will carry weightage approximately in the ratio 1:2 in the question papers of the annual examination.	(iii) Deleted
(iv) The structure of the question papers for the annual examination will be decided by the Board of Control in that subject. The paper setting and evaluation for the annual examination will be by Internal examiners. The marked answer books will be available for perusal by the students before the declaration of the results.	(iv) Deleted
(v) The final award in each theory paper will be determined by the combined marks obtained by the students in the annual examination and the House Test.	(v) Deleted
(vi) It is expected that the teaching of the theory courses will be supplemented by Home assignments, Quizzes, Objective type class tests etc. evenly spaced during the year. This will not carry any weightage in terms of marks, but it should be impressed upon the	(vi) Deleted

	students that these form an essential part of the teaching of the theory course.	
(vii)	The examination in the laboratory courses will be entirely internal. There will be no House Test for the laboratory courses. The Board of Control may decide what percentage of marks up to 50% is to be based on the continuous assessment of the students work in the laboratory throughout the year. The internal assessment may depend upon (i) the manner and skill of the students in doing the experiment (ii) viva of each experiment performed (iii) written report of experiment and (iv) regular attendance in the laboratory. After each experiment, the student may be informed of the teacher's assessment. The annual examination will carry at least 50% marks.	(vii) Deleted

28. Regulation 5 for Bachelor of Library and Information Science (through Correspondence courses), effective from the admissions of 2002-2003 in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.

5. The medium of instruction shall be English and the question paper shall also be set in English. However, the medium of examination may be English, Hindi or Punjabi.

29. Regulations 1.3, 2.1(d), 5.1(i) and 6.1 for B.Ed. examination and given effect to in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette notification.

1.3. A supplementary examination shall be held ordinarily in the month of September, on such dates as may be fixed by the Syndicate, for compartment candidates.

2.1(d) Deleted

5.1(i) Both the teaching subjects selected shall be the same as offered at the graduate/ post-graduate level. However, B.Com./M.Com. students shall offer one teaching subject as Teaching of Commerce and shall offer second teaching subject as Teaching of Economics or Teaching of English or Teaching of Hindi/Teaching of Punjabi/Teaching of Sanskrit.

6.1 Each college shall hold at least two House tests in (i) theory papers, (ii) in drawing and sketching and (iii) B.B. writing and B.B. sketching. A candidate shall be required to obtain 35% marks in each subject in each house examination or 50% in aggregate to become eligible to appear in the University examination. The College Principal shall intimate to the University the names of such students who do not meet this requirements at least 15 days prior to the commencement of University examination (B.Ed theory).

30. Regulations for B.Ed. (Correspondence) to be started from July 2002 subject to the approval of the N.C.T.E. and given effect to in anticipation of the approval of various bodies of the University and Government of India/publication in the Government of India Gazette.

1.1. Bachelor of Education (B.Ed.) through Correspondence shall be a self financing course. The duration of course for its degree shall be 24 months.

1.2. The examination shall be held once a year along with regular course of B.Ed. ordinarily in the month of April on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3 A supplementary examination shall be held ordinarily in the month of September on such dates as may be fixed by the Syndicate for compartment candidates.

1.4 The last date for receipt of examination admission form with and without late fee shall be as prescribed by the Syndicate from time to time. The schedule of dates fixed in accordance with regulation 1.4 shall be notified by the Controller of Examination to all the Correspondence students.

2.1 A person who possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the course:

a) Bachelor's degree of this University or any other recognized University with at least 45% marks in the aggregate, provided that the candidate has offered at least two school subjects at the first degree level;

b) M.A. or M.Sc. or M.Com. or M.Sc. (Honours School) degree of this University or any other recognized University with at least 45% marks in the aggregate, with combination of at least two school subjects at the first degree level and post graduate degree level.

c) B.A. degree of the University through Modern indian Languages and English only examinations, in which case the aggregate of 45% marks shall be calculated by taking into account the marks obtained in English and the elective subjects taken together.

d) Any other qualification recognized as equivalent to (a), (b), or (c) above.

Explanation- (i) A candidate who has been awarded B.Sc. Pass degree on the basis of B.Sc. (Honours School) examination of the University, shall be deemed to have passed with 50% marks in the aggregate.

(ii) A candidate who passed in additional subject/s subsequent to obtaining B.A./B.Sc. degree, 45% marks in the aggregate shall be calculated by taking into account the marks obtained in the compulsory subject/s and three elective or additional elective subjects.

Exception- In the case of students belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward classes excluding economically backward class the requirement of 45% marks shall be reduced by 5% provided that they have obtained minimum pass marks prescribed by the regulations.

2.2. Teaching experience as per N.C.T.E. norms will be followed.

3.1. The person who has been on rolls of B.Ed Correspondence Course during the academic year preceding the examination has to reproduce PCP attendance certificate (as per NCTE norms) signed by the Principal at the study centre and submit it to the Chairperson at the nodal centre to be eligible to appear in the examination.

3.2. The Chairperson at the nodal centre can condone two lectures in each subject.

3.3. A student who has completed the prescribed course, but does not appear in the examination or having appeared in the examination has failed, shall be eligible to appear in the examination as a private candidate for three consecutive years.

4. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be as fixed by the Syndicate from time to time.

5.1. The examination shall consist of two parts as under:

Part I: Theory papers (as per detail given in the syllabus)

Part II: Practicals (as per detail given in the syllabus).

5.2. The syllabus for each part shall be prescribed by the Senate from time to time.

6.1. The University will appoint an Inspector to inspect the records of the internal assessment and practical work done in various study centres for ensuring uniformity of standards at study centres.

6.2. The marks awarded to a candidate in the internal assessment shall be carried forward at his option when he is permitted under Regulation 9.1 to re-appear in a part or parts at a subsequent examination.

The marks obtained by a candidate in internal assessment shall remain valid, even if he remains absent in the external examination.

7. The medium of examination shall be as under:

a) The question papers shall be set in Hindi, Punjabi and English except for languages in which they shall be set as under:

i)	For Sanskrit	:	Hindi, Sanskrit
ii)	For Hindi, Punjabi	:	Hindi, Punjabi respectively

b) The candidates shall write their answers –

i) In English in the subject of English;

ii) In English, Hindi, Punjabi, Sanskrit in the case of other subjects.

8. The minimum number of marks required to pass the examination shall be:

(i)	Part I (Theory papers)	:	40% separately in each paper
(ii)	Part II(Practicals)	:	40%

9.1 A candidate who fails may be permitted to take the examination in the part or parts in which he fails. He shall pay admission fee as prescribed by the Syndicate from time to time per Part subject to a minimum fee as fixed by the Syndicate from time to time on each occasion. The permission shall be subject to the following conditions:

i) If the candidate fails in the internal assessment of Part II, he shall have to rejoin the department of Correspondence Studies for a period to be determined by the Chairperson, Department of Correspondence Studies, subject to a minimum of one month, in order to qualify in the internal assessment of Part II. If he passes in the internal assessment, he shall be deemed to have passed the examination in Part II.

(ii) If he fails only in one paper or Part I, he may be permitted to reappear in that paper at the supplementary examination and the next annual examination, provided he has obtained at least 20% marks in the paper in which he has failed and 40% in the aggregate of all the papers. Such a candidate shall pay a fee as prescribed by the Syndicate from time to time on each occasion. If he passes in that paper in either of those examinations, he shall be deemed to have passed the examination in Part I.

9.2(i) A candidate who passes in Part II (practical) but fails in Part I (Theory) shall be required to appear in only Part I.

(ii) A candidate who passes in Part I but fails in any component or sub component of Part II, which is assessed externally, he will be required to re-appear only in that component or sub component in which he/she has failed.

10.1. The Controller of Examination shall publish the result of the examination four weeks after the termination of the examination, or as soon as possible. Merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in Part I (External) and Part II (Internal) taken together.

10.2 Successful candidates shall be classified on the basis of the marks obtained by them in Part I (External) and Part II (External) taken together:

(a)	60% marks and above of the aggregate marks.	: First Division
(b)	50% marks and above but below 60% of the aggregate marks.	: Second Division
(c)	Below 50% of the aggregate marks.	: Third Division

10.3. Each successful candidate shall be awarded a degree stating the division obtained in Part I (External) along with Internal Assessment of Practical Work related to theory papers to be indicated separately and Part-II (External) taken together.

11.1. A person who has already passed the examination for the degree of Bachelor of Teaching/Bachelor of Education may offer an additional teaching subject. He may be admitted to the examination on submission of application on the prescribed form and payment of admission fee as prescribed by the Syndicate from time to time.

Provided that –

i) He has already passed the first degree/post-graduate degree examination in that subject;

ii) In addition to the written paper of the teaching subject, the candidate shall have to give 30 lessons in a recognized high school and shall undergo a practical test in the teaching of the additional subject taken by him.

11.2. The minimum number of marks required to pass in the additional subject shall be 40%.

11.3. A person who has qualified for the award of the B.Ed. degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in the subject(s) in which he appeared earlier in the B.Ed examination with a view to improve

his/her performance provided the candidate has, in the meanwhile, not passed any higher course in the said faculty.

For this purpose he/she would be allowed to appear only within three consecutive chances from the date of his/her passing the B.Ed. examination and that he/she will have to take the re-appear examination with the latest syllabus only.

31. Regulations for B.E. in Software Engineering, Telecommunication and Information Technology, Micro Electronics Engineering, Biotechnology, Instrumentation & Control Engineering and Material Engineering (In University Institute of Engineering & Technology).

1. The duration of the course of instruction for Bachelor of Engineering in any of the discipline shall be four years. The teaching period will be divided into 8 Semesters of approximately 15 weeks each.

2. The subject to be studied in each semester will be as per scheme of examination indicating the minimum number of lectures to be delivered, distribution of marks in written examination, Practical examination, viva-voce examination, internal assessment etc. for each subject. The medium of instruction and examination will be English.

3(a) The admission to the first semester course in any branch will be through an entrance test. It will be open to a candidate who has passed the 10+2 examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi or its equivalent with Physics, Chemistry, Mathematics and English with at least 50% marks in aggregate of these subjects provided that in case of candidates belonging to Schedules Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes, as defined by the Government for the reservation benefits. The requirement shall be 45% marks provided they have obtained minimum pass marks prescribed by regulations. Admission of foreign nationals/NRI/NRI sponsored/Industry sponsored will be as per norms approved by the University.

b) The merit ranking in the entrance test shall be the only basis for admission including for the candidates applying against NRI/NRI sponsored/Industry sponsored category. However, foreign nationals will compete amongst themselves based on their SAT score.

4. 1^{st}, 3^{rd}, 5^{th} and 7^{th} semesters examination will be held in the month of November/December and 2^{nd}, 4^{th}, 6^{th} and 8^{th} semesters examination will be held in the month of April/May every year or on such other dates as may be fixed by the Syndicate. Besides, for 7^{th} and 8^{th} semesters additional examination shall be conducted ordinarily in the month of July/August every year.

5. There shall be at least ten (lectures + tutorials) practicals/drawing classes during the semesters for every hour per week of a subject shown in the schedule of teaching.

A student shall be eligible to appear in the examination only if he has attended at least 75% of the total classes held in each subject during the semester as mentioned above. The attendance shall be certified by the Director of the Institute.

6. A candidate who does not fulfil the attendance requirement in any subject will have to repeat the course of instruction in that subject.

7. A candidate shall be allowed to join:

i) Second Semester provided that he has undergone a regular course of studies of first semester as provided under the regulations.

ii) Third Semester provided that he has undergone a regular course of studies of First and Second Semesters as provided under the regulation in sequential order.

iii) Fourth Semester provided that he has undergone a regular course of studies of First, Second & Third semesters as provided under the regulation in sequential order.

iv) Fifth Semester provided that he has undergone a regular course of studies of First, Second, Third & Fourth semesters as provided under the regulations in sequential order and has passed the First Semester examination.

v) Sixth Semester provided that he has undergone a regular course of studies of First, Second, Third, Fourth and Fifth Semesters as provided under the regulations in sequential order and has passed First and Second Semester examinations.

vi) Seventh Semester provided that he has undergone a regular course of studies of first, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth semesters as provided under the regulations in sequential order and has passed First, Second, and Third, semesters examinations.

vii) Eighth Semester provided that he has undergone a regular course of studies of First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth & Seventh semesters as provided in the regulations in sequential order and has passed First, Second, Third and Fourth semesters examinations,

8(a) In addition to the regular papers prescribed for the semester, a candidate appearing in a particular semester examination for the first time will be allowed to appear in a maximum of 10 subjects of lower semester/semesters of which not more than 5 should be theory papers and not more than 5 should be practical papers.

(b) A candidate will be required to pass in all the subjects of B.E. course, where minimum pass marks are prescribed in a maximum duration of 6 academic years counted from the academic session in which candidate is admitted in B.E. First Semester. If a candidate fails to pass the examination in the period

of six years, his/her candidature will stand cancelled automatically. This period of six academic years will also include the entire period during which he/she has suspended his/her own studies on his/her own or has failed in the examination or debarred by University from taking any examination.

9(a) A candidate will be deemed to have passed in a subject (Theory as well as Non-theory papers) if he/she obtains at least 40% of marks in the aggregate of subject (i.e. marks obtained in the University examination + Internal assessment). In addition, it will be necessary for the candidate to obtain at least 40% marks in the University examination. No pass marks are required in the internal assessment; however, internal assessment marks will be added as such. Subjects where only internal evaluation is prescribed, the candidate must obtain at least 40% marks in the internal assessment.

(b) The candidate must get at least 50% marks in aggregate in each semester.

10. If the candidate fails in a subject he/she will have to re-appear in the University examination part only in the subsequent examination. However, there will be no improvement allowed in the internal assessment.

11. The internal assessment submitted by the teacher concerned will be scrutinized by the Board of Control of the institute which will have the power to moderate the marks which will be submitted to the University.

12. A detailed marks card will be issued for each semester. A candidate will be awarded the degree of Bachelor of Engineering on passing all the subjects prescribed for the degree.

13. The divisions will be awarded as follows:

a) Those who obtain 70 per cent or more of the aggregate. Provided each subject has been cleared at the first attempt (i.e. First time a candidate actually sat for the subject in the University examination. : First Division with Honours.

b) Those who obtain 60% and above but less than 70 per cent of the aggregate marks. : First Division

c) Those who obtain 50 per cent and above but less than 60 per cent of aggregate marks. : Second Division

14. Fee for appearing in each semester examination will be as prescribed by the Syndicate from time to time.

A candidate on reappearing shall pay admission fee as prescribed by the Syndicate from time to time.

32. **Regulations for Master of Science (Human Genomics) (Semester System) (effective from the admissions of 2002) in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1.1. The duration of the course of instruction of the examination for the degree of M.Sc. (Human Genomics) shall be two years comprising four semesters.

The duration of the 1st semester and 3rd semester shall be from July to December and that of 2nd and 4th semesters from January to May. The instructional period for each Semester will extend over a period of at least 16 weeks. This will be followed by an end Semester examination which shall be held after at least 40 lectures in each.

1.2. A candidate who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the First Semester of M.Sc. (Human Genomics) course:

Bachelor's Degree under the 10+2+3 pattern of education in Physical, Chemical, Biological and Pharmaceutical Sciences or in Medicine of Panjab University or from any University/Institute recognized by the Panjab University, with at least 55% marks.

1.3. The mode of admission shall be as prescribed by the Syndicate from time to time.

2. The amount of admission fee for each Semester and fee structure of the course to be paid by a candidate shall be fixed by the Syndicate from time to time.

3. The medium of examination shall be English.

4.1. For every theory paper/course 4 lectures (including tutorials) each of one hour duration per week shall be delivered. The tutorials shall involve active participation by the students in the work of problem solving discussion of test questions and assignment concerned with the lectures, etc.

4.2. Each course shall be a distinct entity and a student shall be required to pass in each course/paper for the final award of degree.

4.3. The teacher for a course shall be responsible for maintaining the desired standard of the course and for evaluating students' performance. In case of more than one teacher for a course, one teacher shall be designated as teacher in charge who shall coordinate the instructions and evaluation in the course.

4.4. The Laboratory course shall have a team of teachers/instructors with a teacher in charge.

5. The syllabi and courses of reading in M.Sc. (Human Genomics) shall be as approved by the competent authority.

6(i) The total number of marks/credits for each semester, the number of theory papers and practicals, the marks/credits allotted for each paper, the syllabi and courses of studies shall be recommended by the Advisory Committee/Board of Control from time to time and approved by the competent authority.

(ii) The assessment shall be wholly internal for all theory papers. For a laboratory course there will be two examiners out of which at least one will be internal.

(iii) In a theory paper 25% of the total marks shall be for in Semester assessment and 75% for end-semester examination.

(iv) In a theory paper, the answer-books of the in-semester test will be returned to the students after taking their due signatures and for end-semester examination the answer-books will be available to students for perusal according to the schedule which shall be announced by the Coordinator of the Centre/teacher.

(v) A departmental monitoring Committee consisting of Chairperson (Coordinator) and two teachers will review any dispute in the grades/marks of end-semester examination. The decision of the Committee will be final. There will be no re-evaluation of the answer-books.

(vi) In laboratory course, 50% marks will be meant for in semester assessment which will depend on the following:

a) The skill of the student in doing the experiments;

b) Viva-voce on the experiments

c) Written report on the experiments; and

d) Seminar delivered by the students

A candidate who does not fulfil the attendance requirement in any course/paper/practical will have to repeat the course of instructions in that course/paper when it is offered next.

(vii) The practical examination shall be conducted at the end of each semester. It shall carry the remaining 50% of marks for the laboratory course. The course coordinator(s)/teacher shall act as internal examiner for the practical examination.

(viii) The internal assessment both theory and practicals shall be sent to the Controller of Examinations before the commencement of the end-semester examination by the Centre.

7. Every candidate for the M.Sc. (Human Genomics) examination shall complete the following requirements and intimate through the Chairman/Head of the Department accompanied by the following certificates:

i) of having good moral character;

ii) of having been on the rolls of the Centre for (Human Genomics) for the semester preceding the examination.

iii) of having attended at least 75% of the total number of lectures and practicals separately in each course. A course means a paper in theory or practical.

iv) in case of dissertation, a certificate from the Supervisor endorsed by the Chairman/Head of the Department that the candidate has worked to his satisfaction.

The Advisory Committee/Board of Control is empowered to condone shortage in the attendance of lectures and practicals to the extent of 10% in each course of theory or practical.

8. The students are required to obtain at least 40% marks in each course of theory/laboratory and an overall aggregate of at least 50% of all the courses (Theory and Practicals) of each semester to pass in the examination.

The successful candidates of all the four semesters examination shall be classified in divisions as under:

(a) Those who obtain 75% or more provided the student has passed all the end-semester examination in the first attempt.	: First division with distinction
(b) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks.	: First Division
(c) Those who obtain 50% or more but less than 60% of the aggregate marks.	: Second Division and Pass

Four weeks after the completion of end semester examination or as soon as possible, the Controller of Examinations shall publish a list of successful candidates.

9.1. If a student fails to get pass marks in theory/practical course or has missed the end-semester examination in any semester, he/she shall be given a reappear in the course. All re-appear examinations shall be held immediately after the declaration of each semester results of the regular classes.

9.2. If a student fails in the end-semester or re-appear examination in more than 50% or the total credits in a semester, he/she shall not be promoted to the next semester and will have to seek re-admission to the same semester.

9.3. The facility of re-admission to M.Sc. (Human Genomics) programme can not be extended beyond a period of one year i.e. the time limit for completing the M.Sc.(Human Genomics) programme is three years from his/her first admission to the programme. If the student is unable to pass all the courses in

three years, he/she has to leave M.Sc. programme and will not be readmitted to the same programme.

10. The Advisory Committee/Board of Control would take appropriate steps for the proper implementation of all the aspects of the M.Sc. (Human Genomics) programme including the time schedule of instructions and assessment, conduct of examination, seminars, projects and declaration of results etc.

34. Regulations for Master of Science (Environment) (effective from the admission of 2002 in anticipation of the approval of the Government of India/publication in the Government of India Gazette.

1(i) The course comprises 4 semesters (2 years). The first and the third semester shall be from July to December and the second from January to June respectively or as decided by the Vice-Chancellor. The instructional period for each semester will extend over a period of at least 16 weeks followed by preparatory holidays for not more than one week prior to the semester examinations.

(ii) The final examination shall be conducted at the end of each semester in the courses offered in that semester only.

(iii) A student who does not appear for any reason or fails in paper/papers in any semesters shall be eligible to take the examination(s) along with the respective examination(s) of the regular students of the next year batch. In no case, the University will hold special examination for such failed students.

2. To be eligible to take the examination, a candidate has to attend prescribed minimum number of lectures in the respective paper/course as per the rules of the University.

3. To qualify for the award of the Post-graduate (Master's) degree of the Faculty of Science in environment Science i.e. M.Sc.(Environment), a candidate has to successfully complete the course work and obtain at least 50% marks in aggregate and 40% marks in each course (theory and practicals) separately.

4. A credit of the course will normally involve 4 hours of the instruction including tutorials/seminars. The credits to be awarded for the project report/dissertation etc. may be decided by the Board of Control/Academic Council.

5. The normal workload of a student in a semester will be 20 credits in each paper and each semester comprising 4 papers.

6. The outlines of the tests, syllabi and courses of reading will be announced in advance.

7. To qualify for the grant of credits for a particular course, a candidate must get at least the pass marks. If the candidate fails in a course or does not take the examination, she/he will not get the credit for it. She/he may repeat the course as a regular student in which she/he failed or did not appear when ever offered

next or may appear in the examination as a private student without attending the classes again provided she/he satisfies the attendance clause.

8. The evaluation of each course will be on the basis of the University examination at the end of each semester. The University examination will be held according to the outlines of the test, syllabi and courses of reading as approved by the competent body from time to time.

9. The University will maintain a separate official transcript of each candidate mentioning the course taken, credit value of each course and the marks obtained.

10. The graduates from Science/engineering stream or any other stream with Honours in Geography as one of the subjects from Panjab University or any other University recognized as equivalent by the Panjab University shall be eligible for the admission to the course.

11. The examination for each semester shall be open to a candidate who fulfils the requirements of qualification as laid down in regulations 11.1 and 11.2 of Panjab University Calendar and produces the following certificates from the Chairperson/Convener of the Board of Control/Academic Council:

a) That she/he has been on the rolls of the Department/Centre for the semester preceding the examination;

b) That she/he has attended the prescribed number of lectures as per the University rules.

12. The condonation of deficiency in lectures, if any, can be considered only as per the rules of the University existing at that time.

13. A student who does not fulfil the attendance requirement for any reason for any paper will have to repeat the instruction in that paper whenever offered next.

14. The student shall submit her/his examination form for each semester examination through the Chairman, Board of Control/Convener, Academic Council to the Controller of Examinations six weeks before the examination without late fee of four weeks before the examination with the late fee as prescribed by the University from time to time.

15. The amount of examination fee shall have to be paid by the student at the rates prescribed by the University from time to time for taking the examination for the first time or repeated number of times.

16. The medium of instruction and the examination shall be English.

17. The successful candidates shall be classified into three categories: (a) Distinction above 75% marks (b) First Division: between 60% and 75% and (c) Second Division: Between 50 and 60% marks obtained in aggregate.

18. To maintain the transparency in the system of evaluation, the candidates could be shown their respective answer scripts and signatures obtained.

19. For each paper (except the Seminar/term paper/project) in each semester, a student shall be offered to pre-announce tests of 4% weightage each and six surprise (without prior announcement) tests of 3% weightage each. Of the six surprise tests, four best attempted tests shall be considered towards the final internal/continuous assessment. The internal assessment based on the pre-announced and the surprise test shall comprise 20% of the total maximum marks in each paper. For projects and seminars there will be no internal assessment.

20. The marks obtained in the internal assessment shall be shown separately in the final awards list.

21. The attendance of the candidate shall also be shown in the final award list given to the students at the end of the semester.

22. The examination shall have to be paid by the students for the semester at the prescribed rate fixed by the University from time to time.

23. The internal examiners will conduct the practical examination while the external examiner shall be the paper setter and the evaluator of the theory papers.

24. The admission shall be based on the written tests (weightage 50%) and the academic carrier (weightage 50% with break up as class X: 10%, Class XII: 10% and Graduation: 30%).

25. The University shall conduct the written test comprising different disciplines of science apart from scientific awareness.

26. The fee for the admission/entrance test will be charged as per the decision of the University from to time.

27. The maximum students' intake shall be as per the decision of the University from time to time.

CHANDIGARH – 160014
DATED : 19/6/2004

(H.C. Malhotra)
Joint Registrar

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University this day, 19/6/2004

(Paramjit Singh)
Registrar

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

Notification No. 7-2004 G.R

The Central Government, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, New Delhi have accorded approval vide their letter No.F.2-6/2000-Desk(U-I) to the following Regulations:

1. **Regulation 1.1 of Chapter II(A)(iii) 'Finance' at page 43 of Panjab University Calendar, Volume I, 1994.**

1.1. There shall be a Board of Finance which shall be appointed every year, by January 31, and shall hold office for one year from February 1 to January 31 of the year following. It shall consist of –

(i) to (iv) xxx xxx xxx

(v) Two nominees – one each from the Governments of Punjab and Administration of Chandigarh; and

xxx xxx xxx

2. **Regulation 4 of Chapter II(vi) 'Boards of Studies' at page 65 of Panjab University Calendar, Volume I, 1994.**

4. The Boards of Studies in the following subjects and their Conveners shall be nominated by the Syndicate:

(I) to (XLIV) xxx xxx xxx

(XLV) Undergraduate Board of Studies in Computer Science & Applications.

(XLVI) Postgraduate Board of Studies in Computer Science & Applications.

3. **Regulation 2.1 for Master of Arts (Physical Education) examination at page 262 of Panjab University Calendar, Volume II, 1995.**

2.1. A person who possesses any of the following qualifications shall be eligible to join M.A. Part I of the course:

i) Degree of Bachelor of Physical Education of the Panjab University or any other degree recognized as equivalent thereto by the Panjab University from another University, with not less than 45% marks.

ii) Deleted and iii) Deleted

iv) A Bachelor's degree of the Panjab University with not less than 45% marks provided that he is an outstanding sportsman having participated in Inter-University (Zonal or Inter-zonal) or Inter-state or National

Tournaments as per A.I.U. Calendar/International Tournament recognized/approved by the Government of India.

Provided further that such a candidate must qualify Standard Efficiency Test at the time of admission to the M.A. (Physical Education) course.

(v) Deleted

4. Regulations for Postgraduate Degrees and Diplomas in the Faculty of Medical Sciences at pages 387-394 and 423-431 respectively of Panjab University Calendar, Volume II, 1995.

4.1. The following shall be the various groups of subjects for the examination:

Group A (Clinical Subjects)

1. General Medicine
2. Tuberculosis and Respiratory Diseases
3. Obstetrics and Gynaecology
4. Paediatrics
5. Radiodiagnosis
6. Community Medicine
7. Psychiatry
8. Dermatology, Venereology and Leprosy
9. Anaesthesiology
10. Physical Medicine & Rehabilitation

Group B (Basic Subjects)

1. Physiology
2. Pharmacology
3. Pathology
4. Microbiology
5. Biochemistry
6. Biophysics

4.1. The following shall be the various groups of subjects for the examination:

Group A (Clinical Subjects)

1. General Surgery
2. Ophthalmology
3. E.N.T.
4. Orthopaedics

Group B (Non-clinical Subjects)

1. Anatomy

Diplomas (1) Laryngology and Otology (D.L.O.)

(II) Ophthalmology (D.O.)
(III) Medical Radio Diagnosis (D.M.R.D.)
(IV) Medical Radiotherapy (D.M.R.T.)

1. Diploma in Laryngology and Otology (D.L.O.)
2. Diploma in Ophthalmology (D.O.)
3. Diploma in Medicine Radio Diagnosis (D.M.R.D.); and
4. Diploma in Medical Radiotherapy (D.M.R.T.)

M.Ch. (Plastic Surgery)

5. **Regulations for Master of Science (Anatomy) and given effect to from the admissions of 1998 in anticipation of the approval of Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1. The duration of the course leading to the Degree of Master of Science (Anatomy) shall two academic years. Each year shall be divided into two parts. The examination for Part I (2nd Semester) and Part II (4th Semester) shall ordinarily be held in the month of May/June.

2. The last date for receipt of admission form and fee with and without late fee as fixed by the Syndicate shall be notified by the Controller of Examinations.

3. The supplementary examination shall be held in the month of November/December.

4. The examination for Part I shall be open to a candidate who produces the following certificate signed by the Head of the Department:

of having attended not less than –

(a) 80 per cent of the full course of lectures delivered to this class in each of the prescribed papers (the course to be counted up to one month before the date of commencement of the examination); and

(b) 80 per cent of the periods assigned to each practical prescribed in the syllabus.

5. The medium of the examination shall be English and the examination shall be held according to the syllabus as approved by the Faculty concerned.

6. The internal assessment shall be 10 per cent of the total marks and out of which 50 per cent will be counted towards practical and 50 per cent towards theory in both Part I and Part II examinations.

7.1. One or more research papers published by the candidate in a Journal of repute may also be submitted in lieu of thesis.

A candidate who has already submitted and passed in the thesis submitted for M.Sc./Ph.D. Anthropology/Zoology/Human Biology may be exempted for submitting a fresh thesis.

7.2. The thesis/published paper(s) will be evaluated as accepted or rejected. No marks will be awarded for it.

8. The minimum pass marks will be 50 per cent in Part I and 50 per cent in Part II. In addition, thesis/published paper(s) should also have been accepted for passing Part II examination.

9. A candidate who has failed in Part II of the examination is not required to submit the thesis again.

10. A candidate who fails in the examination (Part I or Part II) after having completed the prescribed course, or fails to appear in the examination, shall have to attend the prescribed course again in the University before he is allowed to appear in the supplementary examination. He will not be allowed to appear as a private candidate. If a candidate for Part I examination does not pass within three years of his admission to the course, he will not be allowed to continue his studies for the M.Sc. examination in Anatomy.

11. The Controller of Examinations shall publish the result as soon as possible after the examination.

12. Successful candidates shall be classified as under:

(a) Those who obtain 75 per cent or more of the aggregate number of marks in Part I and Part II examination together.	: First Division with Honours
(b) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75% of the aggregate number of marks	: First Division
(c) Those who obtain 50% or more but less than 60% of the aggregate	Second Division

13. The examination for Part I shall be open to any student who produces the following certificates signed by the Head of the Department:

a) of having passed B.Sc. (Anatomy, Physiology and Biochemistry) with at least 50% marks from a recognized University (or any other examination recognized by the University as equivalent thereto) or of having passed the M.Sc. examination in Physical Anthropology/Zoology/Human Biology with at least 50% marks from a recognized University.

b) of having attended not less than (a) 80 per cent of the full course of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers (the

course to be counted up to one month before the date of commencement of the examination); and (b) 80 per cent of the periods assigned to each practical prescribed in the syllabus.

6. Regulations for M.Sc. (Honours School) in Chemistry and Physics and M.Sc. (2-Year) Course in Physics (Semester System) effective from the admissions of 1999.

1. Admission:

(a) A candidate who has passed B.Sc. (Honours School) examination in the concerned subject will be eligible for admission to M.Sc. (Honours School) programme.

(b) A candidate who has passed B.Sc./B.Sc. (Honours) examination with the concerned subject, will be eligible for admission to M.Sc. (Honours School)/M.Sc. Programme.

(c) Admission will be based on the guidelines provided by the Board of Control from time to time.

2. Duration of programme:

(a) The duration of the M.Sc. (Honours School)/M.Sc. programme will be two years comprising two semesters.

(b) The duration, including end-semester examination, of the first semester and third semester will be from August to December and that of the second and fourth semester from January to May, during the respective academic years, including end-semester examination.

(c) Each semester will be followed by an end-semester examination which will be held after 36 lectures in each paper/course.

3. Instruction:

(a) For every theory paper/course, 3-4 lectures (including tutorials), each of one hour duration, per week will be delivered. The tutorial will involve active participation by the students in the work of problem solving, discussion of test questions and assignments concerned with the lectures etc.

(b) The teacher for a course is responsible for maintaining the desired standard of the course and for evaluating student's performance. Each course is a distinct entity and the student is required to pass in each course/paper for the final award of degree.

(c) In case of more than one teacher for a course, one teacher is designated as teacher-in-charge who coordinates the instruction and evaluation in the course.

(d) The laboratory course has a team of teachers/instructors with a teacher-in-charge.

(e) Every candidate for the M.Sc. (Honours School)/M.Sc. examination shall send his application through the Chairman/Head of the Department accompanied by the following certificates:

(i) (a) of good moral character;

(b) of having been on the rolls of the University Department/affiliated college for the semester preceding the examination;

(ii) of having attended at least 66 per cent of the total number of the lectures and practicals separately in each *course; and

*(A course means a paper in theory or practicals)

(iii) In case of dissertation, a certificate from the Supervisor, endorsed by the Chairman/Head of the Department, that the candidate has worked to his satisfaction.

The Board of Control is empowered to condone shortage in the attendance of lectures and practicals to the extent of 10 per cent in each course (theory and practicals).

4. Assessment:

(a) The total number of marks/credits for each semester, the number of theory papers and practicals, the marks/credits allotted for each paper, the syllabi and courses of study will be decided by the Board of Control from time to time.

(b) The assessment will be wholly internal for all theory papers. For laboratory courses, it may be wholly internal or there may be an external examiner.

(c) In a theory course/paper, 25% of the total marks will be for in-semester assessment and 75% for end-semester examination.

(d) In a theory course/paper, the answer-books of the in-semester tests will be returned to the students and for end-semester examination will be available to students for perusal according to the schedule which will be announced by the Department/Teacher.

(e) In a laboratory course, 50% marks will be meant for in-semester assessment which will depend on the following:

(i) The skill of the student in doing the experiments;

(ii) Viva-voce on the experiments;

(iii) Written report on the experiments; and

(iv) Seminar delivered by the student.

The examination may be fixed at the end of the each semester or combined at the end of the academic year. It will carry the remaining 50% of marks for the laboratory course. There may be an external examiner along with one or two internal examiners. In case the external examiner is not available, he may be replaced by another examiner from the department.

If the Board of Control decides to have continuous in-semester assessment for all 100% marks of the laboratory courses, they may be allowed to do so.

(f) Pass Marks:

The students are required to obtain 40% marks in each course of theory/laboratory to pass in that course in each semester.

5. Re-examination:

(a) If a student fails to get pass marks in a theory/laboratory course/paper or has missed the end-semester examination in any semester, he/she will be given a reappear in that course. All re-appear examinations will be held immediately after the end of the summer vacation, before the start of the regular classes.

(b) If a student fails in the re-examination in more than 50% of the total credits, in both the semesters of the relevant year, he/she will not be promoted to the next class and will have to seek re-admission into the same class for the next academic year.

(c) The facility of re-admission to a given programme M.Sc. (Honours School)/M.Sc. cannot be extended beyond a period of one year, i.e. the time limit for completing M.Sc. (Honours School)/M.Sc. programme is three years from his/her first admission to the programme. If the student is unable to pass all the courses in the three years, he/she has to leave the M.Sc. (Honours School)/M.Sc. programme and will not be readmitted to the same programme.

6. The Board of Control would take appropriate steps for the proper implementation of all aspects of the M.Sc. programme, including the time schedules of instruction and assessment, conduct of examinations, seminar, project, etc.

7. Change of title for Bachelor of Engineering at page 347 of Panjab University Calendar, Volume II, 1995.

BACHELOR OF ENGINEERING IN AERONAUTICAL, CHEMICAL, CIVIL, ELECTRICAL, ELECTRONICS & ELECTRICAL COMMUNICATION, MECHANICAL, METALLURGICAL, PRODUCTION, COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING, INDUSTRIAL AND AGRO PROCESSING TECHNOLOGY.

8. Regulation 12 for B.A./B.Sc. (General and Honours) examinations at page 51 of Panjab University Calendar, Volume II, 1995.

12. A candidate shall submit his application for admission to the examination on the prescribed form with the required certificate duly countersigned by

(i)	Principal of the College	In the case of a student of an affiliated College.
(ii)	Principal of the College last attended.	In the case of a late College student.

The Controller of Examinations may authorize the Principal of a degree college affiliated to the Panjab University with more than 800 students to delegate to a senior member of the teaching staff, the authority to certify examination forms of the candidate.

(iii) To be treated as private candidates.

(iv) In the case of all private candidates including as at (iii) above.

(a) Principal of Government Senior Secondary School;

or

(b) Principals of Panjab University affiliated Colleges including professional colleges;

or

(c) Chairperson of Panjab University Teaching Departments;

or

(d) A district or Circle Education Officer;

or

(e) Persons authorized by the Controller of Examinations for Delhi candidates;

or

(f) A commanding officer of his unit in the case of military personnel;

or

(g) Head of University Library including P.U. Extension Library, Ludhiana and Central State Library in the case of their own staff.

or

(h) Fellows/Regular Teachers of Panjab University;

or

(i) Any other person authorized by the Syndicate on the recommendation of the Vice-Chancellor;

or

(j) Gazetted Officers of States and Central Government;

or

(k) Head of the Department where the candidate is in service, in the case of Government/Semi Government Officer employees;

or

(l) Chairperson, Department of Correspondence Studies in the case of late candidates of D.C.S. and Chairperson, Department of Evening Studies in the case of late candidates of D.E.S., P.U., Chandigarh;

or

(m) Director of Public Relations and other Non-Teaching University Officers whose grades are equivalent to or higher than the grades of Assistant Registrar.

9. **Regulation 11.2 relating to Bachelor of Business Administration examination w.e.f. the admissions of 1999.**

11.2. A candidate who qualified in all the subjects, but has failed in one subject only obtaining not less than 20 per cent of the maximum marks in the subject, shall be placed under compartment in that subject. He shall be required to qualify the compartment paper at the next two consecutive examinations i.e. supplementary and the next annual examination.

CHANDIGARH – 160014
DATED : 19/6/2004

(H.C. Malhotra)
Joint Registrar

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day, 19/6/2004

(Paramjit Singh)
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004